खण्ड-403, अंक-8
बुधवार, 7 फाल्गुन, शक संवत् 1913
(26 फरवरी, 1992 ई0)

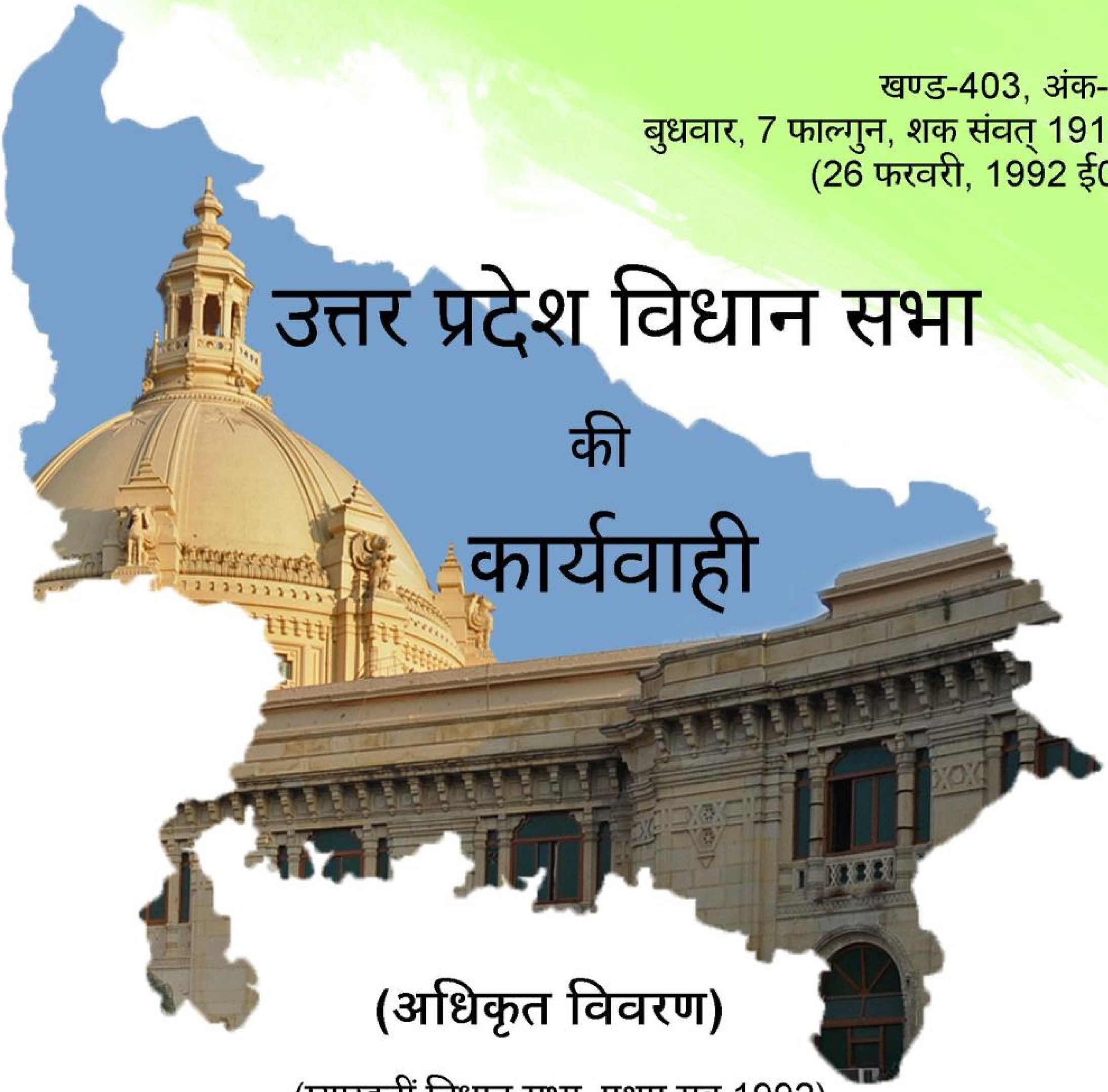

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 403 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य ..	छ
समाजवादी जनता पार्टी की रैली में कार्यकताओं को उत्पीड़ित किये जाने संबंधी नियम ३११ के अन्तर्गत दी गई सूचना को लिये जाने की मांग (जारी)	१
प्रश्नोत्तर (जारी)	१–४
नियम ३११ के अन्तर्गत सूचना को प्रश्न काल के स्थान पर लिये जाने का प्रस्ताव (अस्वीकृत)	४
नियम २९९ के अन्तर्गत कतिपय सदस्यों का सदन से निष्कासन	५
प्रश्नोत्तर	५–१००
समाजवादी जनता पार्टी की रैली में कार्यकताओं को उत्पीड़ित किये जाने के आरोप संबंधी नियम ३११ के अंतर्गत दी गई सूचना को लिये जाने की मांग ..	१०१–१०३
सदन से निष्कासित सदस्यों के निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध (जारी) ..	१०३–११६
नियम ३०१ के अंतर्गत सूचनायें	११६–११७
जनपद लखीमपुर खीरी में थाना तिकुनियां के वीरेन्द्र और राम औतार कान्सटेबिल द्वारा जनता को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में नियम ३०१ के अंतर्गत सूचना ..	११७
बी० टी० सी० प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट करने के संबंध में नियम ३०१ के अंतर्गत सूचना	११७
यू० पी० स्टेट सुगर कारपोरेशन लि०, भटनी, जिला देवरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम ३०१ के अंतर्गत सूचना	११८
मऊ जनपद के नत्थुपुर निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत नैरियाडीह के सामने हाहानाले पर पुल बनवाने के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना	११८
जनपद टिहरी गढ़वाल के जिला मुख्यालय नई टिहरी के कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना ..	११८
जनपद गाजीपुर में लोक निर्माण विभाग (सेतु निगम) द्वारा टोंस नदी पर पुराने घाट पर अधूरे निर्मित पुल का निर्माण यथाशीघ्र कराने के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना	११९
जौनपुर जिलान्तर्गत कतिपय गावों में पेय जल समस्या उत्पन्न होने के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना	११९

विषय	पृष्ठ संख्या
निर्दलीय सदस्यों को बोलने की अनुमति न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	११९–१२०
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न (जारी) ..	१२०–१२२
सदन से निष्कासित सदस्यों के निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध ..	१२२
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न	१२२–१२३
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	१२४
श्री लाल जी वर्मा द्वारा नियम ३११ के अन्तर्गत दी गई सूचना को औचित्य के प्रश्नों की सूचनाओं में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध ..	१२४
जनपद गोण्डा के परसपुर कस्बे में छात्रों के प्रति अपनाई गई दमनात्मक नीति के आरोप के संबंध में औचित्य का प्रश्न	१२४–१२८
श्री दिनेश चन्द्र सोनकर द्वारा सहकारिता मंत्री को भेजे गये पत्र का उत्तर प्राप्त न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	१२८–१२९
चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों का शोषण किये जाने विषयक वक्तव्य के गलत होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	१२९–१३०
मंत्रियों द्वारा सरकारी गाड़ियों पर राष्टीय ध्वज फहराये न जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	१३०–१३१
गन्ना विकास संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र में सहायक निदेशक द्वारा राष्टीय ध्वज उल्टा फहराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	१३२–१३३
वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं राज्यसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शिव कुमार मिश्र को पुलिस द्वारा अपमानित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	१३३–१४०
सार्वजनिक स्थानों पर मन्दिर बनाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	१४०–१४२
जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निधासन में छूट पर मिलने वाली खाद को अधिक कीमत लेकर जनजातियों में वितरित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	१४२–१४४
नियम ३११ के अन्तर्गत सूचनायें (जारी)	१४४
नियम ३११, ५६, ५१ व ३०१ को मिलाकर एक सदस्य की केवल एक सूचना लिये जाने का सुझाव	१४४–१४५
नियम ३११ के अन्तर्गत सूचनायें	१४५–१४६
श्री विजय सिंह राणा सदस्य विधान सभा द्वारा कृषि मंत्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना	१४६–१४९

विषय	पृष्ठ संख्या
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (जारी)	१४९–१५१
श्री श्याम नारायण सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना के संबंध में जानकारी	१५१
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (जारी)	१५१–१५७
उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) अध्यादेश, १९९१ के अननुमोदन का संकल्प (अस्वीकृत) तथा उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) विधेयक, १९९२ (पारित)	१५८–१६५
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९९१ के अननुमोदन का संकल्प (अस्वीकृत) तथा भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९९२ (पारित)	१६५–१७७
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, १९९२ के अननुमोदन का संकल्प (अस्वीकृत) तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, १९९२ (पारित)	१७७–१९०
वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान	१९०–२०९
अनुदान संख्या–१–आबकारी विभाग (स्वीकृत) ..	२०९
अनुदान संख्या–२–आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) (स्वीकृत) ..	२१०
अनुदान संख्या–३–आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) (स्वीकृत)	२१०
अनुदान संख्या–४–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) (स्वीकृत) ..	२१०
अनुदान संख्या–५–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) (स्वीकृत) ..	२१०–२११
अनुदान संख्या–६–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत) ..	२११
अनुदान संख्या–७–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ..	२११
अनुदान संख्या–८–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) (स्वीकृत) ..	२११
अनुदान संख्या–९–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत) ..	२१२
अनुदान सख्या–१०–ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	२१२
अनुदान संख्या–११–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) (स्वीकृत)	२१२
अनुदान संख्या–१२–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ..	२१२–२१३

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या–१३–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)	२१३
अनुदान संख्या–१४–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत)	२१३
अनुदान संख्या–१५–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत)	२१३
अनुदान संख्या–१६–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध शाला विकास) (स्वीकृत)	२१३
अनुदान संख्या–१७–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत)	२१४
अनुदान संख्या–१८–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत)	२१४
अनुदान संख्या–१९–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) (स्वीकृत)	२१४
अनुदान संख्या–२०–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	२१४–२१५
अनुदान संख्या–२२–खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) ..	२१५
अनुदान संख्या–२३–खेल विभाग (स्वीकृत) ..	२१५
अनुदान संख्या–२४–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत) ..	२१५
अनुदान संख्या–२५–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) ..	२१६
अनुदान संख्या–२६–गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत) ..	२१६
अनुदान संख्या–२७–गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत) ..	२१६
अनुदान संख्या–२८–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	२१६–२१७
अनुदान संख्या–२९–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत) ..	२१७
अनुदान संख्या–३०–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय (स्वीकृत)	२१७
अनुदान संख्या–३२–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) ..	२१७
अनुदान संख्या–३३–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत)	२१८
अनुदान संख्या–३४–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) ..	२१८
अनुदान संख्या–३५–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत)	२१८
अनुदान संख्या–३६–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) ..	२१८–२१९
अनुदान संख्या–३७–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत) ..	२१९
अनुदान संख्या–३८–नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत) ..	२१९

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या–३९–नियुक्ति विभाग (स्वीकृत)	२१९
अनुदान संख्या–४०–नियोजन विभाग (स्वीकृत)	२२०
अनुदान संख्या–४१–निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	२२०
अनुदान संख्या–४२–न्याय विभाग (स्वीकृत)	२२०
अनुदान संख्या–४३–परिवहन विभाग (स्वीकृत)	२२०–२२१
अनुदान संख्या–४४–पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	२२१
अनुदान संख्या–४५–प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत)	२२१
अनुदान संख्या–४६–प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	२२१
अनुदान संख्या–४७–पर्वतीय विकास विभाग (स्वीकृत)	२२२
अनुदान संख्या–४८–मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत)	२२२
अनुदान संख्या–४९–महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत)	२२२
अनुदान संख्या–५०–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत)	२२२–२२३
अनुदान संख्या–५१–राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत) (स्वीकृत)	२२३
अनुदान संख्या–५२–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	२२३
अनुदान संख्या–५३–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत)	२२३
अनुदान संख्या–५४–वन विभाग (स्वीकृत)	२२४
अनुदान संख्या–५७ वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)	२२४
अनुदान संख्या–५८–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत)	२२४
अनुदान संख्या–५९–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) (स्वीकृत)	२२४–२२५
अनुदान संख्या–६०–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत)	२२५
अनुदान संख्या–६१–विधान परिषद सचिवालय (स्वीकृत)	२२५
अनुदान संख्या–६३–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) (स्वीकृत)	२२५
अनुदान संख्या–६४–विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग (स्वीकृत)	२२६
अनुदान संख्या–६५–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	२२६
अनुदान संख्या–६६–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	२२६
अनुदान संख्या–६७–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)	२२६–२२७

उत्तराखण्ड विधान सभा

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या–६८–शिक्षा विभाग (पौढ़ शिक्षा) (स्वीकृत)	२२७
अनुदान संख्या–६९–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) (स्वीकृत)	२२७
अनुदान संख्या–७०–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत)	२२७
अनुदान संख्या–७१–श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	२२८
अनुदान संख्या–७२–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	२२८
अनुदान संख्या–७३–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत)	२२८
अनुदान संख्या–७४–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) (स्वीकृत)	२२८–२२९
अनुदान संख्या–७५–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) (स्वीकृत)	२२९
अनुदान संख्या–७६–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत)	२२९
अनुदान संख्या–७७–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)	२२९
अनुदान संख्या–७९–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	२२९
अनुदान संख्या–८१–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) (स्वीकृत)	२३०
अनुदान संख्या–८२–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत) ..	२३०
अनुदान संख्या–८३–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत)	२३०
अनुदान संख्या–८४–सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	२३०
अनुदान संख्या–८५–सतर्कता विभाग (स्वीकृत)	२३१
अनुदान संख्या–८६–सहायता एवं पुनर्वासन विभाग (स्वीकृत)	२३१
अनुदान संख्या–८७–सांस्कृतिक कार्य विभाग (स्वीकृत)	२३१
अनुदान संख्या–८८–सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	२३१–२३२
अनुदान संख्या–९०–सूचना विभाग (स्वीकृत)	२३२
अनुदान संख्या–९१–सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	२३२
अनुदान संख्या–९२–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण) (स्वीकृत)	२३२
अनुदान संख्या–९३–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) (स्वीकृत)..	२३३
अनुदान संख्या–९४–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत)	२३३
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९९१-९२ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९९२ (पारित)	२३३–२४१
नियम–५१ के अंतर्गत सूचनायें	२४२
प्रदेश के विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री स्वामी नाथ यादव द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा राज्य मंत्री का वक्तव्य	२४२–२४३
नत्थियां	२४४–२५७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक २६-२-९२

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अजय प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
अरविन्द कुमार, डा०	ललितपुर
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा
अहोक कुमार सिह, श्री	रायबरेली
इम्तियाज अहमद, श्री	मऊ
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
ऊदल, श्री	वाराणसी
ओम प्रकाश, श्री	फतेहपुर
कमल नयन वर्मा, श्री	रायबरेली
कृष्ण कुमार, श्री	फतेहपुर
गोमती प्रसाद, श्री	लखनऊ
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती	वाराणसी
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री	लखीमपुर खीरी
दौलत राम, श्री	सीतापुर
नवाब सिंह, श्री	मथुरा
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
पतिराज, श्री	आजमगढ़
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
फतेह बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बृजराज त्रिपाठी, श्री	बहराइच
भागीरथी, श्री	इलाहाबाद
मदन भईया, श्री	मेरठ
महावीर सिंह, श्री	बिजनौर
मोहम्मद वसीम हाजी, श्री	रायबरेली
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
रमाकांत यादव, श्री	आजमगढ़
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत
राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़
राम सेवक, श्री	बदायूं
लाखन सिंह, श्री	नैनीताल
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शिवेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
सर्वेश कुमार, श्री	मुरादाबाद
सुरेश संगल, श्री	मुजफ्फरनगर
हरक सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
हरनारायण सिंह; श्री	रायबरेली
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक २६ फरवरी, १९९२

(विधान सभा की कार्यवाही दिन में ११ बजे अध्यक्ष श्री केसरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

समाजवादी जनता पार्टी की रैली में कार्यकताओं को उत्पीड़ित किये जाने संबंधी नियम ३११ के अंतर्गत दी गई सूचना को लिये जाने की मांग (जारी)

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष, मैंने नियम–३११ में सूचना दी है और वह सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है । मेरा साग्रह अनुरोध है कि पहले मेरी बात सुन लें । उसके बाद आगे की कार्यवाही आरम्भ करें ; श्रीमन्, कल २५ तारीख को .....

श्री अध्यक्ष–

पहले प्रश्नकाल होगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

मैं अभी अनुमति नहीं दे रहा हूं । माननीय सदस्य जो कहेंगे वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा । माननीय सदस्य कृपया आप शान्त रहें । पहले प्रश्नकाल होगा ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

(माननीय कृषि मंत्री द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़े जाने के मध्य)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्यामदेव राय चौधरी .....

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय कृषि नीति की जानकारी

**१–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति का कोई मसविदा उसे प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री गंगा भक्त सिंह)–

जी हां ।

केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय कृषि नीति का मसविदा संलग्न † है ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है । श्री मुलायम सिंह जी मैंने प्रश्न ले लिया है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप सुनना चाहें या नहीं । अगर सरकार लोकत्रंत के खिलाफ कार्य करेगी तो हम बोलेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

लोकत्रंत के खिलाफ कोई काम हो तो उसके विरुद्ध माननीय सदस्य नियमों के अनुसार ही अपनी आवाज उठायें ।

(कई सदस्यों के साथ-साथ बोलने से व्यवधान)

माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, लिखा नहीं जायेगा । यह न तो कार्यवाही का अंग होगा न समाचार पत्रों में प्रकाशित होगा । माननीय मुलायम सिंह जी प्रश्नकाल के बाद कहियेगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, प्रश्नकाल भी हमारे अधिकारों के लिये होता है । जब हमारे अधिकारों का हनन सरकारे सदन के बाहर कर रही है तो इसके विरुद्ध हम बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रक्रिया नियमावली के अंतर्गत इसकी सूचना दे दें ।

(व्यवधान)

---

† छापा नहीं गया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा । मैंने अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)

कृपया शान्त रहें । मैंने अनुमति नहीं दी है ।

श्री विजय सिंह राणा–

नियम–३११ में सारे कार्यो को निलम्बित करके सुना जाता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नहीं, मैंने अनुमति नहीं दी है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आप हुकुम दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेंने इसे प्रश्नकाल के बाद उठाने की अनुमति दी है ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

एक प्रश्न आपके सामने पेश किया गया है इसको सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें । मैंने बोलने की अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जो लोग बोल रहे हैं तो क्या यह कार्यवाही में लिखा जायेगा ?

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विधान सभा सचिवालय

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्ति बनाए रखें । आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

नियम ३११ को पढ़ लें । इसमें है कि सारी कार्यवाही रोककर सुना जाता है । मान्यवर, नियमों की अवहेलना करके सदन को न चलाएं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियमों की अवहेलना नहीं हो रही है । मैंने अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, जो यह बोल रहे हैं इसको कार्यवाही से निकलवा दें ।

(व्यवधान)

नियम ३११ के अन्तर्गत सूचना को प्रश्नकाल के स्थान पर लिये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रस्ताव पेश कर रहा हूं । प्रश्न यह है कि क्या नियम–३११ का प्रस्ताव, प्रश्नकाल के स्थान पर लिया जाए या नहीं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

(समाजवादी जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य सर्वश्री इन्द्रपाल सिंह, कप्तान सिंह, भरत सिंह, राम औतार [illegible]य, रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, शिव कुमार बेरिया, बनवारी सिंह, अरविन्द प्रताप सिंह, हृदय नारायण दीक्षित, विक्रमादित्य पाण्डेय, बलराम यादव सदन के फ्लोर पर आ गये और [xxx] नारे लगाने लगे । जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।) [xxx]

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया स्थान ग्रहण कर लीजिये ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, हमारी बात सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

वह प्रस्ताव मैंने निरस्त कर दिया है ।

(नारे निरंतर लगाये जाते रहे जिससे शोर होता रहा)

नोटः_[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नियम २९९ के अन्तर्गत कतिपय सदस्यों के सदन से निष्कासन

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम २९९ (क) के अन्तर्गत निर्देश देता हूं कि जो माननीय सदस्य वेल में आये हैं वह सदन से बाहर चले जायं ।

[xxx] (नारे लगाये जाते रहने पर व्यवधान)

कृपया आप लोग सदन से बाहर चले जायं ।

सचिव महोदय आप नाम नोट करें, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि सदन से बाहर चले जायं ।

(नारे निरन्तर लगते रहने पर)

मैं सदन को ११ बजकर ४५ मिनट तक के लिये स्थगित करता हूं और मार्शल को निर्देश देता हूं कि वह इन निष्काषित सदस्यों को सदन से बाहर कर दें ।

(इसके बाद ११ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही ११ बजकर ४५ मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । ११ बजकर ४५ मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन १२ बजकर ३० मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है ।)

प्रश्नोत्तर–(क्रमागत)

उत्तर प्रदेश में घाटे में चल रहे निगमों को समाप्त करने के पश्चात् उनमें कार्यरत कर्मचारियों की वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग

**२–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित निगमों में हो रहे भारी घाटे को देखते हुये प्रदेश सरकार ने माह नवम्बर, १९९१ में प्रदेश के ४२ निगमों की समीक्षा के लिये राज्य मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की सात उप समितियों का गठन किया था ? क्या यह सत्य है कि १९ व २० दिसम्बर, १९९१ को इन समितियों ने इन सभी निगमों को समाप्त करने का निर्णय लिया जिससे निगमों में हजारों कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है और प्रदेश के कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में हड़ताल पर जाने का निर्णय ले लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन निगमों को समाप्त कर उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की रूपरेखा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न] [1]

---

[1]नोटः– प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–४१ के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

घाटे में चल रही उ० प्र० चीनी निगम की मिलों को इनके पूर्व मालिकों को सौंपने की मांग

*१—श्री नरेश अग्रवाल—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य चीनी निगम के अंतर्गत इस समय कितनी यूनिट कार्य कर रही है ? क्या यह सही है कि अधिकांश चीनी मिल भारी घाटे में चल रही है और इनको इनके पूर्व मालिक वापस लेना चहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन चीनी मिलों को लौटाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास मंत्री (श्री हनुमन्त सिंह)—

३५

जी हां ।

कुछ पूर्व मालिक/निजी क्षेत्र के उद्यमी लेना चाहते थे ।

वर्तमान समय में प्रश्नगत इकाईयों को पूर्व मालिकों को लौटाये जाने पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

बुधवार, दिनांक २६ फरवरी, १९९२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न

किसानों को रियायती दर पर विद्युत उपलब्ध कराये जाने की मांग

*१—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उद्योगपतियों को उद्योगों में रात के समय दी जाने वाली विद्युत की दरों में कमी के प्रस्ताव को लागू किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? क्या सरकार रात के समय किसानों द्वारा सिंचाई/फसल की थ्रेसिंग आदि के समय प्रयुक्त होने वाली बिजली की दरों में भी छूट देने की योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री लाल जी टण्डन)—

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं । किसानों को पहले से ही रियायती दर पर विद्युत उपलब्ध की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी चीनी मिलों के साथ शीरे के सहारे चलने वाली डिस्टलरियों को सम्बद्ध करने की मांग

*२—श्री निर्वेन्द कुमार —

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश की तमाम सहकारी चीनी मिलें घाटे पर चल रही हैं जबकि चीनी मिलों से प्राइवेट शीरे के सहारे लगाई गई डिस्टलरियां लाभ दे रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार डिस्टलरियों को सहकारी घोषित अथवा चीनी मिल से सम्बद्ध कर चीनी मिल में होने वाले घाटे की पूर्ति करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि जनपद लखीमपुर की

सम्पूर्णनगर चीनी मिल जिसमें करोड़ों रुपया कृषकों का शेयर के रूप में लगा है, डिस्टलरी अलग होने अथवा उसमें कृषकों का अंश न होने के कारण उनका भविष्य अन्धकारमय हो गया है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

यह सत्य है कि प्रदेश की कई सहकारी चीनी मिलें घाटे की स्थिति में हैं, जबकि शीरे पर आधारित सहकारी आसवनियां लाभप्रद हैं ।

संघ में वर्तमान में सभी नयी आसवनियां चीनी मिलों से सम्बद्ध करके स्थापित की जा रही हैं ।

जनपद-लखीमपुर-खीरी में नई आसवनी की स्थापना चीनी मिल की सम्बद्ध इकाई के रूप में की गयी है ।

सम्प्रति किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

हरदुआगंज तापीय विद्युत् परियोजना अलीगढ़ के ऐश डम्प यार्ड निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि के विस्थापितों को परिषद् में सेवा में लेने की मांग

*३–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना कासीमपुर अलीगढ़ के ऐश डम्प यार्ड के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि के विस्थापितों के परिवारों के आश्रितों को परिषद् के अधीन सेवायोजन के प्रकरण में अनियमितताओं की जांच की जा रही है ? यदि हां, तो वह कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

परिषद् सतर्कता द्वारा की गई जांच की आख्या प्राप्त हो गयी है जिसके आधार पर विभागीय कार्यवाही सम्पन्न की जा रही है ।

जनपद गढ़वाल में सीमेंट अथवा लोहे के विद्युत् पोल लगाये जाने की मांग

*४–श्री भारत सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि गढ़वाल जनपद के रिसनी खाल तथा जहरी खाल विकास खण्डों में लकड़ी के विद्युत् पोल सड़ जाने अथवा खराब हो जाने से स्थानीय जनता को विद्युत् करेन्ट लगने की दुर्घटना की सम्भावनायें बढ़ गयी हैं ? यदि हां, तो दुर्घटना की रोकथाम तथा विद्युत् लाइन बाधित न होने देने के लिये तुरन्त सीमेंट अथवा लोहे के विद्युत् पोल लगाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जनपद गढ़वाल के विकास खण्ड रिसनी खाल तथा जहरीखाल में लकड़ी के विद्युत् पोल सड़ जाने अथवा खराब हो जाने से स्थानीय जनता को विद्युत् करेन्ट लगने की, दुर्घटना की सम्भावना नहीं है क्योंकि लकड़ी के जो पोल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उन्हें लोहे के पोल द्वारा समय-समय पर बदल दिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दो उपभोक्ताओं पर एक विद्युत् पोल फ्री दिये जाने की मांग

*५–श्री मोहम्मद मुकीम–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पहले जो सुविधा किसानों को २ उपभोक्ताओं पर एक बिजली का पोल फ्री दिये जाने की थी और जिसे पिछली सरकार ने समाप्त कर दिया था, क्या वर्तमान सरकार किसानों के हित को ध्यान में रखकर पुनः वह सुविधा देना प्रारम्भ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

किसानों को कभी दो उपभोक्ताओं पर एक पोल निःशुल्क नहीं दिया जाता रहा है । अतः सरकार द्वारा इस सुविधा को समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता –

प्रश्न नहीं उठता ।

यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि० यूनिट भटनी जिला देवरिया को भारत सरकार द्वारा दिये गये विकास निधि के घोटाले की जांच

*६–श्री हरिवंश सहाय तथा श्री स्वामी नाथ यादव –

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि० यूनिट भटनी, जिला देवरिया को भारत सरकार द्वारा २२ लाख रूपया शुगर विकास निधि से सन् १९९१ में प्राप्त हुआ था जिसमें भारी घोटला होने की जांच रिर्पोट सी० सी० डी० ए० यू० पी० चीनी निगम मुख्यालय लखनऊ ने दिनांक २०-९-९० को शासन को दिया है ? यदि हां, तो उक्त जांच रिर्पोट क्या है तथा उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री हनुमन्त सिंह–

वर्ष १९९१ में २७.३१ लाख रूपये की धनराशि प्राप्त हुई थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*७–श्री लाखन सिंह–

[३रे शुक्रवार के अता० प्र० सं० २० के अंतर्गत स्थानान्तरित]

वर्ष १९९०-९१ के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की जानकारी की मांग

*८–कुंवर सुरेन्द्र प्रताप–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना भुगतान के संबंध में किसानों के गन्ना मूल्य वर्ष १९९०-९१ का भुगतान सरकार कब तक कर देगी ? इस हेतु क्या सरकार किसी निश्चित तिथि की घोषणा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? वे कौन से कारण हैं, जिनकी वजह से भुगतान रूका है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

चीनी मिल खलीलाबाद तथा बिलारी को छोड़कर प्रदेश की अन्य सभी चीनी मिलों द्वारा वर्ष १९९०-९१ का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है ।

उक्त चीनी मिलों के अवशेष का भी यथाशीघ्र भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है । शेष का प्रश्न नहीं है ।

उक्त चीनी मिलों की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण भुगतान रूका है ।

प्रदेश की सिंचाई नीति की जानकारी

*९–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने कोई सिंचाई नीति प्रदेश की सारी सिंचन योग्य असिंचित भूमि सींचने के लिये बनाई है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

प्रदेश में उपलब्ध सम्पूर्ण प्राकृतिक जल श्रोतों का दोहन कर सिंचन योग्य असिंचित भूमि को अधिकतम सिंचाई सुविधा प्रदान करने की शासन की नीति है ।

वृहत, मध्यम एवं लघु सिंचाई, सतही जल योजनाओं तथा राजकीय एवं निजी भूगर्भीय जल सिंचाई योजनाओं से प्रदेश में कुल उपलब्ध जल संसाधनों का सम्पूर्ण उपयोग करने हेतु एक परिदृष्टि योजना पूर्व में बनाई गई थी जिसे पुनरीक्षण उपरान्त अद्यतन करने की कार्यवाही की जा रही है ।

शारदा सहायक पोषण नहर को ग्राम पहाड़ नगर टिकरिया से गोसाईगंज राजबहा तक सुदृढ़ीकरण कराने की मांग

*१०–श्री संत बख्श रावत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ की शारदा सहायक पोषक नहर की दायीं पटरी के लगभग २२ हजार हेक्टयर कृषि भूमि १९७८ से शारदा नहर के टेल पर पड़ने का कारण पानी की अनुपलब्धता के परिणाम स्वरूप १३ वर्ष से सिंचाई के लिये वंचित हैं ? क्या उसके निदान के लिये शारदा सहायक पोषक नहर की दाहिनी पटरी पर ग्राम पहाड़नगर टिकरिया के पास गोसाईगंज राजबहा को पोषित करने हेतु सिंचाई खण्ड लखनऊ द्वारा ५ लाख रूपये की लागत से पोषक नहर से गोसाईगंज राजबहा को पानी देने हेतु ३० मई, १९९१ को हेड बनाकर तैयार कर दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि नहर के सुदृढ़ीकरण के लिये शारदा नहर लखनऊ प्रखण्ड-२ ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है, जिसके परिणामस्वरूप इस हेड से करीब १०,००० एकड़ भूमि जिसकी सिंचाई होनी थी, सिंचाई सुविधा से वंचित हो गयी है ? सरकार नहर के सुदृढ़ीकरण का कार्य कब तक पूर्ण करा देगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, इस क्षेत्र के टेल भाग में प्रस्तावित सिंचाई नहीं हो पा रही है ।

पोषक नहर से सम्भव, समस्या के आंशिक निदान हेतु निर्माण का कार्य प्रगति पर है । सर्वेक्षण के पश्चात् नहर के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव बन गये हैं । सभी औपचारिकतायें पूर्ण करके कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा ।

ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन द्वारा प्रदेश को प्रतिदिन एक करोड़ यूनिट विद्युत् आपूर्ति की मांग

*११–श्री नरेश अग्रवाल तथा श्री प्रमोद तिवारी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष १९९१ के माह मार्च में पिछली सरकार ने ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन, रायबरेली को पूंजीपति गोयनका के हाथ बेचने का निर्णय ले लिया था ? क्या यह सही है कि वहां के कर्मचारियों के प्रतिरोध के कारण यह निर्णय लागू न हो सका और इस कारण यह थर्मल पावर स्टेशन भारत सरकार की एन० टी० पी० सी० द्वारा चलाये जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या इससे प्रदेश को प्रतिदिन एक करोड़ यूनिट विद्युत् की कमी हो जाने की सम्भावना है ? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री लाल जी टण्डन–

मंत्रिपरिषद् के निर्णय दिनांक २८ अगस्त, १९९० के अंतर्गत ऊंचाहार परियोजना स्टेज (१) तथा ऊंचाहार विस्तार परियोजना के निजीकरण के प्रयास करने का निर्णय लिया गया था । समाचार पत्रों में ज्ञापन देने पर कुछ निजी ऊद्यमियों द्वारा प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये जिनमें गोयनका ग्रुप का प्रस्ताव भी सम्मिलित था ।

जी नहीं ।

सरकार को विषम आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये यह निर्णय लिया गया कि विद्युत् उत्पादन को जारी रखने, उपक्रम को पूर्णतः क्रियाशील रखने और उसके विस्तार परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये उसे एन० टी० पी० सी० को हस्तांतरित कर दिया जाय ।

जी नहीं । एन० टी० पी० सी० को हस्तान्तरण होने के बाद ऊंचाहार परियोजना स्टेज-१ से उत्पादित होने वाली प्रथम २८६ मेगावाट विद्युत् राज्य को मिलेगी । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

पनकी ताप बिजली घर में 'राव नियन्त्रण प्रणाली' को पूरा करने के संबंध में की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच

*१२–श्री [illegible] देव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिजली बोर्ड के अभियंता अधिकारियों द्वारा पनकी ताप बिजली घर के लिये "राव नियंत्रण प्रणाली" का एक ठेका आदेश संख्या १४१ पी० टी० पी० एस० एस० पी० (डी० एम० डी०) एस० पी० डी० १०७/८८ के तहत २६ जून, ९१ को ३ करोड़ ७४ लाख ४० हजार रुपयों का दिया गया है ? यदि हां, तो क्या किसी कम्पनी ने उक्त कार्य हेतु २ करोड़ १० लाख रू० का टेन्डर भरा था ? यदि हां, तो उसे अस्वीकार करने का कारण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष १९८४ में परीक्षा ताप गृह में इसी कम्पनी ने पनकी ताप गृह के ठेके से अधिक काम मात्र १ करोड़ ४० लाख रू० में पूरा किया है ? यदि हां, तो क्या ठेका देने में नियुक्त सलाहाकार कम्पनी, ठेका प्राप्त करने वाली कम्पनी की एक सहयोगी कम्पनी है और दोनों के मालिक एक ही व्यक्ति हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर इस बारे में उचित कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं ।

परीच्छा ताप विद्युत गृह के लिये इस प्रकार के कार्य का ठेका वर्ष १९७९ में दिया गया था तथा जो क्रय आदेश १९८९ में पनकी ताप विद्युत गृह के राख निस्तारण संयंत्र के लिये हुआ है और जो क्रय आदेश नवम्बर १९७९ में परीच्छा ताप विद्युत गृह के लिये किया गया था उनकी पूरी तरह तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों क्रय आदेशों में निहित कार्य एवं उपकरण समान नहीं है । पनकी क्रय आदेश की पूर्व की विवेचना में उन सभी संयत्रों की कीमतों को जो परीच्क्षा ताप विद्युत् गृह के क्रय आदेश में थी परीच्छा ताप विद्युत गृहों, संयत्रों की कीमत के आधार पर उचित मूल्य वृद्धि को समावेश करते हुये आंकी गयी थी । ठेका देने में नियुक्त सलाहाकार कम्पनी मे० डेजिन प्राइ० लि० तथा राख संयत्र प्रणाली का ठेका प्राप्त कम्पनी मे० इन्डयोर लि० दोनों नई दिल्ली में अलग-अलग भवनों में स्थित हैं तथा कम्पनीज एक्ट के अनुसार अलग-अलग कम्पनियां हैं । दोनों कम्पनियों में एक निदेशक संयुक्त (कामन) हैं । इस संबंध में जांच कराकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र चायल के गंगापार एवं यमुनापार क्षेत्रों में अधिकाधिक नलकूप लगाये जाने की मांग

*१३–श्री दिनेश चन्द्र सोंनकर–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के चायल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई हेतु अब तक कुल कितने नलकूप कहां-कहां लगाये गये हैं? क्या गंगापार एवं यमुनापार क्षेत्रों की तुलना में वहां पर कम नलकूप लगवाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार सिंचाई सुविधा बढ़ाने हेतु उक्त क्षेत्र में अधिक से अधिक नलकूप लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

चायल विधान सभा क्षेत्र में अब तक कुल १५० नलकूप लगाये गये हैं, जिन की नलकूपवार, ब्लाकवार एवं ग्रामवार सूची संलग्न है ।

गंगापार यमुनापार तथा चायल क्षेत्र के कृषि योग्य क्षेत्रफल को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत क्षेत्र में राजकीय नलकूपों का तुलनात्मक निर्माण कम नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद योजना में उपलब्ध धनराशि के अनुसार तथा जिला चयन समिति की स्वीकृति के आधार पर प्रश्नगत क्षेत्र में राजकीय नलकूपों के निर्माण पर विचार किया जा सकता है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४४–२४५ पर)

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड-नगर में स्थित सखौरा पम्प कैनाल को पूरी क्षमता से चलाया जाना

*१४-श्री दौलत राम तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड नगर में स्थित सखौरा पम्प कैनाल पूरी क्षमता के साथ चलायी जा रही है ? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और उनके निराकरण के क्या उपाय किये गये ? क्या सरकार उक्त कैनाल के सिंचन क्षेत्र में आने वाले ऐसे

गांवों को मुआवजा देगी, जिन गांवों में सिंचाई न होने से किसानों की धान की फसल सूख गयी है और रबी की फसल बोयी नहीं गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त कैनाल के सिंचन क्षेत्र में किसी भी गांव में फसल सूखने का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है । ऐसे प्रकरणों में मुआवजा दिये जाने का कोई प्राविधान सिंचाई विभाग में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मण्डी परिषद् एवं मण्डी समितियों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के मनोनयन के आधार की जानकारी

*१५–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि मण्डी परिषद् एवं प्रदेश भर की मण्डी समितियों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के मनोनयन का आधार क्या बनाया गया है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

मंडी परिषद् एवं प्रदेश के मंडी समितियों में कृषकों/व्यापारियों को उ० प्र० कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम में की गयी व्यवस्था के अधीन अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नामित किया जाता है ।

*१६–श्री यदुनाथ सिंह–

[तीसरे मंगलवार के ता० प्र० सं० १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अलीगढ़ की सिकन्द्राराऊ व अतरौली तहसीलों में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना की मांग

*१७–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद की सिकन्द्राराऊ व अतरौली तहसीलों में मुंसिफ न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सिकन्द्राराऊ तहसील के लंबित वादों की संख्या, संबंधित न्यायालय (मुंसिफ हवाली व मुंसिफ हाथरस) में जिले की अन्य तहसीलों की तुलना में सर्वाधिक है ? यदि हां, तो क्या जनहित में जनपद की उक्त दोनों तहसीलों में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना शीघ्र करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय से संस्तुति/अभिमत मांगा गया है जो अभी प्रतीक्षित है ।

शारदा नहर सिंचन प्रणाली के आधुनिकीकरण कार्यक्रम की जानकारी

*१८–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा नहर सिंचन प्रणाली का आधुनिकीकरण का कोई कार्यक्रम शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

विश्व बैंक द्वारा पोषित राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के अन्तर्गत शारदा नहर सिंचन प्रणाली के सुधार का कार्यक्रम शासन के विचाराधीन है ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शारदा नहर एवं हरदोई ब्रांच पर क्षतिग्रस्त पक्के कार्यों का पुनरोद्धार, नहरों के हेड पर लोहे के गेट लगाने, साइफन बनाने, संवेदनशील एवं चयनित पहुंच मार्ग की सोलिंग करने तथा संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने इत्यादि का प्राविधान है ।

कृषि विभाग में श्रेणी-एक के पदों पर कार्यरत बाह्य सेवाओं के अधिकारियों को उनके मूल विभाग में वापस करने की मांग

*१९–श्री सैय्यद कासिम हसन–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में श्रेणी-एक के पदों पर कितने अधिकारी बाह्य सेवाओं के कार्यरत हैं ? वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण कृषि सेवा से भिन्न सेवा के अधिकारियों को कृषि सेवा संवर्ग के पदों पर तैनात किया गया है ? क्या सरकार बाह्य सेवा के अधिकारियों को तत्काल उनके मूल विभाग को वापस करने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

दो ।

निर्धारित अर्हता प्राप्त अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण ।

अर्ह अधिकारी उपलब्ध होने पर यथासमय समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

सिंचाई विभाग में कार्यरत अंशकालिक नलकूप चालकों की सेवाओं को नियमित किये जाने की मांग

*२०–श्री खालिद गौरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में कार्यरत अंशकालिक नलकूप चालकों की सेवायें नियमित किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय हो जायेगा ?

श्री ओम प्राकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सन् १९८७ में जिला न्यायालयों के अन्तर जनपद स्थानान्तण के नियमों की जानकारी की मांग

१—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सन् १९८७ में अपने अधीनस्थ जिला न्यायालयों के अंतर जनपद स्थानान्तरण के बारे में जो नियम सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजे थे उन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मा० उच्च न्यायालय ने वर्ष १९८७ में या उसके बाद अब तक अपने अधीनस्थ जिला न्यायालयों के अंतर जनपद स्थानान्तरण के बारे में कोई नियम सरकार के पास स्वीकृति हेतु नहीं भेजे हैं ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

भाटपार रानी जिला देवरिया में पुल बनाये जाने की मांग

२—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९९० में कितना धन भटनी चीनी मिल, जिला देवरिया द्वारा केन यूनियन, भाटपार रानी, जिला देवरिया को पुल बनाने के लिये दिया गया ? क्या यह पुल अब तक बना ? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है ?

श्री हनुमन्त सिंह—

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि० इकाई भटनी द्वारा वर्ष १९९० में भाटपार रानी केन यूनियन को पुल बनाने के लिये ७० हजार रू० दिया गया था ।

जी नहीं ।

मामले की जांच कराई जा रही है ।

जनपद लखीमपुर खीरी के गन्ना क्रय केन्द्र तेलियर के भू स्वामी को किराया भुगतान की मांग

३—श्री निर्वेन्द्र कुमार —

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत सरजू सहकारी चीनी मिल, बेलरायां के गन्ना क्रय केन्द्र तेलियार को जिस स्थान पर वर्ष १९९०-९१ के पेराई सत्र में स्थापित किया गया था क्या उस भूमि का किराया भूस्वामी को अब तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह—

वर्ष १९९०-९१ हेतु गन्ना क्रय केन्द्र तेलियार के लिये भू-स्वामी द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी गयी थी । अतः किराया भुगतान करने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड निघासन में बने नाले की सफाई कराने की मांग

४—श्री निर्वेन्द्र कुमार –

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी से बना नाला क्षुलहू से मुन्नू पुरवा तक वर्षों से बन्द पड़ा है तथा इसकी दो पुलिया टूटी पड़ी हैं ? क्या मंत्री जी उक्त नाले की सफाई व टूटी पुलिया बनवाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

विकास खण्ड निघासन, जिला लखीमपुर खीरी में ग्राम झलहू पुरवा से मुन्नू पुरवा तक बनी ड्रेन मे घास मूंज व बेहया आदि के उग आने तथा पी० डब्लू० डी० से बनी एक पुलिया का आधार स्तर ड्रेन के स्तर से ऊंचा होने के कारण जल निकास की गति में कुछ अवरोध आ गया है । इस ड्रेन पर बनाई गयी एक पुलिया के ऊपर की मिट्टी बह गयी है और दूसरी पुलिया की साइड की दीवाल नागरिक वाहनों से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गयी है । इस संबंध में जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति तथा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से आवश्यक स्वीकृति एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के बाद ही कार्यवाही सम्भव हो सकेगी, जिसके लिये अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है ।

कालपी विधान सभा क्षेत्र में सिंचन सुविधा विस्तार हेतु नये नलकूप लगाने की मांग

५—श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में वर्ष १९९०-९१ में पूर्व कृषि मंत्री चौ० शंकर सिंह ने ३३४ कालपी विधान सभा क्षेत्र में सिंचन सुविधा विस्तार हेतु बुन्देलखंड विकास निधि से कुल कितने नये नलकूप लगाये जाने हेतु स्वीकृति दी थी और इनमें से कितने लग चुके हैं ? क्या यह सही है कि अब तक मात्र दस नलकूपों का बोर हो सका है शेष पांच या अधिक पर अभी भी काम होना शेष है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या शेष नये नलकूपों के निर्माण स्थलों के चयन में सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए इसमें क्षेत्रीय विधायक का सहयोग लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

३३४ कालपी विधान सभा क्षेत्र सहित जनपद जालौन में सिंचन विस्तार क्षमता हेतु बुन्देलखण्ड विकास निधि से वर्ष १९९०-९१ में राजकीय नलकूप लगाये जाने हेतु कोई स्वीकृति नहीं दी गई थी ।

प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किसी भी राजकीय नलकूप का निर्माण नहीं कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि संरक्षण इकाई बलरामपुर, गोण्डा में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन भुगतान कराये जाने की मांग

६—श्री अरूण प्रताप सिंह—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि भूमि संरक्षण इकाई बलरामपुर (डी० पी० ए० पी०) गोण्डा में कार्यरत कर्मचारियों को जून, १९९१ से वेतन नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा कब तक वेतन भुगतान की व्यवस्था हो जायेगी ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

सितम्बर १९९१ तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है ।

वर्ष १९९०-९१ तक इस इकाई का अधिष्ठान व्यय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किया जाता रहा है । वर्ष १९९१-९२ से अधिष्ठान व्यय कृषि विभाग द्वारा वहन किये जाने का प्राकरण विचाराधीन है ।

मध्य गंगा कैनाल के प्रयोग में ली गई कृषि योग्य भूमि के बदले में श्री राम शरण निवासी ग्राम खेड़ा सत्तू जनपद अलीगढ़ को सेवा में समायोजित करने की मांग

७—श्री राम सरन सिंह तथा श्री विजय सिंह राणा—

क्या सिंचाई मंत्री विधान सभा के चतुर्थ सत्र १९९० के तीसरे गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०-४८ के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम शरण पुत्र श्री आरामी सिंह, निवासी ग्राम खेड़ा सत्तू, तहसील खैर, जनपद अलीगढ़ की कृषि योग्य भूमि मध्य गंगा कैनाल को प्रयोग में ली गई है ? यदि हां, तो क्या उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के संबंध में शासन के पत्रांक-४२२/ए/क्यू/सिं०-३, दिनांक २३-११-९० द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में मुख्य अभियंता (मध्य गंगा) सिंचाई विभाग, उ० प्र० के पत्रांक ८८१०/मु० अ०/म०गं०/ए-२२/९, दिनांक १८-२-९१ द्वारा शासन को दिये गये आश्वासन का परिपालन अभी तक न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां ।

मुख्य अभियंता मेरठ को प्रकरण पर दिनांक २-२-९१ को कार्मिक विभाग व राजस्व विभाग के शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे । उक्त शासनादेशों में औद्योगिक इकाइयों में भूमि अध्यापित के फलस्वरूप प्रभावित परिवार के सदस्य को सेवायोजन में केवल वरीयता दिये जाने का प्राविधान है ।

शासन के पत्रांकः २३-११-९० द्वारा अता० प्रश्न संख्या-४८ का उत्तर मांगा गया था । श्री राम शरण सिंह के परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने के संबंध में निर्देश जारी नहीं किये गये थे ।

विद्युत् परिषद् में चिकित्साधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को सही अंकित कराना

८—श्री भगवती प्रसाद शुक्ला—

दशम् विधान सभा के प्रथम सत्र १९९१ के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित श्री बसन्त लाल गुप्त के अतारांकित प्रश्न सं०-१५४ के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिषदीय पत्र

सं०-८९४-के-१११-एसई बी/८१ दिनांक ३०-३-९१ में कार्यभार ग्रहण की तिथि १५-५-७८ थी ? यदि हां, तो दिनांक ३०-३-८४ को परिषद् द्वारा जारी की गयी वर्गीकृत सूची में कार्यभार ग्रहण की तिथि १५-५-७९ किस अधिकृत सूचना के तहत दर्शायी गई है ? अगर यह कल्पित तिथि है तो उसे कब तक ठीक कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

परिषदीय पत्र संख्या-८९४ के १११ दिनांक ३०-३-८१ द्वारा संबंधित चिकित्साधिकारी को स्नातकोत्तर भत्ता दिनांक १५-५-७८ से स्वीकृत किया गया था । यह तिथि संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा परिषद् के पत्र संख्या-१३४३ दिनांक १२-४-७८ के विरूद्ध तदर्थ चिकित्साधिकारी पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि है । दिनांक ३०-३-८४ को परिषद् द्वारा जारी वर्गीकृत सूची में कार्यभार ग्रहण की तिथि त्रुटिवश १५-५-७९ दर्शाई गई थी । सही स्थिति यह है कि नियमित चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्ति परिषदीय आदेश संख्या-१३५१ दिनांक ३-३-७९ के विरुद्ध डॉ० टण्डन ने दिनांक १२-३-७९ को कार्यभार ग्रहण किया है । उक्त त्रुटि की कार्यालय अभिलेखों में शुद्धि कर ली गई है । वर्गीकृत सूची का ज्येष्ठता से कोई संबंध नहीं है ।

जनपद गाजीपुर स्थित देवकली पम्प नहर को वर्षवार आवंटित धनराशि की जानकारी

९–श्री उदय प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अंतर्गत देवकली पम्प नहर को वर्ष १९८५ से आज तक प्रतिवर्ष कितनी धनराशि सुधार के लिये आवंटित की गयी तथा आवंटित धनराशि से किस-किस कार्यस्थल पर कार्य कराया गया ? क्या सरकार टी० ए० सी० भेजकर कार्यों का मूल्यांकन करायेगी और दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद गाजीपुर के अंतर्गत देवकली पम्प नहर हेतु वर्ष १९८५ से अब तक सुधार के लिये कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है, अपितु देवकली पम्प नहर की क्षमतावृद्धि परियोजना के अन्तर्गत लेखा शीर्षक ४७०१ वृहद् एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत वर्ष १९८५ से अब तक निम्न धनराशि प्रतिवर्ष आवंटित की गई है :–

वर्ष	धनराशि लाख रु० में
१९८५-८६	२०५.०२
१९८६-८७	२५२.४५
१९८७-८८	२७२.७९
१९८८-८९	२९९.५७
१९८९-९०	१९०.१७
१९९०-९१	२८०.००

इसका उपयोग पक्का पम्प गृह बनाने, नये पम्प स्थापित करने, विद्युत कार्य करने तथा ६७२.२ कि० मी० लम्बी नहर प्रणाली पर मिट्टी के कार्य एवं पक्के कार्यों के निर्माण तथा पुनरोद्धार में किया गया ।

समय-समय पर टी० ए० सी० द्वारा कार्यों का निरीक्षण किया गया है और उसके द्वारा इंगित वसूली की जा चुकी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद बांदा स्थित राजकीय नलकूपों को ठीक कराकर चालू कराये जाने की मांग

१०—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में कितने राजकीय नलकूप हैं ? उनमें से कितने चालू हालत में हैं तथा उन नलकूपों की ब्लाकवार संख्या क्या हैं ? क्या सरकार नलकूपों के खराब व बन्द रहने का कारण बतायेगी ? उनको कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जनपद बांदा में ४२९ राजकीय नलकूप हैं, जिनमें से ३८९ नलकूप चलित हैं ।

नलकूपों की ब्लाकवार संख्या संलग्न है ।

४२९ नलकूपों में से ८ नलकूप परित्याग हेतु प्रस्तावित हैं तथा ३२ नलकूप असफल हैं । चलित ३८९ नलकूपों में से दिनांक २६-१२-९१ की स्थिति के अनुसार विद्युत दोष से ३३ तथा यांत्रिक दोष से १३ नलकूप अस्थायी रूप से बन्द थे । असफल हुये ३२ नलकूपों में से २० नलकूपों का पुनर्निर्माण किया जाना है तथा १२ नलकूपों पर निकास बढ़ाने हेतु सुधारात्मक कार्यवाही की जानी है ।

असफल २० नलकूपों में से १७ नलकूपों का पुनर्छिद्रण करा दिया गया है तथा उनमें से ११ नलकूपों के वी० एण्ड एल० फार्म विद्युत विभाग को ऊर्जीकरण हेतु प्रेषित कर दिये गये हैं तथा ६ नलकूपों पर पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है । शेष ३ असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य विचाराधीन है ।

अस्थायी रूप से बन्द ४६ नलकूपों को यथाशीघ्र ठीक कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २४६ पर)

जनपद बांदा में सिंचाई प्रखण्ड तृतीय में श्री राम किशोर एवं श्री काशी की मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार नियुक्ति

११—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में अधिशासी अभियंता, सिंचाई प्रखण्ड तृतीय ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद सिविल रिट पिटीशन संख्या-२५९२६/९० श्री राम किशोर बनाम चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्शन कमेटी के निर्णय दिनांक ३०-४-९१ के अनुपालन में श्री राम किशोर पुत्र श्री श्रीपाल व श्री काशी पुत्र श्री महिपाल के प्रार्थना-पत्र मय आदेश प्रति के साथ देने पर भी नियुक्ति पत्र जारी करके पदभार नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्यों एवं नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

श्री राम किशोर पुत्र श्री श्रीपाल एवं श्री काशी पुत्र श्री महिपाल की नियुक्ति बेलदार के पद पर की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरदोई विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में विद्युत् की नई लाइन खींचने के संबंध में

१२—श्री नरेश अग्रवाल—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ८६—हरदोई विधान सभा क्षेत्र के ग्राम दुलिया, बहुसरा, जूरा, पेंग, देवरिया, दहिगवां, बम्नाखेड़ा आदि का विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इन ग्रामों में पिछले १० वर्षों से बिजली न आने के कारण मुख्य लाइनों पर तार चोरी हो गया है ? यदि हां, तो इन ग्रामों में दुबारा कब तक नई लाइन खींच दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी हां ।

इन ग्रामों में कोई भी विद्युत् कनेक्शन न आने के कारण विद्युत् आपूर्ति नहीं हो पायी जिससे इन ग्रामों को जोड़ने वाली ११ के० वी० लाइन की चोरी हो गयी ।

वर्तमान स्थिति में इन ग्रामों में १५ प्रतिशत प्रति लाभ के आधार पर विद्युत् कनेक्शन आने एवं संसाधन उपलब्ध होते ही चोरी गये सामानों को बदला जा सकता है एवं पुनः विद्युत् की आपूर्ति की जा सकती है ।

उ० प्र० में पेराई सीजन में निर्जीव सरकारी चीनी मिलों पर किसानों की बकाया रकम

१३—श्री नरेश अग्रवाल—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९९०-९१ के पेराई के सीजन में उ० प्र० में निर्जीव सरकारी चीनी मिलों पर किसानों का कितने करोड़ रुपया बकाया है ? क्या यह सत्य है कि इस बकाया की रकम पर किसानों को कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्या किसानों पर बकाया सरकारी रुपयों पर ब्याज लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या शासन कोई ऐसी नीति बना रहा है जिसके अनुसार किसानों को भी, उनकी बकाया धनराशि पर ब्याज मिले ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह—

गन्ना पेराई सत्र १९९०-९१ का सरकारी चीनी मिलों पर किसानों का वर्तमान में कोई बकाया नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं है।

सन् १९७७ में बनाई गई शारदा सहायक परियोजना को शीघ्र पूरा किये जाने की मांग

१४—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के रसड़ा, चिलकहर, गढ़वाल, सीयर व नगरा ब्लाकों तथा पूर्व जिला आजमगढ़ वर्तमान में मऊ जनपद के रतन पुरा, दोहरीघाट, घोसी व कोपागंज ब्लाकों के लिये तीस हजार हेक्टेयर सिंचाई हेतु सन् ७७ में शारदा सहायक परियोजना शुरू की गयी थी जो अब तक पूरी नहीं हुई है ? क्या यह सही है कि दो सौ चौसठ कि० मीटर नहर में से अब तक १२३ किलोमीटर नहर बनायी गयी ? यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिये अलग से सिंचाई निर्माण खंड, बलिया खोला गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना की पूरी जांच करायेगी कि उक्त कार्य पर कितना रुपया व्यय हुआ और रखरखाव एवं अधिकारियों/कर्मचारियों पर अब तक कितना खर्चा हुआ ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

शारदा सहायक परियोजना पर कार्य वर्ष १९६८-६९ में आरम्भ हुआ था तथा प्रश्नगत क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचन क्षमता के सृजन हेतु कार्य वर्ष ७८-७९ से प्रारम्भ किया गया जो अभी प्रगति में है। धन की उपलब्धता के अनुसार परियोजना के कार्य पूर्ण कराने का कार्यक्रम है।

जी हां।

इस कार्य को सिंचाई निर्माण खण्ड बलिया द्वारा कराया जा रहा है।

माह दिसम्बर १९९१ तक निर्माण एवं रखरखाव पर रु० ६८८.०० लाख रुपये व्यय हुये तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लगभग १९२ लाख रुपया खर्च हुआ है।

ब्लाक बड़ागांव, जनपद वाराणसी में स्थित कतिपय तालों के जल निकासी का प्रबन्ध करने की मांग

१५—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि इस वर्ष बरहीकला, बरही, नेवादा, हरिनाथपुर, छेड़ापुर, बराई, बरजी, टेटुआ ताल व मच्छाताल ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी की हजारों एकड़ धान की फसल डूब कर सड़ गयी और सैकड़ों मकान अतिवृष्टि से गिर गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त तालों की जल निकासी हेतु बरहीकला से लेकर मच्छाताल तक होते हुये एक बीस फुट चौड़ा नाला निकाल कर नदी में मिलाने हेतु आदेश देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

तहसील अभिलेखों के अनुसार वाराणसी जनपद के विकास खंड बडागांव के ग्राम बरहीकला, बरही, नेवादा, हरिनाथपुर, छेडापुर, बराई, बरजी, टेटुआ ग्रामों में वर्ष १९९१ में फसल डूबने एवं सड़ने के कारण कोई क्षति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतिवृष्टि के कारण ग्राम बरजी के २६, बरहीकला के १३, बरही नेवादा के २४ तथा ग्राम डेडुआ के ३ मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। बरहीकला से मच्छाताल तक बरहीकला ड्रेन एवं बरजी से मच्छाताल तक बरजी ड्रेन का निर्माण वर्ष ८७-८८ में ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत किया गया है। मच्छाताल से नाद नदी तक मच्छाताल ड्रेन एवं धाना ड्रेन के निर्माण का तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है। तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त पाये जाने एवं वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत धन की उपलब्धता पर ही कार्य को कराये जाने का विचार किया जायेगा।

जनपद फैजाबाद के जलालपुर क्षेत्र के लाइन मैन श्री राज बहादुर उपाध्याय को स्थानान्तरित करने के संबंध में

१६—श्री राम लखन—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के जलालपुर क्षेत्र में स्थानीय निवासी श्री राज बहादुर उपाध्याय, लाइन मैन कितने दिनों से वहां पर कार्यरत हैं ? क्या वर्ष १९९०-९१ में उसका स्थानान्तरण किया गया था ? यदि हां, तो कहां और क्या स्थानान्तरण का कार्यान्वयन हुआ था ? यदि नहीं, तो उक्त लाइन मैन का जलालपुर में ही बने रहने का क्या औचित्य है ?

श्री लाल जी टण्डन—

श्री राज बहादुर उपाध्याय लाइन मैन विगत दस वर्षों से जलालपुर क्षेत्र में कार्यरत हैं।

जी हां, वर्ष १९९०-९१ में उसका स्थानान्तरण उप खण्ड अधिकारी, विद्युत् वितरण उप खण्ड (प्रथम), अकबरपुर द्वारा किया गया था ।

श्री राज बहादुर उपाध्याय का स्थानान्तरण ३३/११ के० बी० उपगृह नेवादा के लिये किया गया था । इनके स्थानान्तरण का क्रियान्वयन नहीं हो पाया ।

चूंकि श्री राज बहादुर उपाध्याय लाइन मैन एक यूनियन के पदाधिकारी हैं और उप खण्ड अधिकारी इनके निकटतम उच्च अधिकारी होने के कारण स्थानान्तरण के लिये सक्षम नहीं थे । अतः उनका स्थानान्तरण क्रियान्वयन नहीं हो पाया, साथ ही श्री राज बहादुर उपाध्याय के विरुद्ध कोई आरोप सही नहीं पाये गये । तथापि जलालपुर क्षेत्र से उनके स्थानान्तरण हेतु आगामी सत्र में विचार किया जायेगा ।

कृषि निदेशालय, लखनऊ के लेखाकार श्री मोती लाल के उत्पीड़न का मामला

१७—श्री बसंत लाल गुप्ता—

१०वीं विधान सभा के प्रथम सत्र १९९१ के पहले बुधवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०-११९ के उत्तर के संबंध में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशालय, लखनऊ के एक लेखाकार श्री मोतीलाल के उत्पीड़न संबंधी मामले में तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक २ मई, १९८८ को पारित आदेशानुसार शासन के कृषि विभाग द्वारा कतिपय निर्णय लेकर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त निर्णय के फलस्वरूप ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ? उक्त मामले की जांच आख्या क्या है तथा उस पर शासन द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ? क्या यह सच है कि कर्मचारी को योगदान कराने के संबंध में मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक २ मई, १९८८ को पारित स्पष्ट आदेश, जांचोपरान्त अक्टूबर, १९८८ में शासन से आदेश तथा फरवरी, १९९० में तत्कालीन कृषि सचिव श्री मुकुल सनवाल के स्तर से पुनः आवश्यक निर्देश कृषि निदेशालय को प्रोषित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश/निर्देशों का पालन सरकार द्वारा सुनिश्चत कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

जी हां, तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री जी ने जांच के आदेश दिये थे । जांचोपरान्त यह पाया गया कि किसी अधिकारी द्वारा श्री मोतीलाल का उत्पीड़न नहीं किया गया ।

दिनांक २-५-१९८८ को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने मामले में जांच करने के आदेश दिये थे । जांच में श्री मोती लाल, लेखाकार को उत्पीड़न किया जाना सिद्ध नहीं पाया गया । अतः इस संबंध में पुनः आवश्यक निर्देश देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में ऊर्जीकृत किये गये नलकूपों की संख्या की जानकारी

१८—श्री हरिवंश सहाय तथा श्री स्वामी नाथ यादव—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में वर्ष १९९० व १९९१ में किन-किन नलकूपों का ऊर्जीकरण करने के लिये सिंचाई विभाग से वी० एल० फार्म प्राप्त हुआ है ? उनमें से कितने

नलकूपों का ऊर्जीकरण किया गया तथा कितने नलकूप अभी शेष हैं ? शेष नलकूपों का ऊर्जीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लाल जी टण्डन–

देवरिया जनपद के सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष १९९० में राजकीय नलकूप संख्या १०२, १०४ पी० जी० एवं २६३ डी० जी० तथा इन्डोडच द्वारा पोषित भाटपार रानी कलस्टर के नलकूप संख्या-५०६, २०, ११४, १३७, १४०, १४२ व ४१२ एस० पी० जी० के बी० एल० फार्म ऊर्जीकरण हेतु प्राप्त हुए थे।

वर्ष १९९१ में सिंचाई विभाग द्वारा १४ नलकूपों राजकीय नलकूप संख्या ५१६, ५१७, ५१८, ५४४, ५४५, ५४६, ५४७, ५४८, ५४९, ५५० एस० पी० जी० व १०४, १०६ पी० जी० व २६४, २६५ डी० जी० तथा इन्डोडच द्वारा पोषित भागलपुर कलस्टर प्रथम एवं द्वितीय के २० नलकूपों=नलकूप संख्या ५२०, ५२२, ५२३, ५२४, ५२५, १, २३५, २३४, ५३१, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५४०, ५४२, ५४३, २१, ४३६ एवं १६९ एस० पी० जी० के बी० एल० फार्म ऊर्जीकरण हेतु प्राप्त हुये थे। वर्ष १९९१ में इण्डोडच द्वारा पोषित भागलपुर प्रथम एवं द्वितीय कलस्टर के अन्तर्गत नलकूप संख्या ५१९, ५२१, ५२६, ५२७, ५२८, ५२९, ५३०, ५३७, ५३८, ५३९, एस० पी० जी० के बी० एण्ड एल० फार्म ऊर्जीकरण हेतु प्राप्त हुये थे। किन्तु उन नलकूपों के वायरिंग आदि कार्य पूरा न होने के कारण वापस कर दिये गये थे।

इनमें से वर्ष १९९० में राजकीय नलकूप संख्या १०२, १०३ पी० जी० एवं २६३ डी० जी० तथा इन्डोडच द्वारा पोषित भाटपार रानी कलस्टर के नलकूप संख्या ५०६, २०, ११४, १३७, १४०, १४२ एवं ४१२ एस० पी० जी० का ऊर्जीकरण कर दिया गया था।

वर्ष १९९१ में सिंचाई विभाग द्वारा प्राप्त १४ राजकीय नलकूपों में से १२ अदद नलकूप संख्या ५१६, ५१७, ५१८, ५४४, ५४५, ५४६, ५४८, ५४९ व ५५० एस० पी० जी० १०४ पी० जी० एवं २६४ व २६५ डी० जी० तथा इण्डोडच द्वारा पोषित भागलपुर कलस्टर प्रथम एवं द्वितीय संख्या ५२०, ५२२, ५२३, ५२४,५२५, १, २३५, २३४, ५३१, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५४०, ५४२, ५४३, २१, ४३६ एवं १६९ एस० पी० जी० का ऊर्जीकरण कर दिया गया है।

वर्ष १९९१ के अवशेष दो राजकीय नलकूप संख्या ५४७ एस० पी० जी० एवं १०६ पी० जी० को जनवरी, १९९२ में ऊर्जीकृत कर दिया गया है।

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर के कतिपय ग्रामों को बाढ़ की कटान से रोकने की मांग

१९–श्री हरिवंश सहाय तथा श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जिला देवरिया की तहसील सलेमपुर अन्तर्गत ग्राम वनकटा शिव, वनकटा तिवारी, भरहेचौरा, तेनुवा, विशुनपुर, पुरनाछापा, धर्मखोरदूबे दिन्दवलिया खजुझाझक गांव आदि का कटान बाढ़ के पानी से हो रहा है ? यदि हां, तो इन गांवों को कटान से बचाने के लिये कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ओम प्रकाश –

प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों में कृषि योग्य भूमि में कटान हुआ है। सर्वेक्षण उपरान्त ही किसी योजना विशेष की साध्यता ज्ञात होने पर कार्यवाही सम्भव होगी।

जनपद जालौन में नलकूप निर्माण खण्डों द्वारा मरम्मत हेतु खरीदे गये पुर्जों की टेक्निकल आडिट सेल से जांच कराया जाना

२०—श्री श्रीराम (जालौन)—

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप निर्माण खण्ड, जनपद जालौन-उरई के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ उपखण्ड में सभी मशीनरी यूनिटों की मरम्मत के लिये सितम्बर, १९९० से सितम्बर, ९१ तक कुल कितने मूल्य के पुर्जे खरीदे गये थे ? यह पुर्जो किन-किन फर्मो से खरीदे गये थे ? स्थानीय फर्मो या ठेकेदारों से कुल कितने मूल्य के पुर्जे खरीदे गये थे ? क्या उक्त क्रय टेक्निकल आडिट सेल से सत्यापित कराने का आदेश करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

नलकूप निर्माण खण्ड, उरई जनपद जालौन में सितम्बर, ९० से सितम्बर, ९१ तक सभी मशीनरी यूनिटों हेतु १.४६ लाख रुपये के पुर्जे क्रय किये गये । उप खण्डवार व्यौरा निम्नानुसार है :-

प्रथम उपखण्ड	०.५२ लाख रुपये
द्वितीय उपखण्ड	०.३६ लाख रुपये
तृतीय उपखण्ड	०.१७ लाख रुपये
चतुर्थ उपखण्ड	०.४१ लाख रुपये
	१.४६ लाख रुपये

यह पुर्जे निम्न फर्मो से क्रय किये गये हैं, यह सभी फर्मे मूल निर्माता के अधिकृत प्रतिनिधि हैं :-

१—मेसर्स आनन्द मोटर्स एजेन्सीज, विधान सभा मार्ग, लखनऊ ।

२—मेसर्स मोटर्स सेल्स लि० चारबाग, लखनऊ ।

३—मेसर्स कैलाश मोटर्स लि० फजलगंज, कानपुर ।

४—मेसर्स उ० प्र० ट्रैक्टर्स प्रा० लि०, कोर्ट रोड, मुजफ्फरनगर ।

स्थानीय फर्मो या ठेकेदारों को कोई आपूर्ति आदेश नहीं किये गये हैं ।

टेक्निकल आडिट सेल द्वारा नलकूप निर्माण खण्ड, उरई का निरीक्षण माह १२/९० में किया जा चुका है ।

जनपद जालौन में नलकूप निर्माण खण्ड द्वारा बनाये गये नलकूपों की जांच टेक्निकल आडिट सेल से कराये जाने की मांग

२१—श्री श्रीराम (जालौन)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप निर्माण खण्ड, जनपद जालौन-उरई द्वारा जालौन जनपद में जुलाई, ९० से जून ९१ तक बोर किये गये नलकूपों में कितने नलकूप ऐसे हैं जिनकी वर्टिकल्टी सही है तथा इनमें किन-किन साइजों की विटों का प्रयोग हुआ है ? प्रति नलकूप कितने

घनमीटर पी ग्रेविल (नजीबाबाद बजरी) डाली गयी है व कितनी गहराई में पाईप डाले गये हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि साकिट लगने की जगह पाइप से पाइप की दूरी कितनी है ? क्या टेक्निकल आडिट सेल से इसे सत्यापित कराने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नलकूप निर्माण खण्ड, उरई द्वारा जनपद जालैन में जुलाई, ९० से जून, ९१ तक २४ राजकीय नलकूपों एवं डिपाजिट के अन्तर्गत एक नलकूप का छिद्रण किया गया । सभी २५ नलकूपों की वर्टिकल्टी सही है ।

इन नलकूपों के छिद्रण में १२ १/४", १८" एवं २२" के आर० आर० विटों का प्रयोग किया गया। प्रति नलकूप औसत १८.७३ घनमीटर नजीबाबाद बजरी का प्रयोग किया गया । प्रति नलकूप औसत ८४,२४ मी० गहराई के पाइप डाले गये ।

साकिट लगाने की जगह पाइप से पाइप की दूरी शून्य से २ सेमी० की दूरी रहती है ।

यद्यपि टेक्निकल आडिट सेल द्वारा नलकूप निर्माण खण्ड जालौन का निरीक्षण माह दिसम्बर, ९० में किया गया था फिर भी प्रश्नगत नलकूपों के निर्माण का तकनीकी परीक्षण कराने हेतु टेक्निकल आडिट सेल को निर्देशित कर दिया गया है ।

जनपद जालौन-उरई के नलकूप निर्माण खण्ड प्रथम, द्विवतीय, तृतीय तथा चतुर्थ उपखण्ड में मशीनरी यूनिटों की सितम्बर ९० से सितम्बर ९१ तक कराई गई मरम्मत की जानकारी

२२–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप निर्माण खण्ड जनपद जालौन-उरई के प्रथम, द्विवतीय, तृतीय तथा चतुर्थ उपखण्ड में सभी मशीनरी यूनिटों की मरम्मत सितम्बर, ९० से सितम्बर, ९१ तक कुल कितने मूल्यों की तथा किन-किन फर्मो या ठेकेदारों से करवायी गयी है ? क्या जिन फर्मो या ठेकेदारों से मरम्मत करायी गयी है उनके पास एप्रूब्ड गैरिज है ? अगर किसी क्वालीफाइड मिस्त्री से मरम्मत करायी गयी है तो क्या उस मिस्त्री के नाम भुगतान हुआ है ? अगर किसी सरकारी मिस्त्री से मरम्मत करायी गयी है तो क्या विभाग में क्वालीफाइड मिस्त्री पोस्टेड है ? यदि हां, तो क्या कृत कार्यो को टेक्निकल आडिट सेल से सत्यापित कराने की आज्ञा प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नलकूप निर्माण खण्ड उरई, जालौन में सितम्बर, ९० से सितम्बर, ९१ तक सभी मशीनरी यूनिटों पर ११.०८ लाख रुपये की मरम्मत करवाई गयी । उपखण्डवार विवरण निम्नानुसार है :–

नलकूप निर्माण उपखण्ड-१, झांसी	३.७२ लाख रुपये
नलकूप निर्माण उपखण्ड-२, उरई	१.९६ लाख रुपये
नलकूप निर्माण उपखण्ड-३, हमीरपुर	२.०२ लाख रुपये
नलकूप निर्माण उपखण्ड-४, बांदा	३.३८ लाख रुपये
	११,०८ लाख रुपये

मरम्मत का कार्य निम्न फर्मों/ठेकेदारों द्वारा करवाया गया है :–

१.	मै० आनन्द मोटर, लखनऊ	मूल निर्माता के अधिकृत प्रतिनिधि
२.	मै० डीजल इंजनकस्न एण्ड इलेक्ट्रिकल्स, कानपुर	,, ,,
३.	मै० न्यू गुजरात, डीजल, झांसी	,, ,,
४.	मै० पुरी डीजल्स, कानपुर	,, ,,
५.	मै० पुरी संस, कानपुर	,, ,,
६.	मै० गोविन्द ट्रेडर्स, झांसी कार्यशाला है	,, ,,
७.	मै० रवि इंजी० वर्क्स, झांसी	,, ,,
८.	मै० प्यारा खां ट्रेडर्स पाइप्स, उरई	,, ,,
९.	मै० मेवाराम शुक्ला, कानपुर	,, ,,
१०.	मै० विजय प्रकाश, उरई	,, ,,
११.	मै० अन्सारी इंजी० वर्क्स, उरई	,, ,,
१२.	मै० कुमार इंजी० वर्क्स, कानपुर	,, ,,
१३.	मै० लक्ष्मी गैराज, घाटमपुर	,, ,,
१४.	मै० बांदा इलेक्ट्रीकल, बांदा	,, ,,
१५.	मै० रेयाल अली, ठेकेदार, बांदा	,, ,,
१६	मै० इंजी० सर्विस सेंटर, बांदा	,, ,,
१७.	मै० एस० एन० इंजी० ट्रेडर्स, उरई	विभाग में पंजीकृत है
१८	मै० श्री दुष्यन्त कौशिक, उरई	,, ,,
१९	मै० अग्रवाल ट्रेडर्स, उरई	,, ,,
२०.	मै० अरविन्द इंजी० वर्क्स, इटावा	,, ,,
२१.	मै० नरेन्द्र सिंह एण्ड कं० बांदा	,, ,,
२२.	मै० एस० एन० गुप्ता एण्ड संस, हमीरपुर	,, ,,
२३.	मै० बुन्देलखण्ड इंजी० वर्क्स, बांदा ।	,, ,,

सभी फर्में मूल निर्माता के अधिकृत प्रतिनिधि अथवा विभाग में पंजीकृत अथवा स्वयं की कार्यशाला है । बाहरी मिस्त्री से मरम्मत नहीं करवायी गयी है । प्रखण्ड में क्वालीफाइड मिस्त्री नहीं है, अतः विभागीय क्वालीफाइड मिस्त्री से मरम्मत नहीं करवायी जा सकी है ।

माह दिसम्बर, १९९० में टेक्निकल आडिट टीम द्वारा नलकूप निर्माण खण्ड, उरई का निरीक्षण किया जा चुका है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद गाजीपुर के जखनियां विकास खण्ड में ३३ के०वी० विद्युत् उपकेन्द्र की स्थापना

२३—श्री गिरधारी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के जखनियां विकास खण्ड के जखनियां मुख्यालय में ३३ के० वी० विद्युत् उपकेन्द्र बनाने का वर्तमान में शासन का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो इस विद्युत् उपकेन्द्र का निर्माण कार्य कब से चालू किया जायेगा तथा कितने दिनों में इसे पूर्ण करके विद्युत् आपूर्ति शुरू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन—

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियां के मुख्यालय पर ३३ के० वी० विद्युत् उपकेन्द्र का निर्माण पूर्ण कराकर माह जुलाई १९८९ को इस उप केन्द्र से अनवरत विद्युत् आपूर्ति की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उ० प्र० में रिक्त कनिष्ठ लिपिक/टंकक के रिक्त पदों को भरने की मांग

२४—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उ० प्र० के संवर्ग में माह जनवरी, १९९१ में टंकक/कनिष्ठ लिपिक के कितने पद शासन द्वारा स्वीकृत थे ? इन स्वीकृत पदों के विरुद्ध माह जनवरी, १९९१ में कितने कर्मचारी कार्यरत थे व कितने पद रिक्त थे ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या माह जनवरी, १९९१ में रिक्त पदों की संख्या के विरुद्ध अब तक कोई नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो अब कितने पद रिक्त हैं और क्या इन रिक्त पदों के भरने की आवश्यकता है ? यदि नहीं, तो क्या इन्हें समाप्त किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उ० प्र० संवर्ग में टंकक का कोई पद स्वीकृत नहीं है । कनिष्ठ लिपिक के १८७ पद स्वीकृत हैं ।

माह जनवरी, १९९१ तक कुल १४९ कनिष्ठ लिपिक कार्यरत थे व ३८ पद रिक्त थे ।

जी हां । ५ नियुक्तियां की गयी हैं ।

माह फरवरी, १९९१ में ११ कनिष्ठ लिपिकों की प्रोन्नति से पद रिक्त हुए तथा अब ४४ पद रिक्त हैं । जी हां, आवश्यकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उ० प्र० में वर्ष १९८८ में दैनिक वेतन पर नियुक्त टंकक/कनिष्ठ लिपिक को सेवा मुक्त किये जाने का कारण

२५—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उ० प्र० के अधिष्ठान-२ (क) अनुभाग में वर्ष १९८८ में दैनिक वेतन पर टंकक/कनिष्ठ लिपिक के रूप में किसी कर्मचारी की नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारी को कब सेवा से पृथक किया गया और

क्यों ? क्या उक्त कर्मचारी के प्रकरण में शासनादेश सं०-४१०७/८६-२३-सिं०-७-९५ (६)/८४, दिनांक ५-१२-८६ तथा प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के आदेश सं०-१४१३/का० प्र० अ० प्र०/पी०-२०, दिनांक ३०-४-८७ में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त कर्मचारी के बाद रखे गये अन्य दैनिक वेतन भोगी टंकक/कनिष्ठ लिपिक विभाग में अभी भी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष १९८८ में प्रमुख अभियंता कार्यालय के अनुभाग-२क द्वारा टंकक/कनिष्ठ लिपिक के रूप में दैनिक वेतन पर कोई कर्मचारी नहीं रखा गया ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् के घाटे को पूर्ण करने की सरकार की योजना

२६–श्री किशन गोपाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् कितने घाटे में है और इस घाटे को पूर्ण करने की सरकार की क्या-क्या योजनायें है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

दिनांक ३१-३-९० को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अंत तक वर्ष १९८९-९० के असम्प्रेक्षित लेखों के अनुसार परिषद् का कुल घाटा रु० ५९२.५८ करोड़ है ।

इस घाटे को पूर्ण करने के लिये आठवीं पंचवर्षीय योजना में तापीय एवं जल विद्युत् क्षमता में सुधार अपेक्षित है तथा पारेषण एवं वितरण व्यवस्था के सुधार हेतु परिषद् योजनाओं पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है जिसके फलस्वरूप लाइन-हानियों में कमी होने की संभावना है । चोरी रोकने के लिये सचल दस्तों व सतर्कता विभाग को सुदृढ़ किया जा रहा है और स्वैच्छिक प्रकरण योजना पर प्रभावी रूप से कार्यवाही की जा रही है । प्रशासनिक व अन्य प्रयत्नों से घाटे पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कठोर कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला विवाह अधिकारी के पद पर पूर्व की भांति वकीलों को नियुक्त करने की मांग

२७–श्री किशन गोपाल–

क्या न्याय मंत्री को जानकारी है कि जिला विवाह अधिकारी पहले वकील हुआ करते थे परन्तु पिछली सरकार ने यह पद अधिकारियों को प्रदान कर दिया है ? यदि हां, तो क्या पिछली सरकार के इस आदेश को हटाकर पूर्व की भांति जिला विवाह अधिकारी के पद वकीलों को ही दिये जाने की कोई व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, क्योंकि दिनांक १-३-९० से प्रभावी विशेष विवाह नियमावली, १९५० के प्राविधानों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, ज्येष्ठतम जिला मजिस्ट्रेट तथा परगने में परगना मजिस्ट्रेट पदेन विवाह अधिकारी हो गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

२८–श्री किशन गोपाल–

[१ले मंगलवार में अता० प्र० सं० १८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बरेली के कावर क्षेत्र में टूटे बल्ली रेग्युलेटर की मरम्मत कराये जाने की मांग

२९–कुंवर सुरेन्द्र प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र कावर बरेली के ४० वर्ष पूर्व टूटे बल्ली रेग्युलेटर का मरम्मत कार्य शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त मरम्मत का कार्य कब तक होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां। सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसका धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य करना संभव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के मीरगंज क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना कराये जाने की मांग

३०–कुंवर सुरेन्द्र प्रताप–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र मीरगंज, बरेली में प्रस्तावित चीनी मिल की स्थापना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां।

निजी क्षेत्र के दो उद्यमियों के प्रार्थना पत्र राज्य सरकार की संस्तुति सहित भारत सरकार को भेजे गये हैं। भारत सरकार से आशय पत्र मिलने के पश्चात उनके द्वारा निर्माण कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

३१–श्री मथुरा प्रसाद पाल–

[दिनांक १४-२-९२ को अता० प्र० सं० १७८ द्वारा उपस्थित]

उ० प्र० बीज एवं तराई विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक की नियम विरुद्ध नियुक्ति की जांच कराने जाने की मांग

३२–श्री शिवचरन प्रजापति–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० बीज एवं तराई विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक के चयन हेतु सरकार द्वारा कोई परीक्षा या मापदण्ड निर्धारित है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में वर्तमान प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति बिना किसी परीक्षा, साक्षात्कार व निगम के नियमों के विरुद्ध की गयी है ? क्या सरकार इस प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां । निगम के आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन की धारा-१४८ के अनुसार तथा कम्पनी ऐक्ट की धारा-३१७ के अनुसार निदेशक मण्डल की संस्तुति पर भारत सरकार की सहमति से प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० बीज एवं तराई विकास निगम के पद पर नियुक्ति सार्वजनिक उद्यम विभाग के अंतर्गत गठित चयन समिति के निर्णय/संस्तुति पर निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर की जाती है । प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० बीज एवं तराई विकास निगम की नियुक्ति उपरोक्त नियम एवं निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर की गई है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राम गंगा कमाण्ड परियोजना में दिनांक २५-७-९१ को हटाये गये कर्मचारियों को वेतन दिये जाने की मांग

३३–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि राम गंगा कमाण्ड परियोजना में दिनांक २५-७-९१ को कर्मचारी हटाये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस इकाई से कितने हटाये गये हैं ? क्या हटाये गये सभी कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में पुनः नियुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या रामगंगा कमाण्ड परियोजना की भूमि संरक्षण इकाइयों से हटाये गये कर्मचारियों को कृषि विभाग द्वारा संचालित भूमि संरक्षण इकाइयों में नियुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ऐसे हटाये गये कर्मचारियों को जिनकी नियुक्ति उनके मूल विभागों की इकाइयों में अब तक नहीं की गयी है, उन्हें वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां । रामगंगा समादेश द्वारा अपनी विभिन्न इकाइयों से निम्नलिखित संवर्ग के कर्मचारी कृषि विभाग को वापस किये गये :–

संवर्ग	संख्या
अ० कृ० सेवा वर्ग-१	६८
अ० कृ० सेवा वर्ग-२	१९९
अ० कृ० सेवा वर्ग-३	२७४
वरिष्ठ लिपिक	२८
कनिष्ठ लिपिक	२७
सहायक लेखाकार	१३
चतुर्थ श्रेणी	६८
योग	६७७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ग-३ के ४० तथा वर्ग-२ के ६ कर्मचारियों को छोड़कर शेष सभी कर्मचारियों को समायोजित किया जा चुका है । उक्त ४६ कर्मचारी भूमि संरक्षण में अपनी तैनाती चाहते हैं, जब कि उक्त योजना में पद रिक्त नहीं है ।

३६ कर्मचारियों को ही भूमि संरक्षण में समायोजित किया जा सका है तथा अन्यों के लिये भूमि संरक्षण में पद रिक्त नहीं थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग यांत्रिक खण्ड मिर्जापुर में कार्यरत अवर अभियंता श्री सईदुल्ला को पुनः पद स्थापित करने की जानकारी

३४–श्री बच्चा पाठक–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग यान्त्रिक खण्ड, मिर्जापुर में कार्यरत श्री सईदुल्ला, अवर अभियंता (यांत्रिक), जो १९८० से इस खण्ड में कार्यरत थे इन्हें मई, १९८० से कार्यमुक्त कर दिया गया है ? क्या इन्हें उक्त अवधि से अब तक का वेतन ड्यूटी पर मानते हुये देने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या इन्हें पुनः उसी खण्ड में पद स्थापित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । इनको दिनांक ३०-४-९० अपराह्न से यांत्रिक खण्ड, मिर्जापुर से कार्ययुक्त मान लिया गया है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर में देवकली पम्प नहर को पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति कराया जाना

३५–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद गाजीपुर में देवकली पम्प नहर को पर्याप्त ऊर्जा न मिलने से पूर्ण क्षमता में नहर न चलने के कारण किसानों की खरीफ तथा धान आदि फसलों में लगभग करोड़ों रुपये की क्षति वर्ष १९९१ में हुई ? यदि हां, तो रबी की फसल में भी क्या इसी अनुपात में क्षति होने की आशा है ? यदि हां, तो इस नहर की विद्युत् आपूर्ति हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ? क्या साहूपुरी से मऊ जाने वाली ट्रान्समिशन लाइन से महराजगज से देवकली पम्प नहर के १३२ के० वी० सैदपुर उप-विद्युत् केन्द्र को सीधा जोड़ने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

देवकली पम्प नहर को विद्युत् आपूर्ति करने वाला विद्युत् उप-केन्द्र सैदपुर-साहूपुरी-जमानियां-गाजीपुर १३२ के० वी० ट्रांसमीशन लाइन के अंतिम छोर पर स्थित है और अक्टूबर, १९९१ में जमानियां के पास गंगा नदी के बीच में उपरोक्त लाइन के तार टूट जाने के कारण सैदपुर विद्युत् उप-केन्द्र पर थोड़े समय के लिये कम वोल्टेज की समस्या उत्पन्न हुई थी जिसके कारण देवकली पम्प नहर के पम्पों का

परिचालन भी थोड़ा अवरुद्ध हुआ था । पम्प नहर को सुचारु विद्युत् आपूर्ति करने के उद्देश्य से साहूपुरी से मऊ जाने वाली १३२ के० वी० लाइन को बीच में ही टैप करके सैदपुर विद्युत् उप-केन्द्र को आपूर्ति की जा रही है ।

वाराणसी महानगर में अनियमित विद्युत् आपूर्ति की समस्या के स्थाई हल हेतु योजना

३६—श्री श्याम देव राय चौधरी—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी महानगर विशेषकर दक्षिणी चुनाव क्षेत्र के नागरिकों को इस वर्ष गर्मी में अनियमित विद्युत् आपूर्ति से भयंकर कष्ट झेलना पड़ा है ? यदि हां, तो समस्या के स्थायी समाधान हेतु क्या सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन—

वाराणसी महानगर के दक्षिणी चुनाव क्षेत्र को विद्युत् आपूर्ति करने वाले १३२ के० वी० विद्युत् उप-केन्द्र में कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण एवं ३३ के० वी० विद्युत् पोषकों के ओवरलोड होने के कारण पिछले ग्रीष्म ऋतु में विद्युत आपूर्ति में आंशिक व्यवधान उत्पन्न हुआ था ।

उपरोक्त समस्या के स्थायी समाधान हेतु वाराणसी महानगर की एक ३६ करोड़ रुपये लागत की विद्युत् प्रणाली सुधार योजना पर कार्य चल रहा है जिसके अंतर्गत एक २×४० एम० वी० ए० १३२/३३ के० वी० विद्युत् उप-केन्द्र, ७ अदद३३/११ के० वी० एवं २०१ अदद ११/०.४ के० वी० विद्युत् उप-केन्द्रों के निर्माण का प्राविधान है और इसके साथ ही ११ के० वी० विद्युत् पोषकों के सुदृढ़ीकरण का भी प्राविधान हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर स्थित सहकारी चीनी मिल बेलरायां एवं सम्पूर्णानगर की संचित निधि से सहकारी संघ द्वारा आहरित रु० चार करोड़ की वापसी

३७—श्री निर्बेन्द्र कुमार—

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर स्थित सहकारी चीनी मिल, बेलरायां एवं सम्पूर्णानगर की संचित निधि से सहकारी संघ द्वारा लगभग ४ करोड़ रुपये की धनराशि आहरित की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त धन का उपयोग कहां किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त धन के आहरित कर लेने के कारण चीनी मिल से संबंधित अनेक कार्य जैसे मार्ग, पुलिया आदि निर्माण कार्य नहीं हो सके हैं ? यदि हां, तो उन कार्यो. को पूरा कराये जाने संबंधी क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या आहरित किये गये धन को वापस चीनी मिल को दिलाये जाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० रा० विद्युत् परिषद् में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को समयबद्ध वेतनमान दिये जाने की मांग

३८–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् के अंतर्गत मुख्य अभियंता (सिविल) ए-५३९, इन्दिरा नगर, लखनऊ एवं विद्युत् सेवा आयोग, महानगर, लखनऊ में कार्यरत किन-किन लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को देय समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत किये जाने का प्रकरण मु० अ० (जल विद्युत्), उ० प्र० रा० वि० प० के समक्ष विचाराधीन है तथा किस तिथि से ? समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत करने में विलम्ब के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? कर्मचारियों को देय समयबद्ध वेतनमान किस तिथि तक स्वीकृत कर दिये जायेंगे ?

श्री लालजी टण्डन–

कार्यालय मुख्य अभियंता (सिविल), इन्दिरा नगर, लखनऊ के श्री के० सी० ओझा, कार्यालय अधीक्षक श्रीमती सुधा शर्मा, कनिष्ठ पाण्डुलिपिक तथा विद्युत् सेवा आयोग, कार्यालय, लखनऊ के सर्वश्री भुवन चन्द्र, सूरज पाल, कनिष्ठ पाण्डुलिपिक व डी० के० सिंह, दैनिक श्रेणी लिपिक को समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत किये जाने का प्रकरण मुख्य अभियंता (जल विद्युत्), लखनऊ के समक्ष वर्ष १९९०-९१ से विचाराधीन है ।

समयबद्ध वेतनमान अधिकृत चयन समिति की संस्तुति पर स्वीकृत किया जाता है । समिति के उक्त पांचों कर्मचारियों के मामलों पर विचार करते समय इनके मामलों में वांछित अभिलेख अपूर्ण पाये गये जिन्हें संबंधित अधिकारियों से पूर्ण कराया जा रहा है । विलम्ब के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है अतएव कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

वांछित अभिलेख उपलब्ध होने पर इन्हें समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा ।

हरदुआगंज तापीय परियोजना में ऐश डम्प यार्ड के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि के विस्थापियों को नौकरी न देने के दोषी उप सचिव को निलम्बित करने की मांग

३९–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रथम सत्र ९० के पहले बुधवार दिनांक १७-१-९० को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं०-६५ के उत्तर में हरदुआगंज तापीय परियोजना कासिमपुर, अलीगढ़ के निर्माणाधीन ऐश डम्प यार्ड के लिये अधिग्रहीत की गई भूमि के विस्थापित परिवारों के सदस्यों को परिषदीय सेवायोजन दिये जाने में विद्युत् परिषद् के उप सचिव श्री एच० बी० सिंह को अनियमितताओं के लिये दोषी करार दिया गया है ? यदि हां, तो परिषद् द्वारा श्री एच० बी० सिंह को आज तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया ? क्या शासन श्री सिंह को निलम्बित करके इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दण्डित करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

संबंधित अधिकारी को निलम्बित करने हेतु विद्युत परिषद् को आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं ।

सतर्कता जांच आख्या के आधार पर अन्तर्ग्रस्त पाये गये उप सचिव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है, जो अन्तिम चरण में है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् के अंतर्गत लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों को वाहन भत्ता एवं सचिवालय भत्ता दिया जाना

४०–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा० वि० प० के अंतर्गत लखनऊ में कार्यरत परिषदीय कर्मचारियों (मुख्यालय) को वाहन भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो उसका मापदण्ड क्या है ? पद के क्रम में कुल कितना खर्च इस मद में प्रतिवर्ष होता है ? वाहन भत्ता परिषदीय मुख्यालय कर्मचारियों को स्वीकृत करने के पूर्व, वाहन व्यय (हैण्ड रसीद/कन्वेन्स चार्जेज) के मद में प्रतिवर्ष कितना खर्च होता था ? क्या इन्हें सचिवालय भत्ता भी दिया जाता है ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

यह भत्ता सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दिया जा रहा है ।

पदवार व्यय का वार्षिक विवरण बनाने की कभी कोई आवश्यकता न होने के कारण यह आंकड़े देना संभव नहीं है तथापि इस मद में प्रतिवर्ष औसतन लगभग रुपये ५,२२,२६४ खर्च होता है ।

कुछ नहीं ।

जी नहीं । परिषद् मुख्यालय के सेवकों विशेष भत्ता स्वीकृत है ।

यह राज्य सचिवालय के कर्मचारियों को दिये जाने वाले भत्ते की अनुरूपता में स्वीकृत है ।

उ० प्र० रा० वि० प० के अंतर्गत ४०० के० वी० विद्युत् उपकेन्द्र सारनाथ, वाराणसी के निर्माण कार्य की गोपनीय जांच की जानकारी की मांग

४१–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् के अन्तर्गत ४०० के० वी० विद्युत् उपकेन्द्र सारनाथ, वाराणसी के निर्माण कार्य की गोपनीयता जांच के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र प्रताप विधायक के पत्र संख्या-१३७१/भ्रष्टाचार/दिनांक २०-९-९१ जो कि अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें किन-किन बिन्दुओं को उठाया गया एवं किसके द्वारा जांच की गयी ? क्या यह भी बतायेंगे कि कोई जांच-आख्या शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या उसको सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? –

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रश्नगत जांच अधीक्षण अभियंता जनपद इलाहाबाद के द्वारा करवाई गयी एवं जांच में निम्नलिखित बिन्दुओं को उठाया गया :–

१–मशीनों की नीवों (स्ट्रइक्चर) में जिन-जिन सामग्रियों की आवश्यकता है वह अत्यन्त घटिया किस्म की है ।

२–कन्ट्रोल रूम, आवासीय मकान, भण्डार गृह, सड़क आदि बनवाने में वर्तमान अधिशासी अभियंता तथा उच्च पदस्थ अधिकारी से सांठ-गांठ करके घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है ।

३–अधिशासी अभियंता जहां भी गये हैं अपने कार्यकाल के पहले व बाद सिविल कार्य की निविदाओं की दरों में भारी बड़ोत्तरी की है ।

४–उच्च अधिकारियों के सांठ-गांठ से समयावधि के पहले अर्थात् मध्य सत्र में किये गये स्थानान्तरण में परिषद् के अधिकारियों ने मोटी धनराशि ली है तब वाराणसी में स्थानान्तरण हुआ है ।

५–एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि उपरोक्त निम्न स्तर/घटिया कार्य का भुगतान कराने के लिये परिषदीय अधिकारियों का निरन्तर दवाब डाला जा रहा है ।

६–४०० के० वी० उप-केन्द्रों का ठेका जिनको दिया गया है वे कांग्रेसी नेताओं के विशेष कृपा पात्र हैं ।

७–वर्तमान अधिशासी अभियंता ने अपने कार्यकाल में अकूत सम्पत्ति अर्जित की है जिसकी जांच आवश्यक है ।

जांच रिपोर्ट शासन में दिनांक १०-२-९२ को प्राप्त हुई है और इससे आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये तथापि शासन स्तर पर रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया जायेगा । इसे लोकहित में सदन के पटल पर रखना उचित नहीं है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अनपरा प्रोजेक्ट में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में नियुक्त किये गये कर्मचारियों के संबंध में जानकारी

४२. श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषदा के अंतर्गत अनपरा प्रोजेक्ट 'ए' एवं 'बी' में तदर्थ रूप में कितने तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति वर्ष १९८९ एवं १९९० में हुई है ? उनके नाम, पदनाम तथा निवास स्थान क्या हैं ? इनमें से कितने कर्मचारियों को प्रोन्नति प्रदान की गई ?

श्री लालजी टण्डन–

अनपरा प्रोजेक्ट ''ए'' में वर्ष १९८९ में तृतीय श्रेणी में १५ चतुर्थ श्रेणी में २ तथा वर्ष १९९० में तृतीय श्रेणी में मात्र ३७ कर्मचारियों की तदर्थ रूप में नियुक्तियां की गई हैं । उनके नाम, पदनाम तथा निवास स्थान की सूची † सदन के पटल पर रख दी गयी है । इनमें से किसी को भी अभी तक कोई प्रोन्नति प्रदान नहीं की गयी है । अनपरा प्रोजेक्ट ''बी'' में वर्ष १९८९ एवं १९९० में कोई भी तदर्थ नियुक्ति नहीं की गयी ।

---

† छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की अनपरा परियोजना 'ए' द्वारा बेचे गये स्टील/रेल तथा अन्य सामान के संबंध में धाधली

४३—श्री रवीन्द्र प्रताप—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अंतर्गत अनपरा तापीय परियोजना 'ए' में ई० सी० सी० कम्पनी अम्बानी को वर्ष १९९० में स्टील और रेल को बिना परिषदाज्ञा के बेचा गया था ? यदि हां, तो कितना टन स्टील/रेल तथा अन्य सामान बेचा गया ? उसका बाजार मूल्य क्या था वह किस दर से बेचा गया था ? क्या ई० सी० सी० कम्पनी ने सेल्स टैक्स एवं यातायात पर कोई व्यय किया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अंतर्गत अनपरा ''ब'' तापीय परियोजना के कार्य को द्रुतगति से पूरा करने तथा स्टोर इन्वेन्ट्री को कम करने के लिये संबंधित अधिकारियों की संस्तुति के बाद २०७.२९४९ मी० टन० रेल तथा २१६.००० मी० टन स्टील मै० ई० सी० सी० कम्पनी को दिया गया था जिसका मूल्य जे० पी० सी० दर पर रु० ३९,९१,९८५-२० सेल्स टैक्स रु० १,९९,५९९.२६ तथा ढुलाई एवं अन्य व्यय रु० ३,८७,८९५.२० मै० ई० सी० सी० कम्पनी से लिया गया था । विस्तृत विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २४७ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के प्रान्तीय कोषाध्यक्ष श्री सी० एन० सिंह द्वारा अध्यक्ष/सचिव को प्रेषित पत्र एवं उस पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

४४—श्री रवीन्द्र प्रताप—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अंतर्गत श्री सी० एन० सिंह, प्रान्तीय कोषाध्यक्ष, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ संबंद्ध भारतीय मजदूर संघ का पत्र सं०-१३८, १३७/उ० प्र० वि० म० सं०/दिनांक ५-९-९१ जो कि इन्द्र लोक विद्युत कालोनी में रहने वाले कर्मचारियों की कठिनाइयों एवं परिषदीय कार्यालय खोलने के संबंध में था, अध्यक्ष/सचिव, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी तथा उसकी बिन्दुवार स्थिति क्या है ?

श्री लालजी टण्डन—

जी हां ।

पत्र सं०—१३८ उ० प्र० वि० म० सं०/दिनांक ५-९-९१ के संबंध में बिन्दुवार स्थिति इस प्रकार है :—

१—कार्यस्थल का निरीक्षण कर लिया गया है तथा कोई दीवार टूटी नहीं पायी गयी ।

२—खिड़की और दरवाजे की लकड़ियां स्पेसीफिकेशन के अनुसार है ।

३—छत कोई नहीं टपकती है । कुछ क्वार्टरों की छत में मामूली सीलन थी, जो ठीक करवा दी गयी है ।

४–उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि भवन निर्माण में कोई लापरवाही नहीं बरती गयी है ।

पत्र सं०– १३७ उ० प्र० वि० मं० सं०/दिनांक ५-९-९१ के संबंध में स्थिति निम्नवत् है :–

यह असत्य है कि इन्द्रलोक कालोनी में टाइप–४ के आवास बर्षों से खाली हैं । अधिकारियों के स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप आवास समय-समय पर खाली होते रहते हैं तथा इच्छुक अधिकारियों को आवंटित किये जाते हैं । सम्प्रति जो भवन खाली है, उन्हें पात्र अधिकारियों को आवंटित किये जाने का मामला आवंटन समिति के विचाराधीन है । कुछ नव निर्मित आवास धनाभाव के कारण अपूर्ण हैं । धन उपलब्ध होते ही इन्हें पूर्ण करके नियमानुसार इनका आवंटन कर दिया जायेगा ।

इसके अतिरिक्त आवासीय कालोनी में कार्यालयों को स्थापित किया जाना व्यवहारिक रूप से उचित नहीं होगा ।

जनपद गाजीपुर की बन्द देवकली कैनाल के जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित करने एवं किसानों की क्षतिपूर्ति की मांग

४५–श्री उदय प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में देवकली पम्प कैनाल बहुत दिनों से बन्द है ? यदि हां, तो इस पम्प के बन्द होने से किस-किस ग्राम सभा में कितने हेक्टेयर फसल की क्षति हुई है ? नहर बन्द होने का कारण क्या है व इसको चालू करने के लिये विभाग द्वारा अब तक क्या प्रयास किये गये है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ? क्या किसानों की फसलों की क्षति का मुआवजा सरकार देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

विद्युत बोल्टेज कम उपलब्ध होने के कारण पम्प नहर पूरी क्षमता से नहीं चलाई जा सकी, जिससे खरीफ की बोआई कम हुई और गत वर्ष खरीफ में सिंचित १८८०६ हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष केवल १७,७५९ हेक्टेयर की सींच हुई । सिंचित क्षेत्र में किसी भी ग्राम में फसल के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी नहीं है ।

सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा राज्य विद्युत परिषद् के उच्चतम अधिकारियों से सम्पर्क करके वोल्टेज की कमी की समस्या का निराकरण करा लिया गया है तथा दिनांक २९-१०-९१ के बाद से नहर आवश्यकतानुसार चलाई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई सचिव शाखा में जमादार पद से सेवा निवृत्त स्व० कृष्ण कुमार तिवारी के देयकों का भुगतान

४६—श्री राम सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई सचिव शाखा में जमादार के पद से दिनांक ३०-६-१९८५ को सेवा निवृत्त स्व० कृष्ण कुमार तिवारी के देयकों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और किसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सिंचाई सचिव शाखा में जमादार के पद से दिनांक ३०-६-८५ को सेवा निवृत्त स्व० श्री कृष्ण कुमार तिवारी को सेवा निवृत्ति के दिनांक पर देय उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की धनराशि रु० ३२१२.९० का भुगतान दिनांक २१-८-८५ को तथा सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा धनराशि रु० १२,५६१.०० का भुगतान दिनांक १६-१-८६ को किया गया परन्तु विभाग में पूरे अभिलेखों के उपलब्ध न होने के कारण यह पता नहीं चल पा रहा है कि उपरोक्त भुगतान किसे किये गये ।

स्व० श्री तिवारी को सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत देय धनराशि रु० १,५७०.०० की चेक भी दिनांक २८-८-९५ को सामूहिक बीमा निदेशालय द्वारा सिंचाई विभाग को भेजी गयी थी किन्तु अभिलेखों के उपलब्ध न होने के कारण चेक के भुगतान की स्थिति स्पष्ट नहीं है ।

स्व० श्री कृष्ण कुमार तिवारी की देंय जीवनकालीन पेंशन एवं ग्रेच्यूटी के संबंध में उनके भतीजे की पत्नी द्वारा स्व० श्री कृष्ण कुमार को निःसंतान बताते हुये दावा प्रस्तुत किया गया है परन्तु भतीजे की पत्नी उनके परिवार की सदस्य न होने के कारण उक्त भुगतान उन्हें देय नहीं है ।

उपरोक्त भुगतानों के संबंध में सही स्थिति पता लगाने की कार्यवाही की जा रही है ।

उ०'प्र० राज्य चीनी निगम की हरदोई इकाई में कार्यरत श्री अशोक वर्मा द्वारा गबन एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही

४७—श्री नरेश अग्रवाल—

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० राज्य चीनी निगम की इकाई हरदोई में कार्यरत अशोक वर्मा पर मिल का दो लाख रुपये गबन का आरोप है, जिसकी रिपोर्ट थाना-कोतवाली, हरदोई में की गई है ? क्या यह सत्य है कि जांच में उक्त आरोप सत्य पाये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह—

श्री अशोक कुमार वर्मा सामयिक कर्मचारी द्वारा हरदोई इकाई के जजवासी क्रय केन्द्र पर दिनांक २५-२-१९८९ से २-३-१९८९ तक रुपये २,२५,९४४.८० का कुल गन्ना क्रय किया गया था । गन्ना क्रय में अनियमितता पाई जाने के फलस्वरूप गन्ने की खरीद की पर्चियों का भुगतान रोक दिया गया तथा श्री अशोक कुमार वर्मा को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया एवं उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना सांडी, तहसील बिलग्राम, जनपद हरदोई में दर्ज कर दी गयी ।

डिवीजन गंगा नहर जनपद मुजफ्फरनगर में तैनात श्री राज्यपाल सिंह त्यागी, हेड मुंशी के विरुद्ध दर्ज कराई गई प्राथमिकी की जानकारी

४८—श्री श्रीराम (जालौन)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में डिवीजन गंगा नहर मुजफ्फरनगर में तैनात श्री राजपाल सिंह त्यागी, हेड मुंशी (तत्कालीन नायब मुंशी) के विरुद्ध अधिशासी अभियंता, गंगा नहर, मुजफ्फरनगर ने अपने आदेश क्रमांक ३१३८, दिनांक २७-६-८८ द्वारा सहायक अभियंता द्वितीय को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आदेशित किया था ? यदि हां, तो श्री राजपाल सिंह त्यागी के विरुद्ध किस तिथि में तथा किस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

अधिशासी अभियंता, मुजफ्फरनगर खण्ड, गंगा नहर, मुजफ्फरनगर द्वारा छः तापानी मिसली का द्वितीय उपखण्ड मुजफ्फरनगर खण्ड गंगानहर, मुजफ्फरनगर कार्यालय में न होने के कारण इनकी तुरन्त एफ० आई० आर० दर्ज कराने हेतु सहायक अभियंता को निर्देशित किया गया था । परन्तु बाद में उक्त मिसलें द्वितीय उपखण्ड से जिलेदारी कार्यालय में भेजा जाना मिल पाया गया अतः प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गयी ।

जनपद जालौन के ग्राम चन्दरसी तथा मैनपुर की पम्प कैनाल में उच्च अश्व शक्ति की मोटरें लगाये जाने की मांग

४९—श्री श्रीराम (जालौन)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में सिंचन सुविधा हेतु परगना कालपी के ग्राम चन्दरसी तथा ग्राम मैनपुर की पम्प कैनाल में कितने अश्व शक्ति की कितनी विद्युत मोटरें स्थापित हैं ? क्या स्थापित विद्युत मोटरों से पर्याप्त भूमि को सिंचन सुविधा प्राप्त है ? यदि नहीं, तो अधिक अश्व शक्ति की विद्युत माटरें क्यों नहीं स्थापित की जा रही हैं ? क्या विद्युत मोटरें पुरानी हैं ? यदि हां, तो नयी मोटरें अधिक अश्व शक्ति की स्थापित की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोनों पम्प कैनालों पर स्थापित दो-दो मोटरें एक साथ चलाये जाने की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जनपद जालौन में सिंचन सुविधा हेतु परगना कालपी के ग्राम चन्दरसी में पम्प नहर पर एक मोटर १६० अश्व शक्ति की व दूसरी मोटर १७० अश्व शक्ति की कुल दो मोटरें स्थापित हैं ।

ग्राम मैनूपुर की पम्प नहर में १६० अश्व शक्ति की एक व १३५ अश्व शक्ति की एक कुल दो मोटरें स्थापित हैं ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी हां ।

आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवश्यकता नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में सिंचाई से वंचित ग्रामों में सरकारी ट्यूबवेल लगाये जाने की मांग

५०—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में सिंचाई से वंचित सर्वाधिक कौन-कौन से विकास खण्ड हैं ? क्या सरकार अवगत है कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा, उन्नाव में मौरावां ब्रांच (सिंचाई खण्ड) में दुंदपुर के नीचे स्थित महारानीखेड़ा, लायक खेड़ा, अकोहरी आदि ग्रामों में नहरी पानी की आपूर्ति अपर्याप्त है ? इसके भी नीचे गुलरिहा जगसिंह खेड़ा आदि ग्रामों में पानी शून्य है ? क्या इसी प्रकार नरीचक, रजबहा में बिसारा, पटेढ़ा आदि ग्रामों तक पानी नहीं पहुंचता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस क्षेत्र में सरकारी ट्यूबवेल लगाने पर विचार कर रही है ? क्या पूर्ववर्ती सरकार ने गुलरिहा व अकोहरी ग्राम सभा (हिलौली ब्लाक) तथा मझगवां-रहिमानपुर-जगदीशपुर (पुरवा असोहा-ब्लाक) के मध्य सरकारी ट्यूबवेल लगाने हेतु सर्वेक्षण करवाया था ? यदि हां,तो उसकी प्रगति क्या है ? यदि नहीं, तो पिछले २ सालों में प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में सरकारी ट्यूबवेल लगाने हेतु सर्वेक्षण किन-किन स्थानों पर हुआ तथा कौन-कौन से उपयुक्त स्थान मिले ? उन स्थानों पर ट्यूबवेल कब तक लग जायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

विकास खण्ड हिलौली ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

केवल गुलरिहा, रहिमानपुर तथा अकोहरी में सर्वेक्षण हुआ था, ग्राम जगदीशपुर एवं मझगवां में सर्वेक्षण नहीं किया गया था । ग्राम अकोहरी में नलकूप का छिद्रण एवं विकसन हो चुका है । इसका शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

वर्ष १९८९-९० तथा १९९०-९१ में प्रश्नगत क्षेत्र में निम्न स्थानों का सर्वेक्षण कराया गया । सर्वेक्षण के उपरान्त यह सभी स्थान तकनीकी दृष्टि से नलकूपों के निर्माण हेतु उपयुक्त पाये गये । इन स्थानों पर नलकूपों के निर्माण की स्थिति उनके सम्मुख अंकित है :—

क्रम सं०	ग्राम	नलकूप निर्माण की स्थिति
१	असरेन्दा	नलकूप ऊर्जीकरण के उपरान्त सिंचाईरत है ।
२	वरेन्दा	छिद्रण एवं विकसन कार्य हो गया है शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है ।
३	अकोहरी	तदैव
४	गुलरिहा	
५	रहिमानपुर	
६	नवाब	जिला चयन समिति से अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर ही नलकूप का निर्माण सम्भव है ।
७	कटाव	
८	वरुवाकला/रहियाखेड़ा	

भू० पू० विधायक श्री विश्वनाथ पाण्डे द्वारा सिंचाई निर्माण मण्डल, गोरखपुर के अधीक्षण अभियंता को भेजे गये पत्र पर की गई कार्यवाही

५१—श्री जय प्रताप सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिद्धार्थनगर के अंतर्गत बांसी, पनघटिया बांध जो राप्ती नदी के दाएं तट पर बना है उसके प्रथम किलो मी० पर लगे ईंट की सोलिंग को उखाड़ कर उखाड़े गये ईंटों, रोड़ों को बेंच लेने के संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र सिंचाई निर्माण मण्डल, गोरखपुर के अधीक्षण अभियंता, श्री मूल चन्द्र गुप्ता को अक्टूबर, १९९१ के प्रथम अथवा दूसरे सप्ताह में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो भू० पू० विधायक विश्वनाथ पाण्डे द्वारा भेजे गये उस पत्र के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? उक्त खड़ंजे को पुनः कब तक लगाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खण्ड, बस्ती से जांच कराई गई । जांचोपरान्त यह ज्ञात हुआ कि बांसी पनघटिया बांध के कि० मी० ००.०० से ००.३५० तक बांध के उच्चीकरण हेतु सोलिंग उखाड़ी गई थी । उखाड़ी गई सोलिंग में से कोई भी ईट, रोड़ा बेचा नहीं गया ।

पुनः सोलिंग कराने हेतु परियोजना प्राक्कलन तैयार कर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सिद्धार्थनगर को धनावंटन हेतु भेजा गया है, जो विचाराधीन है ।

जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी कस्बे में पुराने रेट पर व्यापारियों द्वारा खाद ब्लैक में बेचे जाने की जांच

५२—श्री जय प्रताप सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जि० सिद्धार्थनगर के अंतर्गत बांसी कस्बे के कुछ खाद के व्यापारियों को अगस्त, १९९१ में पुराने रेट की खाद बेचने के लिये परमिट द्वारा जि० केन्द्र सिद्धार्थनगर के प्राइवेट फर्मो से उपलब्ध कराई गई थी ? यदि हां, तो किन-किन व्यापारियों को कितनी-कितनी मात्रा में खाद दी गई ? क्या उक्त खाद को बांसी में ब्लैक भाव पर बेचे जाने के बारे मे कोई तार सितम्बर, १९९१ के दूसरे या तीसरे सप्ताह में भू० पू० विधायक श्री विश्वनाथ पाण्डे द्वारा भेजा हुआ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी ने किया तथा जांच का परिणाम क्या प्राप्त हुआ ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

जनपद सिद्धार्थनगर के कृषि कार्यालय द्वारा पुराने रेट की खाद के क्रय विक्रय हेतु कोई परमिट किसी भी व्यापारी के लिये जारी नहीं किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में बन्थरा के पास की पटरी को पक्का करने हेतु गहरू रजवाहा को भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाही

५३—श्री गिरधारी लाल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई अनुभाग-३ के पत्रांक-९२ सीएम/८७-२३-सि-३४८ (१) पी/८७, दिनांक १४-५-१९८७ जो जनपद लखनऊ में गहरू रजवाहा को बन्थरा के पास की पटरी को पक्का करने से संबंधित था, पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? क्या कार्यवाही शेष है इसको कब तक पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

प्रश्न में निहित शासन एवं श्री शारदा प्रताप शुक्ल द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार उक्त मार्ग को ब्रिक सोलिंग द्वारा पक्का कराने का प्राक्कलन तैयार कर जिला योजना के अंतर्गत विचार करने हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है । जिला योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के उपरान्त निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

जनपद गाजीपुर के ग्राम बहरिया बाढ़ में ३३ के० वी० ए० विद्युत उप-केन्द्र स्थापित करने की मांग

५४—श्री गामाराम शास्त्री—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बहरिया बाढ़, विकास खण्ड सादात, जनपद गाजीपुर में ३३ के० वी० ए० विद्युत उप-केन्द्र बनाने का शासन का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो इसका सम्पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

जनपद गाजीपुर के देवकली पम्प नहर के मरदह रजवाहा को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति करने हेतु किये जा रहे उपायों की जानकारी

५५—श्री सुरेन्द्र सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के देवकली पम्प नहर के मरदह रजबहा को पर्याप्त विद्युत न मिलने से कृषकों की लगभग लाखों रुपये की क्षति वर्तमान में हुयी है ? यदि हां, तो इस रजबहा को पूर्ण क्षमता में चलाने हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा क्या उपाय किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन—

देवकली पम्प नहर को १३२ के० वी० विद्युत उप-केन्द्र, जौहरगंज से विद्युत आपूर्ति की जाती थी तथा जौहरगंज विद्युत उप-केन्द्र १३२ के० वी० साहूपुरी-जमानियां-गाजीपुर लाइन से पोषित होता था । उपरोक्त लाइन की लम्बाई और उस पर जुड़ा भार अधिक होने के कारण जौहरगंज विद्युत उप-केन्द्र को समुचित वोल्टेज नहीं उपलब्ध होता था इस कारण पम्प नहर पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाती थी ।

उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु दिनांक २८-१०-९१ को जौहरगंज विद्युत उप-केन्द्र साहूपुरी-मऊ १३२ के० वी० लाइन को महाराजगंज के पास टैप करके जोड़ दिया गया है और वर्तमान में पम्प नहर को समुचित वोल्टेज की विद्युत आपूर्ति हो रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर की रामगढ़ लिफ्ट नहर की सेपरेट फीडर बनाने की मांग

५६–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की रामगढ़ लिफ्ट नहर की सेपरेट फीडर बनाने हेतु वर्ष १९८९-९० एवं १९९०-९१ में सिंचाई विभाग द्वारा धनराशि जमा की गयी है ? यदि हां, तो इसका सम्पूर्ण विवरण क्या है तथा इस सेपरेट फीडर का निर्माण कार्य कब से चालू किया जायेगा ? निर्माण कार्य कितनी अवधि में पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अलीगढ़ जनपद में ऊपरी गंगा नहर सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना को शीघ्र पूरा कराये जाने की मांग

५७–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि दिनांक २२-८-९१ को आगरा मण्डल के जनप्रतिनिधि एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में अलीगढ़ जनपद के जनप्रतिनिधियों ने ऊपरी गंगा नहर सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना (विश्व बैंक), अलीगढ़ के विभिन्न खण्डों में कार्य की प्रगति बहुत धीमी होने व कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न कराने से, योजनान्तर्गत कार्यों की लागत बढ़ जाने की शिकायत के साथ कुछ जनहित के आवश्यक कार्य कराने हेतु लिखित प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जावेंगे ? क्या कार्यों में विलम्ब से प्रोजेक्ट लागत बढ़ जाने के लिये दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण कर उनके विरुद्ध कार्यवाही भी करायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित कार्यों के निर्माण संबंधी कार्यवाही की जा रही है ।

ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण परियोजना के कार्य निर्धारित कार्यक्रमानुसार जून, १९९५ तक पूर्ण किये जाने प्रस्तावित है । परियोजना हेतु उपलब्ध संसाधनों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य प्रगति पर है । अतः किसी प्रकार के विलम्ब अथवा प्रोजेक्ट लागत बढ़ जाने के लिये किसी अधिकारी के दोषी होने अथवा उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही किये जाने की आवश्यता नहीं है ।

उ० प्र० राज्य चीनी निगम यूनिट लक्ष्मीगंज, देवरिया के गेट पर १ अप्रैल, ९१ को विधायक पर हुए हमले के बारे में की गयी कार्यवाही

५८–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र तथा नन्द किशोर मिश्र–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम यूनिट लक्ष्मीगंज, देवरिया के गेट पर तत्कालीन विधायक श्री मदन गोविन्द राव पर १ अप्रैल, १९९१ को हुये हमले में कोई सरकारी अथवा चीनी निगम कर्मचारी भी सम्मिलित था ? यदि हां, तो उक्त सरकारी तथा चीनी निगम कर्मचारी के खिलाफ क्या विभागीय कार्यवाही की गयी है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

उ० प्र० राज्य चीनी निगम यूनिट लक्ष्मीगंज, देवरिया के गेट पर दिनांक १-४-९१ को हुई घटना में तत्कालीन विधायक श्री मदन गोविन्द राव तथा फैक्ट्री के सुरक्षा अधिकारी श्री पन्ना लाल ने एक दूसरे के विरुद्ध १-४-९१ को पुलिस स्टेशन, रामकोला में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसकी विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है।

मामले में अंतिम निर्णय के उपरान्त निगम कर्मचारी के दोषी पाये जाने की दशा में उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

वर्ष १९८३-८४ में तत्कालीन उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की जांच

५९–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री राजेश्वर शाही, तत्कालीन उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, गोरखपुर के विरुद्ध वर्ष १९८२-१९८३ में श्री पी० डी० बाजपेयी, अतिरिक्त कृषि निदेशक, गंडक क्षेत्र विकास परियोजना, गोरखपुर ने भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की कोई जांच की थी ? क्या सरकार उक्त जांच के निष्कर्षों से सदन को अवगत करायेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त जांच रिपोर्ट पर शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां।

श्री शाही को अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति करने का दोषी पाया गया।

श्री शाही को एक तथ्यात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि देकर प्रकरण समाप्त कर दिया गया।

उ० प्र० राज्य चीनी निगम की यूनिट लक्ष्मीगंज जनपद देवरिया के पूर्व प्रबन्धक श्री राजेश्वर शाही के विरुद्ध अनियमितता की शिकायत एवं जांच

६०–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र तथा श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि०, यूनिट लक्ष्मीगंज, जनपद देवरिया के पूर्व प्रबंधक श्री राजेश्वर शाही के खिलाफ शासनादेशों एवं चीनी निगम मुख्यालय के निर्देशों का उल्लंघन करके बड़े पैमाने पर अनियमित नियुक्ति करने, पदोन्नति देने, कारखाने की खरीद फरोख्त में अनियमितता करने की शिकायत शासन को प्राप्त हुई है ? अगर हां, तो क्या सरकार चीनी निगम के अतिरिक्त किसी अन्य उच्च एजेंसी से जांच करायेगी ? क्या सरकार पूर्व प्रबंधक के गलत आदेशों को निरस्त करने के निर्देश चीनी निगम को देगी ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां।

श्री शाही के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच निगम के विधिक सलाहकार से कराई जा रही है। जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

शेष का अभी प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम कुम्भ के निवासी श्री नन्दलाल राय शर्मा को प्रेषित गलत डिमाण्ड नोटिस को सही करने की मांग

६१—श्री रवीन्द्र प्रताप तथा श्री भगवती प्रसाद शुक्ल—

दशम् विधान सभा के प्रथम सत्र १९९१ के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—१२४ के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक २४-२-९० के पत्र में उल्लिखित बिन्दु क्या थे तथा बिन्दुओं पर क्या आख्या प्राप्त हुई ? विलम्ब के लिये दोषी कौन-कौन है ? जांच के दौरान गलत पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के क्या नाम है ? इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन—

उपभोक्ता के दिनांक २४-२-९० के पत्र में निम्नलिखित बिन्दु हैं :—

१—श्री नन्दलाल शर्मा, ग्राम कुर्मा, पोस्ट मीरा, आजमगढ़ के नाम निजी नलकूप का कनेक्शन था जिसे सप्लाई देने वाला ट्रांसफार्मर १९७८ में खराब हो गया था । श्री शर्मा ने रु० २५.०० दिनांक ३०-१२-८० को जमा कर स्थायी विद्युत विच्छेदन का अनुरोध किया था । अधिशासी अभियंता ने पत्र संख्या ४८ दिनांक १-१-८१ द्वारा विद्युत विच्छेदन आदेश पारित किया था । श्री शर्मा ने १९७८ से नलकूप हेतु विद्युत उपभोग नहीं किया था ।

२—श्री शर्मा का अस्थायी विद्युत विच्छेदन १०/७८ से पूर्व ही कर दिया जिसकी सूचना सहायक अभियंता ने दिनांक २४-१-७९ को संबंधित अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आजमगढ़ को दी थी ।

३— अक्टूबर १९७८ के पूर्व श्री शर्मा के नलकूप का स्थायी विद्युत संबंध विच्छेदन कर दिये जाने के पश्चात् अधिशासी अभियंता ने अपने पत्रांक १४३५ दिनांक १७-९-८३ द्वारा रु० ६६६५.५० पत्रांक ४६४१ दिनांक १९-९-८४ द्वारा १६६३१.९४ एवम् ५९२३ दिनांक १६-९-८८ द्वारा रु० ३२४९८.९४ की वसूली नोटिस उ० प्र० सरकारी बिजली व्यवस्था संस्था (दियों की वसूली) अधिनियम, १९५६ की धारा ५ की धारा ३ के अधीन अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अवैध रूप से प्रेषित किया क्योंकि श्री शर्मा द्वारा नलकूप हेतु विद्युत का कोई भी उपयोग सितम्बर, ७८ से नहीं किया जा रहा है ।

४—अधिशासी अभियंता द्वारा श्री शर्मा की भांति अनेक किसानों को अवैध रूप से डिमाण्ड नोटिस भेज कर परेशान किया जा रहा है तथा मामले को रफा दफा कराने हेतु किसानों से भारी रकम वसूल की जा रही है । सरकार की छवि धूमिल हो रही है । आगे भी मांग की गई है कि :—

१—अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम के विरुद्ध जांच कराई जाये ।

२—श्री नन्दलाल राय शर्मा को भेजे गये रुपये ३२४९८.०० की नोटिस रद्द की जाये ।

३—अवैध विलिंग के लिये दोषी अधिकारियों के लिये अविलम्ब कार्यवाही की जाय ।

४—ऐसे विलिंग की जा रही अन्य किसानों को इस उत्पीड़न से समाप्त किया जाय ।

उपरोक्त बिन्दुओं पर निम्न आख्या प्राप्त हुई :–

उपभोक्ता ने स्थायी विच्छेदन हेतु शुल्क दिनांक ३०-१२-८० को जमा किया था उस पर कार्यवाही हेतु सहायक अभियंता, विद्युत वितरण उप-खण्ड, लालगंज, आजमगढ़ को अधिशासी अभियंता के कार्यालय के पत्र संख्या ४८ दिनांक १-१-८१ को निर्गत किया गया । सहायक अभियंता ने श्री जी० एस० पाण्डेय, अवर अभियंता, ३३/११ के० वी० उप-केन्द्र, ठेकमा को लाइन काटने हेतु आदेश दिया परन्तु कुछ समय बाद ही अवर अभियंता का स्थानान्तरण वि० वि० मंडल, वाराणसी में हो गया एवं अवर अभियंता की मृत्यु हो गयी । इसके बाद के अवर अभियंता की जानकारी में न होने के कारण उपरोक्त आदेश का कार्यान्वियन न हो सका एवं उपभोक्ता १७-११-८४ तक विद्युत का उपभोग करता रहा । बकाया रकम बढ़ने के कारण उपभोक्ता का कनेक्शन दिनांक १७-११-८४ को ट्रांसफार्मर हटाकर विच्छेदित कर दिया गया ।

उपभोक्ता ने दिनांक १४-९-८८ को आवेदन पत्र अंतिम विद्युत विच्छेदन हेतु दिया तथा इस प्रकार उपभोक्ता के कनेक्शन के विच्छेदन की तिथि अर्थात् १७-११-८४ से उपभोक्ता का स्थायी विच्छेदन हुआ एवं १७-११-८४ से स्थायी विच्छेदन निस्तारण करके अंतिम बिल भुगतान हेतु दिया गया ।

समय से स्थायी विच्छेदन न करने के लिये तत्कालीन अवर अभियंता श्री जी० एस० पाण्डेय दोषी हैं परन्तु उनकी मृत्यु हो चुकी है और तत्कालीन उप-खण्ड अधिकारी, लालगंज श्री जे० एन० सिंह भी दोषी है, जो रिटायर हो चुके हैं ।

बरियापुर एवं रामपुर, जिला देवरिया में विद्युत आपूर्ति हेतु सब -टेशन बनाये जाने की मांग

६२–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरियापुर एवं रामपुर देवरिया में विद्युत आपूर्ति हेतु कोई सब-स्टेशन बनाने का मामला परिषद् स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो प्रशासनिक कार्यवाही पूर्ण कर कब तक इस सब-स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद देवरिया में बरियापुर एवं रामपुर में विद्युत आपूर्ति हेतु कोई सब-स्टेशन बनाने का मामला कार्य योजना में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती नलिनी टण्डन, महिला चिकित्साधिकारी, राज्य विद्युत परिषद् की ज्येष्ठता के निर्धारण के संबंध में जानकारी

६३–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल तथा श्री रवीन्द्र प्रताप–

दशम् विधान सभा के प्रथम सत्र १९९१ के दूसरे बुधवार हेतु निर्धारित श्री बंसत लाल गुप्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-१५४ के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि संबंधित पत्र में किन-किन बिन्दुओं को उठाया गया था और बिन्दुवार स्थिति क्या है ?

श्री लालजी टण्डन–

दशम् विधान सभा के प्रथम सत्र १९९१ के दूसरे बुधवार हेतु निर्धारित श्री बंसत लाल गुप्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-१५४ के उत्तर में संदर्भित श्री नन्द लाल जायसवाल, प्रान्तीय मंत्री, भारतीय मजदूर संघ के पत्र संख्या ५५१/शिविर, दिनांक ३-७-१९९० में उठाये गये बिन्दु एवं उनकी बिन्दुवार स्थिति संलग्नक में दर्शायी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २४८–२४९ पर)

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में अनियमित रूप से की गयी नियुक्तियों को रद्द करने की मांग

६४–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी पदों पर अवैध तदर्थ नियुक्तियों के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा जून, १९९० में मुख्य अभियंताओं, महा प्रबन्धकों, मुख्य क्षेत्रीय अभियंताओं से अवैध नियुक्तियों के संबंध में कोई सूचना मांगी गयी थी ? यदि हां, तो उसमें कुल कितनी तदर्थ नियुक्तियां अवैध पाई गयीं ? नियुक्त कर्मचारियों के नाम, पदनाम, तैनाती स्थान कौन-कौन से हैं ? इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं ? क्या नियुक्तियों के पूर्व नियमानुसार परिषद् अध्यक्ष के आदेश/सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करके/परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्तियां की गई थीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन अनियमित नियुक्तियों को रद्द करके दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने पर शासन विचार करेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

माह जून, १९९० में समस्त मुख्य अभियंताओं से दिनांक १-४-८५ से उस समय तक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर की गई समस्त नियुक्तियों-तदर्थ/नियमित/अनुबन्धित के संबंध में सूचना मांगी गयी थी ।

अनाधिकृत नियुक्तियों की जांच एवं उसके उत्तरदायित्वों के निर्धारण हेतु विद्युत परिषद् द्वारा एक समिति का गठन किया गया है । समिति द्वारा मामले में कार्यवाही की जा रही है । समिति द्वारा जांच पूरी होने के पश्चात् ही यह सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

निर्दिष्ट प्रक्रिया नियमित नियुक्तियों के मामले में ही आवश्यक होती है । तदर्थ नियुक्तियों के मामले में अध्यक्ष का अनुमोदन ही पर्याप्त होता है ।

अनियमित नियुक्तियों के संबंध में दिनांक २८-७-९० को यह निर्णय लिया गया था कि जिन सेवकों की प्रथम नियुक्ति जनवरी १, १९९० या उसके उपरान्त की गई हो, उनकी सेवायें यदि तब तक समाप्त न की गई हों, तो उन्हें प्रत्येक दशा में १०-८-१९९० तक समाप्त कर दिया जाय । अनियमित नियुक्तियों हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का मामला भी विचाराधीन है ।

जनपद गाजीपुर के बन्द पड़े राजकीय नलकूपों की मरम्मत कराकर चालू कराया जाना

६५–श्री उदय प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में १ जनवरी, १९८५ से आज तक किस-किस विकास खण्ड के किस-किस ग्राम सभा में राजकीय नलकूपों की संख्या कितनी है, जो बन्द पड़े हुये हैं । बन्द पड़े राजकीय नलकूपों से कितने हेक्टेयर रबी, खरीफ फसल को क्षति पहुंच रही है ?

क्या सरकार बन्द पड़े राजकीय नलकूपों को सुधार करने के लिये किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद गाजीपुर में १-१-८५ से जनवरी, ९२ तक विभिन्न विकास खण्डों के विभिन्न ग्राम सभा में, परित्याग हेतु प्रस्तावित नलकूपों को छोड़कर ११ नलकूप समय-समय पर असफल हो जाने के कारण बन्द हैं । विवरण संलग्न है ।

प्रश्नगत नलकूपों के कमाण्ड में फसलों को किसी प्रकार की हुई क्षति का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है ।

जी हां ।

असफल नलकूपों का पुनः निर्माण जनपद योजना के अंतर्गत कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २५० पर)

जनपद गाजीपुर में वर्ष १९८५ से अब तक बाढ़ सुरक्षा, बांध निर्माण एवं मरम्मत पर किये गये व्यय का विवरण

६६–श्री उदय प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में वर्ष १९८५ से आज तक बाढ़ सुरक्षा कार्य पर, बांध निर्माण एवं मरम्मत कराने पर कितनी धनराशि किस-किस खण्ड को किस-किस कार्य के लिये आवंटित की गयी है ? क्या सरकार सत्यापन कराकर सूचना सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद गाजीपुर में वर्ष १९८५ से अब तक बाढ़ सुरक्षा कार्य, बाध निर्माण एवं बांध मरम्मत पर खण्डवार आवंटन का सत्यापित विवरण निम्नवत् है :–

बाढ़ सुरक्षा कार्य

देवकली पम्प नहर खण्ड प्रथम, गाजीपुर

१-बहादुरगंज नगर सुरक्षा,कार्य हेतु	रु०	७.८६ लाख
२–मौनी बाबा मठ की गंगा नदी की कटान से सुरक्षा हेतु	रु०	७.८० लाख

सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजीपुर

३–ग्राम बटैसर की सुरक्षा हेतु	रु०	१५.८७ लाख

बांध निर्माण

देवकली पम्प नहर खण्ड प्रथम, गाजीपुर

१–वेरुकही रिंग बांध (आर० एल० जी० ई० पी०) के अंतर्गत	रु०	१०.१२ लाख

<u>बांध मरम्मत</u>

१–गोविन्दपुर असावर बांध (केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत)	रु०	९.१० लाख
२–गोविन्दपुर असावर बांध की मरम्मत	रु०	२४.८२ लाख
योग ..		७५.५७ लाख

जनपद बरेली के ग्राम नन्दगांव में खराब पड़े विद्युत ट्रांसफार्मर को शीघ्र बदले जाने की मांग

६७–कुंवर सुरेन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नन्दगांव, तहसील मीरगंज, जिला बरेली में विद्युत ट्रांसफार्मर एक वर्ष से खराब पड़ा हैं ? यदि हां, तो क्या इसे ग्रामीणों के बार-बार अनुरोध पर भी नहीं बदला गया है ? यदि हां, तो कब तक इसे बदल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

ट्रांसफार्मर दिनांक १९-६-९१ को खराब हुआ था जिसे दिनांक ३-८-९१ को बदल दिया गया है और यह ट्रांसफार्मर वर्तमान में सही स्थिति में कार्य कर रहा है ।

जनपद बरेली के ग्राम बल्ली में चोरी गये विद्युत तारों के स्थान पर नये तार लगाये जाने की मांग

६८– कुंवर सुरेन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बल्ली, तहसील मीरगंज, जिला बरेली के विद्युत तार चोरों द्वारा दो वर्ष पूर्व काट लिये गये थे ? यदि हां, तो क्या नये तार अब तक नहीं लगे हैं ? क्या ग्रामीणों ने बार-बार इस बारे में अधिकारियों से लिखित अनुरोध किया है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही न होने का क्या कारण है ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत ग्राम को पोषित करने वाली ११ के० वी० लाइन के २ स्पेन के तार वर्ष १९८७ में आंधी व बाढ़ के कारण गिर गये थे तथा चोरों द्वारा चोरी कर लिये गये थे ?

ग्राम में कोई कनेक्शन न होने के कारण अभी तक चोरी गये तार बदले नहीं गये हैं किन्तु अब कुछ ग्रामवासियों ने कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र दिये हैं । अतएव चोरी गये तारों को पुनः स्थापित कर लाइन चालू करने की कार्यवाही माह फरवरी, १९९२ तक पूरी की जा सकेगी ।

ग्राम ढकिया जिला बरेली में श्री जयलाल के विद्युत ट्यूबवेल का ट्रासफार्मर बदलने की मांग

६९–कुंवर सुरेन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम ढकिया, तहसील मीरगंज जनपद बरेली के श्री जयलाल के विद्युत ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर ३ माह से खराब है और बार-बार आग्रह के बाद भी नहीं बदला गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर दिनांक २१-७-९१ को क्षतिग्रस्त हुआ था जिसे दिनांक १०-९-९१ को बदल दिया गया और यह ट्रांसफार्मर वर्तमान में सही स्थिति में कार्य कर रहा है ।

जनपद बरेली के ग्राम मवई जरेल में विद्युतीकरण की मांग

७०–कुंवर सुरेन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९८१ में ग्राम मवई जरेल, ब्लाक शेरगढ़, जिला बरेली का विद्युतीकरण हुआ था ? यदि नहीं, तो क्या विद्युतीकरण सरकारी कागजों पर ही हुआ है, गांव में नहीं ? यदि हां, तो क्यों ? कब तक विद्युतीकरण पूर्ण कर दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

ग्रामों के विद्युतीकरण की प्रगति सूची में भी उपरोक्त ग्राम का विद्युतीकरण किया जाना नहीं दर्शाया गया है । वर्ष १९९१-९२ में जिला ऊर्जा एवं सिंचाई सलाहाकार समिति द्वारा प्रश्नगत ग्राम का विद्युतीकरण हेतु चयन नहीं किया गया है । चयनित होने पर ग्राम का विद्युतीकरण किया जा सकता है ।

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण, आजमगढ़ द्वारा जमा कराये गये गुप्ता फण्ड की जानकारी

७१–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण, आजमगढ़, विद्युत उपभोक्ताओं से उनके बिल में गुप्ता फण्ड समायोजित करके बिल जमा करा रहे हैं ? यदि हां, तो यह गुप्ता फण्ड क्या है ?

श्री लालजी टण्डन–

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, आजमगढ़ द्वारा तथा कथित गुप्ता फण्ड का सृजन नहीं किया गया है किन्तु उक्त खण्ड में श्री हर्ष चन्द गुप्ता कुली द्वारा गलत रसीदों के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा लाइन चार्ज एवं जमानत की धनराशि अवैधानिक रूप से वसूली गई थी । यह बात जानकारी में आने पर तत्कालीन अधिशासी अभियंता द्वारा श्री गुप्ता से पूछताछ की गई और संतोषजनक उत्तर न मिलने पर दिनांक २७-४-८३ को श्री गुप्ता के विरुद्ध थाना सिधारी, आजमगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई एवं २७-४-८३ को श्री गुप्ता को निलम्बित कर दिया गया था । खण्डीय संदर्भ के उपरान्त आंतरित सम्प्रेक्षा कराई गई तथा विभाग के जमानत एवं सर्विस लाइन-चार्ज की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है । इस संबंध में रु० ३,१०,७८६.३५ पैसे उपभोक्ताओं के खाते में चार्ज कर लिया गया है और शेष धनराशि रु० ८०,७१०.१० पै० उपभोक्ताओं के खाते में चार्ज करना बाकी है । श्री गुप्ता ने इस संबंध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मुकदमा दायर कर रखा है जो विचाराधीन है । दिनांक २३-१०-९१ को श्री गुप्ता को सेवा मुक्त कर दिया गया है ।

जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत विकास खण्ड धौरहरा, रमिया बेहड़, ईसा नगर में सिंचन सुविधा बढ़ाये जाने की मांग

७२–श्री बाला प्रसाद अवस्थी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत विकास खण्ड धौरहरा, रमिया बेहड़, ईसा नगर में कितने हेक्टेयर भूमि के लिये सिंचाई की सुविधा नहीं है ? क्या सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिये शासन स्तर पर कोई विचार हो रहा है । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद लखीमपुर खीरी के प्रश्नगत विकास खण्डों के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रफल में सिंचाई की सुविधा नहीं है :–

विकास खण्ड धौरहरा	२८,८२३ हे०
विकास खण्ड रमिया बेहड़	३४,३४३ हे०
विकास खण्ड ईसा नगर	३०,४७५ हे०

विकास खण्ड धौरहरा में नहरों द्वारा ८५८४ हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है । भूगर्भ जल द्वारा १०० हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक राजकीय नलकूप निर्माणाधीन है । शेष विकास खण्डों में सिंचाई क्षमता बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

तकनीकी दृष्टि से नहरों से सिंचाई हेतु उपयुक्त जल संसाधन उपलब्ध नहीं है तथा राजकीय नलकूपों का निर्माण जनपद योजना में उपलब्ध धनराशि तथा जिला चयन समिति की स्वीकृति के आधार पर किया जाता है ।

कृषि निदेशालय के लेखाकार श्री मोतीलाल को पूर्व स्थान पर नियुक्त करने के संबंध में शासन के आदेश की अवहेलना

७३–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि निदेशालय के लेखाकार श्री मोती लाल सरकारी सेवा में है ? यदि हां, तो इन्हें वेतन कब से नहीं दिया जा रहा है ? क्या यह सही है कि पूर्व मुख्य मंत्रीगण द्वारा अलग-अलग समय पर इनको पूर्व स्थान पर नियुक्त करने का आदेश दिये जाने के बावजूद इनको उस स्थान पर नियुक्त नहीं किया गया, जब कि इनके विरुद्ध लगाये गये आरोप असत्य सिद्ध हो चुके हैं तथा संबंधित अधिकारी को बार-बार पत्र भेजने के बावजूद मुख्य मंत्री का आदेश पालन न करके इनकी नियुक्ति उसी स्थान पर नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री जी के आदेश की अवहेलना का दोषी कौन है और उसके खिलाफ इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

श्री मोती लाल अपने लेखाकार के पद से दिनांक २७-८-८७ से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है । अतः उक्त तिथि से उन्हें वेतन देने का प्रश्न ही नहीं उठता है । भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी द्वारा श्री मोती लाल, लेखाकार के विरुद्ध प्राप्त तथा कथित शिकायत पर जांच कराने तथा इनके स्थानान्तरण को रोक

देने के आदेश हुये थे । जांचोपरान्त उन्हे पूर्व नियुक्त स्थान जहां से इन्हे पहले ही कार्यमुक्त किया जा चुका था पर पुनः नियुक्त करने का औचित्य नहीं पाया गया । मा० मुख्य मंत्री जी के आदेशों की कोई अवहेलना नहीं हुई है ।

अतः किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोतीलाल, लेखाकार, कृषि निदेशालय को उनके पूर्व स्थान पर नियुक्ति प्रदान करने की मांग

७४–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि कृषि निदेशालय, उ० प्र० द्वारा मुख्य मंत्री के आदेश की उपेक्षा कर कर्मचारी के विरुद्ध स्वेच्छा से अनुपस्थिति का आरोप लगाते हुये "कारण बताओ नोटिस" दिनांक २९ मार्च, १९९१ के एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गया था, जिसका प्रत्युत्तर कृषि निदेशक को दिनांक १० अप्रैल, ९१ को प्राप्त हो गया था ? यदि हां, तो उस पर कृषि निदेशक द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार श्री मोती लाल को उनके स्थान पूर्व स्थान पर नियुक्त करके इनका सारा बकाया वेतन मय वेतवृद्धियों के देने का कष्ट करेगी ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

कर्मचारी के दिनांक २७-८-८७ से निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण नोटिस नियमतः समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी गयी । कर्मचारी से कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अतः उस पर कृषि निदेशक द्वारा कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

हरदोई विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत राजकीय ट्यूबवेलों की नाली बनवाये जाने की मांग

७५–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ८६- हरदोई विधान सभा क्षेत्र में इस समय कार्यरत ट्यूबवेलों में से कितने ट्यूबवेल नाली न होने के कारण अपनी क्षमता के अनुरूप सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं ? क्या शासन इन ट्यूबवेलों की नाली तुरन्त बनवाने के आदेश देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद हरदोई के ८६–विधान सभा क्षेत्र में ५८ नलकूप कार्यशील है इनमें से १४ नलकूपों पर वितरण प्रणाली अपूर्ण है ।

वर्ष १९९१-९२ में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से उक्त नलकूपों में से ३ नलकूपों की वितरण प्रणाली के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है । आगामी वित्तीय वर्षो में धन उपलब्धता के अनुसार शेष नलकूपों की जल वितरण प्रणाली का निर्माण कराया जाना है ।

विद्युत विभाग, लखनऊ जोन द्वारा अवर अभियंता के पद पर प्रोन्नति हेतु आयोजित साक्षात्कार के परिणाम की जानकारी

७६–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत विभाग द्वारा दिनांक १३-२-८७ को लखनऊ जोन के अधीनस्थ कर्मचारियों की पदोन्नति अवर अभियंता पद पर करने हेतु साक्षात्कार आयोजित हुआ था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उस साक्षात्कार का परिणाम आज तक नहीं घोषित किया गया जबकि सीधी भर्ती से कई अवर अभियंताओं की भर्ती कर ली गई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

साक्षात्कार का परिणाम घोषित न किये जाने का कारण यह रहा कि वर्ष १९८५ की परीक्षा विकेन्द्रीकृत कर अलग-अलग केन्द्रों पर ली गई थी । सभी केन्द्रों पर परीक्षा पूर्ण नहीं हो पाई थी कि उसी बीच लोक सेवा अधिकरण (चतुर्थ), लखनऊ द्वारा मौखिक परीक्षा पर रोक लगा दी गई । प्रकरण लोक सेवा अधिकरण व माननीय उच्च न्यायालय में अभी न्यायाधीन है । जहां तक सीधी भर्ती से नियुक्ति का प्रश्न है इसमें कोई न्यायिक अड़चन न थी ।

अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, कानपुर का विशेष सचिव, सिंचाई को संबोधित पत्र पर कृत कार्यवाही

७७–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, कानपुर का विशेष सचिव, सिंचाई विभाग को पत्रांक-२२/सि० वि०/९१/नालों की सफाई के संबंध में दिनांक ७/१३ अगस्त, १९९१ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें उल्लिखित विवरण के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नकर्ता का पत्र जो अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मंडल, कानपुर को संबोधित व सचिव/विशेष सचिव आदि को पृष्ठांकित था, प्राप्त हुआ ।

पत्र में उल्लिखित विवरण के संबंध में परीक्षणोपरान्त ज्ञात हुआ कि इलाहाबाद जनपद में नालों की सफाई आदि के संबंध में माह अगस्त, १९९१ तक कोई धनराशि व्यय नहीं की गई अतः इस संबंध में कोई कार्यवाही अथवा विवरण उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई खण्ड, फतेहपुर के जनपद फतेहपुर में माह जून/जुलाई, १९९१ में नालों की सफाई का कार्य कराया गया जिसकी सूचना फतेहपुर जनपद के मा० विधायक को ३-६-९१ के पत्र द्वारा भेज दी गयी थी ।

जनपद इलाहाबाद के चायल विधान सभा क्षेत्र के अधिक से अधिक गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

७८–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के चायल विधान सभा क्षेत्र में वर्ष १९८५ से अब तक कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण कराया गया है ? क्या यह सही है कि गंगा पार एवं जमुनापार क्षेत्रों की तुलना में उक्त क्षेत्र में कम गांवों का विद्युतीकरण हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त क्षेत्र में अधिक से अधिक गांवों का विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

चायल विधान सभा क्षेत्र में १९८५ से अब तक कुल ७० ग्रामों का विद्युतीकरण एल० टी० लाइन बिछाकर किया गया है ।

यमुनापार एवं गंगापार क्षेत्रों की तुलना में चायल विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों के विद्युतीकरण का स्तर निम्न हैं :–

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	कुल ग्राम	कुल सी० ई० ए० परिभाषा	विद्युतीकृत एल० टी० लाइन बिछाकर	ग्राम सी० ई० ए० परिभाषा-नुसार	वि० प्रतिशत एल० टी० बिछाकर
१	चायल वि० सं० क्षेत्र	३६३	३२०	१५४	८८%	४२.५%
२	यमुनापार	१,३४३	८३१	७९३	६२%	५९%
३	गंगापार	१,६४३	१,५८०	६६१	९७%	४०%

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि चायल विधान सभा क्षेत्र में सी० ई० ए० परिभाषानुसार विद्युतीकरण का प्रतिशत यमुनापार क्षेत्र से अधिक है और एल० टी० लाइन बिछाकर विद्युतीकरण में भी इस क्षेत्र के विद्युतीकरण का प्रतिशत गंगापार क्षेत्र की तुलना में अधिक है । यमुनापार क्षेत्र को शासन ने बुन्देलखण्ड की तरह पिछड़ा क्षेत्र मानते हुये कुछ वर्ष पूर्व सघन विद्युतीकरण हेतु एक विशेष योजना बनाई थी । इसी कारण से यमुनापार क्षेत्रों में एल० टी० लाइन बिछाकर विद्युतीकरण चायल क्षेत्र से अधिक किया जा सका है ।

सीमित संसाधनों के कारण इलाहाबाद जनपद के २८ विकास खण्डों के लिये वर्ष १९९१-९२ में कुल २० ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित हैं । अतएव सभी बचे हुये ग्रामों का विद्युतीकरण अभी निकट भविष्य में संभव नहीं प्रतीत होता ।

इलाहाबाद स्थित मुख्य अभियंता (वितरण) के कार्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की मांग

७९–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद स्थित मुख्य अभियंता (वितरण) के कार्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति के चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु रोजगार कार्यालय से सन् १९८८-८९ में अथवा १९८९-९० में नाम मांगे गये थे ? क्या उनमें से नियुक्तियां कर ली गयी हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संदर्भ में मुख्य अभियंता (वितरण) इलाहाबाद द्वारा नियुक्ति

करने हेतु अनुमति मांगी गयी है ? यदि हां, तो अनुमति हेतु अब तक कितने पत्र एवं अर्द्धशासकीय पत्र उनके द्वारा राज्य विद्युत परिषद् को भेजे गये हैं ? क्या इसकी अनुमति दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां, वर्ष १९८९-९० में।

जी नहीं।

नियत समयावधि में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों व उनसे संबंधित विवरणों का सत्यापन न हो पाने तथा उसके पश्चात् परिषद् द्वारा सभी प्रकार की नियुक्तियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिये जाने के कारण।

जी हां।

दिनांक १९-७-९० से दिनांक १७-९-९१ तक ७ (सात) पत्र/अ० शा० पत्र० वितरण परिक्षेत्र कार्यालय, इलाहाबाद से यहां "शक्ति भवन" लखनऊ में प्राप्त हुये।

जी नहीं। विद्युत परिषद् की विषम वित्तीय स्थिति एवं ओवरस्टाफिंग को देखते हुये मामला अभी विचाराधीन है।

सोनभद्र एवं मिर्जापुर जनपदों में धोरावल, शाहगंज एवं मधुपुर रजवाहों में टेल तक पानी न पहुचाने एवं सूखे से हुई क्षति का मुआवजा

८०–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सोनभद्र एवं मिर्जापुर जनपदों में धोरावल राजवाहा शाहगंज राजवाहा मधुपुर राजवाहा के टेल तक खरीफ की फसल में पानी न पहुंचने के कारण धान की फसलें सूख गयी हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त राजवाहों के बन्धों में पानी उपलब्ध था तो टेल तक पानी न पहुंचने के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? क्या सरकार ऐसे किसानों को मुआवजा देगी जिनकी धान की फसल सूख गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

जी हां।

सूखे के कारण अत्यधिक प्रयत्न करने के उपरान्त टेल तक सींच कराने का हर सम्भव प्रयास किया गया। ऐसी स्थिति में कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

जिन काश्तकारों की फसल सूख गयी है, उनको सिंचाई कर में नियमानुसार छूट देने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड रामगढ़ में स्थित घाघर मैन कैनाल में मधुपुर रजवाहा के पास बने रेगुलेटर पर फाटक लगाये जाने की मांग

८१–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड रामगढ़ में स्थित घाघर मैन कैनाल में मधुपुर रजवाहा के पास कुछ वर्ष पूर्व एक रेगुलेटर बनवाया गया था जिसमें अक्टूबर,

१९९१ तक फाटक नहीं लगा है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है ? क्या सरकार उक्त रेगुलेटर पर फाटक लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

(क) जी हां ।

(ख) लोहे के फाटक एवं कुछ अन्य कार्य अभी नहीं कराये गये हैं ।

(ग) चूंकि कार्य अभी प्रगति पर है ऐसी दशा में कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

(घ) जी हां ।

(च) वर्ष १९९२-९३ में कार्य पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव है ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ में ग्राम टीकरी खुर्द में गन्ना क्रय केन्द्र खोला जाना

८२--श्री सुरेश प्रताप गांधी--

क्या गन्ना विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद के सिकन्द्राराऊ ब्लाक की सीमा में किसान जनपद मिर्जापुर के विकास खंड राजगढ़ में स्थित घाघरा मेन सहकारी शुगर मिल, साथा (अलीगढ़) का कोई गन्ना क्रय केन्द्र कृषकों की मांग पर खोला गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ग्राम टीकरी खुर्द व उसके समीपवर्ती ग्रामों के गन्ना उत्पादक कृषकों की सुविधा हेतु एक गन्ना क्रय केन्द्र, ग्राम टीकरी खुर्द पर खुलवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह--

जी नहीं ।

सिकन्द्राराऊ विकास खंड के क्षेत्र में जनपद-एटा की न्योली शुगर फैक्ट्री द्वारा नावली क्रय केन्द्र गत कई वर्षों से चलया जा रहा है ।

जी नहीं ।

क्योंकि ग्राम-टीकरी खुर्द से मात्र तीन कि० मी० की दूरी पर न्योली चीनी मिल जनपद एटा के द्वारा नावली क्रय केन्द्र संचालित किया जाता है, अतः वहीं पर सहकारी चीनी मिल साथा द्वारा कोई क्रय केन्द्र खोला जाना औचित्यपूर्ण नहीं है ।

जनपद सिद्धार्थनगर में सरजू नहर परियोजना को शीघ्र पूरा किये जाने के संबंध में

८३--श्री जय प्रताप सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर में सरजू नहर योजना की अधूरी पुलियों का निर्माण कब तक पूर्ण किया जायेगा ? नहर की खुदवाई में पिछले एक वर्ष से रुकावट का क्या कारण है ? सिंचाई की सुविधा कब तक उक्त योजना से उपलब्ध की जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जनपद सिद्धार्थनगर में सरजू नहर परियोजना के अंतर्गत अधूरी पुलियों का निर्माण वर्ष १९९२-९३ तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

भूमि उपलब्ध न होने के कारण नहरों की खुदाई में रुकावट है ।

धनावंटन की स्थिति अनिश्चित होने के कारण सिंचाई की सुविधा प्रदान करने का समय अनिश्चित है ।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील बांसी में राप्ती नदी के तटबन्धों का मुआवजा काश्तकारों को दिया जाना

८४—श्री जय प्रताप सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या तहसील बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के १५ से २० वर्षीय पुराने राप्ती नदी तटबन्धों का मुआवजा काश्तकारों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन बन्धों का दे दिया गया ? शेष बन्धों का कब तक मुआवजा दे दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

पुराने तटबन्धों हेतु अध्याप्ति भूमि का आंशिक मुआवजा काश्तकारों को दे दिया गया है ।

बांसी पनघटिया तथा सोनकर टेढ़िया बांध में अध्याप्ति भूमि का आंशिक मुआवजा दिया गया है ।

शेष भूमि के मुआवजा का भुगतान वांछित औपचारिकतायें पूरी होने के बाद कर दिया जायेगा ।

'दि किसान सहकारी चीनी मिल' पीलीभीत के सेन्टर कुआडांडा के कृषकों की पर्ची का भुगतान कराया जाना

८५—कुंवर सुरेन्द्र प्रताप—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की "दि किसान सहकारी चीनी मिल" के सेन्टर कुआडांडा में कुछ कृषकों की पर्ची का पेमेन्ट अभी तक नहीं हुआ है जिसकी जांच भी हो रही थी ? यदि हां, तो जांच पूर्ण होने पर किन-किन अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह—

बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर, जनपद-पीलीभीत द्वारा पेराई सीजन १९९०-९१ में कुआडांडा नाम के किसी क्रय केन्द्र का संचालन नहीं किया गया था । उक्त सीजन में क्रय केन्द्र न्यू कुआडांडा का संचालन चीनी मिल द्वारा किया गया था । इस क्रय केन्द्र पर कृषकों की समस्त गन्ना पर्चियों का भुगतान किया जा चुका है । न्यू कुआडांडा केन्द्र पर कतिपय अनियमिततायें पाये जाने के फलस्वरूप दोषी तौल लिपिक श्री झाझन लाल को निलम्बित करके उनके विरुद्ध पुलिस में सूचना रिपोर्ट अंकित करा दी गई है ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

उ० प्र० बीज एवं तराई विकास निगम द्वारा क्रय किये जाने वाले बोरों के कपड़ों की जांच कराये जाने की मांग

८६—श्री शिव चरन प्रजापति—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९८५ से अब तक उ० प्र० बीज एवं तराई विकास निगम के प्रयोग हेतु खरीदे गये बोरों के कपड़े की जांच किसी एजेन्सी से कराई जाती है ? यदि हां, तो

क्या वर्षवार जांच रिपोर्ट उपलब्ध है और क्या जूट मिलों से निर्गत बीजक व एक्साइज गेट पास की प्रतियां निगम के पास उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

निगम के प्रयोग हेतु खरीदे गये बोरों के कपड़े की जांच "एस्केप्स इंडिया" प्रा० लि०, ३०, जवाहर लाल नेहरू रोड, कलकत्ता जो आई० एस० आई० से अनुमोदित है, द्वारा कराई जाती है ।

निगम के पास जांच एजेन्सी द्वारा निर्गत की गयीं सभी रिपोर्ट उपलब्ध है । निगम संबंधित मिलों से कपड़ा स्वयं क्रय नहीं करता बल्कि विभिन्न प्रकार के बोरे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदाय किये जाते हैं । अतः जूट मिलों से निर्गत बीजक व एक्साइज गेट पास की प्रतियां उपलब्ध होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद खीरी के ग्राम बनौना में विद्युतीकरण का लाभ जनता को दिलाया जाना

८७–श्री तेज नारायण त्रिवेदी–

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम बनौना परगना कस्बा, विकास खंड मितोली, तहसील मोहम्मदी जनपद खीरी में किस सन् में विद्युतीकरण किया गया था तथा उक्त ग्राम में विद्युत का लाभ जनता को शासन के आदेशानुसार मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

प्रश्नगत ग्राम का विद्युतीकरण वर्ष १९८० में किया गया था । उक्त ग्राम में विद्युत का लाभ शासन के आदेशानुसार नहीं मिल रहा है क्योंकि प्रश्नगत ग्राम में एक भी कनेक्शन न होने के कारण लाइनें चोरी हो गयी हैं ।

जनपद खीरी के ग्राम नौधन पटना के निकट घाघी नाले पर बने पुल के टूट जाने के कारण पुल निर्माण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

८८–श्री तेज नारायण त्रिवेदी–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम नौधन पटना वि० खंड नकहा, तहसील-लखीमपुर जनपद खीरी के निकट घाघी नाले पर जनता की सुविधा हेतु सिंचाई विभाग द्वारा पुल का निर्माण किस सन् में किया गया था ? क्या उक्त पुल निर्माण होने के लगभग दो महीने बाद ही टूट गया ? यदि हां, तो विभाग द्वारा उक्त पुल के निर्माण करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

विकास खंड नकहा, जनपद खीरी में ग्राम नौधन पटना के समीप घाघी कट के कि० मी० ०.७ पर एक पुलिया का निर्माण माह ५/८६ से प्रारम्भ होकर ४/८८ को पूर्ण किया गया ।

अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण स्पिल कर घाघी कट में अत्याधिक डिस्चार्ज चलने से यह पुलिया दिनांक ३०-७-८८ को क्षतिग्रस्त हो गयी ।

क्षति के कारणों की जांच हेतु तकनीकी समिति गठित की गयी थी । समिति के निष्कर्ष के अनुसार क्षति, अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण हुई है जो कि एक प्राकृतिक आपदा है । जांचोपरान्त इसके लिये कोई अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया है ।

जनपद मुजफ्फरनगर की गंगा नहर डिवीजन में कार्यरत श्री राज पाल सिंह त्यागी, हेड मुंशी को स्थानान्तरित करने हेतु

८९—श्री श्रीराम (जालौन)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर की गंगा नहर डिवीजन में कार्यरत श्री राजपाल सिंह त्यागी, हेड मुंशी इसी डिवीजन में २० वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या राजस्व अधिकारी तृतीय ने विभिन्न अनियमितताओं के कारण उसके विरुद्ध निष्पक्ष जांच को दृष्टिगत रखते हुये श्री राजपाल सिंह त्यागी के स्थानान्तरण हेतु आदेश क्रमांक-२९६ के अनुसार दिनांक ३१-१-८९ को उसे अन्य डिवीजन में स्थानान्तरित किये जाने हेतु संस्तुति की थी ? यदि हां, तो क्या उनके आदेश का अनुपालन कराया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब उक्त आदेश का अविलम्ब अनुपालन कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां ।

उप राजस्व अधिकारी के दिनांक ३१-१-८९ को सेवा निवृत्त हो जाने के पश्चात् उनका अहस्ताक्षरित पत्र दिनांक ३१-१-८९, दिनांक ९-२-८९ को प्राप्त हुआ ।

चूंकि उप राजस्व अधिकारी तृतीय का पत्र दिनांक ३१-१-८९ हस्ताक्षर रहित था, उस पर विचार नहीं किया गया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर की गंगा नहर डिवीजन के श्री राजपाल सिंह त्यागी को पदोन्नति न देने की मांग

९०—श्री श्रीराम (जालौन)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर की गंगा नहर डिवीजन का दुधली माइनर पर वर्ष १९८४ में कुलावा नं० ७, ८ व ९ पर नहर कटिंग से संबंधित मिसिल तावान गुम किये जाने के बाबत श्री राजपाल सिंह त्यागी (तत्कालीन नायब मुंशी) को आरोपित किया गया था ? यदि हां, तो क्या इस आरोप में उसकी भविष्य में होने वाली पदोन्नति रोक दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसकी पदोन्नति हेड मुंशी पद पर की गयी है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां ।

श्री राजपाल, तत्कालीन नायब मुंशी के विरुद्ध कथित अनियमितताओं की जांच तीन सहायक अभियंताओं से स्वतंत्र रूप से करायी गयी तथा सभी ने उन्हें दोषी नहीं पाया । अतः उन्हें प्रोन्नति से वंचित नहीं रखा गया ।

मथुरा कृषि मंडी के सचिव को गृह जनपद मथुरा से अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग

९१—श्री बनवारी सिंह—

क्या कृषि मंत्री की जानकारी में हैं कि मथुरा कृषि मंडी के सचिव मथुरा जनपद के ही निवासी हैं ? यदि हां, तो क्या विभागीय नियमों के अनुसार सचिव को मथुरा से अविलम्ब हटाने की कृपा शासन करेगा ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

विभागीय नियमों में गृह जनपद में तैनाती प्रतिबन्धित नहीं है, इसलिये प्रश्न नहीं उठता ।

फिरोजाबाद जनपद में लोअर गंगा नहर से छोटी नहर निकाले जाने के बारे में

९२–श्री राम किशन ददाजू–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद जनपद में लोअर गंगा नहर से छोटी नहर निकालने की शासन की क्या कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो कब तक नहर निकाली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

हां, टिहरी बांध योजना से अतिरिक्त जल उपलब्ध होने पर फिरोजाबाद में भोगनीपुर शाखा व उवटी राजबहा से छोटी नहरें निकालने का प्रस्ताव विचाराधीन हे ।

टिहरी जलाशय से अतिरिक्त जल उपलब्ध होने पर ही प्रस्तावित नहरों का निर्माण सम्भव होगा ।

फिरोजाबाद जनपद का विद्युत सप्लाई व्यवस्था हेतु उसके नगरीय क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र की जानकारी

९३–श्री राम किशन ददाजू–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद जनपद जो एक औद्योगिक क्षेत्र है, की विद्युत सप्लाई व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्र मानकर रख गया है या नगरीय क्षेत्र ?

श्री लाल जी टण्डन–

फिरोजाबाद जनपद को विद्युत आपूर्ति हेतु ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्र में रखा गया है ।

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर में खराब नलकूपों को ठीक कराकर चालू कराने की मांग

९४–श्री हरिवंश सहाय तथा श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला-देवरिया की तहसील सलेमपुर में कितने नलकूप कहां-कहां हैं जिनमें दिनांक २५-१०-९१ तक कितने चालू हैं ? कितने नलकूप खराब हैं और खराब नलकूप कब तक ठीक हो जायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जिला देवरिया की तहसील सलेमपुर में कुल ४८२ नलकूप हैं, जिसमें से नलकूप खंड-२, सलेमपुर में ४०१ हैं, नलकूप अनुरक्षण खंड, देवरिया में ४८ हैं तथा इण्डोडच नलकूप, परिचालन एवं अनुरक्षण खंड, गोरखपुर में ३३ नलकूप हैं, जिनका विवरण संलग्न† है ।

---

† छापा नहीं गया ।

दिनांक २५-१०-९१ को ४८० नलकूप चालू थे तथा दो नलकूप असफल हैं, जिनका पुनः निर्माण १९९१-९२ में प्रस्तावित है। चलित नलकूपों में से दिनांक २५-१०-९१ को अस्थाई रूप से यांत्रिक दोष से १९ नलकूप व विद्युत दोष से ३६ नलकूप बन्द थे, जिन्हें ठीक कराकर चालू करा दिया गया है।

जनपद मैनपुरी में विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यकतानुसार विद्युत की सप्लाई करने हेतु उपाय

९५–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद में विद्युत विभाग की आवश्यकतानुसार विद्युत की पूर्ति न होने के कारण विकास लक्ष्यों की पूर्ति में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या ठोस उपाय कर रही है ?

श्री लाल जी टण्डन–

बरनाहल विकास खंड क्षेत्र को छोड़कर शेष मैनपुरी जनपद में विद्युत आपूर्ति आदेशानुसार की जा रही है। बरनाहल क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति करने वाली ३३ के० वी० विद्युत लाइन के लगभग १० कि० मी० भाग के तार चोरी हो जाने के कारण विद्युत आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

चोरी गये तारों की समुचित आकार के कण्डक्टरों द्वारा बदले जाने का यथाशीघ्र प्रयास किया जा रहा है।

जनपद गाजीपुर में रामगढ़ लिफ्ट नहर के जीर्णोद्धार एवं नये पाइप लगाये जाने की मांग

९६–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में जनपद गाजीपुर में रामगढ़ लिफ्ट नहर के जीर्णोद्धार एवं नये पाइप लगाने हेतु विभाग का कोई प्रस्ताव हैं ? यदि हां, तो इसका सम्पूर्ण विवरण क्या हैं ? इसका निर्माण कार्य कब शुरू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, जनपद गाजीपुर में रामगढ़ पम्प नहर के जीर्णोद्धार के लिये विभाग का प्रस्ताव है, परन्तु नये पाइप लगाने हेतु विभाग का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रामगढ़ पम्प नहर के जीर्णोद्धार के लिये परियोजना बनाई गई है, जिसमें मुख्यतया निम्न कार्य प्रस्तावित हैं :–

१–पम्प नहर पर स्वतन्त्र फीडर का निर्माण।

२–पुराने दो पम्प को बदल कर नये पम्प लगाना।

३–मुख्य नहर एवं राजापुर रजवाहा का सुदृढ़ीकरण।

४–मुख्य नहर के १, ६ कि० मी० लाइनिंग का कार्य।

५–राजापुर रजवाहा के १, ६ कि० मी० लाइनिंग का कार्य।

नहर के जीर्णोद्धार का कार्य वर्ष ९०-९१ में शुरू किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के ग्राम सिगरा में ३३ के० वी० विद्युत उपगृह लगाने के संबंध में कृत कार्यवाही

९७—श्री सुरेन्द्र सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक १०-७-९१ का पत्र जो जनपद गाजीपुर के मरदह ब्लाक के सिगरा ग्राम में ३३ के० वी० विद्युत उपगृह लगाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस विद्युत उपगृह के बन जाने से हजारों बुनकरों, कृषकों को विद्युत आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में कब तक प्राप्त होगी ? विद्युत उपगृह निर्माण का सम्पूर्ण विवरण क्या है और उसके निर्माण के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी हां ।

संसाधनों की कमी के कारण वर्ष १९९१-९२ में प्रश्नगत उपकेन्द्र की बनने की सम्भावना नहीं है ।

जनपद गाजीपुर के बहादुरगंज में ३३ के० वी० का विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने के संबंध में कृत कार्यवाही

९८—श्री सुरेन्द्र सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक १०-७-९१ का पत्र जो जनपद गाजीपुर के बहादुरगंज (दिवली-सनेहुआ) में ३३ के० वी० विद्युत का उपकेन्द्र लगाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस विद्युत उपकेन्द्र के बनने के हजारों बुनकरों कृषकों को विद्युत आपूर्ति कब तक पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगी ? इस योजना का सम्पूर्ण विवरण क्या है तथा उसके निर्माण के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी हां ।

३३/११ के० वी० विद्युत उपकेन्द्र बहादुरगंज जनपद गाजीपुर के निर्माण हेतु एक योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली को प्रस्तुत की जा चूकी हैं । उपकेन्द्र के निर्माण हेतु भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम सनेहुआ द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जा चुका है जो अग्रिम कार्यवाही हेतु परगना अधिकारी मोहम्मदाबाद के कार्यालय में विचाराधीन हैं । सीमित संसाधनों के कारण वर्ष १९९१-९२ में उपरोक्त उपकेन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है ।

मेसर्स हिण्डालको रेनूकूट सोनभद्र एवं उ० प्र० विद्युत परिषद् के अधिकारियों द्वारा विद्युत चोरी पर उनके विरुद्ध कृत कार्यवाही

९९—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल तथा श्री रवीन्द्र प्रताप—

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० विद्युत परिषद् के अंतर्गत मेसर्स हिण्डालको रेणुकूट सोनभद्र और अधिकारियों के साठगांठ से लाखों रुपये की विद्युत चोरी संबंधी पत्र सं०-५५५/उ० प्र० वि० म० स०/शिविर, दिनांक २०-८-९१ श्री नन्द लाल जायसवाल प्रान्तीय मंत्री, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ, संबंध भारतीय मजदूर संघ द्वारा उर्जा मंत्री एवं अध्यक्ष उ० प्र० रा० वि० प० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी बिन्दुवार स्थिति क्या है ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री लाल जी टण्डन—

(अ) जी हां ।

(ब) उक्त पत्र के बिन्दु तथा वर्तमान स्थिति को संलग्नक में दर्शाया गया है ।

(स) जांच के पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २५१–२५२ पर)

महा प्रबन्धक ओबरा तापीय परियोजना, जनपद सोनभद्र का उप सचिव, शक्ति भवन को सम्बोधित पत्र पर कृत कार्यवाही

१००–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा० वि० परिषद् के अंतर्गत महाप्रबंधक, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा सोनभद्र के श्री चन्द्रधर मणि त्रिपाठी, उप सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ को सम्बोधित पत्र सं०-३७०/जी एम/इ-२/२९ ए-१३, दिनांक १३-८-९१ जिसमें सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के बारे में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें उल्लिखित बिन्दु क्या थे तथा आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां, उक्त पत्र के माध्यम से महाप्रबंधक, ओबरा तापीय एवं जल विद्युत परियोजनायें, ओबरा द्वारा श्री मदन मोहन गुप्ता, कनिष्ठ जन सम्पर्क सहायक सह-गाइड का प्रत्यावेदन परिषद को सहानुभूति-पूर्वक विचारार्थ अग्रसारित किया गया था जो उनकी स्वयं की सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के संबंध में था ।

परिषद् के जनसम्पर्क संवर्ग में वर्तमान में निम्नतम् पद कनिष्ठ जन सम्पर्क सहायक सह-गाइड का है जिसका अगला उच्चतर प्रोन्नति का पद जन सम्पर्क सहायक का तथा तदुपरि उच्चतर/प्रोन्नति का पद सहायक जन सम्पर्क अधिकारी का है । चूंकि श्री मदन मोहन गुप्ता वर्तमान में कनिष्ठ जन सम्पर्क सहायक-सह-गाइड के पद पर कार्यरत हैं, अतएव, बीच में एक पद छोड़ते हुये सीधे सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर उनकी प्रोन्नति पर विचार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

उ० प्र० रा० वि० परिषद् के अंतर्गत रुड़की में कार्यरत अधीक्षण, अधिशासी एवं अवर अभियंताओं को परिषदीय नियमों के अनुसार स्थानान्तरित करने की मांग

१०१–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अंतर्गत विद्युत वितरण मण्डल रुड़की के अधीन विभिन्न खण्डों में पिछले १० वर्षों से कितने अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता/अवर अभियंता उसी मण्डल के अधीन खण्डों में मूल पद पर या पदोन्नति के पश्चात् पुनः तैनात किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनको परिषदीय आदेशानुसार स्थानान्तरण नीति के तहत स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अंतर्गत निम्नलिखित अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता/अवर अभियंता ऐंसे हैं जो पिछले १० वर्षो में विद्युत वितरण मण्डल, रुड़की के अधीन पदोन्नति के पश्चात् पुनः उसी मण्डल के अधीन विभिन्न खण्डों में तैनात किये गये हैं :–

श्री पूरे लाल खण्डेलवाल, जो सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मण्डल, रुड़की के पद पर दिनांक २-७-९० से तैनात हैं, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, रुड़की के पद पर दिनांक १६-४-१९८३ से १०-९-१९८६ तक तथा अधिशासी अभियंता (संबंद्ध) विद्युत वितरण मण्डल, रुड़की के पद पर दिनांक ११-९-१९८६ से २३-६-१९८७ तक तैनात रहे ।

श्री प्यारा राम माही, अधिशासी अभियंता, अवर अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, रुड़की के पद पर दिनांक ८-७-७२ से २५-६-७७ तक तथा अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, हरिद्वार के पद पर दिनांक २१-१-८८ से निरन्तर तैनात हैं एवं श्री आनन्द स्वरूप त्यागी, अधिशासी अभियंता, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भ मेला के पद पर दिनांक १-१०-१९७९ से १४-७-१९८० तक, उप खण्ड अधिकारी प्रथम, हरिद्वार के पद पर दिनांक २४-६-८५ से ४-६-८८ तक, उप खण्ड अधिकारी प्रथम, रुड़की के पद पर दिनांक ६-६-८८ से ३-४-१९८९ तक तथा अधिशासी अभियंता, विद्युत परीक्षण खण्ड, रुड़की के पद पर दिनांक २६-७-८९ से निरन्तर तैनात हैं ।

इसी प्रकार केवल ३ अवर अभियंता ही पिछले १० वर्षों से विद्युत वितरण मण्डल, रुड़की के अंतर्गत पदोन्नति के पश्चात् पुनः उसके विभिन्न खण्डों में तैनात किये गये हैं ।

परिषदीय स्थानान्तरण नीति के अंतर्गत ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि कोई अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता/अवर अभियंता किसी मण्डल में पदोन्नति के पश्चात् उसी मण्डल में अथवा उसके अधीन किसी खण्ड में नहीं तैनात किया जायेगा ।

मुख्य अभियंता (जल विद्युत) के कार्यालय में कार्यरत अधीक्षण/अधिशासी अभियंताओं के विरुद्ध चल रही जांच की जानकारी

१०२—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अंतर्गत जून, १९९१ तक मुख्य अभियंता (जल विद्युत) ४, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ में कितने अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता कार्यरत हैं ? इनमें से कितनों के ऊपर विभागीय जांच/अन्य जांच चल रही है ? उनके नाम और जांच के प्रकार क्या हैं ? क्या जांच पूर्ण होने पर ही इन्हें अधीक्षण अभियंता बनाया गया था ? यदि नहीं, तो अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति का औचित्य क्यों हैं ?

श्री लाल जी टण्डन—

जून, १९९१ को मुख्य अभियंता (जल विद्युत) ४—विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ में २ अधीक्षण अभियंता एवं ४ अधिशासी अभियंता कार्यरत हैं ।

इनमें एक अधीक्षण अभियंता एवं एक अधिशासी अभियंता के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है ।

अधीक्षण अभियंता का नाम श्री आनन्द मोहन रावल हैं तथा उनके विरुद्ध सम्प्रेक्षा के आधार पर विभागीय जांच चल रही है । अधिशासी अभियंता का नाम श्री मदन लाल है और उनके विरुद्ध परिषदीय सतर्कता जांच के फलस्वरूप तीन सदस्यीय जांच समिति के माध्यम से विभागीय जांच चल रही है ।

जी नहीं ।

श्री आनन्द मोहन रावल मई, १९८५ में अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रोन्नति किये गये हैं जब कि उनके विरुद्ध जुलाई, १९८५ को सम्प्रेक्षा के फलस्वरूप विभागीय जांच चल रही है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में चिकित्साधिकारियों की वर्ष १९७८ में नियुक्ति के संबंध में जानकारी

१०३—श्री रवीन्द्र प्रताप—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जून, जुलाई, १९७८ को "इन्डियन एक्सप्रेस" में चिकित्साधिकारियों/विशेष चिकित्साधिकारियों के पद हेतु उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् ने कोई विज्ञापन प्रकाशित किया था ? यदि हां, तो साक्षात्कार के लिये कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था ? उनके नाम क्या हैं तथा साक्षात्कार के लिये कौन-कौन सी तिथि नियत की गई ? क्या सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करने के पश्चात् ही नियुक्ति पत्र जारी किये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी हां ।

उक्त विज्ञापन के संदर्भ में २५९ अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे । अभ्यर्थियों के नामों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । साक्षात्कार हेतु दिनांक ३१-८-७८, १-९-७८ तथा २४-११-१९७८ नियत की गई थी ।

सभी अभ्यर्थियों को न बुलाकर केवल निर्धारित चयन माप दण्ड पूर्ण करने वाले ६१ अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था । चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पश्चात् ही नियुक्ति पत्र जारी किये गये थे ।

उ० प्र० रा० वि० प० के अधीक्षण अभियंता या इससे उच्च स्तर के अन्यत्र कार्यरत अधिकारियों की संख्या की जानकारी

१०४—श्री रवीन्द्र प्रताप—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ऊ० प्र० रा० वि० प० में अधीक्षण अभियंता व इसके ऊपर के स्तर के कितने अधिकारी अन्यत्र स्वीकृत पदों के विरुद्ध परिषद् कार्य कर रहे हैं व कब से ?

श्री लाल जी टण्डन—

विद्युत परिषद् के अधीन १२ (बारह) अधीक्षण अभियंता अन्यत्र स्वीकृत पदों के विरुद्ध विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत हैं । यह अधिकारी परिषदीय कार्यहित में कम से कम १५ (पन्द्रह) दिन तथा अधिक से अधिक २ १/२ (ढाई) वर्ष से इन पदों पर कार्यरत हैं ।

उ० प्र० रा० वि० प० में अनियमित नियुक्तियों को रद्द करने की मांग

१०५—श्री रवीन्द्र प्रताप—

दशम् विधान सभा के प्रथम सत्र १९९१ के दूसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं०-१३५ के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिस अधिकारी द्वारा जांच की गई थी उसी अधिकारी के कार्यालय के भ्रष्टाचार का प्रकरण था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी स्वतंत्र एजेन्सी से इस संबंध में पुनः निष्पक्ष जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? उत्तर में उल्लिखित बिन्दु २ के बारे में क्या यह भी बतायेंगे कि नियुक्तियों की तदर्थ व्यवस्था किस-किस अवधि के लिये थी ? यदि विलम्ब होने की सम्भावना थी तो क्या सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से उक्त नियुक्तियों के लिये योग्य अभ्यर्थियों की सूची मांगी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्या सेवायोजन कार्यालय के महत्व को ऊर्जा विभाग के अधिकारियों द्वारा दुर्लक्षित किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह नियुक्तियां आज तक लगातार

चल रही हैं ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ? क्या उत्तर में उल्लिखित बिन्दु ३ के तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों के नाम, पदनाम, निवास स्थान एवं मुख्य अभियंता कार्यालय में कार्यरत रिश्तेदार/संबंधी के नाम सहित सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि कि श्री हरी राम कर्मचारी मुख्य अभियंता कार्यालय के श्री दया राम, का० अ० के भाई है ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

इन तदर्थ नियुक्तियों में भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच परिषद् में सतर्कता द्वारा करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियुक्तियों की तदर्थ व्यवस्था भिन्न-भिन्न अवधियों के लिये थी ।

जी नहीं ।

जी नहीं । दैनिक श्रेणी लिपिक के पद पर चयन की प्रक्रिया विद्युत सेवा आयोग में पहले से ही चल रही थी परन्तु इस प्रक्रिया में विलम्ब होने की सम्भावना थी अतः कार्य की आवश्यकता को देखते हुये निर्धारित अल्प अवधि के लिये तदर्थ व्यवस्था में नियुक्तियां करनी पड़ीं । इस बीच यदि सेवायोजन कार्यालय से सम्पर्क किया जाता तो इसमें भी विलम्ब की संभावना थी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी हां ।

क्यों कि विद्युत सेवा आयोग द्वारा अभी तक चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है ।

जी हां । रख दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम सिधोना में विद्युतीकरण किये जाने की मांग

१०६–श्री छेदी लाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सिधोनी, पोस्ट सिधोना, जिला फैजाबाद में विद्युतीकरण किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विद्युतीकरण आधे ग्राम में ही किया गया है ? यदि हां, तो कब तक पूरा गांव विद्युतीकृत होगा ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जी हां, लगभग आधे ग्राम का ही विद्युतीकरण हो पाया है क्योंकि विद्युतीकरण के समय ग्राम के उसी जगह तक के उपभोक्ताओं ने कनेक्शन हेतु आवेदन किया था ।

ग्राम के शेष भाग के निवासियों द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करने एवं संसाधन उपलब्ध होने की दशा में बचे हुए भाग का विद्युतीकरण किया जा सकेगा ।

जनपद बाराबंकी के मजरा बहरौली में विद्युतीकरण की मांग

१०७—श्री रमाकान्त यादव

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मजरा बहरौली ग्राम-बलहरी जनपद-बाराबंकी में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत हरिजन बाहुल्य ग्राम में विद्युतीकरण करने पर सरकार विचार कर रही है ? क्या उक्त विषय पर ग्रामवासियों के सामूहिक हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र मई, १९८७ में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस मजरे बहरौली में विद्युतीकरण की योजना बनाकर कब तक विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी नहीं ।

जी हां ।

बाराबंकी जनपद में मजरों के विद्युतीकरण की कोई योजना अभी प्रस्तावित नहीं है । इस कारण मजरा बहरौली का विद्युतीकरण अभी संभव नहीं है ।

जनपद उन्नाव के पुरवा विधान सभा क्षेत्र में हिलौली नरीचक रजबहा में टेल तक पानी पहुंचाने की मांग

१०८—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या सिंचाई मंत्री अवगत है कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा—उन्नाव की हजारों एकड़ फसल सिंचाई के अभाव से असिंचित है ? यदि नहीं, तो क्या हिलौली रजबहा में हिलौली के नीचे स्थित ग्राम बरदहा में पानी कभी-कभी ठकुराइन खेड़ा, परसादखेड़ा, चन्दीखेड़ा में पानी कभी नहीं जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार नरीचक रजबहा में चैनखेड़ा, पटेढ़ा आदि ग्रामों तक व नीचे पानी पहुंचाने की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो क्या नरीचक रजबहा की टेल पर जनपद रायबरेली में स्थित ग्राम बरदर के सामने सई नदी में [illegible] पम्प बनाकर नरीचक रजबहा की टेल से हेड की तरफ पानी बहाकर मौरावां ब्रांच में पानी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सिंचाई विभाग में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित होगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

माननीय विधायक के क्षेत्र पुरवा-उन्नाव के अंतर्गत आने-वाले नहरी कमाण्ड क्षेत्र ३२.७३३ हेक्टेयर में से प्रस्तावित ४९% के विरुद्ध ३७% सिंचाई की जा रही है ।

जी हां ।

जी हां, जल उपलब्धता के अनुसार पानी पहुंचाने की व्यवस्था होगी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नन्दगंज में औद्योगिक आस्थान में अलग फीडर लगाये जाने की मांग

१०९—श्री सुरेन्द्र सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलग फीडर नंदगंज औद्योगिक आस्थान में लगाने हेतु उद्योग विभाग द्वारा कब एवं कितना रुपया जमा किया गया है ? क्या अलग फीडर लगाने की व्यवस्था विभाग द्वारा की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक फीडर की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री लाल जी टण्डन—

प्रश्नगत अलग फीडर लगाने हेतु उद्योग विभाग द्वारा रु० ४,८८,८०८ (रुपये चार लाख अठ्ठासी हजार आठ सौ) मार्च, १९८४ में जमा किये गये हैं ।

प्रश्नगत फीडर के निर्माण के लिये रेल विभाग से रेलवे क्रासिंग की स्वीकृति मिलने में विलम्ब हो रहा था, अतएव एक स्वतंत्र शुगर मिल के फीडर से ११ के० पी० लाइन बनाकर तथा ६३० के वी० ए० का ट्रासफार्मर लगा कर औद्योगिक आस्थान नंदगंज को ऊर्जीकृत कर दिया गया है ।

"रेलवे क्रासिंग" की स्वीकृति रेल विभाग द्वारा दिनांक २७-११-८९ को स्वीकृत की जा चुकी हैं । तत्पश्चात् वर्तमान दर पर संशोधित प्राक्कलन जिसकी धनराशि रु० ९,६६,४४३ (रुपये नौ लाख छियासठ हजार चार सौ तैतालीस) है, के अनुसार उद्योग विभाग से संशोधित धनराशि जमा करने हेतु लिखा गया है, अभी तक उद्योग विभाग ने बढ़ी हुयी धनराशि जमा नहीं की हैं । वांछित धनराशि के प्राप्त हो जाने के पश्चात स्वतंत्र फीडर बनाया जा सकेगा ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा में कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युतीकृत ग्राम सभाओं की जानकारी

११०—श्री बाला प्रसाद अवस्थी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में तहसील धौरहरा के अन्तर्गत १ जनवरी, १९८५ से अक्टूबर, ९१ तक कितनी ग्राम सभा में कुटीर ज्योति योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकरण कराया गया है ? कितनी ग्राम सभाओं का लक्ष्य था और उस पर कितना लक्ष्य पूरा किया गया ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि कुटीर ज्योति योजना में विद्युतीकरण कराया गया है कि नहीं ? यदि नहीं, तो कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री लाल जी टण्डन—

जनपद लखीमपुर खीरी में तहसील धौरहरा के अन्तर्गत १ जनवरी, १९८५ से अक्टूबर, १९९१ तक किसी भी ग्राम सभा का कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकरण नहीं कराया गया है ।

तहसील धौरहरा में किसी भी ग्राम सभा का कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकरण किये जाने का लक्ष्य नहीं था ।

तहसील धौरहरा के ग्राम सभाओं का कुटीर ज्योति कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित हो जाने के बाद ही प्रश्नगत ग्राम सभाओं का उपरोक्त योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

हाईकोर्ट के निर्णय रिट ४१९/१९८८ के अनुसार कृषि एवं प्रसार डिप्लोमा धारकों को कृषि विभाग में सेवा वर्ग-३ में नियुक्ति

१११—श्री राम लखन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाईकोर्ट के निर्णय रिट ४१९/१९८८ के अनुसार अब तक कृषि एवं प्रसार डिप्लोमा धारकों को कृषि विभाग सेवा वर्ग-३ में नियुक्ति के संबंध में शासन को जो आदेश दिया गया था अब तक उस पर नियुक्ति क्यों नहीं की गयी ? कब तक इनकी नियुक्ति की जायेगी ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

मा० उच्च न्यायालय के कथित रिट याचिका के निर्णय दिनांक १४-९-८९ के अनुपालन में डिप्लोमाधारियों की नियुक्तियां की जा रही हैं ।

श्री एस० के० पाण्डे, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, विद्युत, फतेहपुर (खागा) को स्पेशल आडिट रिपोर्ट में दोषी पाये जाने के कारण दण्डित करने की मांग

११२—श्री निर्वेन्द्र कुमार—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि श्री एस० के० पाण्डे, तत्कालीन अधिशासी अभियंता (उप खण्ड अधिकारी) विद्युत, फतेहपुर (खागा) स्पेशल आडिट रिर्पोट में दोषी पाये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि दोषी होने के बाद भी उन्हें अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड—I लखीमपुर में तैनात किया गया और उक्त पद पर कार्यरत रहने पर भी स्पेशल आडिट रिपोर्ट में गम्भीर आरोपों के घेरे में आ गये हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध शासनादेश सं०-ए/३६१, दिनांक १७-१-८४ के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जब इनके ऊपर गम्भीर आरोप सिद्ध हुये थे तो इनकी तैनाती व पदोन्नति का आधार क्या है ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी हां । विद्युत वितरण खण्ड, फतेहपुर के ४/७४ से ३/७७ तक की अवधि संबंधित विशेष सम्प्रेक्षा के फलस्वरूप श्री एस० के० पाण्डेय, जो उप खण्ड अधिकारी, विद्युत अनुरक्षण उपखंड (खागा) फतेहपुर के पद का कार्यभार १६-७-७५ से ४-२-७६ तक ग्रहण किये थे, को मस्टर रोल श्रमिक रखने व मस्टर रोल सत्यापित करने में की गयी अनियमितताओं के लिये प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया था ।

जी नहीं । उनके द्वारा की गयी अनियमितताओं के संदर्भ में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गयी थी जिसके उपरांत उन्हें निर्दोष पाया गया । अतः उनको परिषदीय आदेश दिनांक २२-१-८५ द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था । लखीमपुर खीरी में उनकी तैनाती कार्यकुशलता एवं प्रशासनिक आधार पर ८/८८ में की गयी थी । उनके लखीमपुर खीरी के कार्यकाल में ९/८८ से ११/९० तक की अवधि से संबंधित अभिलेखों की विशेष सम्प्रेक्षा नियंत्रक (आन्तिरिक सम्प्रेक्षा) द्वारा करायी गयी है । सम्प्रेक्षा आख्या अभी प्रतीक्षित है ।

नियंत्रक (आन्तरिक सम्प्रेक्षा) से विशेष सम्प्रेक्षा आख्या प्राप्त होने के उपरान्त मामले में यथोचित अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जैसा ऊपर अवगत किया जा चुका है, चूंकि श्री पाण्डेय के विरुद्ध फतेहपुर के मामले में कोई आरोप सिद्ध नहीं पाये गये और उन्हें उक्त मामले में दोषमुक्त किया जा चुका था, विभागीय चयन समिति ने अपनी दिनांक १३-६-८५ की बैठक में उनके सेवा अभिलेखों के आधार पर प्रोन्नति हेतु अनुमोदित किया। तद्नुसार ही उनकी अधिशासी अभियंता के पद पर प्रोन्नति कर तैनाती की गयी।

जनपद लखीमपुर खीरी के अधिशासी अभियंता विद्युत श्री एस० के० पाण्डे द्वारा वित्तीय अनियमिततायें किये जाने के कारण दण्ड दिये जाने की मांग

११३—श्री निर्वेन्द्र कुमार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के अधिशासी अभियंता विद्युत, श्री एस० के० पाण्डे द्वारा सिंचाई विभाग शारदा नहर से डिपाजिट में ८ लाख रु० जमा कराकर एवं ९ लाख रु० उपभोक्ताओं से जमा कराकर उक्त जमा धनराशि से ठेकेदारों के फर्जी बिलों का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जब श्री एस० के० पाण्डे पर इतने गम्भीर आरोप सिद्ध हुये हैं तो भी उन्हें दण्ड देने के बजाय उसी पद पर लखीमपुर में कार्यरत रखने का औचित्य क्या है ?

श्री लाल जी टण्डन—

श्री एस० के० पाण्डे अधिशासी अभियंता के लखीमपुर-खीरी जनपद में तैनाती की अवधि ९/८८ से ११/९० के लेखों की सम्प्रेक्षा कराई जा रही है। अंतरिम आख्या के अनुसार जमा योजना के अंतर्गत कुल रु० २५.३२८ लाख विद्युत वितरण खण्ड (प्रथम) लखीमपुर खीरी द्वारा जमा कराये गये। इस धनराशि में से श्री पाण्डे ने रु० ७.९९८ लाख अधिशासी अभियंता के खाते में डाल कर जमा योजना कार्यों एवं अन्य कार्यों पर व्यय किया है जिसमें कुछ परिषदीय आदेशों/नियमों का उल्लंघन किया गया प्रतीत होता है। सम्प्रेक्षा आख्या के प्राप्त होने पर ही वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अभी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री पाण्डे को विद्युत वितरण खण्ड (प्रथम) लखीमपुर खीरी से अगस्त १९९१ में स्थानान्तरित कर दिया गया है और सम्प्रेक्षा आख्या के प्राप्त होने पर सम्पूर्ण मामले के परीक्षणोपरान्त ही उन्हें यथोचित दण्ड देने अथवा अन्यथा के विषय में निर्णय लिया जायेगा।

श्री एस० के० पाण्डे, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड—१, लखीमपुर को फर्जी भुगतान किये जाने के आधार पर दण्डित करने की मांग

११४—श्री निर्वेन्द्र कुमार—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि श्री एस० के० पाण्डे, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड—१, लखीमपुर द्वारा अपने कार्यकाल में लाखों रु० के फर्जी टी० आई० पी० आई० एवं ठेकेदारों का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो यह हेरा-फेरी कितनी धनराशि की की गई ? क्या यह भी सही है कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् से लगभग २४ लाख रु० का फर्जी बिल दिखाकर स्थापना के मद में धन प्राप्त किया और उसे फर्जी टी० आई० पी० आई० खोल कर भुगतान दिखाया गया ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो सम्पूर्ण तथ्यों की उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां, श्री एस० के० पाण्डे, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, लखीमपुर द्वारा अपने कार्यकाल में रु० ३८.०४ लाख की टी० आई०/पी० आई० एवं ठेकेदारों का भुगतान किया गया था ।

इसकी जांच परिषद् के नियंत्रक (आन्तरिक सम्प्रेक्षा) के माध्यम से की जा रही है ।

श्री पाण्डे ने माह ९/८८ से ११/९० की अवधि में परिषद् मुख्यालय से रु० २५.०९ लाख वेतन के मद में आवश्यकता से अधिक प्राप्त किये । इस धनराशि का व्यय जो कि उपरोक्त ३८.०४ लाख रुपये में सम्मिलित है, उन्होंने अन्य मदों पर निम्नवत् किया :–

अ–ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान	रु० १५.४२ लाख
ब–अस्थयी अग्रिम/प्रदाय के माध्यम से किया गया भुगतान	रु० ९.६७ लाख

श्री पाण्डे, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड–१, लखीमपुर के कार्यकाल की अवधि ९/८८ से ११/९० से संबंधित अभिलेखों की विशेष सम्प्रेक्षा करायी गयी है तथा नियंत्रक (आंतरिक सम्प्रेक्षा) से आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच पूर्ण होने पर ।

जनपद लखीमपुर खीरी की सहकारी चीनी मिलों द्वारा बोरों की खरीद में अनियमितता

११५–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों में बोरे क्रय करने की दर क्या निर्धारित है ? क्या यह सही है कि जनपद लखीमपुर खीरी की सहकारी चीनी मिलों में बोरों की आपूर्ति खुले बाजार में बिकने वाले बोरों के मूल्य से अधिक मूल्य पर की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उक्त बोरों के क्रय में २ रु० के हिसाब से कमीशन लेकर मिलों के धन का दुरुपयोग किया जाता है ? यदि हां, तो कमीशन लेने का आधार क्या है ? इसमें दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

डा० उपाध्याय, मुख्य उद्यान विशेषज्ञ, मलिहाबाद, लखनऊ के कार्यकाल में साढ़े तीन लाख के घोटाले में कृत कार्यवाही

११६–श्री रमाकान्त यादव–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि मुख्य उद्यान विशेषज्ञ, मलिहाबाद, लखनऊ में डा० उपाध्याय के कार्यकाल में रुपये साढ़े तीन लाख के फर्जी आहरण के गम्भीर मामले एवं अन्य घोटाले की रिपोर्ट निदेशक, उद्यान द्वारा शासन को भेजी गयी परन्तु उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

डा० उपाध्याय के विरुद्ध उक्त प्रकरण में अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बलिया जनपद के सोहांव विकास खण्ड रिक्त लिफ्ट कैनाल में पानी की व्यवस्था

११७–श्री सुधीर राय–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के सोहांव विकास खंड में कितने लिफ्ट कैनाल हैं एवं इस वर्ष किस-किस लिफ्ट कैनाल से पानी दिया जा रहा है ? क्या यह सही है कि उसमें से सोहांव एवं पलिया खास पम्प कैनाल किसानों को पानी नहीं दे पा रही है ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और कब तक सरकार पानी की व्यवस्था करायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

बलिया जनपद में सोहांव विकास खंड में ०४ (चार) लिफ्ट कैनाल कोरंटाडीह, सोहाव, पलियाखास एवं सूरापाली है । इस वर्ष कोरंटाडीह एवं सूरापाली से कृषकों को पानी दिया जा रहा है ।

जी हां ।

वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था हेतु क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाया जा रहा है ।

कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी बलिया में कार्यरत स्व० जगदीश नारायण लाल वरिष्ठ लिपिक के देयों का भुगतान

११८–श्री शिवचरण प्रजापति–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बलिया में भूमि संरक्षण अधिकारी, बलिया के कार्यालय में कार्यरत स्व० श्री जगदीश नारायण लाल व० लि० जिनकी मृत्यु दिनांक १९-१२-८८ को हो गयी थी, के मरणोपरान्त मिलने वाले देयों जैसे–जीवन बीमा, नकदीकरण, ग्रेच्युटी, जी० पी० एफ०, पेंशन आदि का भुगतान अभी तक श्री जगन्नाथ सिंह, भूमि संरक्षण अधिकारी, बलिया द्वारा उनके वारिसान को नहीं किया गया है ? क्या लगभग तीन साल का समय व्यतीत होने पर भी संबंधित उच्च अधिकारियों ने श्री जगन्नाथ सिंह, भू० स० अ०, बलिया को भुगतान शीघ्र करने हेतु आदेशित किया है ? क्या माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक २३-४-९१ द्वारा उक्त भुगतान १ माह के अंदर करने का निर्देश दिया था ? यदि हां, तो क्या इस अनियमितता के लिये उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध जांच और दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ? मृतक के समस्त देयकों का भुगतान व्याज सहित कब तक इनके वारिस पुत्र श्री भारत भूषण श्रीवास्तव को दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

स्व० जगदीश नारायण लाल के वारिस श्री भारत भूषण श्रीवास्तव को नकदीकरण का भुगतान कर दिया गया है । अन्य अवशेष देयों के भुगतान के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

उप कृषि निदेशक (भू० स०) मिर्जापुर एवं कृषि निदेशक उ० प्र० लखनऊ के स्तर से निर्देश दिये गये ।

जी हां । मृतक के वारिस को समय से नकदीकरण, ग्रेच्युटी, जी० पी० एफ०, जीवन बीमा का भुगतान न करने के लिये उप कृषि निदेशक (भू० सं०) वाराणसी को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । जहां तक मृतक के देयों के भुगतान का प्रश्न है, वह यथाशीघ्र कर दिया जायेगा ।

अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उ० प्र० के वर्ग १, २ व ३ के कर्मचारियों की सात सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग

११९—श्री सुरेश प्रताप गांधी—

क्या सरकार को जानकारी है कि अधीनस्थ कृषि सेवा संघ, उ० प्र० के तत्वावधान में कृषि विभाग वर्ग-१, २ व ३ के कर्मचारियों ने अपनी सात सूत्रीय मांगों के समर्थन में दिनांक २-११-८९ से २७-१२-८९ तक प्रदेश व्यापी हड़ताल की थी ? यदि हां, तो क्या हड़ताली कर्मचारियों की मांगों को न्याय संगत मानते हुये श्री कल्याण सिंह, तत्कालीन नेता, भा० ज० पा० ने अपने पत्र दिनांक १९-१२-८९ के माध्यम से कर्मचारी संगठन की मांगों से सहमति व्यक्त करते हुये शासन से संस्तुति की थी ? यदि हां, तो सगंठन की मुख्य मांगें क्या थीं तथा शासन द्वारा आश्वासन देने के बाद अभी तक मांगों को पूरा न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस श्रेणी के अन्य विभागों के कर्मचारियों के समान, वेतनमान व अन्य देय सुविधायें, कृषि विभाग की अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों को दिये जाने एवं वेतन आदि की विसंगतियों को दूर किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा दिनांक २-११-८९ से २७-१२-८९ तक हड़ताल की गयी थी ।

श्री कल्याण सिंह तत्कालीन नेता, भा० ज० पा० का पत्र दिनांक १९-१२-८९ का प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि विभाग के अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग—१, २ व ३ की वेतन विसंगतियों के संबंध में यथोचित प्रस्ताव मुख्य सचिव समिति को प्रेषित किये जा चुके हैं ।

जनपद आगरा की तहसील फतेहाबाद में स्वीकृत, नहरों की टेलों में खड़ंजा एवं किनारा पक्का करने की मांग

१२०—श्री विजय पाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद—आगरा के अंतर्गत तहसील—फतेहाबाद में जिला योजना के अतिरिक्त योजनाओं में वर्ष १९८९-९० व १९९०-९१ में कौन-कौन सी नहरों की टेलों का कितना खड़ंजा लगाने अथवा किनारा पक्का करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत की गयी है और इनका निर्माण किस स्तर पर है ? उन्हें कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद आगरा की फतेहाबाद तहसील में नहरों की टेलों पर खड़ंजा अथवा किनारा पक्का करने हेतु कोई योजना वर्ष १९८९-९० व ९०-९१ में स्वीकृत नहीं हुई है। अपितु नहरों की प्राप्त धनराशि में से ही राजखेड़ा रोड तक इरादत नगर रजबहा पर १.५ कि० मी० खड़ंजे के निर्माण हेतु रु० ३.०० लाख प्रस्तावित किया गया था।

तहसील फतेहाबाद के राजवाहा इरादत नगर के टेल पर लगभग १.५ कि० मी० की लम्बाई में खड़ंजा लगाने का कार्य कराया गया है जिसमें २.८५ लाख व्यय हुये।

कार्य हो चुका है अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

१२१–श्री विजय पाल सिंह–

[३रे बुधवार के लिये स्थगित]

जनपद गाजीपुर की देवकली पम्प नहर में टेल तक पानी पहुंचाने की मांग

१२२–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवकली पम्प जमानियां, गाजीपुर में बिलकुल पानी नहीं जा रहा है जिससे वद्धुपुर टेल तक दोनों तरफ तथा उसकी माइनरों में पानी न जाने से हजारों एकड़ धान की फसल सूख गयी है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में १४ अक्टूबर, १९९१ से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा धरना दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर पूरी नहर व माइनरों में पानी की व्यवस्था करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

देवकली पम्प नहर प्रणाली जनपद गाजीपुर के तहसील सैदपुर, गाजीपुर एवं मोहम्मदाबाद में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। यह प्रणाली तहसील जमानियां में नहीं है। वद्धुपुर नहर की टेल तक सिंचाई की गयी है तथा धान की हजारों एकड़ फसल सूखने की कोई जानकारी नहीं है। देवकली नहर के शीर्ष पर विद्युत की आपूर्ति में वोल्टेज की कमी के कारण माह अक्टूबर में पम्पों को सिंचाई की पूरी आवश्यकतानुसार चलाने में कठिनाई रही। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने १४ अक्टूबर, १९९१ को इसके विरोध में वद्धुपुर हेड पर धरना दिया सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों से सम्पर्क करके वोल्टेज की कमी की समस्या का समाधान कराया गया तथा दिनांक २९-१०-९१ से नहर को आवश्यकतानुसार चलाया गया तथा वद्धुपुर टेल तक पानी पहुंचा कर सींच की गई देवकली नहर प्रणाली पर विद्युत समस्या दूर करके सिंचाई की समुचित व्यवस्था कर दी गई है अतः जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद मिर्जापुर के अदवां बांध से निकलने वाली चन्द्रताली माइनर की खुदाई करने तथा प्रभावित किसानों को मुआवजा

१२३–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अदवां बांध, जिला-मिर्जापुर से निकलने वाली चन्द्रताली माइनर की खुदाई किये आठ वर्ष हो गया है ? क्या यह भी सही है कि मझली, किपारी, हाजीपुर उल्होपुर वभनी व चन्द्रताली गांवों को पानी भी नहीं मिल रहा है ? क्या जब से नहर खोदी गयी है

उक्त गांवों के किसानों को जमीन का मुआवजा भी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर पानी की व्यवस्था तथा किसानों के मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

चन्द्रताली माइनर अदवा बांध से न निकलकर जरगों बांध से निकली है व इसकी खुदाई हुये लगभग ८ वर्ष हो गये हैं ।

भुइली, हाजीपुर, उल्हापुर, बभनी व चन्द्रताली गावों को पानी प्रस्तावित सिंचाई के अनुसार मिल रही है । किपारी नाम का कोई ग्राम नहर के कमाण्ड में नहीं है । उक्त गांवों के किसानों की जमीन के मुआवजे हेतु सेक्शन चार व छः का प्रकाशन हो चुका है । धन भी भूमि अध्याप्ति अधिकारी (एस० एल० ओ०) को उपलब्ध करा दिया गया है । पानी की व्यवस्था पहले ही उपलब्ध है ।

जनपद लखीमपुर खीरी में ईसानगर बाजार में कृषि उत्पादन मण्डी समिति की स्थापना की मांग

१२४–श्री बाला प्रसाद अवस्थी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत कृषि उत्पादन मंडी समिति लखीमपुर खीरी के क्षेत्र में तहसील धौरहा की कितनी ग्राम सभायें सम्मिलित हैं ? क्या सम्मिलित ग्राम सभाओं के किसानों की उपज कृषि उत्पादन मण्डी समिति, लखीमपुर खीरी में आती हैं ? यदि हां, तो कितना मण्डी शुल्क प्राप्त होता है ? क्या सरकार भविष्य में ईसा नगर बाजार में कृषि उत्पादन मण्डी समिति की स्थापना तथा सम्पर्क मार्गों के निर्माण पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

तहसील धोरहा के विकास खण्ड रमिया बेहड़ व ईसानगर की २४ न्याय पंचायतों की १७७ ग्राम सभायें मण्डी समिति लखीमपुर के क्षेत्र के लिये अधिसूचित हैं ।

जी हां ।

मण्डी समिति में कोई ऐसा अभिलेख नहीं रखा जाता है जिससे ग्राम सभावार अलग-अलग मण्डी शुल्क आय ज्ञात की जा सके ।

ईसानगर बाजार में कृषि उत्पादन मण्डी समिति की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन नहीं है, क्योंकि ईसानगर में कोई थोक व्यापार नहीं है । जहां तक सम्पूर्ण मार्गों के निर्माण का प्रश्न है नियमानुसार मण्डी समिति का प्रस्ताव जिला चयन समिति की स्वीकृति के उपरांत प्राप्त होने पर उस पर विचार करना सम्भव होगा ।

जनपद लखीमपुर खीरी में घाघरा शारदा नदियों के किनारे बांध बनाया जाना

१२५–श्री बाला प्रसाद अवस्थी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के [illegible] धौरहरा में ऐसी कितनी ग्राम सभायें तथा पक्की सड़कें हैं जो घाघरा, शारदा नदी के [illegible] क्षतिग्रस्त होते

है ? जनजीवन को भारी खतरों से बचाने हेतु क्या सरकार नदियों के किनारे बांध बनाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद लखीमपुर खीरी की धौरहरा तहसील में १४० ग्राम सभायें तथा १४ पक्की सड़कें ऐसी हैं जो घाघरा, शारदा नदी के कटान से प्रतिवर्ष प्रभावित होती हैं ।

अभी कोई योजना बांध आदि बनाने की विचाराधीन नहीं है । सर्वेक्षण कराया जा रहा है । योजना विशेष की साध्यता एवं धन उपलब्धता के ऊपर उसका अनुमोदन निर्भर करेगा ।

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड देवकली में ३३ के० वी० एवं विद्युत उपक्रम बनाये जाने की मांग

१२६–श्री गामा राम शास्त्री–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड देवकली में ३३ के० वी० ए० विद्युत उपक्रम बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका सम्पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष १९९१-९२ की कार्य योजना में यह उपकेन्द्र सम्मिलित नहीं है ।

जनपद जालौन के नलकूप निर्माण खण्डों द्वारा आहरित धनराशि की जांच टेक्निकल आडिट सेल से कराया जाना

१२७–श्री [illegible] (जालौन)–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप निर्माण खण्ड उरई जनपद जालौन के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ उपखंड में सितम्बर, १९९० से सितम्बर १९९१ तक स्थाई अग्रदाय के अस्थाई अग्रदाय के द्वारा हैण्ड रसीद बाऊचरों से प्रतिमाह में प्रति अवर अभियंतावार कुल कितना रुपया भुगतान हेतु निकाला गया ? इन वाऊचरों द्वारा किये गये कार्यों तथा खरीदे गये सामान के रेट क्या एप्रूब्ड थे ? यदि नहीं, तो क्या कोटेशन मागें गये थे ? क्या खरीदे गये सामान को स्टाक रजिस्टर में लेकर इशु किया था ? यदि हां, तो क्या टेक्निकल आडिट सेल से इसे सत्यापित कराने का आदेश करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नलकूप निर्माण खण्ड, उरई, जनपद जालौन के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ उपखण्ड में सितम्बर १९९० से सितम्बर, १९९१ तक प्रतिमाह अवर अभियन्तावार भुगतान हेतु निकाली गयी धनराशि की सूची संलग्न है ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-५ भाग-१ के परिशिष्ट-१९ के प्रस्तर ४ एवं शासनादेश संख्या-ए-१६४/दस-१५-१-८६ दिनांक २१-१-८७ में निहित प्राविधानों के अनुसार पेटी वाउचर्स के अन्तर्गत धनराशि व्यय की गयी है ।

पेटी वाउचर्स के द्वारा स्टाक हेतु सामग्री क्रय नहीं की गयी है । अतः स्टाक रजिस्टर में लेकर इशू नहीं किया गया है । प्रखण्ड का टेकिनिकल आडिट सेल द्वारा निरीक्षण दिसम्बर, १९९० तथा महालेखाकार के सम्प्रेक्षक दल द्वारा जून ९१ में किया जा चुका है । दोनों निरीक्षण संतोषजनक रहे हैं ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २५३–२५४ पर)

उ० प्र० में चोरी गई विद्युत लाइनों को पुनः स्थापित कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

१२८–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० में चोरी गई विद्युत लाइनों को पुनःस्थापित करने की सरकार की क्या नीति है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के जिला उन्नाव के ग्राम जोरावरगंज, असरेदा व भूपतिपुर की लाइनें किन-किन महीनों व वर्ष में चोरी हुई और अब तक पुनः स्थापित क्यों नहीं की गई हैं ? नियत समय पर लाइने पुनःस्थापित न करने के दोषी लोगों पर क्या कार्यवाही की गई है ? क्या इन पर कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है ? उक्त लाइनें कब तक बन जायेंगी ?

श्री लाल जी टण्डन–

चोरी गई विद्युत् लाइनों को संसाधन उपलब्ध होते ही पुनःस्थापित कर दिया जाता है ।

जनपद उन्नाव के ग्राम जोरावरगंज की विद्युत लाइन ९/८८ में, असरेन्दा की ८/८८ में व भूपतिपुर की लाइन २/९१ में चोरी हुई थी । ग्राम भूपतिपुर की विद्युत लाइन का सामान उपलब्ध हो गया था और उसको पुनःस्थापित कर दिया गया किन्तु ग्राम जोरावरगंज व असरेन्दा की लाइनों की सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाई है । अतः इन लाइनों को पुनः स्थापित नहीं किया जा सका है । इस कार्य के लिये किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है ।

संसाधन उपलब्ध होते ही उक्त लाइनों पुनःस्थापित कर दी जायेगी ।

उद्यान विभाग में श्रेणी-१ के स्थानान्तरित अधिकारियों के रुके वेतन के भुगतान की मांग

१२९–श्री रमाकान्त यादव–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि उद्यान विभाग में शासन स्तर से श्रेणी-१ के तीन अधिकारियों के स्थानान्तरण हुये और अधिकारियों के वेतन रुक गये, जिसके संबंध में निदेशक स्तर से आपत्ति की गई ? यदि हां, तो क्या आपत्ति का निवारण न करके पुनः त्रुटिपूर्ण शासनादेश निर्गत कर दिया गया ? क्या इसमें उ० प्र० कार्य नियमावली १८७५ का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराने और दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही कराने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

शासनादेश संख्या-५९२०/५८-१-९१-३८४/९१, दिनांक १२-९-९१ तथा सं०-४७७/५८-१-९२-३८४१/९१, दिनांक १०-२-९२ द्वारा त्रुटि का निराकरण किया जा चुका है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

१३०–श्री राम किशन ददाजू–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), झांसी द्वारा किये गये स्थानान्तरण की संख्या की जानकारी

१३१–श्री शिव चरण प्रजापति–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) झांसी ने शासन की स्थानान्तरण नीति घोषित होने के पूर्व और स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध कितने स्थानान्तरण झांसी मण्डल में किये ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

कोई नहीं ।

उ० प्र० बीज एवं तराई विकास निगम में द्वितीय व तृतीय श्रेणी के पदों का आरक्षण कोटा पूर्ण करने के संबंध में जानकारी

१३२–श्री शिव चरण प्रजापति–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० बीज एवं तराई विकास निगम में कितने द्वितीय व तृतीय श्रेणी के पद स्वीकृत हैं ? क्या वहां शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण का कोटा पूरा है ? यदि हां, तो कितने पद अनुसूचित जाति के हैं और कितने पिछड़े वर्ग के ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

निगम में वर्तमान में श्रेणी–२ के ४१ पद एवं श्रेणी–३ के ४७३ पद सृजित हैं ।

यह संस्था वर्ष १९६९ में निजी संस्था थी । शासकीय प्रतिष्ठान में निगम का पुनर्गठन होने के पश्चात् समस्त औपचारिकतायें पूर्णकर निदेशक मण्डल द्वारा वर्ष १९८३ से आरक्षण कोटा संबंधी नियम लागू करने का निर्णय लिया गया । दिसम्बर, १९८३ के पश्चात् रिक्त सभी पदों पर श्रेणी-२ के ११ पदों व श्रेणी-३ के १६३ पदों पर आरक्षण नियम लागू है ।

वर्ष १९८३ के पश्चात् आरक्षण लागू किये जाने पर सृजित श्रेणी–२ के ११ पद के सापेक्ष १ पद पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के एवं ५ पद पर पिछड़े वर्ग के तथा तृतीय श्रेणी में १६३ पद

के सापेक्ष ३१ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के एवं ५५ पदों पर पिछड़े वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी हैं। श्रेणी-२ में एक पद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का भरे जाने हेतु रिक्त है। इस प्रकार १९८३ से रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण कोटा पूरा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा में राजकीय नलकूपों के पम्प हाउस, नालियों व पाइप लाइनों की मरम्मत

१३३—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा में कितने राजकीय नलकूपों में पम्प हाउस नालियां व पाइप लाइनों की नालियां खराब हैं ? उन्हें कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा के १९नलकूपों पर पक्की गूलों तथा ३० नलकूपों पर पी० बी० सी० पाइप लाइन यत्र-तत्र खराब हैं, जिनको यथाशीघ्र ठीक कराने का कार्य धन की उपलब्धता अनुसार कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा में विद्युत ट्रांसफार्मर लगाया जाना

१३४—श्री मोहम्मद मुकीम—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि तहसील इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर के गांव भटगवां का विद्युतीकरण कई वर्ष पहले हो गया था ? क्या उक्त गांव पर ट्रांसफारमर भी लगा दिया गया है और गांव वालों को विद्युत सुविधा मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक ट्रांसफारमर लगा कर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जायेगी ?

श्री लाल जी टण्डन—

तहसील इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर के गांव भटगवां का विद्युतीकरण वर्ष १९७० में हो गया था और ट्रांसफार्मर भी लगा दिया गया था परन्तु ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण तथा गांव में कोई वैध कनेक्शन न होने के कारण गांव वालों को विद्युत सुविधा नहीं मिल रही है। जब ग्रामवासी कनेक्शन लेने हेतु सभी औपचारिकतायें पूर्ण करेंगे, आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मर लगाने की कार्यवाही की जायेगी ?

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा के गांव सन्दल जीत में विद्युतीकरण

१३५—श्री मोहम्मद मुकीम—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सन्दलजीत तहसील इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर में विद्युतीकरण हेतु कई वर्ष पहले खम्भा गिरा हुआ था किन्तु अब तक उक्त गांव में विद्युतीकरण नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो उक्त गांव में विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

प्रश्नगत ग्राम का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हो पाया है और न ही उक्त ग्राम के विद्युतीकरण हेतु अभी तक ग्राम में विभाग द्वारा खम्भे गिराये गये हैं ।

विकास खण्ड खुनियांव के लिये नई आर० ई० सी० (नार्मल) योजना बनाई जा रही हैं जिसमें ग्राम के विद्युतीकरण हेतु प्राविधान किया जा रहा है । योजना के स्वीकृत होने तथा संसाधन उपलब्ध होने पर ग्राम का विद्युतीकरण हो सकेगा ।

कार्यालय सहायक विद्युत निरीक्षक, उ० प्र०, देवरिया द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के निरीक्षण/परीक्षण के संबंध में जानकारी

१३६–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यालय सहायक विद्युत निरीक्षक, उ० प्र० देवरिया जोन, देवरिया व रामनाथ बरहज रोड, देवरिया द्वारा इंडियन इलेक्ट्रीसिटी रूल्स, १९५६ के नियम–४६ के अंतर्गत उपभोक्ताओं के विद्युत अधिष्ठानों का नियत कालिक निरीक्षण एवं परीक्षण के लिये वर्ष १९८७ में प्रत्येक उपभोक्ता से २५ रु० वसूल किया गया था ? यदि हां, तो कुल कितने उपभोक्ताओं से कुल कितना रु० वसूल किया गया तथा आदेश जारी करने वाले अधिकारी का क्या नाम था ? शासकीय विज्ञप्ति सं० २९०६ ई०/६३/तेइस-पी० वी०-१९०-ई० एच०-५६ दिनांक १-१-१९६४ के द्वारा निरीक्षण प्राप्त होने पर क्या बिना उपभोक्ताओं को निरीक्षण/परीक्षण की निश्चित तिथि तथा दिनांक सूचित किये निरीक्षण हुआ या कोई भी निरीक्षण/परीक्षण नहीं किया गया ?

श्री लाल जी टण्डन–

सहायक निदेशक उ० प्र० विद्युत सुरक्षा देवरिया जोन, देवरिया व रामनाथ बरहज रोड, देवरिया द्वारा वर्ष १९८७ में लाइट/फैन (वाणिज्यिक) के ६८८ उपभोक्ताओं में से प्रत्येक को उनके विद्युत अधिष्ठापन के निरीक्षण एवं परीक्षण हेतु रु० २५.०० जमा करने के लिये डिमाण्ड नोटिस भेजे गये थे । उक्त ६८८ उपभोक्ताओं में से केवल २९७ उपभोक्ताओं द्वारा कुल रुपया ७४२५.०० की धनराशि राजकीय कोषागार में जमा की गयी । अवशेष ३९१ उपभोक्ताओं से बकाया शुल्क भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली हेतु जिलाधिकारी को रिकवरी सर्टीफिकेट भेजे गये हैं । शुल्क मांग पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम श्री कृष्ण मोहन दयाल, सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, देवरिया जोन, देवरिया था । शासकीय विज्ञप्ति संख्या–२९०६ ई/६३/तेईस-पी० वी०१९० ई० एच०-५६ दिनांक १-१-६४ के अंतर्गत निरीक्षण शुल्क प्राप्त होने पर विद्युत अधिष्ठापनों का निरीक्षण/परीक्षण किया गया था तथा निरीक्षण की निश्चित तिथि तथा समय की सूचना उपभोक्ताओं को निरीक्षण के पहले शुल्क मांग पत्र के साथ दे दी गयी थी ।

जनपद शाहजहांपुर में नहर, रजबाहा व माइनरों की सफाई व कटिंग में गलत ढंग से व्यय करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

१३७–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में वर्ष १९९०-९१ में नहर के रजबाहा व माइनरों पर सफाई व कटिंग पर किस-किस स्थान पर कितना-कितना व्यय किया गया ? क्या

इस कार्य में गलत ढंग से भी व्यय हुआ है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शारदा नहर खण्ड शाहजहांपुर में जनपद शाहजहांपुर में वर्ष १९९०-९१ में नहर के रजबाहा व माइनरों पर सफाई में रुपये १०.४० लाख तथा कटिंग पर रुपये ३.८५ लाख का व्यय किया गया है। समस्त कार्य आवश्यकतानुसार कार्यहित में व सही ढंग से किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री आर० सी० त्रिपाठी, सहायक विपणन अधिकारी, हल्द्वानी के विरुद्ध आडिट रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में कार्यवाही

१३८–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विपणन निदेशालय की वर्ष १९८९-९० की आडिट रिपोर्ट में श्री आर० सी० त्रिपाठी, सहायक कृषि विपणन अधिकारी, हल्द्वानी के विरुद्ध पाई गयी गम्भीर अनियमितताओं के संबंध में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? माननीय मंत्री जी उक्त संबंध में समस्त जानकारी सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

श्री आर० सी० त्रिपाठी सहायक कृषि विपणन अधिकारी हल्द्वानी के विरुद्ध आडिट रिपोर्ट में कोई गम्भीर अनियमिततायें न पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

भूमि संरक्षण अधिकारी बांदा द्वारा तिंदवारी विधान सभा क्षेत्र में की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी विधायक को न देने पर कार्यवाही की मांग

१३९–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के भूमि संरक्षण अधिकारी बांदा जिनसे पत्रांक संख्या-क २००७१५/७१/बी डी०/२५-१०-९१ द्वारा तिन्दवारी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत हो रहे कार्य की जानकारी प्रश्नकर्ता द्वारा मांगी गयी थी और जिसके विषय में भूमि संरक्षण अधिकारी बांदा ने अपने विशेष पत्रवाहक द्वारा पत्रांक-भू० सं०/६३३/प्रा० अन०/विविध ९१-९२, दिनांक ३१-१०-९१ के माध्यम से यह सूचित किया था कि जानकारी माननीय विधायकों को सीधे कराने का कोई शासनादेश नहीं है ? यदि हां, तो ऐसे के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर दी गयी है।

निदेशक, हार्टिकल्चर के पद पर कार्यरत व्यक्ति की अर्हताएं

१४०—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक हार्टिकल्चर के पद पर इस समय कौन व्यक्ति कार्यरत है और उसकी अर्हताएं क्या हैं ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

निदेशक उद्यान (मै० क्षे०) के पद पर डा० राम कृपाल पाठक तथा निदेशक, उद्यान (पर्व० क्षे०) के पद पर डा० धर्मेन्द्र सिंह राठौर कार्यरत हैं । इनकी अर्हतायें निम्नवत् हैं :-

१—डा० राम कृपाल पाठक, एम० एस-सी० (कृषि), पीएच० डी० ।

२—डा० धर्मेन्द्र सिंह राठौर, एम० एस-सी० (कृषि), पीएच० डी० ।

श्री आर० डी० सिंह, कार्यवाहक निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लखनऊ द्वारा वर्ष ९१ में वित्तीय अनियमितता एवं उसके विरुद्ध कृत कार्यवाही

१४१—श्री सुरेन्द्र नाथ—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (मैदानी क्षेत्र), लखनऊ के अन्तर्गत कार्यवाहक निदेशक, श्री आर० डी० सिंह मार्च, ९१ में गयी आयोजनागत (आयोजनेतर के अनुसार) में साठ लाख रु० के अनियमितताओं के दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो डा० आर० डी० सिंह के विरुद्ध क्या कार्यवाही सरकार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

डा० आर० डी० सिंह तत्कालीन कार्यवाहक निदेशक उद्यान (मै० क्षे०) मार्च, १९९१ में ३६.६२ लाख रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के दोषी पाये गये हैं । उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग लखनऊ के कार्यकारी निदेशक श्री आर० डी० सिंह को निलम्बित किए जाने की मांग

१४२—श्री सुरेन्द्र नाथ—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (मैदानी क्षेत्र), लखनऊ के अन्तर्गत कार्यवाहक उद्यान निदेशक, डा० आर० डी० सिंह को शासन द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किये गये हैं ? यदि नहीं, तो मार्च, १९९१ में इनके द्वारा चालीस लाख रु० की स्वीकृतियां देकर अनियमित आहरण किस आधार पर किया गया ? क्या उपरोक्त चालीस लाख रुपया की अनियमितताओं हेतु डा० सिंह को निलम्बित करके जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

अनुसंधान परिषद्, लखनऊ, में उद्यान विशेषज्ञ के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप डा० आर० पी० श्रीवास्तव द्वारा उद्यान निदेशक के पद का अतिरिक्त दायित्व डा० आर० डी० सिंह को सौंपा गया

था । मार्च, १९९१ में इनके द्वारा कतिपय धनराशियों के अनियमित आहरण का मामला प्रकाश में आया है जिसके लिए इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा चुका है । जांचोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायगी ।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ० प्र० लखनऊ के कार्यकारी निदेशक डा० आर० डी० सिंह द्वारा पौधों की दरें बढ़ाये जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग

१४३—श्री सुरेन्द्र नाथ—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मैदानी क्षेत्र, उ० प्र० के अन्तर्गत कार्यवाहक निदेशक, डा० आर० डी० सिंह द्वारा दिनांक ५-६-९१ को पौधे की क्रय और विक्रय के संबंध में दरें बढ़ा दी गयी थीं ? यदि हां, तो दरें बढ़ाने के संबंध में उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? डा० सिंह द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में चल रही जांच के बारे में शासन क्या निर्णय ले रहा है ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि यह दरें शासन स्तर पर हुई बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में बढ़ाई गई थी ।

डा० सिंह के विरुद्ध कतिपय अन्य मामलों में की गयी अनियमितताओं के आरोप के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है ।

१४४—कुंवर रेवती रमण सिंह—

[२रे मंगल के अता० प्र० सं० १९९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फतेहपुर के घाटमपुर रजबहा में टेल तक पानी न पहुंचने के कारणों की जानकारी

१४५—श्री छत्रपाल वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि घाटमपुर रजबहा में जहांनाबाद वि० स० क्षेत्र, जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत पड़ने वाली पांच शाखाओं में टेल तक पानी न पहुंचने का कारण क्या है और यह स्थिति कब से है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

घाटमपुर रजबहे की जनपद फतेहपुर के जहांनाबाद विधान सभा क्षेत्र की जिन पांच शाखाओं का उल्लेख है वह तीन राजबहे क्रमशः १—अमोली, २—बिजौली, ३—सिजौली एवं दो अल्पिकायें क्रमशः मलाकापुर एवं कोड़ा हैं ।

घाटमपुर रजबहा जिसकी लम्बाई ३२ कि० मी० है जनपद कानपुर देहात में इटावा शाखा की टेल मे निकलता है । इटावा शाखा जिसकी लम्बाई १७५ कि० मी० है स्वयं जनपद फिरोजाबाद में निचली

गंगा नहर की टेल से निकलती है । जहांनाबाद क्षेत्र घाटमपुर रजबहे की टेल पर स्थित है और उक्त सभी ५ रजबहे/माइनरें घाटमपुर रजबहे की टेल की नहरें हैं ।

घाटमपुर रजबहा अन्तिम रजबहा होने के कारण एवं पिछले १०-१५ वर्षो में सघन खेती में वृद्धि होने के कारण एवं अवैधानिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी होते जाने के कारण स्वाभाविक तौर पर टेल क्षेत्र कुप्रभावित होता है । फलस्वरूप रजबाहे के लगातार परिकल्पित क्षमता से कम चलने के कारण इसका सेक्शन कम हो गया है ।

उक्त स्थिति विशेष रूप से वर्ष ८५-८६ के बाद से उत्पन्न हुई है ।

जनपद शाहजहांपुर में सी० ई० ए० की परिभाषा के अन्तर्गत विद्युतीकृत गांवों को एल० टी० मेन्स से विद्युतीकृत करने की मांग

१४६—श्री देवेन्द्र पाल सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में जो गांव सी० ई० ए० की परिभाषा से विद्युतीकृत हैं उनमें एल० टी० मेन्स से विद्युतीकृत क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या ऐसे ग्रामों का एल० टी० मेन्स से विद्युतीकरण नहीं किया जा सकता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जनपद शाहजहांपुर में जो ग्राम सी० ई० ए० की परिभाषानुसार विद्युतीकृत हैं उनमें एल० टी० मेन्स बिछाकर विद्युतीकरण का कार्य गहन विद्युतीकरण के अंतर्गत किया जा रहा है । परन्तु यह लक्ष्य वर्ष १९९१-९२ में मात्र केवल २ गांवों का है । भविष्य में भी ऐसे ग्रामों के एल० टी० मेन्स बिछाकर विद्युतीकरण करने का कार्य संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

वर्तमान में गांवों की विद्युतीकरण की नीति के अनुसार मुख्य लक्ष्य उन गांवों में एल० जी० लाइन बिछाकर विद्युतीकरण करने का है जो पूर्व में सी० ई० ए० की परिभाषा से विद्युतीकृत नहीं हुये हैं । इसी नीति के अंतर्गत वर्ष १९९१-९२ में जनपद शाहजहांपुर में ४५ गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य हैं ।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद में घाटमपुर रजबहा में टेल तक पानी की आपूर्ति

१४७—श्री छत्रपाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि घाटमपुर रजबहा, जहांनाबाद (फतेहपुर) वि० सभा क्षेत्र से आगे (टेल तक) पांच शाखायें हैं जिससे लगभग (हैमलेट) २०० गांव की खेती की सिंचाई होती थी ? यदि हां, तो क्या लगातार कई वर्षो से टेल में पानी न पहुंचने के कारण वह असिंचित पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां की खेती की सींच की व्यवस्था उक्त माइनर से या अन्य प्रकार से करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

घाटमपुर रजबहा (लम्बाई ८२.० कि० मी०) निचली गंगा नहर की इटावा शाखा (लम्बाई १७५ कि० मी०) की टेल से निकलता है तथा घाटमपुर रजबाहे के टेल का भाग जहांनाबाद विधान सभा क्षेत्र, जनपद फतेहपुर में पड़ता है तथा उक्त विधान सभा क्षेत्र में दो संख्या अल्पिकायें मलाकापुर तथा

कोड़ा एवं ३ संख्या रजबहा सिजौली, बिजौली तथा अमौली, घाटमपुर रजबहे के टेल भाग से निकलते हैं, जिससे जहांनाबाद विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामों की खेती की सींच प्रस्तावित है।

घाटमपुर रजबहा, प्रणाली का दूरस्थ एवं अन्तिम रजबहा होने व रजबहा अपनी निर्धारित क्षमता से न चल पाने के कारण एवं गत दो दशकों में सघन खेती के विकास और अवैधानिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी के कारण घाटमपुर रजबहे की टेल पर पानी की कमी हुई है तथा क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

गत दो वर्षों अर्थात रबी १३९८ फसली से जहांनाबाद विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाली ५ नहरों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था में सुधार किया गया है। १३९८ रबी व १३९९ खरीफ तथा दोनों फसलों में इन नहरों में पानी पहुंचाया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में धन उपलब्धि के आधार पर अत्यावश्यक कार्य कराकर घाटमपुर रजबहा के आन्तरिक सेक्शन में सुधार किया गया है। भविष्य में जहांनाबाद क्षेत्र में पड़ने वाली पांचों नहरों में जल उपलब्धता में उत्तरोत्तर सुधार होने की संभावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहांनाबाद में घाटमपुर रजबहा की सफाई

१४८–श्री छत्रपाल वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि घाटमपुर रजबहा जो कि जहांनाबाद (फतेहपुर) विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत है, के पूर्व ऊपरी हिस्से में कब से सफाई नहीं करायी गयी ? यदि सफाई कराई गई, तो उसमें कब-कब, कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गयी ? यदि सफाई नहीं करायी गयी, तो क्यों और कब तक सफाई कराकर पूर्ण क्षमता से सिंचाई हेतु जल टेल तक पहुंचाया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

घाटमपुर रजबहा जो जहांनाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत है, का परिकल्पित डिस्चार्ज ५७६ क्यूसेक है तथा सामान्यतः इतने अधिक डिस्चार्ज के नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य नहीं कराया जाता है। पूर्व वर्ष में रजबहा के आन्तरिक सेक्शन में कुछ ठेक कटवाने तथा तटों के सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया गया था।

घाटमपुर रजबाहे में पूर्व वर्ष में सिल्ट सफाई का कार्य नहीं कराया गया बल्कि आन्तरिक सेक्शन में आवश्यकता एवं धन उपलब्धि के आधार पर ठेकें कटाई गई तथा तटों के सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया गया। इन कार्यों पर गत वर्ष में व्यय की गई धनराशि निम्न प्रकार है।

वर्ष	व्यय
१-१९८६-८७	३,२८,५६०.००
२-१९८७-८८	७,७४,३४१.००
३-१९८८-८९	६,०७,५९२.००
४-१९८९-९०	५,१६,९१४.००
५-१९९०-९१	७,२२,७२६.००

सामान्यतः घाटमपुर रजबहा जिसका परिकल्पित ड्रिस्चार्ज ५७६ क्यूसेक है, में सफाई का कार्य नहीं कराया जाता है । रजबाहे को परिकल्पित क्षमता से चलाने के लिए इसके तटों के सुदृढ़ीकरण और ऊंचा उठाने के कार्यों की आवश्यकता है । फिर भी वर्ष १९९१-९२ में अर्थात वर्तमान वित्तीय वर्ष में नितान्त आवश्यक आन्तरिक सेक्शन में कार्य कराकर रजबाहे को उपलब्ध क्षमता से चलाने एवं सिंचाई हेतु जल टेल तक पहुंचने का प्रयास किया गया है तथा टेल पर जल उपलब्धता में उत्तरोत्तर सुधार होने की संभावना है ।

राज्य सरकार के साथ समझौते के आधार पर एन० टी० पी० सी० औरैय्या द्वारा नलकूप लगाये जाने की जानकारी

१४९–श्री छत्रपाल वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि घाटमपुर माइनर (रजबहा) का ३० क्यूसेक पानी एन० टी० पी० सी० औरैय्या के एक समझौते के आधार आज से ४–५ वर्ष पूर्व किया गया था जिसके आधार पर उक्त एन० टी० पी० सी० औरइया २० नलकूप सिजौली रजबहा जो घाटमपुर रजबहा की शाखा है में लगाने के अनुबन्ध उ० प्र० सरकार से हुआ था और उक्त ३० क्यूसेक पानी उसी समय से उक्त एन० टी० पी० सी० वाले लेने लगे थे, पर अब तक नलकूप सिजौली रजबहा जो २९-१०-८८ को कमान्ड से सारी जमीन निकाल दी गयी थी और अब तक एक भी नलकूप चालू नहीं हुआ उक्त नलकूप कब तक समझौते के आधार पर एन० टी० पी० सी० औरैटया बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । घाटमपुर रजबहे का नहीं बल्कि इटावा शाखा से ३० क्यूसेक पानी एन० टी० पी० सी० औरैटया को देने का निर्णय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक २८-२-८६ की बैठक में लिया गया था । इस जल की प्रतिपूर्ति हेतु एन० टी० पी० सी० की लागत पर नलकूप निगम द्वारा २० नलकूप, सिजौली रजबहा जो घाटमपुर रजबहा की टेल से निकलता है, के कमाण्ड में लगवाये जाने का निर्णय १९८८ में लिया गया । औपचारिक अनुबन्ध अभी शेष है । जनवरी, १९९० से एन० टी० पी० सी० को लगभग १०-१२ क्यूसेक पानी दिया जा रहा है । एन० टी० पी० सी० द्वारा पोषित निर्माणाधीन २० नलकूपों का कमाण्ड, सिजौली रजबहा के ८.८ कि० मी० से टेल तक है, जबकि रजबहे की कुल लम्बाई १६.४ कि० मी० है । इन नलकूपों के कमाण्ड क्षेत्र को नहरी कमाण्ड से निरस्त करने हेतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । इन २० संख्या नलकूपों में से अभी कोई नलकूप चालू नहीं हुआ है ।

ये नलकूप, राजकीय नलकूप निर्माण निगम द्वारा बनाये जा रहे है, नलकूपों की बोरिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है जो इनकी पाइप लाइन बिछाने तथा विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यशील होंगे ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

नदियों से सिंचाई के लिए राजस्व वसूली के नियम की जानकारी

१५०–कुंवर सुरेन्द्र प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नदियों से सिंचाई के लिये राजस्व वसूली का क्या नियम है ? क्या जनपद बरेली की बहेड़ी तहसील स्थित ग्राम बनवड़िया में किच्छा नदी से सिंचाई करने के बाद सींचपाल द्वारा अपने अभिलेखों में सिंचाई भरी जा रही है ? यदि हां, तो किस कानून के अंतर्गत ? क्या सरकार इस पर रोक लगायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नार्दन इंडिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज एक्ट १८७३ की धारा-३ में निहित कैनाल की परिभाषा के अंतर्गत नदियों से सिंचाई के राजस्व की वसूली की जाती है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शशि भूषण त्रिपाठी उप निदेशक कृषि (प्रसार) शाहजहांपुर के आहरण एवं वितरण के अधिकार समाप्त करने के बारे में जानकारी

१५१–कुंवर सुरेन्द्र प्रताप–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री शशि भूषण त्रिपाठी, उप निदेशक कृषि (प्रसार), शाहजहांपुर में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या इनके विरुद्ध जौनपुर के कार्यकाल में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है जिसके फलस्वरूप इनका आहरण वितरण अधिकार समाप्त किया गया ? यदि हां, तो क्या अभी तक आहरण वितरण का कार्य श्री त्रिपाठी कर रहे हैं ? यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर में खैरीगढ़ से मैरोपुर मार्ग पर पुल बनवाये जाने का सुझाव

१५२–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखीमपुर के ग्राम खैरीगढ़, शीतलापुर, रामनगर, मसुरहा, पचपेड़ा आदि ग्राम बेलिरायां, सहकारी चीनी मिलगेट से मात्र ८ से ९ कि० मी० दूरी पर स्थित है जो गन्ना शीतलापुर वाहय केन्द्र पर आपूर्ति कराते हैं ? क्या यह सही नहीं है कि शीतलापुर क्रय केन्द्र द्वारा गन्ना मिल गेट पर पहुंचाने हेतु २० से २५ कि० मी० दूरी का ट्रान्सपोर्ट भाड़ा अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है जिससे चीनी मिल की आय में हानि होती है ? क्या यह भी सही है कि खैरीगढ़ से

भैरोपुर मार्ग पर एक पुल का निर्माण कराये जाने से उक्त अतिरिक्त व्यय एवं मिल आय की हानि को बचाया जा सकता है ? यदि हां, तो पुलिया का निर्माण कराकर मिल के धन के दुरुपयोग को बचाया जायेगा ?

श्री हनुमन्त सिंह–

क्रय केन्द्र शीतलापुर पर आपूर्ति करने वाले ग्राम खैरीगढ़, शीतलापुर, रामनगर, मसूरहा, चौपेड़ा सहकारी चीनी मिल बिलरांया के गेट से १० से १५ कि० मी० की दूरी पर स्थित है ।

वर्तमान में शीतलापुर क्रय केन्द्र का गन्ना चीनी मिल गेट तक पहुंचाने हेतु लगभग १४ कि० मी० की दूरी तय करनी पड़ती है । खैरीगढ़ से भैरोपुर मार्ग पर जौराहा नदी पर एक बड़े पुल का निर्माण करके यातायात व्यय को कुछ कम किया जा सकता है परन्तु जौराहा नदी पर काफी बड़े पुल का निर्माण गन्ना विकास विभाग द्वारा अपने आर्थिक संसाधनों से कराया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद लखीमपुर में घाघरा एवं शारदा नदियों की कटान रोकने हेतु पत्थर की ठोकरें बनाने का सुझाव

१५३–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

ग्यारहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र १९९१ के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०–१० के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहाना (कौड़ियाला) घाघरा एवं शारदा नदियों का कटान रोकने हेतु कोई व्यवस्था न किये जाने का क्या कारण हैं ? क्या अन्य जनपदों में प्रभावी कदम जैसे पत्थर ठोकरें आदि लगा कर कटानों को रोका जाता है ? यदि हां, तो जनपद लखीमपुर में इन कटानों को अब तक क्यों नहीं रोके जाने के प्रयास किये गये ? क्या यह सही है कि उक्त कटानों से अनेकों गांवों जैसे बल्लीपुर, गदिदनियां, लगदहन, सुहेला, खैराना, नगला, अतरिया, पतवारा, मुर्गहा, खमरिया, नौगवां, खाले पुरवा, बैलहा अदलाबाद, मूढ़ाबुगुर्ग, अदलापूर्व, ढकेरबानानकार, सूरतनगर, गसनगर बेला परसूवा इत्यादि में अत्यन्त क्षति हुई है ? यदि हां, तो इसका उत्तरदायित्व किस पर है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

महोना, घाघरा और शारदा बड़ी नदियां हैं । ऐसी बड़ी नदियों की भीषण बाढ़ से होने वाली कटान को रोकने हेतु व्यवस्था नहीं की जा सकी है ।

अन्य स्थानों की भांति जनपद लखीमपुर में भी कटानों को रोकने के लिये पहले कुछ ठोकरें बनायी गयी थी जो सफल नहीं हुई । वास्तव में इतनी बड़ी नदियों में ठोकरें आदि बनाकर कटान रोकना सम्भव नहीं है ।

यह सही है कि संदर्भित गांवों में नदियों की कटान से क्षति होती है ।

इस दैवी आपदा के लिये किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

वर्ष १९९१-९२ में जिला सलाहकार समिति द्वारा चयनित १० ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

१५४—श्री निर्वेन्द्र कुमार—

ग्यारवहीं विधान सभा के प्रथम सत्र १९९१ के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०—१४ के कार्यरत वित्त एवं लेखाधिकारी ने डा० आर० डी० सिंह उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि चयनित १९ ग्रामों में शेष १० ग्राम का विद्युतीकरण क्यों नहीं कराया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जब पूर्व में १९ गांव विद्युतीकरण हेतु चयन कर लिये गये थे तो फिर शेष दस गांवों को वर्ष १९९१-९२ में जिला सलाहकार समिति द्वारा प्रचलित नीति के अनुसार चयन न करने का औचित्य क्या है ? संसाधन कब तक उपलब्ध करा कर शेष दस ग्रमों का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

श्री लाल जी टण्डन—

प्रश्नगत १९ ग्रामों में से अवशेष १० ग्रामों का विद्युतीकरण समिति संसाधनों एवं सीमित लक्ष्यों के कारण नहीं कराया जा सका ।

वर्ष १९९१-९२ में विद्युतीकरण होने वाले ग्रामों की सूची जब जिला विद्युत सलाहकार समिति जिसमें कि जनपद के सभी सांसद एवं विधायक भी सम्मिलित थे, द्वारा तैयार की गई तो उसमें वर्ष ९०-९१ में विद्युतीकरण से रह गये दस ग्रामों के नाम भी सम्मिलित थे परन्तु जन प्रतिनिधियों ने उन दस ग्रामों के विद्युतीकरण पर बल नहीं किया अपितु उसके स्थान पर नये ग्रामों के नाम प्रस्तावित किये गये । इस कारण वर्ष १९९०-९१ के वह शेष दस ग्राम सम्मिलित नहीं हो पाये एवं सर्वसम्मति से पूर्ववर्तीय सूची जिसमें वे अवशेष दस ग्राम भी थे, निरस्त कर दिये गये । यदि आगामी वर्षो में होने वाली सलाहकार समिति की बैठक में पुनः प्रश्नगत ग्रामों को विद्युतीकरण हेतु जनप्रतिनिधियों द्वारा चयन कर लिया जाता है तो निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार संसाधनों की उपलब्धता होने पर उपरोक्त ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा सकता है ।

जनपद बांदा के तिन्दवारी क्षेत्र से पम्प कैनाल निकाले जाने के संबंध में जानकारी

१५५—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या सरकार जनपद बांदा में तिन्दवारी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अमारा, सिन्धनकला, पैलानी, पिपरोदर, इच्छाघर नरायढ़ से पम्प कैनाल निकालेगी जिससे असिंचित भी सिंचित हो सके ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० एन० पी० उपाध्याय मुख्य उद्यान विशेषज्ञ लखनऊ तथा डा० आर० डी० सिंह कार्यवाहक निदेशक उद्यान लखनऊ को अनियमितताओं के आरोप में निलम्बन की मांग

१५६—श्री सुरेन्द्र नाथ—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा० एन० पी० उपाध्याय मुख्य उद्यान विशेषज्ञ, लखनऊ के कार्यकाल में बस्ती जनपद का कोई धन के अपहरण का मामला शासन की संज्ञान में आया है ? यदि हां, तो क्या डा० उपाध्याय को उक्त अपहरण के आरोप में निलम्बित किया जाना प्रस्तावित हैं ? यदि

नहीं, तो क्यों ? क्या कृषि मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान निदेशालय में कार्यरत वित्त एवं लेखाधिकारी ने डा० आर० डी० सिंह, कार्यवाहक निदेशक, उद्यान लखनऊ द्वारा की गई अनियमितताओं की जानकारी शासन को दी है ? यदि हां, तो क्या डा० आर० डी० सिंह का उक्त अनियमितताओं हेतु निलम्बन शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी को कब तक दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

डा० उपाध्याय के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है ।

जी हां ।

डा० आर० डी० सिंह को निलम्बित नहीं किया गया है । उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है ।

दोष सिद्ध पाये जाने पर नियमानुसार उचित दण्ड दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० एन० पी० उपाध्याय मुख्य उद्यान विशेषज्ञ लखनऊ का ३-४० लाख रुपये के फर्जी आहरण करने के कारण निलम्बन की मांग

१५७–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा ३-४० लाख रुपये के फर्जी आहरण के मामले में डा० एन पी० उपाध्याय मुख्य उद्यान विशेषज्ञ तथा सहायक लेखाकार के सम्मिलित होने की सूचना उ० प्र० शासन एवं निदेशक उद्यान को दी गई ? यदि हां, तो डा० उपाध्याय के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? क्या उक्त मामले में सहायक लेखाकार को निलम्बित किया गया ? यदि हां, तो क्या डा० उपाध्याय के विरुद्ध अब कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां।

डा० उपाध्याय के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा चुका है ।

जी हां ।

डा० उपाध्याय के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन के बिना आलू भण्डारण की दरें रु० ४.५० बढ़ाए जाने के कारण दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

१५८–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि २७ जून, १९९० को मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन के बिना उद्यान सचिव श्री हरिश्चन्द्र द्वारा शीतगृह में आलू भण्डारण की दरें रु० ४.५० बढाये जाने सम्बन्धी

अधिसूचना जारी की गई ? यदि हां, तो मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई जांच कराकर उन्हें दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं । शीतगृह में आलू भंडारण की दरों में रु० ४.५० वृद्धि विषयक प्रश्नगत अधिसूचना दिनांक २७ जून, १९९० कुछ कमियों के संज्ञान में आ जाने के कारण शासन द्वारा निर्गत न किये जाने का निर्णय लिया गया।

इस पूरे प्रकरण में गोपनीयता भंग किये जाने की आशंका के कारण श्री मामचन्द्र राठी, उप निदेशक (आलू) को निलम्बित किया गया तथा जांच जारी है ।

रामगंगा कमाण्ड परियोजना कानपुर में तत्कालीन उपनिदेशक (उद्यान) डा० आर० डी० सिंह द्वारा अग्रिम धनराशि समायोजित न कर ३३ हजार रुपया बकाया सृजित करने के आरोप मे दण्डित करने की मांग

१५९–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि राम गंगा कमाण्ड परियोजना कानपुर के अन्तर्गत वर्ष ८६-८७ में डा० आर० डी० सिंह तत्कालीन उपनिदेशक (उद्यान) द्वारा अग्रिम के रूप में प्राप्त धनराशि का समायोजन न करके, लगभग ३३ हजार रुपये का बकाया सृजित किया गया है ? यदि हां, तो क्या की गई जांच की कार्यवाही की जानकारी सदन को दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

राम गंगा कमाण्ड परियोजना कानपुर द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार डा० आर० डी० सिंह, तत्कालीन उपनिदेशक, उद्यान ने वर्ष ८६-८७ में रुपया ३२८५७.६२ का बकाया सृजित किया गया था जिसके सापेक्ष समायोजन के पश्चात् अब केवल रु० ६,३७५.८० का अवशेष बताया गया है ।

डा० सिंह द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच कराई गयी जिसके आधार पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया अधिशासी अभियन्ता अलीगढ़, खण्ड नहर के विरुद्ध चल रही विजिलेन्स की जांच

१६०–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया अधिशासी अभियन्ता, अलीगढ़ खण्ड नहर के विरुद्ध विजिलेन्स की दो जांचे चल रही हैं ? यदि हां, तो वह जांचे कब से चल रही हैं और कब तक समाप्त हो जायेंगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया, अधिशासी अभियन्ता अलीगढ़ खण्ड नहर, सिंचाई विभाग के विरुद्ध उनके अलीगढ़ के कार्यकाल की शिकायतों के सम्बन्ध में केवल एक सतर्कता जांच बर्ष १९९० से आदेशित की गई थी जो वर्तमान में प्रचलित है । इसकी अंतिम आख्या अभी प्राप्त नहीं हुयी है । जांच कब तक पूर्ण/समाप्त हो जाएगी यह बता पाना फिलहाल अभी सम्भव नहीं है ।

सिंचाई खण्ड गोण्डा में ५ वर्ष से अधिक कार्यरत अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण

१६१—श्री घनश्याम शुक्ल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड-गोण्डा में कितने अवर अभियन्ता पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ? विगत दो साल के अन्दर कितने बार ऐसे अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण किया गया और उन्हें किन परिस्थितियों में रोका गया ? क्या सरकार ऐसे अवर अभियन्ताओं का, जिनका कार्यकाल पांच साल से अधिक हो गया है, स्थानान्तरण करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सिंचाई खण्ड-गोण्डा में छः अवर अभियन्ता (सिविल) ५ वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं । इनमें से एक अवर अभियन्ता का तीन बार, एक अवर अभियन्ता का दो बार तथा चार अभियन्ताओं का एक बार स्थानान्तरण किया गया तथा रोके गये अवर अभियन्ताओं के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है ।

ऐसे अवर अभियंताओं का, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है, आगामी स्थानान्तरण—सत्र में स्थानान्तरण हेतु विचार किया जायेगा ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २५५—२५६ पर)

जनपद लखीपुर खीरी ग्राम निबौरिया से गाजियापुर के बीच पुलिया निर्माण की मांग

१६२—श्री निर्वेन्द्र कुमार—

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद-लखीमपुर की चीनी मिल-बिलरायां क्षेत्र में गाजियापुर बाह्य केन्द्र द्वारा गन्ना क्रय किया जाता है ? क्या यह सही है कि उक्त गन्ने को मिल गेट पर पहुंचाने हेतु लगभग ४४ कि० मी० मार्ग तयकर ट्रांसपोर्ट का अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है जबकि उक्त अतिरिक्त व्यय को ग्राम निबौरिया, सिन्हौना, दलराजपुर तथा मझरा होते हुए गाजियापुर क्रय केन्द्र (मात्र) १६ कि० मी० के बीच एक पुलिया तथा मार्ग मरम्मत कार्य करा कर बचाया जा सकता है ? यदि हां, तो पुलिया निर्माण व मार्ग मरम्मत न कराये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त पुलिया का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह—

जी हां ।

उक्त निर्माण पर अत्यधिक लागत आने के कारण विभाग के आर्थिक संसाधनों से निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

जनपद लखीमपुर की चीनी मिल सम्पूर्णानगर के क्षेत्र में आने वाली पुलियों/मार्गों की मरम्मत कराया जाना

१६३—श्री निर्वेन्द्र कुमार—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर की चीनी मिल-सम्पूर्णानगर के क्षेत्र में कुल कितनी पुलियां निर्माण/मरम्मत कार्य से वंचित हैं ? इन पुलियों का निर्माण क्यों नहीं कराया जा रहा है ? मिल क्षेत्र में आने वाली पुलियों एवं मार्ग मरम्मत कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री हनुमन्त सिंह—

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण अभी तक नहीं कराया गया है जिसकी पृष्ठ भूमि में अपेक्षित सूचना की स्थिति प्रस्तुत की जा सके। अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर की सहकारी चीनी मिल बिलरायां क्षेत्र में पुलियों/मार्गों का मरम्मत का कार्य कराया जाना

१६४—श्री निर्वेन्द्र कुमार—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर की सहकारी चीनी मिल बिलरायां क्षेत्र की कुल कितनी पुलियां जीर्णशीर्ण स्थिति में हैं और उन्हें मरम्मत आदि न कराये जाने के कारण क्या है ? क्या यह सही है कि मिल क्षेत्र में पुलियां एवं मार्ग की मरम्मत न होने के कारण मिल का अधिक धन ढुलाई कार्यों में व्यय किया जाता है ? यदि हां, तो मिल क्षेत्र की पुलियों एवं मार्गों की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ?

श्री हनुमन्त सिंह—

गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग द्वारा इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर में चीनी मिल बिलरायां से कतिपय ग्रामों के बीच पड़ने वाली पुलियों एवं मार्ग के मरम्मत के सम्बन्ध में

१६५-श्री निर्वेन्द्र कुमार—

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर के ग्राम कढ़िया, डांगा, सिसवारी आदि ग्राम जो बिलरायां चीनी मिल गेट के अंतर्गत आते हैं किन्तु मार्ग खराब एवं पुलिया की मरम्मत (निर्माण) न होने के कारण चीनी मिल गेट पर निर्धारित लक्ष्य से अत्यन्त कम मात्रा पन्द्रह प्रतिशत ही गन्ना आपूर्ति हो पाता है ? कृषकों द्वारा उक्त परेशानियों के कारण गन्ना का भूमि रकबा नहीं बढ़ाया जाता है ? यदि हां, तो मंत्री जी कृषकों के मार्ग में आने वाली बाधाओं जैसे मार्ग-पुलिया की मरम्मत आदि करवाकर भूमि रकबा बढ़ाये जाने हेतु प्रोत्साहन तथा मिल गेट पर लक्ष्य के अनुसार गन्ने की आपूर्ति कराये जाने संबंधी व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मिल गेट पर गन्ने की आपूर्ति का क्या लक्ष्य निर्धारित है तथा मिल क्षेत्र के ग्रामों द्वारा गन्ने की आपूर्ति लक्ष्य के अनुसार न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री हनुमन्त सिंह—

जी हां।

जी नहीं।

मिल क्षेत्र में उसकी आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त गन्ना उपलब्ध है । अतः गन्ना क्षेत्रफल बढ़ाने हेतु वर्तमान में बल दिया जाना उचित नहीं है ।

मिल गेट पर गन्ना आपूर्ति का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

श्री रमाशंकर चौधरी, उप सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा उद्यान विभाग के १४ दैनिक श्रमिक एवं १ आशुलिपिक को सचिवालय में कार्य पर लगाये जाने की जानकारी

१६६—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान विभाग से लगभग १४ दैनिक श्रमिक तथा एक आशुलिपिक को श्री रमाशंकर चौधरी, उप सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा सचिवालय में कार्य पर लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या यह व्यवस्था शासन के गोपनीय /महत्वपूर्ण अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-२३८/पी० एस० एम० एस०/९०, दिनांक २७-२-९१ के विरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए दैनिक श्रमिकों को वेतन के रूप में भुगतान किये गए धनराशि की वसूली उनसे करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भूप नारायण सिंह, तत्कालीन जिला गन्ना अधिकारी, लखीमपुर खीरी के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच

१६७—श्री बाला प्रसाद—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भूपनारायण सिंह, तत्कालीन जिला गन्ना अधिकारी, लखीमपुर खीरी के विरुद्ध माननीय सांसदों, विधायकों, राज्य मंत्री, लोक निर्माण विभाग तथा वित्त मंत्री द्वारा कोई शिकायती पत्र (१ जुलाई, १९९१ से ३१ जुलाई, १९९१ तक) गन्ना मंत्री जी को तथा आयुक्त, गन्ना को प्राप्त हुए थे जिसके आधार पर उन्हें स्थानान्तरण करने के आदेश दिये गए थे और जांच कराकर दण्डित करने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो किन कारणों से श्री भूप नारायण सिंह, जिला गन्ना अधिकारी को परियोजना अधिकारी, किसान सहकारी चीनी मिल चिल्वरिया, बहराइच बना दिया गया ? क्या सरकार श्री सिंह को निलम्बित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हनुमन्त सिंह—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्यहित में परियोजना अधिकारी बनाया गया ।

जी नहीं । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी में गन्ना विभाग के कतिपय कर्मचारियों की जांच के आधार पर दोषी पाए जाने पर दण्डित करने की मांग

१६८—श्री बाला प्रसाद—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर गन्ना आयुक्त, विकास ने सितम्बर, १९९१ में गन्ना आयुक्त को जांच आख्या प्रस्तुत की थी जिसमें जनपद लखीमपुर खीरी के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक पलिया ऐरा तथा सचिव सम्पूर्णानगर, सचिव लखीमपुर, सचिव ऐरा को निलम्बित करने की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह—

प्रश्नगत ५ कर्मचारियों में से केवल ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, पलिया तथा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, ऐरा को निलम्बित करने की संस्तुति की थी ।

परीक्षणोपरान्त इन दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशानिक कार्यवाही प्रस्थापित की गई ।

डिफर्ड गन्ना मूल्य भुगतान करने तथा बजट से अधिक मार्गों की मरम्मत में खर्च करने के अपराध में तत्कालीन जिला गन्ना अधिकारी, लखीमपुर खीरी को दण्डित करने की मांग

१६९—श्री बाला प्रसाद—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर गन्ना आयुक्त, विकास ने अपने पत्रांक-९६३, दिनांक १५ जुलाई, १९९१ को जांच आख्या गन्ना आयुक्त को प्रस्तुत की थी जिसमें "डिफर्ड" गन्ना मूल्य का भुगतान करने और मार्ग निर्माण में बजट से अधिक धन व्यय करने का आरोप था और जिसमें तत्कालीन जिला गन्ना अधिकारी श्री भूप नारायण सिंह लखीमपुर खीरी भी दोषी पाए गए थे ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह—

जी हां ।

इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अपर गन्ना आयुक्त, विकास की जांच आख्या के आधार पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

१७०—श्री बाला प्रसाद—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर गन्ना आयुक्त, विकास ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र सं०-९६३, दिनांक १५ जुलाई, १९९१ को जांच आख्या गन्ना आयुक्त को प्रस्तुत की थी ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन कर्मचारी दोषी पाये गये थे और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कौन-कौन आरोप सिद्ध हुए थे ? सरकार जांच आख्या के अनुसार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हनुमन्त सिंह—

जी हां ।

कैशियर, वरिष्ठ सहायक तथा पांच ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों को जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया था । मुख्य रूप से कैशियर व वरिष्ठ सहायक सरकारी धन के दुरुपयोग में तथा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक कुछ मामले में स्वीकृत धन का समय से कतिपय मदों में उपयोग न करने अथवा स्वीकृत बजट एवं अन्य मदों में अधिक व्यय के आरोप में अन्तर्ग्रस्त पाये गये सभी सातों कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही स्थापित की गई है एवं कैशियर व वरिष्ठ सहायक निलम्बित हैं ।

अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर अलीगढ़ के कार्य-क्षेत्र में ६ आवश्यक पुलों का निर्माण

१७१—श्री सुरेश प्रताप गांधी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में दिनांक २२ अगस्त, १९९१ को उनकी अध्यक्षता में हुयी बैठक में अलीगढ़ जनपद के जनप्रतिनिधियों ने अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर अलीगढ़ के कार्य क्षेत्र में ६ आवश्यक पुलों के निर्माण की मांग की थी ? इन पुलों के निर्माण हेतु उनके स्तर से क्या कार्यवाही की गयी तथा निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां, माननीय सिंचाई मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक २२-८-९१ को आगरा में हुई बैठक में अलीगढ़ जनपद के माननीय जन प्रतिनिधियों ने निम्न ६ पुलों के निर्माण हेतु मांग की थी:—

१—सहादतपुर नाले के मील १-० पर ग्रामीण सड़क पुल का निर्माण ।

२—राजवाह सुहावलीपर ग्राम वस्तेई के पास सड़क पुल का निर्माण ।

३—राजवाह सुहावली के मील १९-१-० पर ग्रामीण सड़क पर पुल का निर्माण ।

४—राजवाह सुहावली के मील ८-५-० पर ग्रामीण सड़क पुल का निर्माण ।

५- सप्लाई चैनल के कि० मी० १८-३० पर पैदल पुलिया का निर्माण ।

६—सप्लाई चैनल के कि० मी० ३१-६६ पर ग्रामीण सड़क पुल का निर्माण ।

उपरोक्त समस्त ६ पुलों के मौका स्थल का निरीक्षण करके यह पाया गया कि सहादतपुर नाले के मील १-० पर ग्रामीण सड़क पुल को छोड़कर अन्य ५ पुलों का निर्माण विद्यमान विभागीय मापदण्डों के अंतर्गत नहीं आता है । सहादतपुर नाले के मील १-० पर पुल का प्रस्ताव "सहादतपुर नाले की रिमांडलिंग" नामक परियोजना प्राक्कलन में समावेशित कर दिया गया है । यह परियोजना प्राक्कलन लागत ५.०५६ लाख रुपये माह दिसम्बर, ९१ में विकास अधिकारी, अलीगढ़ को धन आवंटित करने हेतु भेजा गया है । मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़ से धन आवंटित होने के पश्चात् पुल का निर्माण नाले के पुनरोद्धार पर कार्यवाही संभव होगी ।

निचली गंगा नहर शाखा फतेहपुर मील २५ से ३५ के मध्य फटी नहर की मरम्मत में धन का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

१७२—श्री अभिमन्यु सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निचली गंगा नहर शाखा फतेहपुर मील २५ से ३५ के मध्य मील ३१ में वर्ष ९१ के माह अक्टूबर में नहर फट गयी है ? क्या नहर फट जाने के कारण कृषकों को भारी क्षति उठानी पड़ी है और फसल नष्ट हो चुकी है तथा १५ गांव प्रभावित हुए हैं ? क्या

उक्त नहर की मरम्मत के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग भी किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या अब तक संबंधित सहायक अभियंता व अवर अभियंता के विरुद्ध उनके स्तर से दण्डात्मक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

निचली गंगा नहर की फतेहपुर शाखा के मील ३१ पर नहर में अराजक तत्वों द्वारा अनाधिकृत कुलाबे लगाने के कारण दिनांक ६-७ सितम्बर, १९९१ को खोदी हुई थी जिससे ग्राम बकेवल, गंगरायत (हरदापुर), बरिगंवा, रसूलपुर, हिम्मतपुर, रतनपुर, रामपुर पिपरी व जंगापुर प्रभावित हुये ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि बीज के भण्डारण का कार्यभार सहकारिता को न देकर राजकीय कृषि बीज भन्डारों को देने की मांग

१७३–श्री अभिमन्यु सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विभाग के राजकीय कृषि बीज भण्डारों में जिनकी नियुक्तियां हुयी थी वह कर्मचारी कृषि तकनीकी शिक्षा से दक्ष थे ? क्या वे कृषकों को उर्वरक बीज उसकी सुरक्षा हेतु दवाओं की उचित सलाह देने की व्यवस्था करते थे ? यदि हां, तो क्या अब ९० प्रतिशत भण्डारण का कार्य भार सहकारिता को देकर कृषकों के साथ धोखा-धड़ी की जा रही है ? यदि हां, तो इसे कब तक समाप्त कर दिया जायेगा ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

सहकारिता के माध्यम से कृषकों को कृषि निवेश अल्पकालीन ऋण पर उपलब्ध कराने की सुविधा उपलब्ध है । सहकारिता विभाग को उर्वरक एवं प्रमाणित बीज वितरण के कार्य के साथ दस प्रमुख कृषि रक्षा रसायनों के वितरण का कार्य भी दिया गया है । इससे कृषकों को सुविधा ही होगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर के जहानाबाद विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले खराब राजकीय नलकूपों को ठीक कराकर चालू कराने की मांग

१७४–श्री छत्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जहानाबाद विधान सभा क्षेत्र जनपद फतेहपुर में कितने सरकारी नलकूप लगे हैं ? उनमें से कितने नलकूप कब से किन कारणों से काराब पड़े हैं ? क्या उन्हें ठीक कराकर चलाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जहानाबाद विधान सभा क्षेत्र, जनपद फतेहपुर में कुल १३५ राजकीय नलकूप लगे हैं ।

उनमें से साप्ताहान्त २६-१२-९१ में ४ नलकूप यांत्रिक दोष तथा ६ नलकूप विद्युत् दोष कुल १० राजकीय नलकूप अस्थायी रूप खराब थे ।

इन खराब नलकूपों में से यांत्रिक दोष से बन्द सभी ४ नलकूप तथा विद्युत दोष से बन्द ३ नलकूप को ठीक कराकर चालू करा दिया गया है । विद्युत दोष से बन्द शेष ३ नलकूपों को शीघ्र ठीक कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद में स्थिति घाटमपुर राजबहा में टेल तक पानी न पहुंचने के कारण इसे बन्द कराने की मांग

१७५—श्री छत्र पाल वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि घाटमपुर राजबहा, जहानाबाद वि० सभा क्षेत्र जो जनपद फतेहपुर में पड़ता है, में विगत कितने वर्षो से टेल में या उपरोक्त क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचा ? क्या उसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है और किसानों द्वारा सींच नहीं कर पाने के आधार पर उक्त माइनरों में घिरी हजारों एकड़ जमीन व उससे संबंधित लाखों रुपया सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह बचाने हेतु उक्त माइनर को समाप्त करने का शासन का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

घाटमपुर राजबहा जिसकी लम्बाई ८२ किमी० है, इटावा शाखा की टेल से निकलता है तथा घाटमपुर रजबाहे की टेल जनपद फतेहपुर की जहानाबाद विधान सभा क्षेत्र में पड़ती है । रबी १३९८ व १३९९ फसली में अर्थात् माह जनवरी, फरवरी, मार्च, १९९१ एवं नवम्बर, दिसम्बर, १९९१ में जहानाबाद विधान सभा क्षेत्र में जल पहुंचा है । खरीफ १३९९ फसली में भी अगस्त व सितम्बर माह १९९१ में जल पहुंचा है । वर्ष ८६-८७ से ८९-९० तक जल नहीं पहुंच पाया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर में निचली गंगा नहर के मील ५१ व ५२ के बीच बरसाती पानी के निकासी हेतु साइफन बनाया जाना

१७६—श्री छत्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जहानाबाद विधान सभा क्षेत्र, जनपद फतेहपुर में निचली गंगा नहर के मील ५१ व ५२ के बीच बरसाती पानी भराव को देखते हुए जल निकासी हेतु साइफन बनाना शासन ने स्वीकृत किया था ? यदि हां, तो उसका अब तक निर्माण क्यों नहीं किया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

फतेहपुर शाखा के आर-पार एक नाले के निमार्ण का प्रस्ताव है जिस पर साइफन का निर्माण भी प्रस्तावित है ।

फतेहपुर शाखा पर सिंचाई हेतु निरन्तर जल की मांग होने के कारण निर्माण हेतु आवश्यक कम से कम २ माह की नहर बन्दी (क्लोजर) उपलब्ध न होने की वजह से साइफन निर्मित न हो सका ।

जनपद जालौन के ग्राम मुसमरिया में विद्युत् सब स्टेशन बनाया जाना

१७७—श्री श्रीराम (जालौन)—

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के परगना कालपी के सर्वाधिक आबादी वाले ग्राम मुसमरिया में रोशनी की व्यवस्था व नलकूपों के समुचित चालन हेतु पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति के लिये विद्युत् सब-स्टेशन की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लालजी टंडन—

प्रश्नगत ग्राम में अभी निकट भविष्य में कोई नया विद्युत् सब स्टेशन बनाने की योजना नहीं है। क्योंकि ग्राम मुसमरिया में रोशनी के लिये व नलकूपों को पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति हो रही है।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में कतिपय गांवों का विद्युतीकरण

१७८—श्री श्रीराम (जालौन)—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जालौन के विधान सभा क्षेत्र-कालपी के ग्राम-लोहरी, कुठोंदाबुजुर्ग, रिनिया, जमरैही, खल्ला में विद्युतीकरण हेतु ग्रामवासियों द्वारा कनेक्शन की धनराशि जमा की गयी है ? यदि हां, तों उपरोक्त प्रत्येक ग्राम की धनराशि कब से जमा है ? क्या वर्ष १९८९-९० व १९९०-९१ के पूर्व से इन ग्रामों के लोगों की धनराशि जमा है ? यदि हां, तो उपरोक्त वर्षों में इन ग्रामों का विद्युतीकरण क्यों नहीं किया गया है ? क्या उपरोक्त वर्षो में कालपी तहसील के कुछ ऐसे ग्रामों में भी विद्युतीकरण किया गया है, जिन ग्रामों में लोगों की कनेक्शन हेतु धनराशि जमा नहीं थी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उपरोक्त वर्षो में ग्रामों के विद्युतीकरण में अनियमितता हेतु दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? क्या उपरोक्त ग्रामों का वर्ष १९९१-९२ में विद्युतीकरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन—

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के प्रश्नगत ग्रामों के निवासियों ने विद्युत कनेक्शन हेतु धनराशि निम्न तालिकों में ग्रामों के सामने दी गयी तिथियों में जमा की:—

कुठोंदाबुजुर्ग	दि० २३—१०-८९
रिनिया	दि० २७—९—८९
जमरेही	दि० ४—१०—८९
खल्ला	दि० १—१—९०

वर्ष १९८९—९० में ही उपरोक्त ग्रामों के लोगों ने धनराशि जमा की थी।

जनपद जालौन की विद्युत सलाहकार समिति द्वारा प्रश्नगत ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु चयन वर्ष १९८९—९० तथा १९९०—९१ में नहीं किया गया इसी कारण प्रश्नगत ग्रामों का विद्युतीकरण इन वर्ष में नहीं किया जा सका।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत ग्रामों में से रिनिया, जमरेही तथा खल्ला का विद्युतीकरण हेतु वर्ष ९१–९२ में चयन किया जा चुका है और संसाधन उपलब्ध होने पर उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण इसी वर्ष किया जा सकता है ।

१७९–श्री नन्द किशोर मिश्र–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

१८०–श्री नन्द किशोर मिश्र तथा श्री अखिलेश–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद बलिया के सोहांव विकास खण्ड में कुरान्तडीह पम्प कैनाल को टेल तक बनाये जाने हेतु

१८१–श्री सुधीर–

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के सोहांव विकास खण्ड पें कुरान्तडीह पम्प कैनाल टेल तक बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक यह बनायी जायेगी ? क्या सरकार बतायेगी कि कुरान्तडीह पम्प कैनाल का टेल तक न होने से किसानों की जो हजारों एकड़ दलहन फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है उसके लिये कौन दोषी है ? क्या किसानों की फसल की रक्षा के लिये सरकार कोई कदम उठाने का प्रयास कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, कुरान्तडीह पंप कैनाल का टेल भाग बाढग्रस्त क्षेत्र होने के कारण प्रस्तावित नहर १२ कि० मी० के स्थान पर ८ कि० मी० तक बनायी गयी है ।

ऐसी कोई प्रस्ताव नही है ।

कुरान्तडीह पम्प कैनाल का टेल का भाग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण नहर का निर्माण इस क्षेत्र में तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं समझा गया एवं पम्प कैनाल का समादेश क्षेत्र भी तद्नुसार सीमित रखा गया । अतः टेल भाग के कृषकों को उक्त नहर से सिचाई सुविधा उपलब्ध न कराने हेतु कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नही है ।

वर्तमान समय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है ।

जनपद बलिया के कोपाचिट विधान सभा क्षेत्र में खराब राजकीय नलकूपों को ठीक कराकर चालू कराने हेतु

१८२–श्री सुधीर–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के कोपाचिट विधान सभा क्षेत्र में कितने राजकीय नलकूप हैं ? इनमें से कितने-कितने कब-कब से खराब हैं ? नलकूपों की कार्य योग्य न बनाये जाने के कारण क्या हैं ? कब तक खराब नलकूप कार्य करने योग्य हो जायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद बलिया के कोपाचिट विधान सभा क्षेत्र में कुल ९६ राजकीय नलकूप हैं ? इनमें से दो नलकूप पम्प नहर कमाण्ड में आने के कारण १९७९-८० से परित्याग हेतु प्रस्तावित हैं । सप्ताहान्त २६-२-९२ को नलकूप बन्दी सूचना के अनुसार यांत्रिक दोष से १० नलकूप एवं विद्युत दोष से ५ नलकूप बन्द थे, जिनका नलकूपवार विवरण संलग्न है ।

नलकूप विद्युत एवं यांत्रिक प्रकृति के होने के कारण इनमें समय-समय पर अस्थाई प्रकार के विद्युत एवं यांत्रिक दोष उत्पन्न होते रहते हैं, जिन्हें यथाशीघ्र ठीक करा दिया जाता है । उपर्युक्त दोषपूर्ण १५ नलकूपों को शीघ्र ठीक कराकर संचालित करा दिया जायेगा ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २५७ पर)

जनपद बलिया के ब्लाक सोहांव में कलस्टर योजना के तहत स्वीकृत ट्यूबवेलों को लगाया जाना

१८३–श्री सुधीर –

क्या सरकार बतायेगी कि बलिया जनपद में सोहांव ब्लाक में पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा कलस्टर योजना के तहत ट्यूबवेल लगने हेतु स्वीकृत थे ? यदि हां, तो यह ट्यूबवेल कब तक लगेंगे एवं इस योजना को सरकार कब तक पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री नरेन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बलरामपुर जनपद गोंडा के स्थान्तरण की मांग

१८४–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री नरेन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बलरामपुर, गोंडा के विकास खण्ड, पचपेड़वा में विगत १० वर्ष से अवर अभियन्ता आर० ई० सी०/अनुरक्षण के पद पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार इनके स्थानान्तरण पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

जी हां,

जी हां । आगामी स्थानान्तरण सत्र में उनके स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बलरामपुर जनपद गोंडा में बन्द पड़े थर्मल पावर स्टेशन की बहुमुल्य सामिग्रियों की सुरक्षा

१८५–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा में राज्य विद्युत परिषद् ने रियासत बलरामपुर से बलरामपुर थर्मल पावर स्टेशन क्रय किया था जो वर्तमान समय में विगत कई वर्षों से बन्द पड़ा हुआ है तथा बहुमूल्य सामग्रियों की अधिकारियों द्वारा क्षति पहुंचायी जा रही है ? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं । पावर हाउस को बन्द करते समय सामग्री की सूची बनायी गयी थी तथा सभी सामग्री सुरक्षित है । किसी भी सामग्री को अधिकारियों द्वारा क्षति नहीं पहुंचायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

(१२.३० बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

समाजवादी जनता पार्टी की रैली में कार्यकर्ताओं को उत्पीड़ित किए जाने के आरोप सम्बन्धी नियम ३११ के अन्तर्गत दी गई सूचना को लिए जाने की मांग (क्रमागत)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, मैंने नियम ३११ के अन्तर्गत एक प्रस्ताव दिया है । मान्यवर, नियमों को निलंबित करके आप हमारी बातों को सुन लें । मान्यवर, आप भी एक राजनैतिक कार्यकर्ता हैं और राजनीति से जुड़े होने के कारण उस आसन पर श्रीमन्, बैठे हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें ।

मेरे पास नियम ३०१ की, नियम ३०० की, नियम ३११ की, नियम ५६ की नोटिसेज आई हैं । आपको विदित है कि इस सदन के अन्दर मैं उनका किस तरह से निस्तारण करता हूं । पहले नियम ३०१ की सूचना लेता हूं, उसके बाद नियम ३०० की तब फिर नियम ३११ की और तब नियम ५६ की सूचना लेता हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, नियम ३११ को परम्पराओं में नहीं बांट सकते । नियम ३११ विषम परिस्थितियों के लिए ही बना हुआ है, इसलिए नियम ३११ के अन्तर्गत मैंने नियमों को निलम्बित करके अपने प्रस्ताव पर आपसे अनुमति मांगी थी ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं पहले नियम ३०१ की सूचनायें ले लूंगा, तब उसके बाद नियम ३०० की और उसके बाद नियम ३११ की लूंगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

[xxx]

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं पहले नियम ३०१ की सूचना लूंगा ।

(घोर व्यवधान)

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, यह लिखा नहीं जायगा, जो भी माननीय सदस्य बिना मेरी अनुमति के बोलेंगे, वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा, समाचार-पत्र भी उन्हें प्रकाशित नहीं करेगा ।

(घोर व्यवधान)

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह सदन की परम्परायें और नियम जो-जो हैं, इन्हीं के अन्तर्गत आप जैसे विद्वान के द्वारा माननीय सदन को चला कर हम लोगों को सहयोग करना चाहिए । हमारे देश में और प्रजातंत्र में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उससे बढ़कर कोई चीज नही है, जहां पर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो .....

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आप किसी भी नियम को निलम्बित कर सकते हैं । नियम ३११ का प्रयोग अपरिहार्य कारणों में किया जाता है । मान्यवर, हमारे संसदीय लोकतंत्र के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इससे अधिक गम्भीर और क्या हो सकता है । इसमें मुझे आपत्ति है । विरोधी दल के जो मूल अधिकार हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं वह सुरक्षित रहें, इसीलिए नियम ३११ के अन्तर्गत सदन के अन्य कार्यों को निलम्बित कर उसको बहस कराने की यहां पर व्यवस्था है । मान्यवर, हमारे हजारों कार्यकर्ता पीटे गये हैं, अगर सरकार इस प्रकार से निरंकुश हो जायेगी, तो कैसे काम चलेगा । इस पर आप चर्चा करा लीजिये।

*वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने .....

श्री श्याम नारायण तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था पर व्यवस्था ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को अनुमति दे दी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, नियमों को निलम्बित करके सदन में चर्चा हो, इस अधिकार को मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं । यह हमारे नियमों में व्यवस्था है, लेकिन जब कोई प्रस्ताव किया जाये किसी दल की ओर से । अगर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह बधाई देना चाहते हैं, तो उस जनता को देनी चाहिये, जिसने कल इनकी रैली को असफल कर दिया है, रैली फेल हो गयी है और आप रैली की असफलता के लिए, विफलता के लिये शासन को दोषी बताना चाहते हैं, यह ठीक नहीं । और आपने शासन पर आरोप लगाने का प्रयास किया है, मैं उसका कड़ा प्रतिवाद करता हूं । हमने रैली को रोकने के लिये किसी तरह की कोई चीज नहीं की, हमारी सरकार ने कोई बाधा नहीं खड़ी की, हमने लोकतंत्र को स्वीकार किया है और इस बात में विश्वास करते हैं कि प्रदर्शन होने चाहिये, धरने होने चाहिये और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहिये, लेकिन अगर कोई कार्यक्रम विफल हो जाता है, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली जाये, तो ठीक नही हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है । इस प्रकार से सदन का समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिये और सदन की कार्यवाही को नियमों के अन्तर्गत चलने दें । उधर से प्रस्ताव आ रहे हैं, आप अगर उचित समझें तो स्वीकार करें । आज सप्लीमेंटरी ग्रान्ट लगी हुई है, कार्य स्थगन की २० सूचनायें हैं, बड़े महत्वपूर्ण कार्य लम्बित हैं, इसलिये आप सदन की कार्यवाही को नियमों के अन्तर्गत चलने दें, मेरी यही प्रार्थना है ।

सदन से निष्कासित सदस्यों के निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध (जारी)

(श्री मुलायम यादव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपके बोलने के पहले मैं एक बात कह दूं उससे कोई आपका सम्बन्ध नहीं है । अभी प्रश्नकाल में कुछ सम्मानित सदस्य वेल में आ गये थे ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, ऐसा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मुझे अपनी बात पूर्ण कर लेने दें, मैं आपको रोकूंगा नहीं लेकिन इतनी जरूर अपेक्षा करूंगा ।

(व्यवधान)

कृपया शांत रहें; मेरी बात को सुन लें ।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें और अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, सदन की व्यवस्था अगर ये चलायेंगे तो नहीं चलेगा आप व्यवस्था चलाइये ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें और अपना स्थान ग्रहण करें । मुलायम सिंह जी, मैं आपको अनुमति दे रहा हूं लेकिन मेरी एक बात सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं ३११ पर नहीं बोलूंगा ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, यह बहाने से ३११ की बात कहना चाह रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह बात अध्यक्ष और माननीय सदस्य के बीच हो रही है, आप कृपया शांत रहें । माननीय मुलायम सिंह जी, आप कृपया मेरी बात पर ध्यान दे दें अगर आप मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं तो बात अलग है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं ३११ पर नहीं बोलना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मुझे एक मिनट दे दें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप पहले मेरी बात सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा यह कहना था कि अभी प्रश्नकाल में कुछ माननीय सदस्य वेल में आ गये थे, मैंने उनसे अनुरोध किया कि वह सदन त्याग कर दें । मैंने मार्शल को यह निर्देश दिया कि यदि वे सदन त्याग नहीं करते तो उन्हें सदन के बाहर कर दिया जाय । उसके बाद मैंने सदन को स्थगित कर दिया साढ़े बारह बजे तक । नियमों के जो निदेश हैं मैं उसी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपके बोलने से इसका कोई संबंध नहीं है लेकिन मैं यह चाहूंगा कि सदन नियमों के अनुसार चले और सभी लोग सदन को नियमानुसार चलाने के लिए बल देते हैं । मैं नियम २९९ के उपनियम (एक) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इसमें है– "अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेंगे और किसी सदस्य को जिनका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्था पूर्ण हो; अथवा अध्यक्ष के प्रति अवज्ञापूर्ण हो, सदन से तुरन्त बाहर चले जाने का निर्देश दे सकेंगे और जिस सदस्य को इस प्रकार बाहर चले जाने का निर्देश दिया जाय वह तत्काल सभा-मंडप से बाहर चले जायेंगे और उस दिन के उपवेशन के अवशिष्ट समय में अनुपस्थित रहेंगे"।

माननीय ११ सदस्य इस सदन के वेल में आ गये थे, मैंने उनसे अनुरोध किया कि सदन त्याग कर दें । उसके पश्चात् मैंने उपनियम ५ के अंतर्गत अपने आदेश को कार्यान्वित करने के लिए मार्शल को आदेश दे दिया ।

इस बात को मैंने बहुत अच्छी तरह से जांच लिया है व्यवस्था है, व्यवस्था कर दी गयी है कि इस तरह के निर्देश दिये जा सकते हैं । लेकिन, वे सदस्य मेरे समक्ष दिखाई दे रहे हैं, सदन में उपस्थित हैं । यह नियमों का आदेश है, वे सदन के आज के उपवेशन के अवशिष्ट समय तक अनुपस्थित रहें । उनसे निवेदन है कि वे कृपया सदन के बाहर चले जायं ताकि सदन की अगली कार्यवाही चले ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आपकी सहायता के लिये दो बातें कहना चाहता हूं, नियमों के संदर्भ में ही अपनी बात कहना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आपने तो अपनी सुविधानुसार नियमों का हवाला दिया । अगर आपके निर्देश को कोई सदस्य नहीं मानता है तो उसमें नियमों में.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आप उस पर सदस्यों को इंगित करेंगे ।

एक सदस्य–

पहले मान्यवर, उन लोगों को सदन के बाहर कीजिये, मान्यवर, यह निकल नहीं रहे हैं ।

(शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष–

इतने शोर में कोई बात सुनाई नहीं पड़ेगी ।

* श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आपने जो निर्देश दिये हैं उनकी अवहेलना कोई सदन में नहीं करेगा । और आपकी महिमा, आपकी मर्यादा, आपके इस आसन की पूरी तरह से हम लोग रक्षा करेंगे । लेकिन, मान्यवर, आप जैसे विद्वान अध्यक्ष, सारे नियमों को आप जानते हैं, कभी-कभी सदन के अन्दर, प्रदेश के जितने जन प्रतिनिधि आये हैं, अपने किसी मुद्दे को लेकर के वार्ता करना ही उनका कर्तव्य नहीं, उसमें संघर्ष करना भी पड़ जाता है । ऐसी स्थिति में भावुकता में अगर जो हम लोगों पर बीती है उसका इजहार करना चाहते हैं और उस क्रोध में वेल में चले गये, तो प्रार्थना है कि उस पर पुनर्विचार करें । एक बात तो यह कहना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है और वह कह रहे हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, अनुशासन के संबंध में दो मापदण्ड नहीं होने चाहिये । एक में हम लोगों पर तो कार्यवाही हो दूसरे यह जो सत्तापक्ष की इस तरह की अनुशासनहीनता के लिये कुछ न हो.....

(व्यवधान)

एक सदस्य–

मान्यवर, आप अपनी व्यवस्था का पहले पालन करायें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

मैं पालन करा लूंगा अपनी व्यवस्था का ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

सत्ता पक्ष की इतनी अनुशासनहीनता पर इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी, यह दो मापदण्ड नहीं होंगे । आप इनको देख लीजिए । यह दो तरह के मापदण्ड नहीं चलेंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत हो जायं, कृपया स्थान ग्रहण करिये, मैं माननीय सदस्य को सुन रहा हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, इधर के माननीय सदस्यों को उत्तेजित करने का कार्य सबसे ज्यादा सत्ता पक्ष के सदस्यों ने किया है । मैं खड़ा हूं, मेरे और अध्यक्ष जी के बीच में बात हो रही है, आप इन्हें देख लीजिये। आप दो मापदण्ड नहीं करेंगे । इतने अनुशासनहीन सत्ता पक्ष के सदस्य मैंने नहीं देखे, मैं ६ बार एम०एल०ए० रहा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

यह तो वही कहावत हैं कि सौ-सौ चुहे खाकर बिल्ली चली हज करने.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहें । माननीय सदस्य बोल रहे हैं कृपया उनकी पूरी बात सुन लें ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

[xxx]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री माननीय शुक्ल जी जो कह रहे हैं वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा । कृपया आप बैठ जायें ।

श्री जटाशंकर सिंह–

मान्यवर, [xxx] श्री मुलायम सिंह जी को आपने बोलने की अनुमति कैसे दी यह तो खुद अनुशासनहीन हैं ।

(व्यवधान)

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके आधे बाल भी सफेद हो चुके हैं.....

श्री अध्यक्ष–

यह उनके अनुभव का प्रतीक है ।

श्री किशन गोपाल–

वह तो आपके पिता समान हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं । लेकिन जिस तरह से यहां पर बोला जा रहा है उसके लिए उन्हें इंगित कीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जायें । वरना मुझे आपके लिए वही व्यवस्था करनी होगी जो इनके लिए की है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप जो भी आदेश देंगे उसे हम और हमारा दल मानेगा। हम आपका पूरी तरह से आदर करते हैं । लेकिन श्रीमन्, सदन की कार्यवाही नियमों से चलेगी । अभी एक सदस्य बोल रहे थे.....

(व्यवधान)

मान्यवर, सदन की एक भाषा है, एक नियम है, एक परम्परा है । श्रीमन्, अभी आप देख रहे थे, हम कोई असंसदीय आचरण नहीं करते हैं .....

(व्यवधान)

अभी आपकी अनुमति से हमारे माननीय नेता, मुलायम सिंह यादव जी बोल रहे थे तो उधर के एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि [xxx] श्री मुलायम सिंह यादव को आपने बोलने की अनुमति क्यों दी तो यह शब्द असंसदीय है । इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी । इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

मैं अभी कार्यवाही देख लूंगा ।

(नरेश अग्रवाल व स्वामी नाथ यादव के खड़े होने पर)

माननीय नरेश जी आप बैठ जायें व स्वामी नाथ जी आप भी बैठ जायें ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ?

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें ।

(सत्ता पक्ष की ओर से कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर तथा टोकाटाकी करने पर व्यवधान)

मैंने एक व्यवस्था दे दी है, जब तक उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक अग्रिम कार्यवाही नहीं चलेगी । आप लोग अनावश्यक शांतिपूर्वक सदन को चलने नहीं दे रहे हैं ।

(मुलायम सिंह यादव के खड़े होने पर)

मुलायम सिंह जी, मैं आपके बोलने से पहले एक निवेदन कर दूं । मैं यह चाहता हूं कि जो व्यवस्था मैंने दी है, उसका अनुपालन सुनिश्चित करा दें । उसके बाद आप प्रस्ताव ला सकते हैं ।

(श्री नरेश अग्रवाल के पुनः खड़े होने पर)

माननीय नरेश जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

* श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं । नियम २९९(१) में यह लिखा हुआ है कि जिस किसी सदस्य का व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो, अथवा अध्यक्ष के प्रति अवज्ञापूर्ण हो, सदन से तुरन्त बाहर चले जाने का निर्देश दे सकेंगे और जिस सदस्य को इस प्रकार बाहर चले जाने का निर्देश दिया जाय वह तत्काल सभा मंडप से बाहर चले जायेंगे । लेकिन मान्यवर, आप २९९(२) को भी देख लें इसके (क) में दिया हुआ है यदि उपनियम (१) के अन्तर्गत चले जाने का आदेश दिये जाने पर सदस्य उसका पालन न करे, तो इंगित किया जायेगा और इंगित करने के बाद नियमावली के नियम (५) को आप लागू कर सकते हैं । मान्यवर, मैं आपके अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूं । गलती सबसे हो सकती है । इसमें यह कहीं भी नहीं लिखा है कि यह नियम केवल विपक्ष के सदस्यों पर ही लागू किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

यह सबके लिये हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

तो मान्यवर, जब मुलायम सिंह जी बोलने के लिये खड़े हुये और इन लोगों ने जो व्यवहार किया तो आप नियम २(ग) को भी देख लें यदि सदस्य जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बार-बार अव्यवस्थित रीति से बाधा डालें तो मान्यवर, इस प्रकार सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने २९९(२) (ग) का पालन नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद आप केवल विपक्षी सदस्यों को बाहर निकालने का आदेश दे रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष के सदस्य मर्यादाओं को लांघकर खुलेआम आरोप लगा रहे हैं, उन पर आप कोई भी नियम लागू नहीं कर रहे है, यह उचित नहीं है, आप फिर से सोचकर अपनी व्यवस्था दें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, जब आप इंगित करेंगे, और सदस्य बाहर नहीं जाता है, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री एक-एक आदमी के नाम से प्रस्ताव करेंगे, उस पर आप मतदान करायेंगे, अगर मतदान में हां की संख्या ज्यादा होती है तो आप मार्शल के द्वारा उसको बाहर करवायेंगे । हम एक-एक व्यक्ति सदन को परम्पराओं के अनुसार चलाना चाहते हैं, और आपको हर तरह से सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया नहीं है, जब वह प्रस्ताव करते और उसके बाद भी सदस्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बाहर नहीं जाते, तो आप उपनियम (५) लागू करते और मार्शल को आदेश देकर जबरिया बलपूर्वक सदस्यों को सदन से बाहर करवा देते ।

लेकिन श्रीमन्, आपने अपनी बात को सही ठहराने के लिए बीच के नियमों को जोड़ दिया । फायदे वाले नियमों को आपने पढ़ दिया । दूसरी बात यह है कि श्रीमन्, अब तो यह मामला और उलझ गया है । अगर आप विरोधपक्ष को इंगित करते हैं, उनके विरुद्ध प्रस्ताव लाते हैं और उन्हें सदन से बाहर निकालते हैं, तो वही कार्य आपको सत्तापक्ष के लोगों के विरुद्ध भी करना होगा । यदि आप ऐसा करेंगे, तो हम आपके बहुत ऋणी होंगे । इधर के सदस्यों को आप निकाल दिए और उधर के सदस्यों को भी आप निकाल दीजिए तो कल से यह सदन नियमों व परम्पराओं के अनुसार चलाने की जिम्मेदारी विरोध पक्ष लेता है ।

(श्री मुलायम सिंह जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलवा लिया है । मैं आपको सुनूगा।

* वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, माननीय श्री चौधरी जी ने नियम–२९९ का हवाला दिया । माननीय सदस्य बहुत पुराने व विद्वान सदस्य हैं । नियम २९९ को नीचे से ही पढ़ रहा हूं, जिसमें लिखा है "जिस सदस्य को इस प्रकार बाहर चले जाने का निर्देश दिया जाय वह तत्काल सभा मण्डप से बाहर चले जायेंगे और उस दिन के उपवेशन के लिये अवशिष्ट समय में अनुपस्थित रहेंगे ।" श्रीमन्, आपने आदेश दे दिया । नियम–२९९(२) में आपको इंगित करने का अधिकार है । इंगित करने का अधिकार तब है जब वह निर्णय की अवज्ञा करेंगे । अभी तो आप नियम २९९(१) की ही प्रतिपूर्ति कर रहे हैं कि वह सदन से बाहर चले जायं अगर वह नहीं जाते हैं तो आप इंगित कर सकेंगे । इंगित करने का तात्पर्य यह है कि उस समय आप अपने आदेश को आदरणीय सदन को समर्पित करते हैं । तब मैं प्रस्ताव करूंगा । आपको यह अधिकार है कि किसी भी सदस्य को, अगर वह आपकी राय में अनुशासनहीनता करता है तो उसे आप सदन से बाहर चले जाने का आदेश दे सकते हैं । आपने वह आदेश दे दिया है । पूर्व दृष्टान्त भी ऐसे हैं । आपकी जो यह महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन की पुस्तक है, इसके पृष्ठ-४२ के १९ को आप देखें । अध्यक्ष पीठ को यह अधिकार है कि अनियमितता करने पर किसी सदस्य को सदन से हटवा दें । उस समय पीठ पर जो भी अध्यक्ष विराजमान थे, उन्होंने यह निर्णय दिया "अगर कोई सदस्य कोई अनियमितता करता है तो उसे हटाने का उनको अधिकार है ।" इस प्रकार आपने न किसी नियमावली का, न किसी पूर्व दृष्टान्त का और न किसी परम्परा की अवहेलना की है । आपने निर्देशित किया है, इसलिए माननीय सदस्यों को उसका पालन करना चाहिए । पालन न करने पर आप इंगित करेंगे । तब आप आगे की कार्यवाही को लेंगे ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने नियम २९९(१) को पढ़ा और उप नियम (२) को पढ़ा। मान्यवर, मैं उनकी राय से इत्तफाक करता हूं । मान्यवर, हुआ ये कि पीठ से उप नियम (१) के बाद उप नियम (५) में आपने सीधे मार्शल को आदेश दे दिया । यही आपत्ति है । मान्यवर, उप नियम (५) तो तब लागू होता जब आप उपनियम (२) की कार्यवाही पूरी करते । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी एक-एक माननीय सदस्य के नाम का प्रस्ताव करते, तब आप मार्शल को आदेशित करते । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो नजीर दी है, वह इस सदन को गुमराह करने की बात कही है । मान्यवर, आप ऐसा निर्देश न दें और न ऐसी परम्परा डालें। नहीं तो सदन का चलना बड़ा मुश्किल हो जायेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आप सही परम्परा डालें और सही निर्णय दें । सत्तापक्ष व विपक्ष दोनों के लिए बराबर का निर्णय लें । [xxx] आप ऐसा न करें । यदि आप इसे असंसदीय मानते हैं तो मैं इसे वापस लेने के लिए तैयार हूं । जो भी आप निर्णय लेंगे वह दोनों पक्षों के लिए बराबर लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं व्यवस्था दे रहा हूं नियम २९९ के उप नियम १ में (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह क्या कर रहे हैं मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आपने कहा था इसी के बाद सुनूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी बात सुनूंगा, समाप्त नहीं करूंगा । लेकिन मैंने एक व्यवस्था दी है पहले उसका अनुपालन सुनिश्चित कराना है (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

उसी पर व्यवस्था का सवाल उठाया है ।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपालन के संबंध में कहना चाहते हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आपकी हर बात का मैंने पालन किया है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहियेगा कोई टीका टिप्पणी नहीं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि कोई दोहरा मापदंड नहीं होगा और जो हमारे माननीय सदस्यों के लिये आदेश दिया है निष्कासन या मुअत्तली का, आपका जो आदेश होगा उसको हम मान लेंगे । लेकिन हमारा कहना है कि उसमें दोहरा मापदंड नहीं होगा । जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हुये तो एक भी माननीय सदस्य विपक्ष से खड़ा नहीं हुआ कोई व्यवधान नहीं हुआ (व्यवधान) आप देख लीजिये आपके रहते कोई दोहरा मापदंड नहीं होगा ।

दूसरा यह कि आप जैसे विद्वान, कानून के ज्ञाता संसदीय परम्पराओं के जानकार यहां पर महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं मंत्री भी रहे हैं और आज यहां पर सर्वोच्च आसन पर हैं तो क्या [xxx] अब संसदीय कार्यमंत्री भी कानून पढ़ायेंगे ? जब आप सब जानते हैं तो ऐसा लग रहा था कि संसदीय कार्यमंत्री [xxx] पढ़ा रहे हैं (व्यवधान) आप देख लें ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहिये ।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

दूसरा व्यवस्था का सवाल यह है संसदीय कार्य मंत्री जब होता है तो वह किसी एक दल का नहीं रह जाता है सदन में संसदीय कार्य मंत्री की ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सदन चलाने की । परसों भी उन्होंने आश्वासन दिया था रैली के संबंध में कोई व्यवधान नहीं होगा आज भी असत्य बोले । अगर हमारी रैली असफल हुई है तो जितने पत्रकार बंधु है उन सब का [xxx] अपमान किया है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जरा सुन लीजिये ।

श्री लालचन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है विषय पर बात करें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं कह रहा हूं सदन के अंदर जो विषय है उसी पर कहें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप विशाल हृदय बना कर देखें आपने जो भी आदेश दिया है उस पर पुनः विचार करें, निष्कासन पर पुनः विचार करें इस समय ऐसी अनुशासनहीनता नहीं थी । माननीय सदस्य अपनी भावना का इजहार करना चाहते थे जब कार्यकर्ता पीटा जाता है अपनी बात कहनी पड़ती है । इसमें २५ लाख रुपये के परमिट न देने से सरकार का नुकसान हुआ है । (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

सदन की व्यवस्था के संबंध में बात हो रही है यह कौन सा विषय है ? मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । उसे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप थोड़ा विषयांतर कर रहे हैं । (व्यवधान) कृपया शांत रहें । मैं स्वयं कह रहा हूं कि विषयांतर कर रहे हैं । आप शांत रहें । आप शांत रहें ।

माननीय मुलायम सिंह जी कृपया बैठ जांय (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

श्री स्वामीनाथ यादव–

ऐसा नहीं होगा, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री शिव कुमार बेरिया–

यह कौन सी व्यवस्था है ?

(व्यवधान के मध्य)

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि आपने एक बार व्यवस्था दे दी तो फिर व्यवस्था देने के बाद उस पर चर्चा कैसे करा रहे हैं?

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आ लोग शांत रहें। शिव कुमार बेरिया जी आप बैठ जांय।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

(व्यवंधान) मान्यवर, मुलायम सिंह के समय में पिछली बार इस सदन में यहीं पर एक सदस्य को उनकी पार्टी के लोगों ने मारा था, क्या वह भूल गये हैं?

(व्यवधान)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

आपने निष्पक्षता की चर्चा की और नियमों के प्राविधान के अनुसार सदन को चलना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। प्रारम्भ में जब आपने सदन को स्थगित किया तो हम लोग आपकी बात को सुन नहीं पाये थे कि किस को बाहर जाने का आदेश दिया। आदेश देकर आप अपने कक्ष में चले गये। उसके बाद श्री मुलायम सिंह को बोलने के लिये कहा और उनके बोलने में व्यवधान पैदा किया गया, कुछ बातें कही गयीं। तो मैं समझता हूं कि श्री मुलायम सिंह के बोलने के मध्य सत्ता पक्ष की ओर से कुछ बातें कहीं गयीं तो न्याय का तकाजा है कि इस पक्ष के लोगों को कहा है कि बाहर जायं, तो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को आप पहचानते हैं उनसे भी कहें कि वह लोग भी बाहर जाएं। श्री मुलायम सिंह से निवेदन करूंगा कि न्याय के तकाजे को ध्यान में रखकर अपने माननीय सदस्यों से कहें कि बाहर जाएं और मान्यवर, आप भी उधर के माननीय सदस्यों को सदन से बाहर जाने के लिये कहें। इसके बाद आप श्री मुलायम सिंह जी को सुनने की कृपा करें और जो मुख्य बिन्दु हों उनका जवाब देने के लिये संसदीय कार्य मंत्री को कहें। इसके बाद सदन की कार्यवाही आप सुचारु रूप से चलायें।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चले लेकिन जैसा कि हमारे माननीय नेताओं, श्री कैलाश नाथ सिंह, श्री विजय सिंह राणा, श्री नरेश अग्रवाल, सभी ने जो कहा है कि दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए उसके अनुसार निष्पक्षता और संसदीय मर्यादा का इतिहास बनायें। दूसरी बात संसदीय कार्य मंत्री जिम्मेदार मंत्री हैं, इसलिये उनको गलत नहीं बोलना चाहिए और मैं उनको बताना चाहता हूं कि इतनी विशाल रैली लखनऊ में हुई जिसको पत्रकारों ने लिखा है

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत रहें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप लोग चाहते है कि सदन न चले ।

(व्यवधान) मान्यवर, आप इनका आचरण देखें । (व्यवधान) यदि इनको बहुमत का मद है तो मान्यवर, आप ५ मिनट के लिये फ्री करदें तो फिर देख लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग शांत रहें । सत्ता पक्ष के लोगों को ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा शांति व्यवस्था बनाने में ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें । मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

माननीय वर्मा जी मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं । मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं । नहीं, अब इस प्रकार से उसी बात की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[xxx]

(दोनों पक्षों के माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं । यह जो भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं कुछ भी नहीं लिखा जायेगा । यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा । कोई भी सदस्य हो, किसी भी पक्ष का हो ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आपने जो कहा है उसी के संबंध में है.....

श्री अध्यक्ष–

मैंने आप की ओर से तीन लोगों के विचार सुन लिये । मुझे व्यवस्था देनी है, कृपया आप लोग बैठ जायं । मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं । अब पर्याप्त हो गया है ।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(व्यवधान)

नियम-२९९ के उपनियम-१ के अंतर्गत मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं।

(घोर व्यवधान)

कृपया आप लोग बैठ जायं। मैंने प्रश्नकाल में, उन सम्मानित सदस्यों को जो सदन के वेल में आ गये थे, बाहर जाने का निर्देश दिया था। मेरे निर्देश का पालन नहीं किया गया और मैंने सदन स्थगित कर दिया। स्थगित करते समय मैंने मार्शल को यह निर्देश दिया कि उनको सदन के बाहर कर दिया जाय। नियम २९९ की उपधारा १ के अन्तर्गत .....

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से घोर व्यवधान)

अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। सुनने की आवश्यकता नहीं समझता। माननीय राणा जी कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैंने अनुमति नहीं दी है। इस संबंध में किसी को भी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री विजय सिंह राणा–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं राणा जी। आप अपने मन से अपनी बात कह रहे हैं, जो लिखी नहीं जायेगी। मैंने अनुमति नहीं दी है आपको।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, एक बात की मांग करते हैं कि मापदण्ड एक होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

मापदण्ड एक ही रहेगा। दो नहीं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जिन आदर्शों को लेकर आप सदन चलाना चाहते हैं .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं व्यवस्था दे रहा हूं। मैंने व्यवस्था देना आरम्भ कर दिया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। मेरा सब से अनुरोध है कि अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं किसी सम्मानित सदस्य को अनुमति नहीं दूंगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, हम आपका आदर करते हैं, आपकी हर बात को मानते हैं। सरकार जिस तरह से अत्याचार कर रही है। सदन में गलत बयानी हो रही है कि कल की रैली विफल रही। कल की रैली सफल रही है।

[समय– १ बजकर २० मिनट]

(व्यवधान)

नोटः– [xxx] यह अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो कहा है उसके विरोध में हम अपने दल के सदस्यों के साथ पूरे दिन के लिये सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने अपने दल के साथ सदन का पूरे दिन के लिये बहिर्गमन किया ।)

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, मेरी भी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं व्यवस्था दे रहा हूं । उसके बाद आपको सुन लेंगे । नियम-२९९ के उप नियम (१) में जब अध्यक्ष निर्देश देते हैं, तो माननीय सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वह सदन छोड़कर चले जायें । मैंने मार्शल को निर्देश दिया ऐसे माननीय सदस्य जो सदन के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं उनको सदन से बाहर कर दिया जाए । नियम-२९९ के उपनियम-१ के परिणाम उप नियम-२ के परिणामों से भिन्न हैं । उपनियम-१ में है कि अगर माननीय सदस्य निर्देशों की अवहेलना करते हैं तो मात्र उस दिन के अवशेष समय के लिये वह सदन से अनुपस्थित रहेंगे, इसमें ऐसा है यदि इसे दण्ड के रूप में माना जाए तो यह उसी दिन के अवशेष समय से संबंधित है । उप नियम-२ में इंगित करने के बारे में है । जैसा कि श्री नरेश अग्रवाल जी ने कहा कि यह उप नियम-१ से ज्यादा गम्भीर है । इसमें है कि अध्यक्ष इंगित करेंगे तो वह माननीय सदस्य तीन दिन के लिये सदन से निलम्बित समझा जायेगा । मैंने उपनियम-२ का सहारा नहीं लिया है अगर उप नियम-२ का सहारा लिया जाएगा तो सभी माननीय सदस्य जो वेल में आये थे इंगित करने पर तीन दिन के लिए निलम्बित हो सकेंगे और यह गुरुतर दण्ड होगा । एक माननीय सदस्य ने कहा कि दोहरा मापदण्ड न अपनायें । तो मैं कहूंगा कि सत्तापक्ष के सदस्य अपने स्थान पर बैठ कर शोर कर रहे थें, और विपक्ष के ११ माननीय सदस्य सदन के वैल में आकर कार्यवाही में व्यवधान कर रहे थे, अगर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य वेल में आकर व्यवधान करेंगे तो उनको भी निलम्बित किया जाएगा कोई दोहरा मापदण्ड नहीं अपनाया जा रहा है । सत्तापक्ष के सदस्यों के बारे में भी नियम २९९ के उपनियम–१ के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी । जिन सदस्यों को बाहर जाने के लिए कहा गया वह सदन में शेष समय के लिए अनुपस्थित रहेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जो व्यवस्था आपने दी है वह शिरोधार्य है । हमारा मान्यवर, आपसे यह आग्रह है कि यह सदन ठीक से चले, ठीक से संचालित हो, हम सब लोगों की मंशा है । सभी विधायक यह चाहते हैं कि उनके प्रश्नों के उत्तर आएं और सत्तापक्ष में जो मंत्रीगण बैठे हैं वह उसका जवाब दें । हम लोगों का सदन को अव्यवस्थित करने का कोई इरादा नहीं है । मैं आग्रह करूंगा कि कभी-कभी उत्तेजना में कोई बात ऐसी हो जाती है तो ऐसे उत्तेजना के क्षण में अगर कोई ऐसी बात हो जाए, तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि एक बार मौका देकर, जिन सदस्यों को निलम्बित किया गया है उनको फिर से सदन में बुला लिया जाए । अगर मान्यवर, बार-बार ऐसी परम्परा होगी तो उसके लिये मैं आपसे कतई नहीं कहूंगा । आज किसी उत्तेजनावश ऐसी बात हो गयी तो इस पर मेरा आग्रह है कि पुनर्विचार कर लें । एक बार मौका दे दें ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

उन्होंने खुद सदन त्याग किया इस पर क्या विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मैं, माननीय नेता विरोधी दल ने जो सुझाव दिया है उस पर विचार कर लूंगा और सभी माननीय नेतागण से अपने कक्ष में बात करूंगा । जब मैं यहां से उठूंगा तब बात कर लूंगा ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

जो माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है उस पर पुनर्विचार कीजिये । माननीय मुलायम सिंह जी ने एक बात कही थी कि क्रोध के वशीभूत होकर ऐसा माननीय सदस्यों ने कर दिया । मान्यवर, कोई नयी परम्परा न बने, आपको अधिकार है, आप इस पर पुनर्विचार करके निर्णय ले लीजिये यह हम सबके लिये अच्छा होगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिये, अच्छा रहेगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया कि सभी नेताओं से इस विषय पर परामर्श करके कक्ष में निर्णय लूंगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, हो सकता है कि आक्रोशवश ऐसा हो गया हो, आपके आदेश का पालन हो गया है । हम सभी चाहते हैं कि सदन सही तरीके से चले । माननीय नेता विरोधी दल ने जो बात कही है वह उचित है । मेरा आपसे अनुरोध है कि इस निर्णय पर दोबारा विचार करें और एक बार माननीय सदस्यों को मौका दे दें, भविष्य में वह ऐसा कोई काम नहीं करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले ही व्यवस्था दे दी है । अभी कक्ष में माननीय नेताओं से विचार विमर्श करके निर्णय ले लूंगा ।

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको सुनूंगा, पहले मैं नियम ३०१ की सूचनायें ले लूं ।

नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक २६ फरवरी, १९९२ को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम ३०१ के अन्तर्गत कुल २८ सूचनायें प्राप्त हुयी हैं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर ग्राह्यता को छोड़ते हुये निम्नलिखित ७ सूचनायें स्वीकार की गयी हैं । पहली सूचना श्री निर्वेन्द्र कुमार की जनपद खीरी के निघासन क्षेत्र में वीरेन्द्र और राम औतार कांस्टेबिल द्वारा जनता को प्रताड़ित करने के संबंध में है । दूसरी सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की बी० टी० सी० प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक योग्यता इंटरमीडियेट करने के संबंध में है । तीसरी सूचना श्री हरिवंश सहाय व श्री स्वामी नाथ यादव की यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि० भटनी जिला देवरिया में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के संबंध में है । चौथी सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की मऊ जनपद के नत्थूपुर निर्वाचन क्षेत्रांतर्गत हाहा नाले में बैरिया डीह के सामने पुल बनवाने के संबंध में है । पांचवीं सूचना श्री लाखीराम जोशी की जनपद टिहरी गढ़वाल के

जिला मुख्यालय नई टिहरी के कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। छठी सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह की गाजीपुर में लोक निर्माण विभाग (सेतु निगम) द्वारा टोंस नदी पर पुरानी घाट पर अधूरे निर्मित पुल का निर्माण यथाशीघ्र कराने के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री किशोरी लाल यादव की जमुआ ग्राम व अन्य गांवों में पेयजल की समस्या के संबंध में है।

(नियम ३०१ की सूचनाओं से संबंधित मा० सदस्यों के नाम पुकारे गये

यह सभी सूचनायें शासन के पास भेज दी जायं। यह सूचनायें पढ़ी हुयी मानी जाती हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं जो निम्नलिखित हैं)

जनपद लखीमपुर खीरी में थाना तिकुनियां के वीरेन्द्र और राम औतार कान्सटेबिल द्वारा जनता को प्रताड़ित किए जाने के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं कि इरशाद पुत्र इस्माइल खां, निवासी ग्राम अमीर खां पुरवा, थाना तिकुनियां, परगना खैरीगढ़, जनपद लखीमपुर खीरी दिनांक १९-२-९२ के लगभग ९ बजे सुबह को अपने खेत जा रहा था कि ग्राम के खमरिया रोड पर दो गाड़ीवानों को वीरेन्द्र एवं राम औतार नामक पुलिस कर्मी बुरी तरह से पीट रहे थे, इरशाद पुत्र इस्माइल द्वारा गाड़ीवानों को पीटने का मात्र कारण पूछने पर उक्त पुलिस कर्मियों ने इरशाद को बुरी तरह से मारा पीटा जिसकी रिपोर्ट करने के लिये इरशाद तिकुनियां थाना गया, परन्तु रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।

यह भी सत्य है कि घटना के समय वीरेन्द्र नाम के पुलिस के पास एक नाजायज रिवाल्वर भी था जोकि रिवाल्वर एवं घटना के गवाह ग्राम प्रधान युसुफ एवं हसमत पुत्र छोट्टू हैं।

यह भी ज्ञात हुआ है कि उक्त घटना के दिन दोनों पुलिस कर्मियों की ड्यूटी की रवानगी खैरटिया में ट्रेन ड्यूटी थी परन्तु खैरटिया ड्यूटी पर न जाकर उक्त ग्राम में यह घटना की, ये लोग बगैर रवानगी के रात में शराब पीकर ग्रामों में घूमना, भले व्यक्तियों को गाली देना एवं झूठे मुकदमों की धमकी देते हुए नाजायज धन उगाही के फिराक में घूमते रहते हैं।

अतः उक्त प्रकरण के संबंध में डाक्टरी परीक्षण (मेडिकल रिपोर्ट) की सं० ८४३ के साथ पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी एवं जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी के रजिस्टर्ड डाक द्वारा अवगत कराया गया। जिसमें अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?]

बी० टी० सी० प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट करने के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में महाविद्यालयों की कमी है इसलिये स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करना उत्तरांचल में कठिन हैं। उत्तरांचल में मुश्किल से छात्र/छात्राएं इण्टर तक शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। मैदानों एवं पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति भिन्न है। शिक्षा ही उत्तरांचल में इण्डस्ट्री है। पिछली सरकार ने बी० टी० सी० के प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक योग्यता स्नातक कर दी है। महाविद्यालयों की कमी के कारण उत्तरांचल के छात्र/छात्राएं स्नातक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फलतः इण्टर शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें बेरोजगार ही रहना पड़ता है।

इसलिये मेरा अनुरोध है कि उत्तरांचल क्षेत्र में बी० टी० सी० की शैक्षिक योग्यता प्रशिक्षण हेतु इण्टर कर दी जाये।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि० भटनी, जिला देवरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिवंश सहाय–

[मान्यवर, यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि० यूनिट भटनी जिला देवरिया में व्याप्त भ्रटाचार, लूट-खसोट एवं जालबट्टे के संबंध में मैंने १९८९, १९९० तथा १९९१ में दर्जनों पत्र शासन को दिया परन्तु भ्रष्टाचार घटने के बजाय बढ़ रहा है। सन् १९८९ में २२.६९ लाख रुपया भारत सरकार से शुगर विकास निधि से इस मिल को मिला। किसानों के नाम बियरर चेक देकर सारा रुपया हड़प लिया गया। पुनः १९९१ में २७.३१ लाख रुपया दिया गया है। यह हड़पा जा रहा है। सन् १९८९ के २२.६९ लाख रुपये के हड़पने की रिपोर्ट मुख्यालय के सी० डी० ए० ने दिया, जिसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है।

सीजन १९९१-९२ में तौल में भारी कटौती की जा रही है एक ही पर्ची पर ५ बार गन्ना तौला जा रहा है। भाटपाररानी यूनियन के गोदमठदनऊ के ६० पर्चियां बिना जारी किये तौली गई हैं इस पर कटौती का गन्ना है। भारी लूट खसोट जारी है।]

प्रस्तुत पत्र माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय गन्ना विकास मंत्री से मांग करता हूं कि उक्त मील की लूट खसोट बन्द करा दें।]

मऊ जनपद के नत्थूपुर निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत बैरियाडीह के सामने हाहा नाले पर पुल बनवाने के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान मऊ जनपद में नत्थूपुर निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत मर्यादपुर से बैरियाडीह होकर गजियापुर जाने वाले मार्ग पर हाहा नाला में बैरियाडीह के सामने पुल के निर्माण के संबंध में आकृष्ट कराना चाहता हूं जिससे क्षेत्र के सैकड़ों गांव आवागमन हेतु प्रभावित हैं। इस पुल के न होने से मर्यादपुर से गजियापुर जाने वाले व्यक्तियों को अत्यधिक कष्ट सहित दस गुनी दूरी तय करने के साथ-साथ अतिरिक्त व्यय भार सहन करना पड़ता है जिससे आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण मामले को सदन के संज्ञान में लाते हुए अनुरोध करता हूं कि इस पर चर्चा करायी जाय एवं शासन की स्थिति स्पष्ट करायी जाय।]

जनपद टिहरी गढ़वाल के जिला मुख्यालय नई टिहरी के कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री लाखीराम जोशी–

[मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल के जिला मुख्यालय नई टिहरी के कर्मचारी १२ फरवरी, सन् १९९२ से एक सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर हैं, उनकी मांग स्वीकार कर हड़ताल समाप्त करने की कृपा करें।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गाजीपुर में लोक निर्माण विभाग (सेतु निगम) द्वारा टोंस नदी पर पुरानीगंज घाट पर अधूरे निर्मित पुल का निर्माण यथाशीघ्र कराने के संबंध में, नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के जनपद गाजीपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग (सेतु निगम) द्वारा टोंस नदी पर पुरानीगंज घाट पर कासिमाबाद, बहादुरगंज, इटौरा मार्ग पर पक्के पुल के निर्माण कार्य के संबंध में आकर्षित कराना चाहता हूं। इस पुल का निर्माण कार्य सेतु निगम द्वारा ५ साल से चल रहा है। लगभग २ वर्ष से इस पुल का निर्माण कार्य बन्द है। इससे उस क्षेत्र के कृषकों, स्थानीय व्यापारियों तथा सामान्य जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। इस पुल के अधूरे निर्माण कार्य को न पूरा करने के विरोध में स्थानीय जनता ने हजारों की संख्या में धरना एवं प्रदर्शन किया कि इस पुल का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाये, जिससे लोगों को आने-जाने में सुविधा मिल सके।

अतः आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि उपरोक्त पुल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाये जिससे लोगों को आवागमन के लिये न्याय मिल सके।]

जौनपुर जिलान्तर्गत कतिपय गावों में पेयजल समस्या उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री किशोरी लाल यादव –

[मान्यवर, ४४ स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भी लोग आज स्वच्छ पानी पीने के लिये तरस रहे हैं जौनपुर जिलान्तर्गत जमुआ ग्राम के चारों तरफ मघईपुर, चकझगालिज, मेहदीहसनपुर आदि गांवों के लोगों को मीठा पानी स्वच्छ सा लगता है करीब १०,००० लोग बाजार से पानी लाते हैं या नहर का पानी पीने के लिये बाध्य हैं यहां इण्डिया मार्क-२ हैण्ड पम्प भी सफल नहीं है ऐसी परिस्थिति में जमुआ बन्द पड़े ट्यूबेल से पानी आपूर्ति की जाय तो आसानी से लोगों को पानी मिल सकता है राम राज्य की कल्पना के अंतर्गत सरकार यदि पानी की सुविधा दे दे तो अति उत्तम होगा यहां अब तक कर्मचारियों की उदासीनता के कारण यह काम सम्भव नहीं हो पाया है।

अस्तु पीने के पानी की समस्या मैं माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।]

निर्दलीय सदस्यों को बोलने की अनुमति न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(शोर)

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मानयवर, यह परम्परा गलत है, यह लोग शोर कर रहे हैं। इसको नियंत्रित करें।

श्री अध्यक्ष–

यह परम्परा गलत है, कृपया शांत रहें। इस प्रकार की बातें शोभनीय भी नहीं हैं।

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा सदन से विनम्र निवेदन है कि हमारी भावनाओं को भी देखा जाय। हम निर्दलीय सदस्यों की बातों को नहीं सुना जा रहा है।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर, हम व्यवस्था चाहते हैं कि निर्दलियों के लिये कोई ऐसी व्यवस्था कर दें कि वे अपनी बात कह सकें। छोटे-छोटे दल हैं। बड़े दल के एक नेताजी खड़े हो गये तो आपने एक अवसर दे दिया। आप निर्दलियों के लिये कोई व्यवस्था दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा ही एक प्रश्न माननीय निर्वेन्द्र कुमार जी ने भी उठाया था। मैं यह पूरा प्रयास करूंगा कि निर्दलीय सदस्यों को भी अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिले।

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, आप सर्वोच्च पद पर बैठे हैं। आपने एक व्यवस्था दी। हमारा ज्ञान आपसे कम है। आप काबिल वकील हैं, तमाम जूनियर जज हो गये, लेकिन आपने जो व्यवस्था दी है उसमें मैं आपका ध्यान बड़ी विनम्रता से आकृष्ट कर दूं कि आपने अपनी व्यवस्था में स्पष्ट कहा कि मैंने ११-१२ सदस्यों को इसलिये कहा कि वे वेल में आ गये थे। अपने स्थान पर बैठ कर व्यवधान नहीं चल रहा था। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपकी इस व्यवस्था से कहीं यह परम्परा न बन जाय कि सदस्यगण वेल में न जायं और वेल के बाहर कितना भी व्यवधान पैदा करें।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा नहीं हो सकता।

श्री अतीक अहमद–

आपकी इस व्यवस्था से लगता है कि सत्ता पक्ष की ओर से वकील नियुक्त कर दिया है। आपकी बात वकील की तरह से थी। अगर सत्ता पक्ष के लोग इस तरह बोलने लगें तो विपक्ष भी इसी तरह हाउस में व्यवधान डाल सकता है। अगर १० सदस्य भी इस तरह बोलने लगें तो हाउस नहीं चल सकेगा।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था केवल नियम २९९ के उप नियम १ के बारे में है।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न

* श्री नरेश अग्रवाल–

आप नियमावली के नियम २६ को देखें जिसमें प्रश्नों का विषय शुरू हुआ है और श्रीमन्, नियम ३१ में प्रश्नों के लिये समय दिया है, लेकिन श्रीमन्, इस नियमावली में यह नहीं दिया है कि अगर किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में हाउस में प्रश्नकाल ही न हो तो उस दिन के प्रश्न उत्तरित समझे जायेंगे या दूसरे दिन लिये जायेंगे। अनुपस्थित सदस्यों के लिये नियम ३९ बना है लेकिन प्रश्नकाल न हो तो नियमों में नहीं है कि ये प्रश्न दोबारा लिये जायेंगे या उत्तरित समझे जायेंगे। मैं इस संबंध में व्यवस्था चाहता हूं कि नियमों को देख लें और जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनको दूसरे बुध के दिन ले लें ताकि उन प्रश्नों के उत्तर आ जायं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम ४१ की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें कथन है कि यदि उत्तर के लिये किसी तिथि को निर्धारित कोई अल्पसूचित अथवा तारांकित प्रश्न किसी कारण से उक्त तिथि को सदन में न लिया जा सके तो उसका उत्तर दिया हुआ माना जायगा और ऐसे समस्त प्रश्नों के लिखित उत्तर उस दिन की कार्यवाही के अंश के रूप में प्रकाशित किये जायेंगे। तो यह व्यापक शब्दावली है। इसमें पूरी व्यवस्था है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह सदन का सौभाग्य है कि आप जैसे ज्ञानी पुरुष और मनीषी इस कुर्सी पर बैठे हैं। मुझे केवल एक दुख है कि जो प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं । आप जैसे मनीषी के वहां पर बैठने के बावजूद प्रश्नों के संबंध में शासन पूरा संज्ञान नहीं ले रहा है और वही पुरानी परिपाटी चल रही है। ऐसा लगता है कि प्रश्नों को जानबूझ कर छोटे मोटे ढंग से लिया जा रहा है और इस प्रकार हमें अपने अधिकार से वंचित किया जा रहा है । मेरा अतारांकित प्रश्न है। इस पर हम पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। मैं उसका उत्तर समुचित रूप से दिये जाने की आपसे अपेक्षा करता था और वह उत्तर जो है समुचित रूप से मेरे पास नहीं आया। एक मामला है अलीगढ़ जिले का, एक नहर मांट ब्रांच फीडर के नाम से निकाली गयी है जिसमें श्री राम सरन पुत्र श्री आरामी सिंह निवासी–ग्राम खेड़ा सत्तू तहसील खैर की कृषि योग्य भूमि चली गयी है। इस किसान के पास जितनी उपजाऊ भूमि थी, सब चली गयी, केवल एक या डेढ़ बीघा जमीन जो ऊसर है, रह गयी है, इसलिये उसका पूरा परिवार बेजार और बेकार हो गया है। स्थिति यहां तक है कि वह गांव छोड़कर दूसरी जगह चला गया है और भीख मांग कर अपना पेट पाल रहा है। स्थानीय तहसीलदार और परगनाधिकारी आदि ने भी यही रिपोर्ट शासन को भेजी है। शासन का आदेश भी है कि इस तरह से जिन किसानों की जमीन भूमि अध्याप्ति के आदेश के द्वारा अधिग्रहीत की जाय, उनके परिवार के किसी सदस्य को सेवायोजन में वरीयता के आधार पर समायोजित किया जाय, किन्तु आश्चर्य है कि जो उत्तर मुझे दिया गया है, उस उत्तर को मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। उत्तर यह है कि उक्त आदेशों में औद्योगिक इकाइयों में भूमि अध्याप्ति के फलस्वरूप प्रभावित परिवार के सदस्य को सेवायोजन में केवल वरीयता दिये जाने का प्राविधान है। मान्यवर, आप विज्ञ पुरुष हैं, मनीषी हैं, वरीयता में 'केवल वरीयता' शब्द की खोज सिंचाई विभाग ने कहां से कर ली। आप स्वयं बता दें। मैं समझता हूं कि इसमें जानबूझकर प्रश्नकर्ता को प्रवंचित किया गया है।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के प्रवंचित करने वाले उत्तर आपके द्वारा ग्राह्य नहीं होने चाहिए और आप व्यवस्था दें कि मंत्रि परिषद के साथी उत्तर देने में स्पष्टता और समीचीनता का पूरा ध्यान रखें। मैं यह भी चाहूंगा कि इस प्रकार के अधूरे और अर्थविहीन उत्तरों को आप विभाग को वापस किये जाने की व्यवस्था करें। मैं मान्यवर, इस प्रश्न का समीचीन उत्तर न आने के कारण इस विषय पर नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

इस समय माननीय सिंचाई मंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उपस्थित हैं, जो भी उत्तर आये, मैं अपेक्षा करूंगा, वह समुचित आये। माननीय राणा जी ने मुझको लिखित रूप में सूचना दी थी। माननीय मंत्री जी कृपया इस ओर ध्यान दे दें।

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, स्पष्टीकरण चाहें, तो लिखित दे देंगे, तो उत्तर दे दूंगा।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, इसमें परिवार के सदस्य को केवल वरीयता दिये जाने शब्द का प्रयोग किया गया है। मान्यवर, आप भाषा विज्ञानविद् हैं। माननीय मंत्री जी ने इस शब्द की खोज कहां से कर ली, मैं नहीं जानता, आप मुझे बता दें, मैं यह समझता हूं कि यह निरर्थक है। मान्यवर, वरीयता, केवल वरीयता और वरीयतम शब्दों का प्रयोग मंत्री के उत्तर में नहीं होने चाहिए। उत्तर पूरा स्पष्ट और सुबोधगम्य होना चाहिये। केवल वरीयता, वरीयता, वरीयतम में क्या और कौन सा मापदण्ड अपनाया गया है?

सदन से निष्कासित सदस्यों के निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध

* श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, जैसा कि हमारे नेता विरोधी दल, माननीय नरेश अग्रवाल जी, माननीय नेता जनता दल (अ) श्री कैलाश नाथ सिंह यादव ने आपसे अपेक्षा की है कि जिन माननीय सदस्यों को आपने आज के लिये निलम्बित किया, उस पर आपने गौर करने के लिये कहा है कि मैं उस पर दुबारा गौर करूंगा। तो नियम ३००, ३०१, ३११ में अगर उनका कोई सवाल लगा हुआ है, तो और आप उन तीनों माननीय नेताओं की बात को मान लें, तो वह यहां पर सदन में आकर, सदन में अपने प्रश्न को रख सकेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा है कि मैंने कह दिया है कि मैं अभी माननीय नेताओं से परामर्श करके बात कर लूंगा।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न (क्रमागत)

*श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में मैं व्यवस्था चाहता हूं। मान्यवर, प्रश्न संख्या १४१, १४२, १४३ और १५७, १५८ और १५९, अतारांकित रूप में माननीय कृषि मंत्री ने मुझको उत्तर दिया है, मैं मानता हूं कि मंत्री जी ने बड़ी सदाशयता का परिचय दिया है। मान्यवर, जब मैंने आरोप लगाया, तो माननीय मंत्री जी ने उसको स्वीकार किया है। माननीय मंत्री जी ने ३६, ६२ रु० की वित्तीय अनियमितताओं का दोषी मार्च, १९९१ में कार्यवाहक निदेशक, उद्यान डा० आर० डी० सिंह को पाया गया। मान्यवर, प्रश्न में जब मैंने मांग की कि कतिपय धनराशि की अनियमित आहरण का कोई बिन्दु प्रकाश में आया है, तो माननीय मंत्री जी ने इसको भी स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, लखनऊ में विशेषज्ञ के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप डा० आर० डी० सिंह को उद्यान निदेशक के पद का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया था और मार्च, १९९१ में इनके द्वारा कतिपय धनराशि के अनियमित आहरण का मामला प्रकाश में आया है। यह भी माननीय मंत्री जी ने माना है, इसके अलावा तीसरा प्रश्न यह था कि क्या कृषि मंत्री जी बतायेंगे कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कार्यवाहक निदेशक उद्यान डा० आर० डी० सिंह द्वारा दिनांक ५-६-९१ को पौधों की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्रय और विक्रय के संबंध में दरें बढ़ा दी गयी हैं, इसको माननीय मंत्री जी ने माना है और डा० सिंह के विरुद्ध कतिपय अन्य मामलों में की गयी अनियमितताओं के आरोप के संबंध में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। माननीय मंत्री जी ने सदाशयता का परिचय दिया है। दो अधिकारियों का नाम लिया गया है, जिनमें से एक श्री भाटी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है, लेकिन जो प्रमुख रूप से दोषी अधिकारी है, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दें। नियमों में कार्यवाही करने का प्राविधान है, आप लिखकर दे दें। उसके लिये व्यवस्था है, एक नहीं अनेक व्यवस्थायें हैं।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, मैं तारांकित प्रश्न सं० २ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश शासन की आर्थिक नीति को मजबूत करने के लिये कुछ सुझाव दिये थे। मैंने यह सुझाव दिया था कि क्या सरकार डिस्टिलरियों को सहकारी घोषित अथवा चीनी मिल से सम्बद्ध कर चीनी मिल में होने वाले घाटे की पूर्ति करने पर विचार करेगी, संबंधित मंत्री जी ने बताया है कि संघ में वर्तमान में सभी नयी आसवनियां चीनी मिलों से सम्बद्ध करके स्थापित की जा रही हैं, परन्तु मेरे एक प्रश्न का उत्तर रह गया, जिसका माननीय मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया है और वह यह है कि उसमें कृषकों का अंश न होने के कारण क्या हैं। इसका उत्तर नहीं आया है?

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक प्रश्न को दूसरी तरह से उठाना चाहते हैं। आप लिखकर दे दें।

नियम ३०० के अन्तर्गत जो लिखित सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनको ले रहा हूं, आपने तो लिखित सूचना भी नहीं दी है। आप अपने अधिकार की ओर जागरूक भी नहीं रहे हैं।

श्री सुधीर–

मान्यवर, मेरा अतारांकित प्रश्न सं० ११७ है, जिसमें मैंने पूछा था कि क्या बलिया जनपद के सोहांव विकास खण्ड में कितने लिफ्ट कैनाल हैं.....

श्री अध्यक्ष–

नियमों में प्राविधान है। अगर आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, उत्तर अपूर्ण है, अशुद्ध है, तो सूचना दे दें।

श्री सुधीर–

मान्यवर, आप निर्देशित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

इस तरह से निर्देशित नहीं किया जाता है, आप लिखकर दे दें।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम ३०० के अन्तर्गत १२ सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना सर्वश्री कुंवर रेवती रमण सिंह, राम आसरे वर्मा, डा० बृजभान यादव, विजय पाल सिंह तोमर, सोमांश प्रकाश और वीरेन्द्र सिंह की परसपुर जनपद गोण्डा के छात्रों के प्रति सरकार द्वारा अपनायी गयी दण्डात्मक नीति के संबंध में है। मेरा निवेदन है कि सदन के समय को ध्यान में रखते हुए कोई एक माननीय सदस्य अपनी बात सदन में ग्राह्यता पर रख दें, एक सदस्य ग्राह्यता पर कह लें।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, जो परम्परा चली आ रही है, उसी के अनुसार चलने दें, जिन माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं, उनको भी समय अवश्य दें आप उसमें कटौती न करें।

श्री अध्यक्ष–

आज पूरक अनुदान है और माननीय नेता विरोधी दल जानते हैं, ३ विधेयक भी हैं।

श्री लाल जी वर्मा द्वारा नियम ३११ के अन्तर्गत दी गयी सूचना को औचित्य के प्रश्नों की सूचनाओं में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, ३११ का इसी पर मेरा है, उसको इसी के साथ जोड़ कर सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले व्यवस्था यह थी कि कई सदस्यों के हस्ताक्षर होते थे और एक को सुना जाता था। (व्यवधान)

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, आप प्रोसीडिंग को मंगाकर देख लें। जितने लोगों के हस्ताक्षर होते थे वह सभी माननीय सदस्य उस पर बोलते थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अति संक्षेप में अपनी बात कहें।

जनपद गोण्डा के परसपुर कस्बे में छात्रों के प्रति अपनायी गयी दमनात्मक नीति के आरोप के संबंध में औचित्य का प्रश्न

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, यह सरकार जिसकी एक बार नहीं अनेक बार इस सदन में कहा जा चुका है कि पुलिस की बर्बरता के बल पर आज ये अपनी सरकार चला रहे हैं। आज जनभावनाओं की जन आकांक्षाओं की इनको कोई परवाह नहीं है। मान्यवर, एक नहीं मैंने कहा था कि ५ जगह छात्रों पर गोली चलायी गयी जिसमें तमाम छात्र मरे हैं और अनेक जगह छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। मान्यवर, परसपुर का कांड एक बड़ा ही शर्मनाक कांड है और यह इस सरकार पर एक ऐसा धब्बा है जो सरकार मिटा नहीं सकती। मान्यवर, सरकार एक बात कह देती है कि हमने मुकदमा कायम करवा दिया लेकिन जिन

४ छात्रों की जानें चली गयी हैं क्या मुकदमा कायम करा देने से वह छात्र जिन्दा हो जायेंगे वह छात्र जो अपने परिवार के अकेले लड़के थे, वह उस परिवार के इकलौते छात्र क्या मुकदमा लिखा देने से उस परिवार में वापस आ जायेंगे, कदाचित नहीं। मान्यवर, इस तरह से इस सरकार ने पुलिस को निरंकुश कर उनको आदेशित कर रखा है। यह केवल पुलिस को यहां बचाने का काम करेंगे, और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पुलिस को दंड दिया जा सके। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पुलिस की ही बात करते हैं तो जो छात्र मरे हैं उनके बारे में पुलिस ने क्या रिपोर्ट लिखायी, कितने राउंड फायरिंग रिवाल्वर से की गयी और कितने राउण्ड फायरिंग रायफल से हुई है?

मान्यवर, जब वहां पाब्लिक का जमाव हुआ और कटघरे में खड़ी हुई पुलिस, तो इन्होंने मजबूरी में दो एस० आई० को निलम्बित कर दिया। मान्यवर, अगर उनकी रिवाल्वर से गोली चल गयी तो आपने उन्हें निलम्बित कर दिया लेकिन जो पी० ए० सी० की रायफल से गोलियां चली उनके खिलाफ क्या किया, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ है स्वयं एस० आई० ने, एस० ओ० ने मुकदमा लिखाया है। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं चाहता हूं कि नियम कानून सबके लिये एक सा होना चाहिए। अगर नेताओं के खिलाफ एफ० आई० आर० लिखायी जा सकती है तो उन तमाम पी० ए० सी० के सिपाहियों के खिलाफ और उनके जो अफसर रहे हैं जितने राउण्ड गोली चली हैं उन रायफलों से, उनके खिलाफ भी आपको मुकदमा लिखाना चाहिए और न्याय के तहत उनको गिरफ्तार कर के जेल भेजना चाहिए। मान्यवर, तभी हो पायेगा जब आप बचाव का रास्ता छोड़कर न्याय का रास्ता अपनायेंगे तभी लोगों के मन में आपके प्रति विश्वास पैदा होगा वर्ना आपकी सरकार से हर वर्ग के लोग त्रस्त हैं। आपकी सरकार ने जो वायदे किये थे, जनआकांक्षाओं को, जनता में कहा था, पूरा करेंगे। लेकिन बजाय उसको पूरा करने के चाहे छात्र हो, दलित हो, किसान हो, अल्पसंख्यक हो किसी को आपने बख्शा नहीं है। मेरा आग्रह है कि कृपया यह सुनिश्चित करायें कि जो रायफलों के द्वारा पी० ए० सी० की गोली चली है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाय और जो छात्र मरे हैं उनको एक-एक लाख रुपये का मुआवजा प्रति छात्र देने की घोषणा करें।

डा० बृजभान यादव–

श्रीमन्, यह सरकार छात्र विरोधी है, यह बात बार-बार प्रमाणित हो चुकी है और हो रही है और उसे प्रमाणित करने में सरकार को कोई हिचक नहीं है। परसपुर में जो कुछ हुआ उसके बारे में माननीय नेता विरोधी दल ने बहुत सी बातें कहीं। परसपुर नरसंहार की बात हो, नकल को संज्ञेय अपराध घोषित करने की बात हो यह सरकार लगातार छात्र विरोधी प्रमाणित होती दिख रही है। मान्यवर, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए परसपुर के छात्रों को गोली से भून दिया गया। नैतिकता का तकाजा है कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी वारदातों से बचने के लिये वह क्या कर रहे हैं वह बतायें या तत्काल उनका इस्तीफा ले लिया जाय?

श्री अध्यक्ष–

यह आपने नहीं कहा कि औचित्य का प्रश्न कैसे बनता है यह?

डा० बृजभान यादव–

पूरे प्रदेश में छात्रों में भयंकर असंतोष फैल रहा है इस सरकार के खिलाफ और वह दिन दूर नहीं जब वे सब छात्र सड़कों पर आ जायेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जो बात माननीय नेता विरोधी दल ने कही है, मृतक छात्रों के परिवारजन को उचित मुआवजा दिया जाय, जो लोग दोषी पाये जायं चाहे वह पी० ए० सी० के हों या पुलिस के हों उनके खिलाफ कार्यवाही हो। यह

पता लगा है कि बिना किसी के आदेश के गोली चलायी गयी है। वह गोली किस के आदेश से चलायी गयी वह बताया जाय प्रदेश की जनता को यह जानने का अधिकार है। सदन में सारी बातें सामने आनी चाहिए।

श्री लाल जी वर्मा–

मैं रोज सुनता हूं मान्यवर.....

श्री अध्यक्ष–

अभी मैंने आपको अनुमति नहीं दी।

*श्री लाल जी वर्मा–

मैंने इसी विषय पर नियम ३११ में सूचना दी है, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि उसको इसमें जोड़ लें। इस पर सुन लें, अलग क्यों सुनेंगे?

रोज विधान सभा में या विधान सभा के बाहर माननीय मुख्य मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री भयमुक्त समाज की बात किया करते थे लेकिन भयमुक्त जनता नहीं हो पा रही है। आज गोंडा में जब छात्र अपने एक अध्यापक की गिरफ्तारी को लेकर उसकी नाजायज ढंग से की गयी गिरफ्तारी को लेकर एक शांतिपूर्वक ढंग से ज्ञापन दे रहे थे, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, उस समय बिना बात के देखते ही देखते उन पर गोली चला दी गयी जिसमें छः छात्र प्रदीप कुमार, अशोक कुमार, इन्द्र प्रकाश, विजय कुमार, हरीशंकर, बृजेश कुमार – यह छः छात्र तत्काल मारे गये। तमाम छात्र जख्मी हैं। अकारण गोली चलाने का वहां काम किया गया। दो लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। तमाम लोग और भी दोषी हैं? इसी तरह से फैजाबाद में गोली चलायी गयी। गाजीपुर में हुआ गोली चलायी गयी। मान्यवर, छात्र ही नहीं, २० तारीख को वकील बन्धुओं पर पुलिस ने जुल्म ढाये। एक वकील श्रीवास्तव जी को बिना किसी जायज कारण के मारकर उनकी टांग तोड़ दी गयी। जनता भयमुक्त नहीं है इनकी पुलिस जरूर भय रहित हो गयी। लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। मान्यवर, इस कारणों से आज पूरे समाज में, पूरे प्रदेश के छात्रो में आक्रोश व्याप्त है। हफ्तों-हफ्तों तक गोंडा, बहराइच, फैजाबाद में सभी शिक्षण संस्थायें बंद रहीं। आज भी फैजाबाद की तमाम शिक्षण संस्थायें बंद हैं। हजारों हजार छात्र जेलों में बंद हैं। मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि नियमों को निलम्बित करके इस पर चर्चा करायी जाय।

*वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, परसपुर में जो हुआ है, यह हम स्वयं स्वीकार करते हैं कि बड़ा दुखद, दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है और इसलिये तत्काल वहां पर कार्यवाही की गयी। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि कोई निलम्बित नहीं किया गया, दो दरोगा ३०२ के मुल्जिम बनाकर जेल भेज दिये गये।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह तो मैंने कहा कि दो के खिलाफ कार्यवाही की।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

एक सिपाही के ऊपर ३०२ का मुकदमा दर्ज है। एस० पी०, एस० डी० एम० और सी० ओ० वहां के, इन सबको हटा दिया गया है। यह बात सही है कि जो मृतक है उसकी जान की कीमत नहीं है। फिर भी ५०-५० हजार रु० प्रत्येक मृतक परिवार वालों को दिये गये हैं। जो गम्भीर रूप से घायल हैं, उनके लिये १० हजार रुपये की घोषणा की गयी है और जो दो एक बिन्दु उठाये गये हैं उनके बारे में पूरे प्रकरण की जांच सी० आई० डी० से करायी जा रही है और इसकी रिपोर्ट आयेगी उसके आधार पर निर्णय लिया जायेगा तथा बाकी जो-जो बातें कही हैं उसकी जांच होगी और जो लोग दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी, उन्हें बख्शा नहीं जायेगा। मान्यवर, यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में उत्तेजना है, क्योंकि लोगों ने संतोष की सांस ली है, इस समय वहां पर कोई असंतोष नहीं है न ही वहां पर कोई तनाव है तथा स्थिति बिल्कुल सामान्य बनी हुई है क्योंकि शासन ने इस पर तुरन्त एक्शन लिया है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके संबंध में दो-तीन स्पष्टीकरण चाहता हूं। एक तो उन्होंने यह कहा कि मृतक के परिवार वालों को ५०-५० हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जायेगी तो मैं चाहता हूं कि इसे वह १ लाख रुपये की करने की घोषणा करें, जो छात्र जेलों में बन्द हैं उन्हे तत्काल रिहा करने की घोषणा करें। तीसरा यह कि जो पुलिस रिपोर्ट लिखायी गयी है, आप स्वयं जानते हैं कि वहां पर कई राउण्ड फायरिंग हुई थी, तो जो रिवाल्वर से गोली चला रहे थे उन्हें तो आपने जेल भेज दिया मगर जिन्होंने राइफल से गोलियां चलायीं उनकी आप जांच सी० आई० डी० से करवा रहे हैं, तो मैं यह चाहता हूं कि जिन्होंने राइफल से गोलियां चलायीं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो प्रथम दृष्टया हमें जानकारी मिली है उसी के आधार पर हमने कार्यवाही की है। बहुत जल्दी ही रिपोर्ट आ रही है और जिनके खिलाफ कार्यवाही करनी होगी उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। माननीय सदस्य को शायद जानकारी नहीं है। वह पुरानी बात बता रहे हैं। अद्यतन स्थिति यह है कि जो लोग इसमें मरे हैं उनके परिवार वालों को ५०-५० हजार रुपये की राशि देने की घोषणा की गयी है इससे अधिक बढ़ाना सम्भव नहीं है।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से दो-एक स्पष्टीकरण चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष–

३०० की सूचनाओं में स्पष्टीकरण नहीं होता है।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, मुझे कह लेने दें। मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से इस सम्पूर्ण प्रकरण के संदर्भ में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। विगत वर्षों में जब इस प्रदेश में श्री मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो वह एस० डी० एम० जो इस घटना में पोस्टेड है, क्या यह वही एस० डी० एम० था जो उस वक्त कर्नैलगंज में पोस्टेड था? दूसरा यह है कि जो ५०-५० हजार रुपये की अनुग्रह राशि माननीय

संसदीय कार्य मंत्री जी ने देने की घोषणा की है मृतक के परिवार वालों को, तो मान्यवर, विगत दिनों जब एकता यात्रा पर गोलियां चलायी गयी थीं तो उसमें मरने वाले के परिवार वालों को एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की गयी थी तो यह अन्तर क्यों है इसकी व्यवस्था देने का कष्ट करें?

श्री अध्यक्ष–

यह बड़ा विस्तृत प्रश्न है। माननीय रेवती रमण सिंह जी व पांच अन्य विधायकों की जो सूचना थी उसका उत्तर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दे दिया है। यह सूचना नियम-३०० के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये मैं इसे निरस्त करता हूं। दूसरी सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी, कुंवर अखिलेश सिंह व श्री अकबर हुसैन की अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछे जाने के संबंध में है।

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय राम गोविन्द चौधरी जी तो सदन में नहीं हैं। वे सदन छोड़कर जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे निरस्त करता हूं।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर द्वारा सहकारिता मंत्री को भेजे गये पत्र का उत्तर प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, अनुसूचित जातियों के कर्मचारी के स्थानान्तरण के बारे में आपके माध्यम से, माननीय सहकारिता मंत्री जी को पत्र भिजवाया था। यह पत्र आपके कार्यालय से गत दिनांक ३-९-९१ को प्रेषण रजिस्टर में २२०७ संख्या के आधार पर अंकित है, उस पत्र के संदर्भ में मुझे आज तक कोई भी सूचना सहकारिता मंत्री के यहां से नहीं प्राप्त हुई है। इस संबंध में मैंने आपसे भी वार्ता की थी और वार्ता के उपरान्त मैंने स्वयं सहकारिता मंत्री के कार्यालय में जाकर सम्पर्क स्थापित किया, वहां पर जो उनके निजी सचिव थे, उनका व्यवहार अत्यन्त निराशाजनक रहा, उन्होंने कहा कि आपका यहां कोई भी प्रार्थना-पत्र उपलब्ध नहीं है और न ही कोई पत्र यहां आया है। मैं जानना चाहूंगा कि एक विधायक का पत्र जो किसी भी माननीय मंत्री महोदय को भेजा जाता है तो उसका उत्तर आया करता है। मान्यवर, मेरा पत्र आपकी टिप्पणी के साथ सहकारिता मंत्री को प्रेषण रजिस्टर पर चढ़ाकर भेजा गया, जो वहां प्राप्त भी हुआ है, उस पत्र का कोई भी ब्योरा आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। यह बड़ा गम्भीर विषय है और विधायकों के पत्रों को इस तरह रद्दी की टोकरी में फेंकने का काम होगा, तो विधायकों को संरक्षण कहां से प्राप्त होगा? मान्यवर, यही मेरा औचित्य का प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दें और सहकारिता मंत्री को निर्देश दें कि वह उस पत्र के बारे में पता लगवायें कि उस पत्र का क्या हुआ है?

* वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, नियम ३०० की ग्राह्यता के बारे में शर्तें दी हुई हैं, इस सदन के सामने कोई मामला लम्बित है, या नियमों से संबंधित कोई बात हो, यह तो केवल एक पत्राचार का मामला है। अगर उनका पत्र नहीं मिला तो सहकारिता मंत्री से मिलकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मुझे संकेत कर देते, मैं पता करवा देता, लेकिन अगर इस तरह का विषय इस तरह उठाया जायेगा, तो कुछ परम्परायें सही नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बन पायेंगीं। यह जो मामला है यह नियम ३०० में नहीं आता। जहां तक पत्र का ताल्लुक है, माननीय सदस्य मुझसे मिलेंगे, मैं उनके साथ जाकर पत्र दिखवा दूंगा। यह तो बहुत छोटा सा मामला है और इसको इस तरह लाना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर के द्वारा दी गयी सूचना नियम-३०० में ग्राह्य नहीं है, मैं इसे अस्वीकार करता हूं। चौथी सूचना श्री संत श्रीराम द्विवेदी की है, यह भी नियम ३०० के अन्तर्गत नहीं आती, इसे भी अस्वीकार करता हूं।

चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों का शोषण किये जाने विषयक वक्तव्य के गलत होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

पांचवीं सूचना श्री स्वामी नाथ यादव की है।

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गन्ना मंत्री जी ने सदन में जो गन्ना किसानों के संदर्भ में वक्तव्य दिया है, लगता है कि पूरा वक्तव्य उन्होंने गोण्डा के संबंध में दिया है। यह बहुत स्पष्ट है कि यह सरकार किसान विरोधी है। यह सरकार पूंजीपतियों और व्यापारियों की है, गन्ना किसानों, खेतिहर मजदूरों की तरफ इसका कोई ध्यान नहीं है। मान्यवर, मंत्री जी के वक्तव्य की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि वर्ष ९०-९१ का ९९ प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया गया है। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, गन्ना मंत्री से कि जनपद देवरिया में ९९ प्रतिशत भुगतान नहीं कराया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि चालू सत्र में ६० फीसदी भुगतान अब तक कराया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि देवरिया जनपद में १४ चीनी मिलें है और देवरिया सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन करता है, वहां सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन होता है, लेकिन मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि वहां २० प्रतिशत से ज्यादा गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान नहीं कराया गया है, जबकि माननीय मंत्री जी ६० प्रतिशत की बात कर रहे हैं। मेरे यहां एक शुगर फैक्टरी भटनी में है, जहां मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग गन्ना देते हैं, आज भी वहां जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी गन्ना किसानों का पैसा टैगिंग के खाते में जमा नहीं किया गया है। जो गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का पैसा होता है। गन्ना किसानों का पैसा मनमाने ढंग से खर्च कर दिया गया है, जिससे गन्ना किसानों का भुगतान रुक गया है। उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान आपके राज्य में मरने के कगार पर पहुंच गया है। अब तो आप गन्ना किसानों की तरफ धैर्य से ध्यान दें। आपने कहा कि पर्ची की हेरा-फेरी नहीं हो रही है। संयोग से मेरे क्षेत्र का गन्ना व माननीय श्री शाही जी के क्षेत्र का गन्ना भटनी शुगर फैक्ट्री में जाता है।

श्री अध्यक्ष–

नियम ३०० के अन्तर्गत क्या बात आती है, इसमें वह बात आप कहें।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि अगर सरकार की गन्ना किसानों के बारे में यही नीति रही तो प्रदेश के ५० प्रतिशत गन्ना किसानों का गन्ना खेतों में फूंका जायेगा।

पर्चियों की हेरा-फेरी की बात है। मेरे ही क्षेत्र में मठदनौर केन यूनियन भाटपार रानी (देवरिया) में ६० ट्रालियों की पर्ची फर्जी रूप से बेची गयी हैं। इस संबंध में मैं आपको लिखित रूप से प्रेषित भी कर चुका हूं। आप इसकी जांच करवा लें। टायर में ५ क्विन्टल व ट्राली में १० क्विन्टल की कटौती की जा रही है। यह आपके राज्य में यही हो रहा है। आज गन्ना किसानों की हालत बहुत खराब है।

गन्ना विकास मंत्री (श्री हनुमन्त सिंह)–

मान्यवर, गन्ना के संबंध में अभी जो चर्चा हुई, वैसे वह नियमों के अन्तर्गत नहीं आती। मैं बताना चाहता हूं कि हमने गन्ने का मूल्य बढ़ाया।

(माइक में साफ आवाज नहीं आ रही थी)

श्री हनुमन्त सिंह–

गन्ने की पर्चियों में धांधलीगर्दी की बात कही गयी। मैं बताना चाहता हूं कि हमने क्षेत्रीय स्तर पर जांच दल बनाये हैं जो मौके पर जाकर जांच कर रहे हैं। इसी कारण अभी तक ८० के ऊपर कर्मचारी निलम्बित किये जा चुके हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि गन्ना किसानों का गन्ना पड़ा रहेगा। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि यह पहली सरकार है जब १७७ लाख क्विन्टल गन्ने की पेराई हुई है।

श्री अध्यक्ष–

नियम ३०० के अन्तर्गत श्री स्वामी नाथ यादव जी ने जो सूचना दी है, वह नियम–३०० के अन्तर्गत नहीं आती है। वक्तव्य गलत होने के संबंध में प्रक्रिया संबंधी निदेश के अन्तर्गत सूचना दी जा सकती है। इसे मैं अस्वीकार करता हूं।

मंत्रियों द्वारा सरकारी गाड़ियों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना बन्द किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री नरेश अग्रवाल जी की है।

* श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इस विधान सभा का निर्माण संविधान के अनुसार हुआ। जो हमारा यह राष्ट्रीय ध्वज है, इसे भी संविधान के अनुसार ही माना गया। श्रीमन्, प्रदेश के मंत्रियों को गौरव बढ़ाने का अधिकार मिला कि वे सरकारी गाड़ियों में तिरंगा झंडा लगाकर चलें। यह भी सौभाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी का भी झंडा तिरंगा ही है लेकिन उसमें चरखा बना हुआ है। उसमें चक्र नहीं है। लेकिन इस सरकार के मंत्रियों को कांग्रेस फोबिया इतना है कि वह तिरंगा झंडा चक्रवाला भी सरकारी गाड़ियों में नहीं लगाते जब कि नियम है कि सूरज उगने और अस्त होने तक सरकारी गाड़ियों में बैठेंगे तो तिरंगा झंडा लगाना आवश्यक है। लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश का कोई भी मंत्री दिन में गाड़ी पर जब चलता है तो तिरंगा झंडा नहीं लगाता है (व्यवधान) यह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है, संविधान का अपमान है और इस सदन का अपमान है क्योंकि इस सदन की नियमावली जो संविधान के अनुसार बनी है उसी से विनियमित होती है। (व्यवधान) माननीय सदस्य यहां पर कभी-कभी आते हैं।

तो मेरा निवेदन है कि आप निर्देश दें मंत्रियों को कि जब कभी वह लखनऊ से बाहर चलें तो तिरंगा झंडा लगा कर चलें उसे कांग्रेस का झंडा न समझ लें। यह सबका है किसी पार्टी का नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल जी आप अनुभवी सदस्य हैं नियम ३०० खोल कर देख लें (व्यवधान) क्यों कि जो विषय आपने उठाया है बहुत गम्भीर है।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मेरा एक सुझाव है इनके दिव्य ज्ञान चक्षु का परीक्षण हो जाय।

श्री अध्यक्ष–

यह कहीं से औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। नियम ३०० को जरा आप पढ़ लें उसमें लिखा है औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा।

तो आप बतायें इस नियमावली के या संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि मंत्रीगण राष्ट्रीय ध्वज लगा कर कार पर चलेंगे (व्यवधान) नियम ३०० में कहीं नहीं दिया है जिसके अंदर आप इसको लाये हैं। मैं इसे निरस्त करता हूं (व्यवधान) आप नियम ३०० या ३११ देख लें। (व्यवधान) आप जरा बता दें कहां पर लिखा है?

* वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें।

माननीय अग्रवाल जी ने जो तथ्य प्रस्तुत किये हैं मैं उसे झूठ नहीं कहता और अनर्गल भी नहीं कहता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इसका सत्य से दूर दराज तक भी कोई संबंध नहीं है। जैसा किसी माननीय सदस्य ने बैठे-बैठे टिप्पणी कर दी कि वह सीतापुर आ जायं तो उनकी व्यवस्था ठीक करा देंगे।

श्री नरेश अग्रवाल–

पहले अपने आप को ठीक कर लीजिये सीतापुर तो आपका घर है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह तो एक हल्ला करने की बात है अगर हम कहें कि १५ अगस्त या २६ जनवरी को माननीय नरेश जी अपने घर के ऊपर झंडा नहीं फहराते। उनको इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता वह अब नये नहीं हैं अनुभवी सदस्य हैं। छोटी-छोटी बातों पर नियम ३०० में प्रश्न उठाना कहां तक ठीक है। इस सदन का मूल्यवान समय है आज अनुपूरक अनुदानों पर विचार होना है उसमें अपने विचार प्रकट करें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इसे निरस्त कर दिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गन्ना विकास संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र में सहायक निदेशक द्वारा राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना माननीय नसीमउद्दीन जी की है। ७वीं सूचना ले रहा हूं।

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, जैसा आप भी अवगत हैं और हम भी भलीभांति अवगत हैं कि वर्तमान सरकार की अयोग्यता के कारण संविधान के विपरीत कार्य हो रहा है जिसका जीता जागता उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूं। इस गणतंत्र दिवस पर २६ जनवरी, ९२ को उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र, कूड़ाघाट, गोरखपुर में राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहराया गया, यह बड़े शर्म की बात है। राष्ट्रीय त्योहारों के समय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जाना निन्दा की बात है।

(फोटो दिखाया)

मान्यवर, इस अयोग्य सरकार और उसके अधिकारियों को यह तक नहीं मालूम है कि राष्ट्रीय ध्वज कैसे फहराया जाता है, इसलिये इस औचित्य के प्रश्न पर आप चर्चा करायें।

* वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात मैंने बड़े गौर से सुनी। मान्यवर, उन्होंने सूचना दिया, तो सम्मान करना चाहिए लेकिन दुख हुआ यदि इस बात की जानकारी उन्हें उस दिन हुई कि उल्टा झंडा फहरा था तो क्या उनका दायित्व नहीं बनता था कि उसको वह सीधा करवा देते? मा० सदस्य वहां नहीं गये हैं। उनको सूचना मिली होगी या सूचना का आधार अखबार हो सकता है जिसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। सूचना का आधार हो सकता है कि सहयोगी कार्यकर्ता या मित्र ने जानकारी दिया हो। तो मित्र और सहयोगी कार्यकर्ता का स्तर क्या है, उसको टोका नहीं। इसलिये हमारी जो जिम्मेदारी है उसी तरह उनके मित्रों की भी जिम्मेदारी थी कि उसको ठीक करते। मान्यवर, मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। जानकारी जो मिली है उससे आपकी शिकायत की पुष्टि नहीं होती है लेकिन फिर भी हम माननीय सदस्य से जानकारी प्राप्त कर लेंगे।

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, फोटो लेने के बाद उस झंडे को सीधा कराया गया है। सूचना दी गयी है लेकिन इस संबंध में दोषी अधिकारी के खिलाफ न कोई कार्यवाही की गयी है और न स्पष्टीकरण मांगा गया है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, राजा राम चौकीदार ने २६ तारीख को ही निदेशक के नाम से पत्र भेजा है और उसने उसी समय आपत्ति किया था कि झंडा उल्टा है जिसे सीधा किया जाये लेकिन अधिकारी सर्वेसर्वा होते हैं, इसलिये उन्होंने जिद में कहा है कि ऐसे ही झंडा फहराया जायेगा, इस बात का सरकार को अभी तक पता नहीं है, इसलिये इसमें अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है, उसकी जानकारी दें और यदि नहीं किया है तो कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष–

श्री नसीमउद्दीन और श्री निषाद ने जो सूचना दिया है वह नियम ३०० के अन्तर्गत नहीं आती है और नियम ३००(२) से बाधित है। इसलिये इसे अस्वीकार करता हूं लेकिन शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं राज्य सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शिवकुमार मिश्र को पुलिस द्वारा अपमानित किए जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री देवेन्द्र पाल सिंह, श्री राममूर्ति सिंह और श्री ओमकार सिंह ने दी है।

श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

मान्यवर, शाहजहांपुर के पूर्व सदस्य श्री शिव कुमार मिश्र जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं वह १६ तारीख की रात को पुवायां कस्बा से शाहजहांपुर आ रहे थे तो वहां की पुलिस ने उनको रोका और उनके साथ दुर्व्यवहार किया।

(समय २ बजकर २० मिनट)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह नियम-३०० के अन्तर्गत कैसे आयेगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का ध्यान मैं राणा जी की ओर से उठाई गई आपत्ति की ओर आकर्षित करते हुए कहूंगा कि वह बतायें।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, आप सुन तो लें फिर जो व्यवस्था होगी।

श्री अध्यक्ष–

मैं सुन रहा हूं।

श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके बारे में सदन को बताना चाहूंगा। १६ तारीख की रात में साढ़े दस बजे की घटना है। पेपर में भी निकली। अमर उजाला में प्रकाशित हुई थी। पंडित जी शिव कुमार मिश्र ९० वर्ष के होंगे। आपके भी साथी रहे होंगे। राज्य सभा के सदस्य भी रहे हैं। जिला परिषद के अध्यक्ष भी थे। कई बार स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलनों में

जेल भी गये हैं उनके साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया गया है । दरोगा ने उन्हें रोका जिनके साथ सिपाही भी थे दरोगा व सिपाहियों ने हाथ उठाकर तलाशी लिया । जब वह पुलिस अर्धाक्षक से अपनी आप बीती बताने गये तो उन्होंने मिलने से मना करवा दिया । जो आजादी का अगुआ रहा है, उसका कोट उतरवाया । उनके साथ उनका अंगरक्षक भी था उन्होंने कहा कि ये मेरा अंगरक्षक है तो उसे भी पचासों गालियां दी गई जो मैं नहीं कह सकता इस पेपर में लिखी हुई हैं । मान्यवर, जिस तरह की घटना पंडित जी के साथ घटी उसे वह ही बता सकते हैं । इस तरह की घटनायें पहले कभी नहीं घटी हैं जैसी यहां, इस सरकार में हो रही हैं ।

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता के बारे में कहें । आपने घटना का उल्लेख कर दिया । ग्राह्यता के बारे में कुछ कहेंगें ? किस नियम में आयेगा ?

(व्यवधान)

* श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, ३११ में भी दी है ।

श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

मान्यवर, इस समय वहां का जो माहौल बना हुआ है उस पर चर्चा करायें । दोषी सिपाहियों और दरोगा को निलम्बित करें । पुलिस अधीक्षक का तुरन्त तबादला करवायें । मान्यवर, पंडित जी के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर चर्चा करवायें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, ३११ में भी लगी है और यह कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का मामला है इसमें हमारी सूचना है । आप हमारी सूचना को सुन लें तो दो बार नहीं सुननी पड़ेगी । देवेन्द्र सिंह और मेरे नाम लगी है ।

श्री अध्यक्ष–

मा० सदस्य ने अपने विचार कहे । आप भी कहिये । दोनों का एक साथ निस्तारण कर दिया जायेगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इधर प्रायः यह देखा जा रहा है कि यह सरकार अपनी क्रूरता के कुचक्र में एम० पी० और एम० एल० ए० के साथ दुर्व्यवहार तो करती रही है । सबसे शर्मनाक बात है पंडित शिव कुमार मिश्र, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, उनके साथ इस तरह की घटना घटी । आज जो सत्ता पक्ष में दल बैठा है उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कीमत पता नहीं है क्योंकि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी इन्होंने उन्हें पराश्रय दे रखा था जिन्होंने देश को गुलाम बना रखा था । श्रीमन् श्री बसन्त लाल खन्ना जो इनकी पार्टी के एक मंत्री के चाचा हैं उन्होंने प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की एक बैठक बुलाई जिसमें एक प्रस्ताव पास किया गया कि पंडित शिव कुमार मिश्र, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होना एक अलग बात है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अलग बात है, उनके साथ जो पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है उसके खिलाफ अगर कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो पूरे प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस विधान सभा के सामने आयेंगे । विधान सभा के सामने धरना देंगें । मान्यवर, कितनी शर्मनाक बात होगी जिस दिन आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सड़क पर उतर आयेगें ।

श्रीमन् आप कहने को मजबूर हो जायेंगे कि इस देश की आजादी खतरे में पड़ जायेगी । यह सरकार यही करने के लिये आई है । पंडित शिव कुमार मिश्र ने एफ० आई० आर० लिखाई तो वह नहीं लिखी गयी । एस० पी० ने बात नहीं सुनी । मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आदर आप भी करते हैं और हम भी करते हैं आप सरकार को निर्देशित करें कि एस० पी० शाहजहांपुर और अधीनस्थ जितने कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये । देवेन्द्र सिंह जी को एस० पी० ने जान से मारने की धमकी दी ।

गृह राज्य मंत्री (सूर्य प्रताप शाही)–

हमारी सरकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, विपक्ष के नेताओं, वर्तमान सांसदों और तमाम विधायकों, चाहे भूतपूर्व हो उनका सम्मान और आदर करती है । उसकी मंशा है कि सब लोगों का आदर हो । मान्यवर, अभी तक विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगाये जाते थे कि आतंकवाद की वजह से थाने पांच बजे बन्द हो जाते हैं मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि शाहजहांपुर में, रात्रि में, जैसा कि आप कह रहे हैं, आतंकवाद वाले क्षेत्रों में रात्रि में जाने वालों की रास्ते में जांच पड़ताल होती है । हो सकता है कि वह रात्रि में गाड़ी से जा रहे हों जैसाकि आतंकवाद वाले क्षेत्रों में सामान्य तौर से जांच होती है जांच हुई हो । चूंकि यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मामला है इसलिये इसमें संबंधित दो सब इंसपेक्टरों को लाइन हाजिर कर दिया गया है । घटना की जांच क्षेत्राधिकारी से करा रहे हैं । इसके अतिरिक्त भी अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाएगा तो हमारी सरकार उसके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करेंगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

जब से यह सदन चल रहा है रोज विधायकों को प्रताड़ित करने का एक सिलसिला उनको अपमानित करना, उनके साथ दुर्व्यवहार का मामला एक बार नहीं अनेक बार उठा है । जैसा मैंने कहा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं । जो उत्तर इन्होंने दिया वह बहुत ही निराशाजनक उत्तर दिया । सर्च गश्त के दौरान मान्यवर, आप विचार करें कि गश्त के दौरान किसी भी सम्मानित नागरिक को बेइज्जत करने का और अपमानित करने का पुलिस को इन्होंने लाइसेंस दे रखा है । जो कार्य पुलिस कर रही है उसके लिये आप मेजें थपथपाने का कार्य कर रहे हैं । देवेन्द्र पाल सिंह जी ने और नरेश अग्रवाल जी ने कहा कि एस० पी० ने स्वयं उनको अपमानित किया था उनके साथ दुर्व्यवहार एस० पी० ने किया और देवेन्द्र पाल जी को जान से मारने की धमकी दी तो इसमें आपने क्षेत्राधिकारी से जांच कराने की बात कह दी । क्षेत्राधिकारी से जांच कराने का क्या मतलब है । एस० पी० जो पूरे जिले का होता है उसकी जांच आपने क्षेत्राधिकारी से कराने की बात कह दी । आप इसमें सी० आई० डी० की जांच के लिए आदेशित करें । देवेन्द्र पाल सिंह जी की जान की रक्षा के लिये सरकार को निर्देशित करें उनकी जान की रक्षा यह सरकार करे ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नेता विरोधी दल को आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य की पूरी सुरक्षा की जवाबदेही हमारी है । उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की जायेगी । जैसाकि मैंने आपसे बताया कि प्रिकेट्स लगे हैं उसमें जांच चलेगी । अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो डी० आई० जी० की जांच करा लेंगे ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मामला है, माननीय गृह राज्य मंत्री जी बहुत हल्के ढंग से ले रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने कहा तो है कि सी० आई० डी० की जांच करायेंगे ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मंत्री जी ने सी० आई० डी० से जांच कराने को नहीं कहा है । डी० आई० जी० से जांच करवाने के लिये कहा है ।

* वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, अगर पुलिस कर्मियों को लाइसेंस दिया होता तो तत्काल लाइन हाजिर न करते ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

लाइन हाजिर करना कोई सजा नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, पहले ही कहा गया है कि डी० आई० जी० से जांच करायेंगे । जो शासन के पास जानकारी है उसके अनुसार वहां पर एस० पी० का होना नहीं दर्शाया गया है । आपने कहा है कि एस० पी० वहां थे । राज्य मंत्री जी ने कहा है कि डी० आई० जी० से जांच करवायेंगे । जहां तक माननीय सदस्य की सुरक्षा का प्रश्न है, यह सरकार प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और मुख्य रूप से जो हमारे जन प्रतिनिधि हैं, उनका बहुत हम आदर करते हैं, अगर किसी सदस्य के सामने कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है तो बजाय यहां बताने के हमसे अलग बताते, जो काम हम यहां कर रहे हैं, वहां कर देते । सुरक्षा के बारे में माननीय सदस्य की राज्य मंत्री जी ने कह दिया है इसलिये इसमें अब आगे कोई विषय बनता नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आप देखें, हम अपेक्षा करते थे कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री कोई ऐसी बात करेंगे जिससे कोई रास्ता निकले । स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मा० शिव कुमार मिश्रा जी का अपमान हुआ है, माननीय देवेन्द्र पाल सिंह का मामला है ; इस सारे मामले की जांच सी० आई० डी० से जांच कराने के बजाय आपने कहा कि गृह राज्य मंत्री जी समाधान करेंगे । मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि गृह राज्य मंत्री को इतना भी अधिकार नहीं दिया गया है वह एक सिपाही का यहां से वहां ट्रांसफर कर सकें। आपसे सी० आई० डी० जांच कराने की अपेक्षा करते थे, आप सी० आई० डी० की जांच कराने में सक्षम नहीं हैं तो फिर आप किस बात के लिये जवाब देते हैं । दो सिपाहियों को लाइन हाजिर कर देना कोई सजा नहीं है, एक महीने बाद पोस्टिंग हो जाती है । मान्यवर, इसका समाधान निकलना बहुत जरूरी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, चाहे राज्य मंत्री हों या कैबिनेट मंत्री हों, मंत्री मंत्री हैं, उसका कोई व्यक्तिगत बात नहीं है । राज्य मंत्री जी ने घोषणा की है । एक बात और बताना चाहता हूं कि जिन माननीय शिव कुमार मिश्रा जी का नाम लिया गया, उनसे नरेश जी का संबंध होगा लेकिन मैं भी बचपन से उनका सम्मान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करता हूं । मेरा उनसे निकट का संबंध है । एक चीज हमारे सामने आयी, एक बात यहां पर उपस्थित हुई । उस संबंध में कहा गया कि उसकी जांच होगी और स्थिति को देखा जायेगा । अभी स्थिति सामने नहीं आयी है तो एकदम कैसे एलान कर दें ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मिश्रा जी डी० आई० जी०, आई० जी० सबसे मिले । जब किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो अब फिर डी० आई० जी० से जांच कराने का क्या औचित्य है और आई० जी० की जांच का अब क्या औचित्य है ? आप अपनी पीठ से स्पष्ट निर्देश दें कि इस सम्पूर्ण कांड की जांच सी० आई० डी० से करायी जायगी नहीं तो, सदन नहीं चलेगा । स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अपमान को नहीं सहा जायेगा । हमारा दल सदन नहीं चलने देगा । इन्होंने कभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, इन्हें नहीं मालूम है कि आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी गयी और कैसे कुर्बानियां दी गयीं ? इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जान की कीमत नहीं मालूम है । मान्यवर, आप निर्देश दें कि इस मामले की जांच सी० आई० डी० से करवायी जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सी० आई० डी० की जांच जब हम करायें जब कोई गोपनीय चीज छिपानी हो ।मान्यवर, मामला साफ एक घटना का है, इसमें कह दिया कि डी० आई० जी० से जांच करा देंगे । इसमें सी० आई० डी० से जांच की कोई आवश्यकता नहीं है । मामला तो सामने आने दीजिये ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, जब एस० पी० से नहीं मिल सके तो डी० आई० जी० से मिले, लेकिन कोई ऐक्शन नहीं लिया गया । इसलिये उनसे जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है ? थाने में रिप्रोर्ट तक तो लिखी नहीं गयी, कैसे मान लें कि पुलिस से न्याय मिलेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सी० आई० डी० भी तो पुलिस ही है ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं व्यवस्था दे रहा हूं । नियम ३०० के अन्तर्गत श्री देवेन्द्र पाल सिंह व अन्य माननीय सदस्यों द्वारा नियम ३११ के अन्तर्गत दी गयी .. .. (व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप तो रद्द कर रहे हैं । जांच के लिये कहें ।

श्री अध्यक्ष–

आप सुन तो लें कि क्या कहने जा रहा हूं । आप सुनिये तो कि क्या कहने जा रहा हूं । कृपया शांत रहिये (घोर व्यवधान के मध्य) आपने घटना का उल्लेख कर दिया है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, अपनी पीठ से घोषणा करके सरकार को निर्देशित कर दें कि सम्पूर्ण प्रकरण की जांच सी० आई० डी० से कराई जाय, तभी न्याय मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा । इस तरह से सदन नहीं चलेगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कई बार कहा कि यह कहना उचित नहीं है कि "सदन नहीं चलेगा" यह बात गलत है । इस सदन के अन्दर कही गयी बातें केवल एक माननीय सदस्य की नहीं, समस्त माननीय सदस्य की सम्पत्ति है । बार-बार "सदन नहीं चलेगा" कहना गलत है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, उस पीठ से हमको संरक्षण नहीं मिलेगा तो हमको अलोकतांत्रिक कदम मजबूर होकर उठाना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष–

(घोर व्यवधान के मध्य) कृपया शांत रहें । आपकी बात सुन ली । माननीय नेता विरोधी दल को आग्रह है कि क्या मैं व्यवस्था नहीं दे पाऊंगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आप जब व्यवस्था दें तो कृपापूर्वक विचार कर लें । सरकार तो सी० आई० डी० इन्क्वायरी के लिये तैयार नहीं है । मान्यवर, एक साधारण आदमी की बात होती तो मैं बल नहीं देता लेकिन मामला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का है और इसी से इस सदन के विधायक श्री देवेन्द्र पाल सिंह का मामला जुड़ा है । मेरा आग्रह है कि अपनी व्यवस्था में सरकार को निर्देशित करें कि इस मामले की अहमियत को समझते हुए और गम्भीरता को देखते हुए जिस हल्के फुल्के ढंग से सरकार ले रही है, मैं अपील करता हूं , अपेक्षा करता हूं कि आप स्वयं सरकार को निर्देशित करें कि वह इसमें सी० आई० डी० से जांच करावे और देवेन्द्र पाल सिंह जी की हिफाजत करावें ।

श्री खालिद गौरी–

मान्यवर, इस घटना को सरकार ने जितने हल्केपन से, आसानी से टाल दिया है, ऐसी बात नहीं है। इसमें दो बातें हैं । एक तो इसमें सरकार ने मान लिया कि उन पुलिस वालों ने कोई गलत काम किया है क्योंकि कहते हैं कि उनको लाइन हाजिर कर दिया है ।

अगर उन्होने गलत काम किया था, एक भूतपूर्व सदस्य के लिये जो स्वतन्त्रन्ता संग्राम सेनानी भी हैं, तो उन पुलिस कर्मचारियों को कम से कम निलम्बित कर दिया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया था । दूसरी बात जैसा कि हमारे गृहराज्य मंत्री ने कहा कि यह सरकार भूतपूर्व और वर्तमान सदस्यों के प्रति चिंता रखती है । मान्यवर, अगर सरकार चिन्ता रखती है , तो इनको खेद का एक शब्द भी कहना चाहिए था, लेकिन मान्यवर, इन्होंने पुलिस वालों को न ही निलम्बित किया और न खेद प्रकट किया । इस मामले को बहुत हल्के-फुल्के ढंग से लिया ।

श्री अध्यक्ष–

श्री देवेन्द्र पाल सिंह, श्री राम मूर्ति सिंह, श्री ओंकार सिंह ने नियम ३०० के अन्तर्गत सूचना दी, जिसमें उनहोंने वयोवृद्ध और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व सांसद, राज्य सभा को पुलिस द्वारा अपमानित किये जाने की घटना का उल्लेख किया । माननीय नरेश अग्रवाल, श्री देवेन्द्र पाल सिंह और माननीय राम मूर्ति सिंह ने नियम ३११ में भी इसी विषय पर सूचना दी है । सभी सदस्यों को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री के विचार सुनने के बाद यह सूचना नियम ३०० के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं है; इसलिये मैं इसे अस्वीकार करता हूं । नियम ३११ के अन्तर्गत तो नियमों का निलंबन करने का कोई औचित्य नहीं है, परन्तु फिर मैं माननीय देवेन्द्र पाल सिंह जी ने सुरक्षा के बारे में चिन्ता प्रकट की और माननीय गृह राज्य मंत्री ने इस पर अश्वासन दिया है कि सुरक्षा की व्यवस्था की जायगी, तो वह सुरक्षा व्यवस्था कर दें । दूसरे नेता विरोधी दल ने सी० आई०,डी० के द्वारा जांच कराई जाने के संबंध में मांग की है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय गृह राज्य मंत्री, नेता विरोधी दल, माननीय नरेश अग्रवाल और माननीय देवेन्द्र पाल सिंह सब मिल कर विचार-विमर्श करके इसका कोई संतोषजनक हल निकाल लें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यहां घोषणा करा दें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के निदेशालय में मान्यवर, १-८-७८ को माननीय श्री राम नरेश यादव जब निवर्तमान मंत्रि परिषद् ने निर्णय लिया था कि उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय द्वारा एक उत्तर प्रदेश पाक्षिक नाम की पत्रिका प्रकाशित होगी, जो पूरे उत्तर प्रदेश के विधायक और पत्रकारों को निःशुल्क और गांव सभा के प्रधानों को साधारणतया ५० पैसे के शुल्क के आधार पर वितरित की जायगी । इसका प्रकाशन जनवरी, ७९ से शुरू किया गया । इसका प्रकाशन १९८६ में बन्द कर दिया गया और तब से प्रकाशन बन्द रहा । मान्यवर, जिसकी सूचना, अनुभाग-२ के पत्रांक-१२८९/उन्नीस-२-११३ ५१८४ दिनांक १० मई, १९८० द्वारा उत्तर प्रदेश पाक्षिक का प्रकाशन बन्द किया गया है । श्री अशोक प्रियदर्शी, तत्कालीन सूचना निदेशक द्वारा जारी किया गया है, तब से यह प्रकाशन बन्द था । उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में एक नोट ७ अगस्त, १९९० को पेश किया गया था, जिसमें यह कहा गया कि इस पत्रिका की जगह पर नई पत्रिका "उत्तर प्रदेश संदेश" के नाम से प्रकाशि की जायगी । मेरा कहना यह है कि १९८६ में जब इस पत्रिका को बन्द कर दिया गया और पुनः जब कैबिनेट ने ७ अगस्त, १९९० की कैबिनेट में (इस समय २ बजकर ४२ मिनट पर अधिष्ठाता श्री राम प्यारे शुक्ल पीठासीन हुए ।) यह निर्णय लिया गया है कि जनवरी, १९९१ से प्रकाशन शुरू हो । पाक्षिक प्रकाशन के लिये १० कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी । इस प्रकाशन में वर्ष

१९८७-८८ में १७.७० लाख रुपये, वर्ष १९८८-८९ में १७.७० लाख और १९८९-९० में २० लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी। इस प्रकार से इसमें ८० लाख रू० का घोटाला किया गया है । इसलिये मान्यवर, इसका औचित्य बनता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट को डार्क में रखा गया । इस संबंध में राम आधार सम्पादक का नोट भी निदेशक के लिये है । इसके बावजूद यह प्रकाशन ४ वर्ष तक बन्द रहा और कोई प्रकाशन नहीं हुआ । ८० लाख रुपया शासन ने निदेशालय को दिया और इसमें बड़ा घोटाला किया गया है । इस लिये यह औचित्य का प्रश्न बनता है ।

एक माननीय सदस्य–

क्या यह प्रेम पत्र पढ़ रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य का यह नियम ३०० के अर्न्तगत नहीं आता है । इसलिये यह अस्वीकार किया जाता है ।

सार्वजनिक स्थानों पर मंदिर बनाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, संविधान होता है और हम उस संविधान के अनुसार चलते हैं और संविधान में ३ बातों का उल्लेख किया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं उसकी ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं, उसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद का उल्लेख है । मान्यवर, आज जितने भी थाने हैं, वह सभी सरकारी जमीन पर बने हैं और सरकारी जमीन के अन्दर एक धर्म विशेष का मंदिर बना है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह धर्मनिर्पेक्षता की परिधि में आता है । मान्यवर, यही नहीं जो नये थाने बन रहे हैं, उनमें भी सरकारी जमीन के अन्दर मंदिर बनाए जा रहें हैं । मैं उदाहरण के लिये बताना चाहता हूं कि रानी का सराय जनपद आजमगढ़ और गंभीरपुर के थानों में भी सरकारी जमीन के अन्दर मंदिर बनाये जा रहें है । इसी प्रकार जितनी भी जेलें हैं, उनके अन्दर मंदिर बने हैं । हम हिन्दू हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है । घंटे बजते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन मान्यवर, १९४७ में हमारा देश आजाद हुआ था और आजादी के ४४ वर्ष व्यतीत हो गये हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के साथ क्या किया गया ?

(व्यवधान)

मैं आपके दल को कुछ नहीं कह रहां हूं । जितने भी थाने हैं, पुलिस लाइन्स हैं सरकारी कालोनियां हैं और जितनी भी जेले हैं सभी जगह पर मंदिर बने हुये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप ग्राह्यता पर ही बोलें । आप समाप्त करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं। मान्यवर, आज स्थिति गंम्भीर है। जो क़ानून के रक्षक हैं वही भक्षक बन गये हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांति बनाये रखें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो देश के कानून के रक्षक हैं। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

वर्मा जी, आप बैठ जांय।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं ग्राह्यता के ऊपर अपनी बात कह रहा हूं, एक मिनट सुन लें, उसके बाद समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर,जो रक्षक लोग हैं, जो पुलिसकर्मी हैं सारे संविधान और कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली गयी है। मान्यवर, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। जब वहां पर कोई थानेदार सिख या मुसलमान जायेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, यह संविधान का उल्लंघन हो रहा है।

श्री श्रीराम (जालौन)–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मेरी बात सुने, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायं।

श्री राम कुमार शुक्ला–

मान्यवर, वह बैठ नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

आप को क्यों कष्ट हो रहा है। मान्यवर, ऐसे थानेदारों के ऊपर क्या गुजरेगी, जब वहां शंख बजेगा, मंत्रोचार होगा, तो क्या होगा

श्री अधिष्ठाता–

वर्मा जी, आप बैठ जायं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं कि जितने भी कालोनियों में सड़कों के किनारे प्लाट हैं, उस पर मूर्ति रखकर उस प्लाट को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है ; जो गांव सभा की जमीने हैं उनके ऊपर भी मूर्ति रखकर उसको हड़पने का प्रयास किया जा रहा है । यह संविधान का सरासर उल्लंघन है और उस पर कुठाराघात किया जा रहा है । इसलिये यह औचित्य का प्रश्न बनता है और इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम ३०० के अन्तर्गत नहीं आती है, अतः निरस्त की गयी । अगली सूचना श्री हृदय नारायण जी की है–माननीय मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार का खजाना खाली होने का बयान देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(श्री हृदय नारायण जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता –

वह नहीं हैं । अगली सूचना निर्वेन्द्र कुमार जी की है ।

जनपद लखीमपुर की तहसील निघासन में छूट पर मिलने वाली खाद को अधिक कीमत लेकर जनजातियों में वितरित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री निर्वेन्द्र कुमार÷

मान्यवर, प्रदेश के किसानों को छूट पर खाद, (व्यवधान) बीज, उपलब्ध हो सके तथा जन जाति (थारू) के लोग विशेष रूप से लाभान्वित करायें जायं, यह प्रकरण सदन में प्रायः चर्चा में रहे हैं । यद्यपि जनजाति के लोगों को खाद के समुचित विवरण में पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंध आ रही है किन्तु जनपद खीरी की निघासन तहसील में एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चन्दन चौकी के अन्तर्गत खाद के वितरण में सन् १९७८ से सन् १९८५ तक थारुओं को जिस निमर्मता से उत्पीड़ित एवं शोषित किया गया है वह शर्मनाक है आधी छूट पर मिलने वाली खाद उक्त पूरी अवधि में आधी कीमत नगद लेकर दी जाती रही किन्तु भ्रष्टाचार पर से पर्दा उस समय उठा जब इस वर्ष जनजाति के सभी थारुओं से वसूली की नोटिसें उन्हें भेजी जा रही हैं । जिन कर्मचारियों ने धोखा-धड़ी कुकृत्य किये हैं उन्हें कठघरे में खड़ा कर थारुओं को नाजायज वसूली से निजात दिलाया जाय ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, जब किसानों की बात आती है तो आपकों हंसी आती है, रोना नहीं आता है ।

श्री अधिष्ठाता–

ग्राह्यता पर संक्षेप में बोलें ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, इन सब चीजों का पर्दा तब खुला जब यह व्यापारियों की सरकार सत्ता में आयी । जो १९७८ से १९८५ तक आधा पैसा जमा कराके उन्हें खाद दी गयी है, उसकी वसूली की कार्यवाही हो रही है । यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के बार-बार प्रकरण सदन में उठते हैं, देखने में यह आता है कि इस सदन में जो बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लोग किसानों, जनजातियों, खेतिहर मजदूरों की बातों को गंभीरता से नही लेते हैं । जिन पार्टियों के टिकट पर जीतकर यहां आते हैं उन पार्टियों का और जिनकी बदौलत जीतते हैं उनके एहसान मन्द रहते हैं । खेतिहर मजदूरों, किसानों का यह एहसान नहीं मानते हैं इसलिये यह गंभीर नहीं रहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, जो खाद की बात मैंने यहां उठायी है उसमें वसूली प्रारम्भ कर दी गयी है आपके पास रसीद की फोटो कापी भी है । मान्यवर, आज थारुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है । उनको खाद मिलना बन्द हो गया है जब खाद नहीं मिलेगा तो गेहूं की उपज कम होगी, गन्ने का उत्पादन कम होगा इसलिये मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर आप व्यवस्था दें ।

* वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त) –

मान्यवर, माननीय सदस्य लखीमपुर ने अपनी पीड़ा भी व्यक्त की और बहुत सी ऐसी बातें कहीं हैं जो राजनीतिक दलों पर भी कटाक्ष है, मैं उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया है । जिस भ्रष्टाचार का उन्होंने जिक्र किया है वह १९७८ से १९८५ के बीच का है । यह थारू जनजाति के लोगों से संबंधित है, में उस इलाके में गया हूं । यह बात सही है ....

श्री रणजीत सिंह जुदेव–

हर जगह आप गये हैं हर आदमी आप का दोस्त बचपन से है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप भी हैं ।

तो मान्यवर, थारू जनजाति के जो लोग हैं, वह विशेष सहायता प्राप्त हैं लेकिन यह मामला हमारे सामने ७८ से ८५ के बीच का है । माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें ठीक कही हैं । मेरी जानकारी में यह मामला है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है हम इसकी जांच करायेंगे । लेकिन मान्यवर, यह मामला लोक महत्व का हो सकता है, महत्वपूर्ण भी हो सकता है, मगर यह नियम-३०० के अंतर्गत नहीं आता है । इस संबंध में आप कृपया अपनी व्यवस्था दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम-३०० के अंतर्गत नहीं आती है इसलिये मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

नियम ३११ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक २६ फरवरी, १९९२ को नियम-३११ के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप कार्यसूची देखें । इसमें नियम-३११ के पहले विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पहले है ।

श्री अधिष्ठाता–

वह नियम-३११ के बाद आयेगी । पहली सूचना श्री राम लखन वर्मा की गढ़वाल क्षेत्र में आये भूकम्प पीड़ितों में सहायता सामग्री वितरण में धांधली के सम्बन्ध में है । दूसरी सूचना श्री नरेश अग्रवाल की हरदोई नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों की २५ दिनों से चल रही हड़ताल के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना....

नियम ३११, ५६, ५१ व ३०१ को मिलाकर एक सदस्य की केवल एक सूचना लिए जाने का सुझाव

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम-३११, ५६,५१ व ३०१ में केवल एक सूचना आप एक माननीय सदस्य से ले सकते हैं । मगर [x x x] अगर कोई सदस्य एक ही सूचना को दो नियमों के अंतर्गत दे देता है तो वह सूचना निरस्त मानी जाती है ।

श्री अधिष्ठाता–

लेकिन जो परम्परा पड़ गयी है, उसका हम पालन कर रहे हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

वह क्या परम्परा है आप बतायें । यह नहीं होगा । [xxx] आप एक सदस्य की एक से अधिक नियम के अंतर्गत प्राप्त सूचना नहीं ले सकते हैं इसे आप निरस्त करें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, आप कृपया उसे सुन लें । श्रीमन् इस सदन की यह परिपाटी रही है और आपके नियमों में भी है व माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण में भी है कि एक नियम के तहत एक ही सम्मानित सदस्य की सूचना ली जाती है । यदि किसी सम्मानित सदस्य ने दो नियमों के तहत अपनी सूचना दी है तो वह निरस्त मानी जायेगी । तो आप एक नयी परिपाटी कायम न करें ।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

अभी तो मैंने यह कहा नहीं कि कौन सी निरस्त हुई है और कौन सी सूचना ली गयी है । अभी तो मैं केवल पढ़ रहा हूं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, एक ही सदस्य ने दो बार सूचना दी है ।

श्री अधिष्ठाता–

पहले आप सूचना सुन लीजिये, उसके बाद व्यवस्था दूंगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

जिस व्यक्ति की दो सूचनाएं हैं, उनको आप यह कहेंगे कि इनको निरस्त कर दिया गया है ।

नियम ३११ के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

चौथी सूचना श्री सोमांश प्रकाश की जनपद मुजफ्फरनगर में गन्ना क्रय केन्द्र चालू न किये जाने के संबंध में, पांचवी सूचना श्री लालजी वर्मा की तुलसी स्मारक इण्टर कालेज, परसपुर, गोण्डा के छात्रों पर फायरिंग से ६ छात्रों की मृत्यु होने के संबंध में, छठी सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की प्रदेश में विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल जारी के संबंध में, सातवीं सूचना श्री भारत सिंह रावत की टिहरी बांध परियोजना पर धरना दिये जाने से प्रतिदिन ३ करोड़ रुपये की क्षति होने के संबंध में, आठवीं सूचना श्री सुखदेव प्रसाद की काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में नकाबपोश युवकों द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों की पिटाई किये जाने के संबंध में, नवीं सूचना श्री बी० आर० वर्मा की गोमती बैराज, गंगानगर, लखनऊ में बसे हुये अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की झुग्गी-झोपड़ी उजाड़े जाने के संबंध में तथा दसवीं सूचना श्री देवेन्द्र पाल सिंह की वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा राज्यसभा के भूतपूर्व सदस्य को पुलिस द्वारा अपमानित किये जाने के संबंध में हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आप तो पूरा [xxx] का काम कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सभी सूचनायें अस्वीकृत की गयीं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, नियम ३११ की सूचनाओं को अस्वीकार करने की परम्परा नहीं है । यह सूचनायें पहले पूरी सुनी जाती हैं, आपने तो आज नई परम्परा कायम कर दी । आपने अपने विवेक का इस्तेमाल करके बिना सुने ही रद्द कर दिया ।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

आपमें सुनने की सहिष्णुता नहीं है तो फिर इस पर क्या विचार करना ?

श्री विजय सिंह राणा सदस्य विधान सभा द्वारा कृषि मंत्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

विशेषाधिकार की अवहेलना पर विजय सिंह राणा अपनी बात कहें ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर– व्यवधान)

माननीय, श्री विजय सिंह राणा जी आपने जो विशेषाधिकार की सूचना दी है, उस पर आप अपनी बात कहना चाहते हैं ?

श्री सोमांश प्रकाश–

मान्यवर, ३११ की सूचना पर आपने मुझे ग्राह्यता पर बोलने के लिये बुलवाया था । अब आप यह क्या कर रहे हैं ? नियमों के तहत यह सदन चलेगा [xxx]

श्री अधिष्ठाता–

जिनकी सूचनायें थी, उन सबको पढ़कर मैंने सुनाया, सबके नाम लिये । परन्तु आप लोग तो सूचनायें सुनने के लिये तैयार नहीं थे । मैंने अगली मद-४ ले ली है ।

श्री सोमांश प्रकाश–

आपसे किसने कह दिया कि सुनने के लिये तैयार नहीं थे ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, भारत के संविधान के तहत देश में संसद व प्रदेशों में विधान सभाओं की रचना की गई है । उन्हीं प्राविधानों के तहत और संविधान की जो धारायें हैं उनके तहत शासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है । उन्हीं धाराओं के चलते मंत्रिपरिषद् के जो साथी हैं, वे उन्हीं के अनुरूप ही यहां पर अपने पद की गोपनीयता व सत्यनिष्ठा की शपथ ग्रहण करते हैं । परन्तु मान्यवर, कभी-कभी राजनैतिक आग्रह में मंत्रि परिषद् के साथी अपने राजनैतिक लाभ के लिये कुछ फर्जी काम करने लगते हैं । इस प्रकार सत्यनिष्ठा व ईमानदारी से काम करने के लिये जो शपथ ली है, संविधान के अनुसार वह शपथ टूट जाती है और साथ ही संविधान की मंशा भी खण्डित होती है । संसद और विधान सभाओं की जो कार्य प्रणाली है, वह दूषित व खण्डित होने लगती है ।

मान्यवर, ऐसी एक घटना हुई है । आगरा में माननीय कृषि मंत्री जी ने एक सड़क का उद्घाटन किया जो पूर्णतया फर्जी है । आगरा में एक टर्मिनल रजबहा है ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, विशेषाधिकार की सूचना का आप पहले परीक्षण करवायेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, जहां उद्घाटन किया है वह ५ किलोमीटर न तो मण्डी परिषद् से स्वीकृत है और न किसी विभाग से स्वीकृत है । कृषि विभाग से भी स्वीकृत नहीं है । उस खण्ड का उद्घाटन करके मंत्री जी ने

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

फर्जी काम किया है । ऐसा फर्जी काम करके सत्यनिष्ठा व ईमानदारी से काम करने की जो शपथ ली है, वह खण्डित हुई है ।

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में केवल दो बातें लाना चाहता हूं । पहला, यह जो २९ कि० मी० की सड़क है, इसमें से २४ कि० मी० की सड़क आगरा मण्डी समिति द्वारा स्वीकृति है, शेष जो ५ कि० मी० की सड़क है, जिसका उद्घाटन किया गया है, वह मण्डी समिति द्वारा स्वीकृति नहीं है । अगर इस ५ कि० मी० सड़क की स्वीकृति लोक निर्माण विभाग द्वारा है भी तो अभी तक इस सड़क के निर्माण हेतु कोई धन आवंटित नहीं किया गया है । मान्यवर, जो ५ कि० मी० शेष भाग है वह आगरा मंडी के क्षेत्र से बाहर है जिसका उद्घाटन माननीय कृषि मंत्री जी कर आये हैं वह आगरा मंडी के पैसे से नहीं बनाया जा सकता है । यह भाग अछनेरा मंडी समिति के क्षेत्र में आता है लेकिन अछनेरा मंडी समिति के पैसे से भी इसका निर्माण नहीं कराया जा सकता है क्योंकि लोक निर्माण विभाग ने अपने पत्र जिसका हवाला मैंने अपने पत्र में दिया हुआ है स्वीकृति जारी हुई है जिसका नम्बर इस प्रकार है लोक निर्माण विभाग पत्र संख्या ४४२६ इ/२३ लोक निर्माण विभाग–११-१० दिनांक ७ नवम्बर, १९९० लेकिन उसके लिये कोई धनराशि आवंटित नहीं हुई है इस प्रकार उसके द्वारा भी उसका बनाया जाना संभव नहीं है । तो वह मार्ग किसी भी विभाग से स्वीकृत नहीं हुआ । ऐसे भाग के निर्माण का उद्घाटन माननीय कृषि मंत्री जी कर आये हैं ।

मेरा कहना है कि इस तरह का उद्घाटन अपने आप में फर्जी है । जिस मंत्री ने अपने पद की गोपनीयता की शपथ ली है उस शपथ को इन्होंने खंडित किया है । अगर वह कह सकते हैं कि इस तरह की सूचना मेरे पास नहीं है । तो मैं स्वयं उनसे सरकिट हाऊस में मिला मेरा पत्र उनके पास उपलब्ध है मैंने उनसे कहा कि यह काम जो आप करने जा रहे हैं यह फर्जी है । अगर यह कहते हैं कि मेरा पत्र उनके पास नहीं हैं तो आगरा के समाचारपत्रों में मेरा वक्तव्य प्रकाशित हुआ है । उसके द्वारा उनको सूचना मिली होगी । मैं समझता हूं कि वह इतना भी झूठ नहीं बोलेंगे । अतः मेरा आरोप है एक तो मैंने स्वयं उनको पत्र दिया और मैं उनसे स्वयं आगरा सरकिट हाऊस में मिला मैंने उनको बताया कि यह फर्जी काम आप कर रहे हैं । तो मेरी सही बात को उन्होंने नहीं सुना इसलिये विशेषाधिकार का हनन हुआ है ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने फर्जी काम करके अपने पद से सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करने की जो उन्होंने शपथ ली थी उसका खण्डन हुआ है संविधान के प्रति विश्वासघात किया है । परम्पराओं का उलंघन किया है । इसलिये यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है राणा जी आप बैठें । (व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, नियम ३११ में तमाम माननीय सदस्यों ने बहुत सारी सूचनायें दी हैं

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप बैठ जांय । इसके लिये मैंने स्वीकृति नहीं दी है ।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

बिना अनुमति के आप बोल रहे हैं लिखा नहीं जायेगा आप बैठ जांय ।

(व्यवधान)

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारने पर)

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

[x x x]

श्री बी० आर० वर्मा–

[xxx]

* वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री– (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, आपने मुझे बुलाया है (व्यवधान) ऐसे कैसे काम चलेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री बालेंगे ।

श्री बी० आर० वर्मा०–

हमने जो सूचना दी है उसमें दो-दो मिनट सुन लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी पीठ से जो भी आदेश हुआ शिरोधार्य है । नियम ६३ के अधीन माननीय सदस्य बड़े पुराने सदस्य हैं उनको जानकारी होगी तो इस नियम में जब कभी भी विशेषाधिकार हनन की सूचना दी जाती है तो जब तक दूसरे पक्ष को जानकारी न हो जाय तब तक उस पर सदन में चर्चा नहीं करायेंगे । कोई परिपाटी आज तक नहीं रही है कि उसी वक्त यहां पर चर्चा हो । आज कोई नयी परिपाटी बन रही है तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि विशेष परिस्थितियों में आपने राणा जी को सुन लिया अब आप इस पर अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखें और सूचना में जो बिन्दु उठाये होंगे उस पर दूसरे पक्ष से जवाब देने का अवसर मिलेगा तभी ग्राह्यता के बारे में कोई निर्णय आप लें यह मेरी प्रार्थना है । इस समय व्यवस्था सुरक्षित रखें । यही परिपाटी है और पूर्वदृष्टांत भी हैं । मान्यवर, विशेषाधिकार अवहेलना की सूचनायें दो तरह की आती हैं । एक तो सदन में कोई घटना हो जाये जिस

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विधान सभा

पर तत्काल चर्चा हो जायेगी और उस समय आदरणीय सदन न्यायालय में परिवर्तित हो जायेगा । दूसरे यदि सूचना सचिव के माध्यम से आपको दी गयी है तो दूसरे पक्ष की जानकारी लेने के बाद ही कार्यवाही करना तर्कसंगत होगा ।

(व्यवधान)

(समय ३ बजकर २० मिनट)

श्री अधिष्ठाता–

मैं दोनों का परीक्षण करवा रहा हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

कृपया आप अगली मद ले लें ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाऐं

श्री अधिष्ठाता–

(घोर व्यवधान के मध्य) मद संख्या-७ मैं ले रहा हूं ।

(घोर व्यवधान)

आप लोग व्यवधान न पैदा करें । बैठ जायं । मैंने अगली मद नियम ५६ के संबंध में पुकार लिया है, इसलिये ३११ में कुछ नहीं सुनूंगा । आप लोग बैठ जांय ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

आज दिनांक २६-२-९२ को नियम-५६ के अन्तर्गत कुल २० सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से निदेश सं०-१५ के अन्तर्गत निम्नलिखित १० सूचनाएं चयनित की गयी हैं । (व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्य सदन के वेल में आकर नारे लगाने लगे [xxx])

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें । मैं नियम ५६ के अन्तर्गत सूचनाओं को पढ़ रहा हूं–

(व्यवधान के मध्य) (वेल में सदस्य नारे लगाते रहे)

पहली सूचना श्री रणजीत सिंह जूदेव और श्री राम सिंह की -महोबा को जिला बनाये जाने के संबंध में है,-

दूसरी श्री दीनानाथ सिंह यादव की जिला सहारनपुर के थाना गंगोह में श्री बलबीर सिंह की हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

तीसरी श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की दि किसान सहकारी चीनी मिल लि० घोसी में व्याप्त अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

चौथी श्री अकबर हुसैन, श्री राम गोविन्द चौधरी की अजुध्या डिस्टलरी बिलारी, जनपद, मुरादाबाद में गैस रिसाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

पांचवी श्री मुन्ना चौहान की जनपद उत्तर काशी में भूकम्प प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं ।

छठी श्री महेन्द्र सिंह भाटी एवं श्री महेन्द्र सिंह भाटी की जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी में ग्रेटर नोएडा के अन्तर्गत जमीनों का प्रतिकर कम दिये जाने से उत्पन्न स्थिति में है ।

सांतवीं श्री देवेन्द्र पाल सिंह, श्री भोला शंकर मौर्य, एवं श्री मुन्ना चौहान की जनपद शाहजहांपुर में वयोवृद्ध स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को पुलिस द्वारा उत्पीडित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

आंठवीं श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री गामा राम शास्त्री– जनपद गाजीपुर के थाना मरदह मे छात्र श्री प्रमोद कुमार सिंह की हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

नवीं श्री वीरेन्द्र सिंह एवं श्री सोमांश प्रकाश की जनपद सहारनपुर में गंगेश्वरी सुगर मिल देवबन्द द्वारा किसानों को करोड़ों रुपये की हानि पहुंचाये जाने के संबंध में है ।

दसवीं श्री नरेश अग्रवाल की प्रदेश में जिलों में स्थिति गन्ना सोसाइटियों में गन्ना किसानों का शुल्क बढ़ाये जाने से उत्मन्न स्थिति के संबंध में सूचना है ।

उपर्युक्त पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष ५ सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है ।

(घोर व्यवधान होने पर)

आप लोग व्यवधान न पैदा करें । अपना–अपना स्थान ग्रहण करें ।

(कई सदस्य–श्री पूरन प्रकाश, श्री राजनरायण बिन्द, श्री सुखदेव, श्री बरखू राम वर्मा,श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद आदि सदस्य सदन के वैल में आकर नारे लगाने लगे) [xxx]

श्री रणजीत सिंह जूदेव–(व्यवधान)

मान्यवर, मैं ग्राह्यता के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि नये जिले बनाये जाने वाली सूची में महोबा का नाम जोड़ दिया जाय ।

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, आप पहले सदन की परम्परा की जानकारी कर लें उसके बाद संचालन करें । आप जब इस पीठ पर बैठते हैं तो आप का सबसे पहला फर्ज बनता है मान्यवर, कि आप इस सदन को व्यवस्थित करके तब सदन की कार्यवाही करें । इस तरह से आपा–धापी न चलायें । आप क्या पढ़ रहे हैं किसी को नहीं सुनाई दे रहा है । क्या हो रहा है किसी को नहीं पता चल पा रहा है । मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को पहले व्यवस्थित कर लें तब कार्यवाही चलायें ।

(श्री पूरन प्रकाश, श्री राजनरायण बिन्द, श्री सुखदेव, श्री बी० आर० वर्मा, श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद आदि सदस्य लगातार नारे लगाते रहे)

श्री अधिष्ठाता–(व्यवधान के मध्य)

सदन की कार्यवाही १५ मिनट के लिये स्थगित की जाती है ।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(इसके बाद ३ बजकर २८ मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही १५ मिनट के लिये स्थगित कर दी । ३ बजकर ४३ मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन ४ बजे तक बढ़ा दिया है । तदोपरान्त ४ बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(मा० अध्यक्ष के पीठासीन होने के उपरान्त)

श्री श्रीराम (जालौन)–

मान्यवर, हमारे सदस्य विशम्भर प्रसाद निषाद ने एक सूचना नियम ३११ के अंतर्गत दी थी जो मल्लाहों के अधिकार से संबंधित थी ।

श्री अध्यक्ष–

आप इसे फिर से कह दें ।

श्री श्रीराम (जालौन)–

मान्यवर, हमारे सदस्य विशम्भर प्रसाद निषाद ने एक सूचना नियम ३११ के अंतर्गत दी थी, वह बडी महत्वपूर्ण सूचना थी । अन्य सूचनाओं पर माननीय अधिष्ठाता महोदय ने हमारे तमाम माननीय सदस्यों को सुना । मान्यवर, यह बार-बार हम लोगों की और सें कहा जा रहा है कि जो नये माननीय सदस्य ह उनको सदन में बोलने का मौका दिया जाय । माननीय सदस्य की नियम ३११ के अंतर्गत सूचना थी जिसमें मल्लाह जाति के लोगों को नदियों से बालू निकालने, नाव चलाने, मछली पकड़ने का जो अधिकार था उनको उस अधिकार से वंचित कर दिया गया है तो इस सूचना पर हमारे दल के सदस्यों को २-२ मिनट सुन लें । इस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं । विशम्भर प्रसाद जी की जो सूचना है उस पर उनको सुन लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय, निषाद् जी से और माननीय बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों से मेरा आग्रह है कि आज ३११ की सूचना पर मैं उनको सुन सका । मेरा निवेदन है और मुझे विश्वास है कि मेरे निवेदन को स्वीकार करके २८ तारीख को अगर ३११ की सूचना दे दें तो पूरी बात सुन लूंगा ।

श्री सोमांश प्रकाश–

मान्यवर, मेरी भी सूचना थी ।

श्री अध्यक्ष–

आप भी २८ तारीख को दे दें ।

श्री श्याम नारायण सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, मेरी सूचना विशेषाधिकार के संबंध में थी । मैं किस नियम के अन्तर्गत उठाऊं, मुझे आप अवसर दे दें ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, आप जानते हैं कि जब विशेषाधिकार की सूचना आती है तो हम उसकी घोषणा कर देते हैं कि अमुक माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार के उल्लंघन की सूचना दी है जिसका हम परीक्षण करा रहे हैं । आपने जो सूचना दी है उसका मैं परीक्षण करवा रहा हूं

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाए (क्रमागत)

एक सदस्य–

मान्यवर, मेरी एक नियम ५६ की सूचना थी ।

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम ५६ की सूचनाओं को क्रमशः ले रहा हूं ।

आज दिनांक २६ फरवरी को नियम ५६ के अंतर्गत २० सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से निदेश संख्या १५ के अन्तर्गत निम्नलिखित १० सूचनायें चयनित की गयी हैं ।

पहली सूचना श्री रणजीत सिंह जूदेव और श्री राम सिंह की है । दूसरी श्री दीना नाथ सिंह यादव की है, तीसरी सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की है । श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय जी के बाद चौथी सूचना श्री अकबर हुसैन तथा श्री राम गोविन्द चौधरी की है ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि नियम ५६ में जो ५ सूचनाएं स्वीकृत की हैं, उनको पहले पढ़ दें, फिर सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

वह पहले पढ़ी जा चुकी हैं ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, किसान सहकारी चीनी मिल, घोसी तथा जिला मऊ के अधिकारियों द्वारा की जा रही लूट खसोट की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । यह मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं कि घोसी सहकारी चीनी मिल के किसान तबाह हो रहे हैं । यहां सभी चुने हुये प्रतिनिधि हैं, सभी जनता से चुनकर आते हैं । सबको पता है कि किसान क्यों तबाह है ? खाद के दाम बढ़े, पानी के दाम बढ़े, बिजली के दाम बढ़े फिर तेल के दाम बढ़े । किसान किसी तरह से मुसीबत में गन्ना पैदा करता है लेकिन आज पूरा भ्रष्टाचार चीनी मिलों में हो रहा है । किसी भी क्रय केन्द्र पर सही कांटा काम करता हो, ऐसा नहीं है । तौल केन्द्रों पर ३-४ क्विटल गन्ना सीधे किसानों का चुरा लिया जाता है । यहां तक कि वहां जनता दल की बैठक हुई थी, घेराव हुआ था । हम जिलाधिकारी, मऊ के पास बैठे थे । वहां के सांसद भी थे । मैंने जिलाधिकारी से कहा था कि आप किसी भी चीनी मिल के कांटे पर तुलवा लें, कम मिलेगा । सात क्विंटल मेन गेट पर सीधे चुरा लिया जाता है, जहां चीनी मिल का जनरल मैनेजर बैठता है और किसान तबाह हो रहे हैं । मैं सुबह वहां के गन्ना सचिव से मिला था । इतना चुराने के बाद भी १५ दिसम्बर से आज तक किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया है और यह सरकार कहती है कि मैंने किसानों के गन्ने का भाव ४ रुपये बढ़ा दिया । मैं बताऊं, ४२ रुपये क्विंटल क्रय केन्द्रों पर भुगतान हो रहा था । इसी जनवरी से ४२ रुपये सीधे हो रहा है । एक रुपये क्विंटल घटा दिया है और कहते हैं कि ४४ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दे रहे हैं,जबकि ४५ रुपये क्विंटल गन्ने का भाव निर्धारित किया गया है । उसमें भी एक रुपया कम करके दिया जा रहा है । घोसी के नत्थूपुर में आधा गन्ना दुबारा देता है । शनिवार को सदन बंद था, मैं वहां गया था । अस्सी परसेंट गन्ना लगा है । लगता है कि किसानों का गन्ना नहीं पेरा जा सकेगा । पर्ची की हालत है कि बिना १०-२० या १०० रुपये दिये पर्ची नहीं दी जा रही है । यह एक नया सिस्टम चल गया है । हर जगह होशियार किसान पाकेट में एक पाउच रखने लगे हैं । आबकारी मंत्री ने चला दिया है, प्लास्टिक का पाउच चला दिया है, उसी को लेकर पर्ची दे देते हैं । यह चीनी मिल किसानों का गन्ना नहीं पेर पाएगी ।

मैं तो कहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने घोषणा किया था कि ३० प्रतिशत गन्ना हम किसानों का मिल में पेर पाते हैं और ७० प्रतिशत किसानों का गन्ना नहीं पेर पाते हैं। मान्यवर, इससे यह लगता है कि निश्चित रूप से गन्ना नहीं पेरा जाता है। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करूंगा कि इस सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय और मैं आपसे प्रशासन की इस पर व्यवस्था चाहूंगा ।

गन्ना विकास मंत्री (श्री हनुमंत सिंह)–

मान्यवर, नियम ५६ के अन्तर्गत माननीय विधायक श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय द्वारा उठाये गये प्रश्न जो मऊ जनपद की किसान सहकारी चीनी मिल, घोसी में चोरी व धांधली से सम्बद्ध है, के बारे मे बताना चाहता हूं । माननीय सदस्य ने इसके अलावा भी कुछ मुद्दे उठाये, उन्होंने कहा कि खाद के दाम बढ़े और क्रय केन्द्रों पर किसानों का गन्ना सही रूप में नहीं तोला जा रहा है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर केवल ३० प्रतिशत ही गन्ना चीनी मिलों द्वारा पेरा जा रहा है । मान्यवर, केन्द्र में बैठी हुई जो सरकार है, उसकी दोहरी नीति के कारण खाद के दाम बढ़े हैं । इसी बात को लेकर यह जो किसानों की सरकार है, उसने लाभकारी मूल्य देने के लिये ४ रु० की बढ़ोत्तरी की है । मान्यवर, हमारे सम्मानित सदस्य ने कहा है कि क्रय केन्द्रों पर घपला हो रहा है, घटोत्तरी हो रही है । पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर क्षेत्रीय स्तर पर ९ दस्ते बनाये गये हैं और उसमें लगातार जांच हो रही है । जो अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार के दोषी पाये जा रहे हैं, उनको सस्पेंड किया जा रहा है । इस तरह से ८०-८५ अधिकारी और कर्मचारी को उत्तर प्रदेश के अन्दर निलम्बित किया जा चुका है ।

आज तक स्वतन्त्रता के बाद जो भी सरकारें आयी हैं, उन्होंने गन्ना किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से आज उत्तर प्रदेश के अन्दर ३०-३५ प्रतिशत गन्ना पेरा जा रहा है । लेकिन मेरी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर इस विषय पर सोचा है । मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस साल केन्द्र सरकार से उत्तर प्रदेश के अन्दर ५० क्रय केन्द्रों को लाइसेंस देने की बात की गयी है । दूसरी बात यह है कि सहकारी चीनी मिल संघ के मुख्य गन्ना विकास परामर्शी द्वारा दिनांक ३०-३१ जनवरी, १९९२, को घोसी चीनी मिल का निरीक्षण किया गया था, निरीक्षण के समय मुख्य गन्ना विकास परामर्शी द्वारा गेट पर गन्ना आपूर्ति कर रहे किसानों की ट्रालियों तथा बैलगाड़ियों पर लाये गये गन्ने का निरीक्षण किया गया और यार्ड में उपस्थित कृषकों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी की गई और कृषकों से यह अनुरोध किया गया कि वे चीनी मिल में सप्लाई टिकट पर अंकित तिथि पर ही गन्ना आपूर्ति करने के लिये लें आयें, ताकि उन्हें लम्बे समय तक गेट अथवा क्रय केन्द्र पर इन्तजार न करना पड़े और जल्दी ही ट्राली खाली हो सके । इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं है । मैं तो पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि इसमें लगातार जांच-पड़ताल की जा रही है । इसमें दोषी अधिकारी और कर्मचारी निलंबित किये जा रहे हैं । जहां तक यह बात है कि गन्ना खेतों में पड़ा रहेगा, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जब तक चीनी मिलों की सप्लाई नहीं हो जाती है, तब तक चीनी मिलें नहीं बन्द होने पायेंगी । इसमें मान्यवर, चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में जो यह पहली बार सरकार आयी है, उसने किसानों के गन्ने का दाम ४ रु० कुंटल बढ़ा दिया है। मान्यवर, माननीय सदस्य ने

आरोप लगाया कि सरकार ने जो शुरू में दाम की घोषणा किया था, उसमें २ रु० कम कर दिया। माननीय मंत्री जी बता दें कि क्या दाम गिरायेंगे या नहीं गिरायेंगे ? इतना स्पष्टीकरण आप दिला दें। मान्यवर, यह आरोप है।

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता के प्रश्न पर सुन लिया। इसको नियम ५६ के अन्तर्गत स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिये इसको निरस्त किया जा रहा है।

श्री अकबर हुसैन–

मान्यवर, जनपद मुरादाबाद में वर्ष १९९० में दुर्घटना हुई थी, जब गैस प्लान्ट फटा था और उसमें ३ कर्मचारियों की मृत्यु भी हो गयी थी, मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी और अनेक कर्मचारी घायल हुए थे। गैस के रिसाव के कारण काफी बीमारियां फैली थीं। मान्यवर, उसी समय उसे आंशिक रूप से सही करा दिया गया था, जिसमें आज अभी हाल ही में गैस का रिसाव आरम्भ हो गया है, जिससे वहां की जनता में उसी तरह के संक्रामक रोग फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। मान्यवर, उसी समय इस शासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया था। इस में दो प्लान्ट हैं, जो पानी साफ करने का काम करते हैं। लेकिन फैक्टरी मालिक एक प्लान्ट को चलाते हैं और दिन के समय चलाते हैं। रात के समय नहीं चलाते हैं और रात में विशुद्ध पानी वैसे ही निकाल दिया जाता है, जिसके कारण फैक्टरी का गन्दा पानी जिस अनुपात से निकलना चाहिए था, उससे १० गुना अधिक गन्दा पानी निकाला जा रहा है। वह पानी फैक्टरी से निकलने के बाद नदी में गिरता है और नदी के पानी को वहां के जानवर और पशु पक्षी पीते हैं, जिससे उनमें भी भयंकर बीमारियां फैलने का भय उत्पन्न हो गया है। इस स्थिति को देखते हुए, क्षेत्रीय जनता में एक भय की स्थिति उत्पन्न हो गयी है और बार-बार गुहार करने के बाद भी कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाया जा रहा है, तब मान्यवर, विवश होकर यहां पर इस प्रश्न को उठाना पड़ा है। आप सरकार को निर्देश दें, इस पर कार्यवाही की जाये या यहां पर इस विषय पर चर्चा करा दी जाये।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम ५६ के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिये इसको निरस्त किया जाता है लेकिन शासन को इस पर वक्तव्य देने के लिये निर्देशित किया जाता है।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी में जब से वहां पर भूकम्प आया है, तब से अनेक तरह की समस्यायें उत्पन्न हो गयी हैं। वहां के लगभग ९ हजार ७ सौ कर्मचारियों ने रात दिन राहत का कार्य किया, और वे आज हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि भूकम्प से जो उनको असुविधायें हुई हैं और जो उनकी क्षति हुई है उनके लिये किसी तरह की सरकार ने कोई राहत नहीं दी है। कर्मचारियों ने भूकम्प राहत कार्य में बहुत काम किया है और मदद की है और वर्किंग आवर्स के बाद भी काम किया है और राहत के कार्य में अपना योगदान दिया है, लेकिन इन कर्मचारियों का जो नुकसान हुआ है, उसका कोई आंकलन नहीं किया गया है और इसकी वह निरन्तर मांग भी कर रहे हैं। जैसा मान्यवर, हम सभी जानते हैं कि उत्तर काशी में इस समय स्थिति यह है कि वहां पर कोई भी व्यक्ति ट्रान्सफर पर जाना नहीं चाहता क्योंकि यह आशंका लोगों के मन में चौबीसों घंटे बनी रहती है कि भूकम्प फिर आ सकता है, किसी भी समय

आ सकता है और जो मकान हैं जिसमें दरारें पड़ गयी हैं, वह ध्वस्त हो सकते हैं। इसलिये इन परिस्थितियों में कर्मचारियों की कुछ मांगें हैं कि सरकार इन परिस्थितियों में काम कराने के लिये कुछ अतिरिक्त सहायता दे जिसके लिये उन्होंने २०० रुपया प्रति माह की मांग की है जब तक कि वहां स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, जब तक वहां पर परिस्थितियां सुधर नहीं जातीं तब तक २०० रुपया प्रति माह के हिसाब से उनको विशेष वेतन दिया जाय या भत्ता दिया जाय। उनकी दूसरी मांग यह है कि उन्हें एक माह का वेतन अतिरिक्त वेतन के रूप में सरकार दे ताकि वह जिस तरीके से बेघर हुए हैं, उनके घर ध्वस्त हुए हैं उस स्थिति में वह मांग कर रहे हैं कि उन्हें एक माह के वेतन के बराबर सरकार एक किस्त में पैसा दे ताकि उनका जो नुकसान हुआ है वह उसकी पूर्ति कर सकें, रिहैबिलेट कर सकें। मान्यवर, उनकी एक साधारण मांग है। उनका कहना है कि जनता के साथ ऐसी परिस्थितियों में तो इनकी सहानुभूति है।

कुछ मान्यवर, बाहर के कर्मचारी हैं और कुछ वहां के स्थानीय निवासी हैं उनका कहना है कि जो वहां पर इन लोगों को भवन ऋण वगैरा दिया गया था विभागों की तरफ से, उन भवन ऋणों की वसूली स्थगित कर दी जाय और उसका समय निश्चित कर दिया जाय और उनमें से २० हजार रुपये माफ कर दिये जायं। जिस तरह से भूकम्प पीड़ित परिवारों को २० हजार रुपये की राहत दी गयी है, उसी तरह से उनको भी यह सुविधा दी जाय। मैं आपके माध्यम से इस विषय पर काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए चाहूंगा कि इस पर विस्तार से चर्चा हो जाय क्योंकि उत्तरकाशी की हालत यह है कि हजारों कर्मचारी हड़ताल पर हैं, चपरासी से लेकर सुपरिंटेंडेंट तक सभी लोग हड़ताल पर हैं, अतः यह एक गम्भीर विषय है। और सरकार ने इन हड़ताली कर्मचारियों से बात करना भी मना कर दिया है। इसलिये उन्हें गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं मांग करता हूं कि इस पर चर्चा करायी जाय।

(समय ४ बजकर २० मिनट)

* वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, गढ़वाल के इलाके में जो भूकम्प आया उसकी विभीषिका से केवल प्रदेश ही नहीं पूरा देश चिन्तित हुआ है और उसके लिये सरकार की ओर से ही नहीं भारी मात्रा में जन सहयोग भी मिला है और लगभग सभी दफ्तरों के कर्मचारियों ने अपनी तनख्वाह काटकर इसके लिये पैसा भेजा है, वहां के कर्मचारियों ने मेहनत से काम किया इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह जानकर आश्चर्य होता है और अफसोस होता है कि उसके बदले में वह एक माह का वेतन २०० रुपये की मांग कर रहे हैं। मान्यवर, इनका यह कहना कि किसी ने बात नहीं की है। मैं उस जगह गया हूं और मेरी उनकी बात हुई है और यह कहना गलत है कि किसी ने बात नहीं की। मैंने उनको समझाया कि एक ओर जहां सब लोग सहायता दे रहे हैं वहीं आप एक माह का वेतन मांग रहे हो। जहां तक राहत का सवाल है उसमें किसी कर्मचारी और किसी में कोई भेद नहीं किया गया है। अगर कोई दिवंगत हुआ है तो जो राहत उनको दी गयी है जो क्षति उनकी पूर्ति की गयी है वही उनको भी दिया गया है।

मान्यवर, जनता के हित को सर्वोपरि रखते उनकी गाढ़ी कमाई को यूं बांटा नहीं जायेगा। मेरा तो निवेदन है सभी पार्टी के लोगों से और पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों से कि उन कर्मचारियों को समझायें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और उन पर दबाव डालें कि वे जाकर अपना काम करें और सरकार ने २५ तारीख को उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं अनुरक्षण अधिनियम, १९६६ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३० सन् १९६६) की धारा ३ के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए उनकी सेवाओं को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हड़ताल गैरकानूनी घोषित करने का जो परिणाम है वह वहां के कर्मचारियों को भुगतने पड़ेंगे। इसलिये भोगना पड़ेगा आज आवश्यकता वहां सेवा की है, आज आवश्यकता है वहां ऊंचे स्थानों पर जाकर राहत पहुंचाने की, दीन दुखियों के घर जाकर राहत पहुंचाने की । इस समय अगर हड़ताल करेंगे और उसका कोई समर्थन करता है तो आश्चर्य होता है ।

कुछ बातें उनकी जायज हो सकती हैं उनके बारे में विचार करने का आश्वासन दिया उनको । उनकी मान्यवर एक मांग है मेरे सामने उन्होंने कहा कि हमने पैसा दिया है हमारा पैसा वापस कराया जाय । मात्र पर्वतीय क्षेत्र के कर्मचारियों को बांटने के लिये उद्देश्य था अगर यह पहले बता देते तो हम साफ मना कर देते कि अपना पैसा अपने पास रखें । मान्यवर, स्थिति क्या थी स्कूल के बच्चों ने जो उनके घरों से १०-५ पैसा जो उन्हें मिलता है उसको जमा कर-कर के हेड मास्टर को पैसे दिये। मैं अपने क्षेत्र में गया, वहां पर स्कूल के बच्चों ने सौ-सौ रु०, सवा सौ रु० अपने स्कूल के अध्यापकों को दिये आखिर उन बच्चों ने कोई शर्त नहीं रखी। पर्वतीय क्षेत्र के कर्मचारी शर्त रख रहे हैं।

मान्यवर, जनता के हित में निर्माण कार्य भी करने हैं, राहत कार्य में १०० करोड़ रु० से ज्यादा खर्च हो चुका है और भी धन की आवश्यकता है। ऐसे काम में मैं सबके सहयोग की मांग करता हूं । पूरी आशा है कि इसमें सबका सहयोग मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी यह जो कार्य-स्थगन में मामला आया है इसे कृपया स्वीकार न करें। माननीय सदस्यों की जो जिज्ञासा हो सकती थी उनका समाधान करने का प्रयास किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुन्ना चौहान जी की नियम ५६ के अन्तर्गत दी गयी इस सूचना को मैं निरस्त करता हूं। श्री रणजीत सिंह व श्री राम सिंह की सूचना को निरस्त करता हूं। श्री महेन्द्र सिंह भाटी, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री देवेन्द्र पाल सिंह, श्री भोला शंकर मौर्य, श्री मुन्ना चौहान, श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री गामाराम शास्त्री, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री सोमांश प्रकाश व श्री नरेश अग्रवाल की सूचनाओं पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, मेरी सूचना बहुत महत्वपूर्ण है, सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

जो सूचनायें चयन में नहीं आयी उनको सुनने का कोई औचित्य नहीं है।

माननीय भाटी जी आपकी सूचना पर मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट किया है।

(व्यवधान)

माननीय सुरेन्द्र सिंह जी आपकी जनपद गाजीपुर से संबंधित जो सूचना है उस पर मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। आप लोग कृपया बैठ जायं।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, दादरी में ग्रेटर नोयेडा के अन्तर्गत ३ रु० ८६ पैसे प्रति वर्ग फुट की दर से जमीन ली जा रही है उसे बेचा जा रहा है साढ़े आठ सौ रु० प्रति वर्ग फुट के हिसाब से। वहां किसानों को बरबाद किया जा रहा है। इस पर सुन लें।

(व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि दो माननीय सदस्य अनुपस्थित थे, उसके बदले दो माननीय सदस्य जिनकी सूचना है वे उपस्थित भी हैं उनको कृपया सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

एक अनुपस्थित थे । माननीय रणजीत सिंह जी पहले बोल चुके।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर; मेरी सूचना पर सुन लें गंभीर मामला है।

श्री अध्यक्ष–

सूचनायें तो शलाका के आधार पर निकाली जाती हैं जिसमें ५ सुनी जाती हैं ग्राह्यता के लिये।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

शलाका के आधार पर तो निकालेंगे लेकिन उसकी ग्रेविटी भी देखेंगे।

मान्यवर, इस पर वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

जहां शलाका है वहां ग्रेविटी की बात नहीं है। आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है, शासन उस पर कार्यवाही करेगा। इस पर अब कोई सुनने की बात नहीं है।

अब यह प्रकरण समाप्त हो गया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जो आपके आदेश हैं वह मुझे शिरोधार्य हैं। लेकिन इतना गम्भीर मामला था। एक छात्र प्रमोद कुमार, जनपद गाजीपुर, थाना मरदह, चौकी मटेहूं की हत्या ९ जनवरी, १९९२ को कर दी गयी। इस संबंध में एक पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मैंने इस संबंध में एक मांग-पत्र भी माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया था.....

श्री अध्यक्ष–

मैं ग्राह्यता के लिये नहीं सुन रहा हूं।

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। देवगन शुगर मिल में ५ करोड़ रुपये का घाटा हो गया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है.....

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको ग्राह्यता में नहीं ले रहा हूं। आप कृपया बैठ जायें। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें नियम-५६ के अन्तर्गत चयनित नहीं की गयीं। पहली डा० बृजभान यादव, दूसरी श्री हरिबंश सहाय, तीसरी श्री लालजी वर्मा, चौथी श्री किशोरी लाल यादव, पांचवीं श्री पूरन प्रकाश, छठी श्री विजय पाल सिंह तोमर, सातवीं श्री प्यारे लाल शंखवार, आठवीं श्री ओम प्रकाश सिंह, नवीं श्री पवन कुमार पाण्डेय, दसवीं श्री बी० आर० वर्मा जी की है, अतः अस्वीकार की गयी ।

उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) अध्यादेश, १९९१ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) विधेयक, १९९२

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) अध्यादेश, १९९१ का अननुमोदन करता है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की तीन इकाइयां हैं। डाला, चुर्क और चुनार। यह राज्य सरकार के अधीन एक करार के अन्तर्गत डालमिया इन्डस्ट्रीज को हस्तान्तरित करना था, जिसके ५१ प्रतिशत अंश बेच दिये थे। लेकिन मान्यवर, दिनांक १६ अक्टूबर, १९९० से माननीय उच्च न्यायालय के एक अन्तरिम स्थगन आदेश के कारण वह हस्तान्तरित नहीं हो सके इसलिये ४९ प्रतिशत जो अंश थे उसको राज्य सरकार ने वापस ले लिया। मान्यवर, इसके लिये श्रमिक अशांति हुई, आन्दोलन हुआ था और दमन भी हुआ था। उत्तर प्रदेश विधान सभा में मान्यवर, हम लोगों ने विभिन्न नियमों के अन्तर्गत इस प्रश्न को उठाया था और राज्य सरकार ने उसको फिर से अपने स्वामित्व में ले लिया। लेकिन इसमें एक आशंका है। वह यह है कि दिनांक १६ अक्टूबर, १९९० को माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम स्थगन आदेश के कारण वह करार पूरा नहीं हो सका और इसकी वजह से जो ५१ प्रतिशत अंश था वह उनको नहीं मिल सका और वह ग्रहण नहीं कर सके। इसलिये अगर अन्तरिम स्थगन आदेश न होता तो ५१ प्रतिशत अंश देकर निजी क्षेत्र में उस इकाई को देने का फैसला इस सरकार ने कर लिया था। मान्यवर, यह आशंका है कि वहां पर कहीं पुनः यह सरकार जो स्वदेशी आन्दोलन चलाने का नारा भी दे रही है तो फिर वह पुनः डालमिया इन्डस्ट्रीज को न सौंप दें, इन्हें इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए। दूसरी बात, श्रमिक अशांति के दौर में, जो उनकी मजबूरियां थीं, जो क्षति हुई, जो मुकदमें लम्बित हैं, उनको उचित मुआवजा देने और लम्बित मुकदमों को खत्म करने की हम आपसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं तथा आपके माध्यम से, मांग करते हैं, इसीलिये मैंने यह अननुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मान्यवर, डालमिया इन्डस्ट्रीज को सौंपने का फैसला अब इनको छोड़ देना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार कम से कम एक उदाहरण प्रस्तुत करे, वहां के श्रमिकों को उसमें साझेदारी देकर। जो अंश हैं, उनको यह सरकार श्रमिकों को देने का फैसला करे, तभी यह समझा जा सकता है कि यह लोग स्वदेशी आन्दोलन चलायेंगे। हालांकि मान्यवर, स्वदेशी आन्दोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया था, अब आप चलायें, अच्छी बात है। लेकिन आप ऐसे युग में चलाने जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रानिक युग है और इस युग में पूरा विश्व मंडी एक हो रहा है, जिसमें हमें अपना स्थान बनाना होगा।

हमारे उत्तर प्रदेश के और पूरे देश के लोग उसमें एक सम्मानजनक स्थान बनायेंगे, हमारा माल भी विदेशों में जाय, दूसरे माल की भी हमारी ललक होनी चाहिए। मान्यवर, जब पूरी दुनिया एक हो रही है और शीतयुद्ध का युग समाप्त हो गया है तो ऐसे युग में स्वदेशी आन्दोलन चलायें, अच्छी बात है। लेकिन आप संदर्भ नहीं समझते हैं और स्वदेशी आन्दोलन का नारा देते हैं, तो आपको समझाना पड़ेगा और इसे समझाया जायेगा।

(सत्ता पक्ष की ओर से सदस्यों द्वरा टोकाटोकी करने पर)

(व्यवधान)

मान्यवर, कम से कम इन्हें महात्मा गांधी तो याद आये। उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की ३ इकाइयों में, जिन पर अब राज्य सरकार का मालिकाना हक स्थापित हो गया है, उसमें मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करें, इसीलिये मैंने आज यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मान्यवर, मैं इनको धन्यवाद भी देता, इसलिये देता कि हमारी मांगों को यह मान लिये हैं, पहली बार इन्होंने माना है कि ५१ प्रतिशत जो अंश दिये गये थे, उसको वापस लिया जाय। हमारी इन बातों पर, जिन पर मैं बल दे रहा हूं, उसको यह मान लें और पूर्णरूप से आश्वासन दें, तो मैं इनको पुनः धन्यवाद दूंगा।

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मयंकर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) विधेयक, १९९२ पर विचार किया जाय?

मान्यवर, उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की ३ इकाइयां पहली चुनार जिला मिर्जापुर में है, दूसरी व तीसरी डाला और चुर्क में, जो जिला सोनभद्र में स्थित है, के संबंध में राज्य सरकार ने डालमिया इन्डस्ट्रीज से इस आशय का करार किया था कि ५१ प्रतिशत डालमिया का और बाकी ४९ प्रतिशत राज्य सरकार का अंश रहेगा। दिनांक १६ अक्टूबर, १९९० के अन्तरिम आदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी, जिससे उसका क्रियान्वयन नहीं हो सका। मान्यवर, जब यह करार हुआ तो इधर मजदूरों का आन्दोलन खड़ा हो गया और बड़ी अशांति पैदा हो गयी.....

इसलिए उसको देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उसे फिर से लिया जाय। उसके अर्जन के लिये प्रतिकर को राज्य सरकार डालमिया इण्डस्ट्रीज व उसके साझेदारों को वापस कर देगी। कभी-कभी माननीय सदस्य बढ़िया बात कह देते हैं। उन्होंने कहा कि डालमिया को न दिया जाय। इस सरकार का भी यह दृढ़ मत है कि इसे डालमिया ग्रुप को न दिया जाय। कुछ हौच-पौच वाली बात माननीय सदस्य ने कही। स्वदेशी आन्दोलन के बारे में उन्होंने कहा। गांधी जी के साथ तो वह अपने को जोड़ते हैं परन्तु इस संदर्भ में उन्होंने जो कहा वह बिल्कुल उल्टा कहा। मुझे इसी संदर्भ में एक बात कहनी है। दो पड़ोसी थे। एक पड़ोसी ने तय कर लिया कि दूसरा पड़ोसी जो कहेगा, उसका वह उल्टा कहेगा। एक दिन बगल वाले पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी की माता जी को माता जी प्रणाम कह दिया। इस पर बगल वाले पड़ोसी ने सोचा कि इसने तो मेरी माता जी को प्रणाम कह दिया, इसलिये उसने एक दिन अपनी माता जी को भाभी जी प्रणाम कह दिया। इस पर उसकी माता जी ने पूछा कि यह आपने क्या कह दिया। तो उसने बताया कि मैंने तय कर रखा था कि पड़ोसी जो करेगा या कहेगा, मैं उसका उल्टा कहूंगा। इसलिये मैंने आपको भाभी कहा। .....

श्री अध्यक्ष–

आप सुसंगत बात कहें।

श्री मयंकर सिंह–

मैं कह रहा था कि माननीय सदस्य ने इसी कारण स्वदेशी आन्दोलन के संबंध में अपनी जो बात कही, वह बिल्कुल हौच-पौच वाली स्थिति थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने रखा है, उस पर विचार कर लिया जाय।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या-९ पर श्री राम गोविन्द चौधरी जी का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री अध्यक्ष–

अन्य कोई माननीय सदस्य इस पर अपना विचार प्रकट करना चाहेगा।

(कोई भी माननीय सदस्य नहीं खड़ा हुआ)

माननीय श्री श्याम नारायण जी आपको कुछ कहना है।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, मैं आपसे प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) अध्यादेश, १९९१ का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) विधेयक, १९९२ पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड २ से खण्ड ११ तक, अनुसूची खण्ड-१, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) विधेयक, १९९२

कतिपय कम्पनियों द्वारा धृत उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड के अंशों का, लोकहित में, अर्जन और उससे सम्बद्ध और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

चूंकि उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड एक सरकारी कम्पनी है जिसे कम्पनी अधिनियम, १९५६ के उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन कम्पनी के रूप में निगमित किया गया ;

और, चूंकि राज्य सरकार ने डालमिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से सहयोग का एक करार किया था जिसके अधीन राज्य सरकार कारपोरेशन के ५१ प्रतिशत अंशों को डालमिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड और उसके नाम निर्देशितों को अन्तरित करने के लिये सहमत हो गई थी और उक्त डालमिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा कारपोरेशन का प्रबन्ध ग्रहण किया जाना था ;

और चूंकि उच्च न्यायालय के अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक १६ अक्तूबर, १९९० के कारण कारपोरेशन द्वारा संचालित कारखाने उपर्युक्त सहयोगियों को नहीं सौंपे जा सके और इसलिये राज्य सरकार द्वारा केवल ४९ प्रतिशत अंशों को पूर्ण भुगतान किये गये एक सौ रुपये के अंकित मूल्य के प्रत्येक अंश को पचहत्तर रुपये की दर से अन्तरित किया गया ;

"और, चूंकि ऐसे अन्तरण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका;"

और चूंकि उपर्युक्त डालमिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी नाम निर्देशिती कम्पनियों द्वारा धृत उक्त कारपोरेशन के अंशों को वापस अर्जित किया जाना लोकहित में समीचीन है ;

अतएव, अब, भारत गणराज्य के तैतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१– (१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) अधिनियम, १९९२ कहा जायेगा ।

(२) यह ११ अक्टूबर, १९९१ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

परिभाषायें

२–इस अधिनियम में, पद–

(क) ''कम्पनियों '' का तात्पर्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट कम्पनियों से है,

(ख) ''कारपोरेशन'' का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, १९५६ के उपबन्धों के अधीन निगमित उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड से है जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश में चुर्क जिला सोनभद्र में है ।

अंशों का निहित होना

३–इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को कारपोरेशन की अंश पूंजी में कम्पनियों द्वारा धृत सभी अंश राज्य सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेंगे ।

कम्पनियों की धनराशि का भुगतान

४–(१) धारा ३ में निर्दिष्ट अंशों के अन्तरण और निहित हो जाने के लिए राज्य सरकार ऐसे अन्तरण और निहित हो जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर कम्पनियों को अनुसूची में प्रत्येक के सामने क्रमशः विनिर्दिष्ट धनराशि का भुगतान करेगी जो पूर्व में राज्य सरकार द्वारा ऐसी कम्पनियों को किये गये अंशों का प्रतिफल के लिए उन कम्पनियों द्वारा राज्य सरकार को किये गये वास्तविक भुगतान की धनराशि के पूर्णतया बराबर हैं ।

(२) यदि, राज्य सरकार उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस उपधारा में निर्दिष्ट धनराशि कम्पनियों को भुगतान करने में त्रुटि करें, तो वह भुगतान न की गई धनराशि पर ऐसे निहित होने के दिनांक से भुगतान के दिनांक तक बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगी ।

(३) कम्पनियां, राज्य सरकार में अंशों के ऐसे निहित हो जाने पर राज्य सरकार को उस प्रतिफल की जिसके लिए उन्होंने पूर्व में राज्य सरकार से ऐसे अंश प्राप्त किये थे, बकाया धनराशि का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त हो जायेंगी ।

अंश प्रमाण-पत्रों का परिदान

५–(१) कोई व्यक्ति जिसके कब्जे में धारा ३ के द्वारा राज्य सरकार को अन्तरित और उसमें निहित अंशों से संबंधित अंश प्रमाण-पत्र है, तुरन्त और विलम्बतम इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीस दिन के भीतर, उन अंश प्रमाण-पत्रों को राज्य सरकार को समर्पित कर देगा ।

(२) धारा ६ के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (१) में यथापेक्षित अंश प्रमाण-पत्रों को समर्पित न करने या समर्पित करने में विलम्ब करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति, अंश प्रमाण-पत्रों के समर्पित न करने या समर्पित करने में विलम्ब के कारण राज्य सरकार को हुई किसी हानि की क्षतिपूर्ति करने का दायी होगा।

शास्ति

६– कोई व्यक्ति जो धारा ५ की उपधारा (१) के उपबन्धों का पालन करने में त्रुटि करता है, ऐसी अवधि के लिये जो दो वर्ष तक हो सकती है कारावास से, या जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

७–(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्डित किया जा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध उस कम्पनी के किसी सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मौन सम्मति से किया गया है, या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, तो कम्पनी का ऐसा सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्डित किया जा सकेगा।

<u>स्पष्टीकरण</u> :-इस धारा के प्रयोजनों के लिये —

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों के अन्य संगम भी है, और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।

सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण

८–राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध ऐसे किसी कार्य के लिये जो इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम, या दिये गये किसी आदेश या अनुदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो, या किये जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

९–(१) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा ।

(३) उपधारा (१) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य, शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, १९०४ की धारा २३-क की उपधारा (१) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम बनाने की शक्ति

१०–राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४१, सन् १९९१

११(१) उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशो का अर्जन) अध्यादेश, १९९१ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

उत्तर प्रदेश सरकार

अनुसूची

[धारा २ (क) और ४(१) देखिये]

कम्पनियों का विवरण

क्रम संख्या	नाम	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय	कारपोरेशन में कम्पनियों द्वारा धृत अंशों की सं० जो अब राज्य सरकार में निहित हो गयी है	धारा ४ (१) के अधीन कम्पनियों को देय धनराशि (रुपये)
१	२	३	४	५
१	डालमिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	घाना सीवर, बाई पास रोड, भरतपुर, राजस्थान ।	२८२२४०	२,११,६८,०००
२	डियर इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	२५२-ए शाहपुर जाट, नई दिल्ली ।	२६६६७०	२५,००,०००
३	एलीगेन्ट इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	तदैव	२६६६७०	२५,००.०००
४	कैरिसा इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	तदैव	२६६६७०	२५,००.०००
५	फोर एवर इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	तदैव	२६६६७०	२५,००,०००
६	ओवल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	तदैव	२६६६७०	२५,००,०००
७	क्रास इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	तदैव	२६६६७०	२५,००,०००
८	हारवेटेक्स इंजीनियरिंग एण्ड प्रोसेसिंग कम्पनी लिमिटेड ।	५०४-ए, स्काईलार्क बिल्डिंग, ६० नेहरू प्लेस, नई दिल्ली ।	२६६६७०	२५,००,०००
९	उटकिंस होल्डिंग्स लिमिटेड	तदैव	२६६६७०	२५,००,०००
१०	केयरफ्री इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड ।	तदैव	२६६६७०	२५,००,०००
११	डिवाइन लीजिंग एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड ।	तदैव	२६६६७०	२५,००,०००
१२	श्यामकुंज ट्रेडर्स एण्ड एजेन्सी लिमिटेड ।	तदैव	२६६६७०	२५,००,०००
१३	एक्सीलेन्ट कामर्शियल इंटरप्राइजेज एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ।	तदैव	१३०११०	२५,००,०००
		योग . .	३३४५७२०	५,११,६८,०००

विधान परिषद सचिवालय

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–२ से खण्ड–११ तक, अनुसूची, खण्ड-१, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) विधेयक, १९९२ पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) विधेयक, १९९२ पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९९१ के अननुमोदन का संकल्प तथा भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९९२

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९९१ का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, इसमें संसाधन बढ़ाने के लिये स्टाम्प शुल्क बढ़ाने की बात का उल्लेख किया गया है । लेकिन जहां ६ रुपया पड़ता था उसको बढ़ा कर १०० रुपया कर दिया है और जहां ५ रुपया था उसको बढ़ा कर ५० रुपया कर दिया है । इस तरह से २० गुना कर दिया है कम से कम मंहगाई के बढ़ने की जो दर है उसी को ख्याल में करा होता ।

दूसरा मान्यवर, इसमें विसंगतियां हैं जो ट्रांसफर की कार्यवाही होती है जो संपत्ति होती है उस पर जो स्टाम्प लगता है उसका मनमाने तरीके से मूल्यांकन करते हैं जिसके हिसाब से स्टाम्प लगता है । सरकार जब कभी भी किसान या नागरिक की संपत्ति अधिग्रहीत करती है तो उसका मूल्य मनमाने तरीके से लगाते हैं । यह एक बहुत बड़ी विसंगति है । इस मनमानेपन को दूर करने के लिए और विसंगति को खत्म करने के लिये मैंने आपकी आज्ञा से अननुमोदन का प्रस्ताव किया है ताकि इस पर सम्यक रूप से विचार हो और उसके बाद इसे विधेयक के रूप में लाया जाय । यही मेरा निवेदन है । मैं अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(माननीय वित्त एवं संस्थागत वित्त मंत्री का नाम पुकारने पर)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

पहले माननीय मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत कर लें उसके बाद ।

* वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९९२ पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह बहुत सामान्य सा संशोधन है, जनता की मांग उठती रही है और इस आदरणीय सदन में भी कई बार बातें कही गयीं कि हमें कुछ संसाधन भी बढ़ाने चाहिये और यह भी कहा गया कि स्टाम्प शुल्क के अपबंचन को रोकना चाहिये, यह भी कहा गया कि स्टाम्प की कमी की भी समस्या पैदा होती है इससे जो बैनामा कराने जाते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है । तो इन्हीं तीन चार बातों को ध्यान में रख कर यह लाया गया है ।

मान्यवर, यह उत्तर स्टाम्प एक्ट १८९९ का है इसमें चार-पांच बातों के लिये सामान्य संशोधन करने के लिये सरकार ने निर्णय किया है । अभी माननीय श्याम नारायण जी बोल रहे थे जो कुछ रुपया बढ़ाया गया है उसकी मात्रा की चर्चा की । तो चर्चा करने के बाद तय हुआ कि मंहगाई के जमाने में जमीन की कीमत कितनी बढ़ी, मकान की कीमत कितनी बढ़ी उसका हिसाब लगाते हुये जो हमने शुल्क की मात्रा बढ़ाई है वह कम है और ज्यादा बढ़ना चाहिये लेकिन हमने ऐसा नहीं किया उसके लिये बहुत सारे कंसिडरेशन हैं उनको ध्यान में रख कर थोड़ा इजाफा किया गया है ताकि संसाधन बढ़ें और खर्चे की व्यवस्था हो सके । जो तीन चार बातें इसमें की गयी हैं उनकी संक्षेप में जानकारी दूंगा । इसमें कोई विवाद की बात नहीं है जो पट्टे होते हैं उसी के साथ जो खानों का खनन होता है उसमें जो भी पट्टा होता है उसकी लिखत पढ़त होती है । अक्सर उसमें विवाद हो जाते हैं तो वह विवाद न हों उसको भी पट्टों की परिभाषा में ले आयें यह बात कही जाती रही है और दूसरा जब मैं उधर बैठता था मैंने भी कहा था कि स्टैम्प मिलते नहीं है जितने का स्टैम्प चाहिये उतने का नहीं मिलता है । अगर ३ रुपये के स्टैम्प की जरूरत है लेकिन २० रुपये का स्टैम्प है लगाना केवल ३ रुपये का है तो हमको १७ रुपये अनावश्यक देने पड़ेंगे । स्टैम्प की ब्लैक मार्केटिंग भी होती है, यह भी शिकायत है, इसलिये इन सारी चीजों को देखते हुए हम फैंकिंग मशीन का प्रयोग करेंगे और स्टैम्प की कमी जब होगी तो फैंकिंग मशीन से स्टैम्प लगायेंगे और स्टैम्प लगा हुआ माना जायेगा । इस संशोधन से मान्यवर, जनता को सुविधा दी जा रही है । इसके साथ ही जो होती थी वह नहीं होगी । मुख्तारनामा लिख देते थे, जो इर्रकवरेबिल होता है, ९९९ सालों का पट्टा लिख देते जिस पर कोई स्टैम्प नहीं पड़ना होता है और जिसका मतलब पता नहीं कितने सालों के लिये लीज हो गयी । इसलिये मार्केट रेट के हिसाब से अब चार्ज किया जायेगा ।

मान्यवर, माननीय सदस्यों को पता होगा, हजरतगंज में घूमने जाते हैं, डी० एस० ओ० बिल्डिंग है, श्री नरेश अग्रवाल जानते हैं, वह सोचें कि इसका वेल्यूएशन क्या होगा ? कितने लाख रुपये की होगी लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मिट्टी के भाव पर स्टैम्प लिया गया है । इसलिये निर्णय लिया गया है कि यदि आप भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो रि-ओपेन का अधिकार दिया जाए जो कुछ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चीजों पर ही अभी तक था लेकिन इसे बढ़ा दिया गया है । हो हल्ला मचा है, हमारे पास लोग आते हैं तो हमने उनसे कहा कि तुम क्यों परेशान हो ? परेशान वह हो जो चोरी करता हो । इसलिये जो रि-ओपेन, अपवंचन होता था जिससे अब ज्यादा स्टैम्प देना पड़ेगा । तो करने वाला जो व्यक्ति था उसके दिमाग में हलचल नहीं होती थी इसलिये उसको भी अब जिम्मेदार हम ठहरा रहे हैं और जो लिखते समय स्टैम्प देना पड़ता वह दें ।

मान्यवर, इसी तरह आगे की योजनायें भी हैं । यह सब करने का मतलब जनता को सुविधा देना है । यह भी योजना है कि भवन/कार्यालय बनायेंगे जिसमें चीजें सुरक्षित रखी जा सकें । कम्प्यूटर और बाइंडिंग की भी योजना है । भ्रष्टाचार पर पकड़ करने की चेष्टा की गयी है । हमने कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही किया है । इस प्रकार ४-५ जो जनहित के मामले हैं उनके संबंध में कुछ बातें समय की कमी को देखते हुए संक्षेप में कही हैं, इसलिये विवाद का प्रश्न नहीं है । इधर का उधर का भेदभाव भुलाकर स्टैम्प की चोरी, अपवंचन को रोकने, स्टैम्प की कमी की समस्या का निस्तारण करने, और इर्रेकवरेबिल में भारी जो चोरी होती थी स्टैम्प में, आदि चीजों के निराकरण हेतु यह संशोधन लाया गया है, इसलिये इसका सभी माननीय सदस्य समर्थन करें ।

* श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९९२ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करें । समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।

मान्यवर, जो प्रस्ताव हमने दिया है उसके कारण हैं कि इस विधेयक में किये गये प्राविधानों के अंतर्गत कुछ ऐसा विरोधाभास है कि अन्य दूसरे जो अधिनियम हैं आनुसंगिक उनसे कुछ ऐसी विसंगतियां पैदा हो गयी हैं जिनके कारण यह संशोधन लाना पड़ा और प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव करना पड़ा ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान शिड्यूल एक (बी) के आर्टिकिल ४८, (अनुच्छेद ४८) की ओर ले जाना चाहता हूं । इस अनुच्छेद-४८ में एक नया खण्ड जोड़कर यह व्यवस्था की गयी है कि ऐसी पावर आफ एटार्नी जिनमें कि स्थायी सम्पत्ति के बिक्री का अधिकार दिया गया हो, उनके एक्जीक्यूट करने पर उतना ही शुल्क लगेगा जितना कि सम्पत्ति का बाजारू मूल्य होता है। मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि लोग ९९९ साल का पट्टा करा देते थे स्टैम्प की चोरी से बचने के लिये, या अकाल बाधित पट्टा करा दिया जाता था। मान्यवर, कोई ऐसे नियम बना दिये जायं जिससे नियमों का आपस में टकराव न हो। कोई ऐसी बात न हो जिससे विरोधाभास उत्पन्न हो जाय। मान्यवर, आप विधि वेत्ता हैं जहां तक पावर आफ एटार्नी का संबंध है, उसके लिये एक ऐक्ट है। पावर आफ एटार्नी ऐक्ट, १८८२। जिसके अन्तर्गत मैंने देखा है, पूरा पढ़ा है कहीं भी इर्रिकवरेवुल पावर आफ एटार्नी का प्रयोग नहीं किया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, सामान्य प्रणाली और प्रचलित परिपाटी भी रही है और वास्तव में भी देखने में यही आता है कि जो व्यक्ति मुख्तारनामा करता है वह उसकी स्वीट विल पर होता है। वह जब चाहे उसे बदल सकता है उसे इसका पूरा-पूरा अधिकार होता है। उसे एटार्नी आफ पावर के अन्तर्गत जो अधिकार दिया जाता है उसे रिमूव करने का भी अधिकार होता है। मान्यवर, मंत्री जी ने इसके अन्तर्गत जो उपखण्ड जोड़ने की बात कही है मैं नहीं समझता कि उसकी व्यवस्था किस प्रकार से की गयी है। गुप्ता जी ने कहा कि कुछ आवश्यक संशोधन किये हैं। अनुसूची १-बी के आर्टिकल ५-सी में जो हमारा एग्रीमन्ट था। एग्रीमेन्ट पर ६ रुपये का शुल्क लगता था। ६ रुपये के स्थान पर एकदम से बढ़ाकर सौ रुपये कर दिया गया है। मान्यवर, अनुपात देखें। १२ रुपये कर देते, १८ रुपये कर देते तिगुना हो जाता। ६ रुपये का १०० रुपये कर के १६ गुना से भी अधिक का अनुपात हो गया है। इसका सामान्य जनता पर या गरीब जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से अनुच्छेद २५-१ में देखें। इसमें उस प्रकार के डाक्यूमेंट जिन पर कि पहले रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती थी। बाद में उसमें ५ रुपये की फीस लगने लगी। मान्यवर, उसमें संशोधन करके उसे ५० रुपये कर दिया गया है। पांच से दस गुना बढ़ाकर पचास रुपये किया गया है। आर्टिकल-३५ देखें। ३५ एक खण्ड-क के उपखण्ड-२ से लेकर ७ तक जो हमारे लीज के रेट हैं। लीज के रेट्स में भी वृद्धि की गयी है। इस संशोधन के माध्यम से कहीं ३ गुना, ५ गुना, ५ गुना से १० गुना की वृद्धि की गयी है। मान्यवर, मैं पुनः आर्टिकल ४८ पर आना चाहता हूं। आर्टिकल-४८ में, जैसा मैंने तर्क दिया था। इसमें जो प्राविधान किये गये हैं उसका पावर आफ एटार्नी ऐक्ट से विरोधाभास है। दूसरी बात मान्यवर, व्यवहारिक कठिनाई भी है। जैसे कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति का स्वामी या भू-धारक है और किसी को पावर आफ एटार्नी देता है तो नये संशोधन के अनुसार बैनामे के बराबर व्यय भार लिया जायेगा। पावर आफ एटार्नी का अधिकार अगर वह दूसरे व्यक्ति को ट्रान्सपर करेगा तो फिर व्यय भार देगा। पहली और दूसरी, दोनों बार उसको फीस देनी होगी। इसमें या तो यह समझें कि जिसे हमने मुख्तारनामा दिया है वह उसका सदुपयोग नहीं कर रहा है। उसको आवश्यकता नहीं है, तो जब वह मुख्तारनामा वापस लेगा तो जो फीस पहले उससे ली गयी है, उसको वापस करने का प्राविधान नहीं है। गुप्ता जी को कठिनाई है जैसा कि उन्होंने अपने भाषणों में बताया कि अर्बन सीलिंग ऐक्ट है उसमें जमीन के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। उस स्थित में अनधिकृत रूप से जमीनों को लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर करने के लिये इस तरह का सहारा लिया है।

मान्यवर, अर्बन सीलिंग ऐक्ट है इसके तहत जमीन का हस्तान्तरण नहीं होना चाहिए। ऐसा नियमों में प्रतिबन्ध है लेकिन इससे जो गलत परम्परा विकसित हो रही है उसको प्रोत्साहन मिलेगा ऐसा मैं समझता हूं। जिस परम्परा को लाया गया है उसके अन्तर्गत न्याय का अधिकार मिलना चाहिए। अगर अर्बन सीलिंग ऐक्ट को लाने में कठिनाई थी, अर्बन सीलिंग के अन्तर्गत ट्रांसफर रोकने चाहिए थे, तो उसके लिये कोई और व्यवस्था की जाती।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

यह जो व्यवस्था आप लाये हैं यह नियमों के विरुद्ध है यह उचित नहीं होगा। इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाये। अर्बन सीलिंग आफ लैण्ड रेगुलेशन ऐक्ट, १९७६ की बात कही गयी, जैसी कि पावर आफ अटार्नी की बात कही गयी है अगर एक गलती हो गई तो उसको अगर आप दोहरायेंगे तो कैसे काम चलेगा?

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

गल्ती को सुधारना चाहिए गल्ती दोहराना कोई न्यायसंगत नहीं है। इस संशोधन पर वैसे मुझे किसी तरह की आपत्ति नहीं है लेकिन जो रेट रिवाइज किये गये हैं। मान्यवर, जो रेट बढ़ाये गये हैं वह जनभावना के विपरीत हैं। किसी पर १६ गुने और किसी पर १० गुने रेट बढ़ाये गये हैं जो उचित नहीं है। खासतौर से जो मेरी वैधानिक आपत्ति है वह आर्टिकिल ४८ के संबंध में है। बिना पावर आफ एटार्नी ऐक्ट में संशोधन किये आपको यह संशोधन करने का अधिकार नहीं है। इससे एक गलत परम्परा विकसित होगी और लोगों को कहने का अवसर मिलेगा। अरबन सीलिंग ऐक्ट, १९७६ में आपने भूल की और इसमें भी कर रहे हैं। इससे एक गलत परम्परा विकसित होगी। मेरा निवेदन है कि आर्टिकिल ४८ निकालने के बाद इसको पारित करें। अगर इसके पहले पारित करेंगे तो उचित नहीं होगा। २ या ३ ऐक्ट इससे प्रभावित होंगे और उससे विरोधाभास होगा। इसलिये मैं अपने प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव पर बल देता हूं। इसमें जल्दबाजी न करें और नियम विरुद्ध व्यवस्था न करें इससे एक गलत परम्परा विकसित होगी। गलत ट्रांसफर और करापवंचन मल्टीप्लाई होकर आयेगा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव स्वीकार करें। एक महीने में इस पर रिपोर्ट आ जायेगी और उसके बाद इसको पारित किया जाय।

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने जो भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश के अननुमोदन का प्रस्ताव रखा है वह २-३ कारणों से रखा है। मान्यवर, आपको पता है कि जो आदमी जमीन खरीदता है, लीज पर लेता है या मार्टगेज करता है या सेल के आधार पर खरीदता है तो सारा पैसा स्टाम्प खरीदने वाले को देना पड़ता है। जमीन जिनके पास ज्यादा है वह जमीन बेचते हैं और जिनके पास जमीन नहीं है, जो गरीब लोग हैं वह जमीन खरीदते हैं। वह अपना पेट काटकर किसी तरह एक-एक पैसा जोड़कर जमीन खरीदने के लिये जाते हैं। लेकिन सारा का सारा भार इस विधेयक के तहत जो बढ़ाया गया है वह गरीब के ऊपर पड़ेगा। आपने लीज पर भी दाम बढ़ाये हैं। जो ग्राम सभा की जमीन के पट्टे गरीब आदमियों को दिये जाते हैं तो अगर लीज पर स्टाम्प बढ़ाया जायगा तो उसका भार गरीब भूमिहीन आदमी पर पड़ेगा, यह एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। दूसरी चीज मत्स्य पालन के लिये तालाबों के पट्टे गरीब मल्लाह लोगों को दिये जाते हैं, कहारों को दिये जाते हैं। यह पट्टे देने में मल्लाहों और कहार लोगों को वरीयता क्रम में रखा गया है। ऐसे लोगों को इसी नाते दिया जाता है कि इनके पास कोई साधन जीविकोपार्जन का नहीं है। इनको दिया जायगा तो वे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। ऐसे लोगों से स्टाम्प ड्यूटी ली जायगी। ८ गुना, १० गुना, १६ गुना बढ़ाकर ली जायगी। तो इस तरह से बहुत बड़ा अन्याय होगा।

बालू की माइनिंग का जो ठेका होता है, वह मल्लाह जाति के जो लोग कोआपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं उनको वरीयता पर दिया जाता है। इनके माध्यम से बालू सप्लाई का ठेका लेते हैं। उसमें स्टाम्प

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ड्यूटी बढ़ाकर ज्यादा पैसा लेना सरासर अन्याय होगा। इसलिये जो स्टाम्प ड्यूटी बढ़ायी गयी है उससे अमीर नहीं गरीब प्रभावित होगा। ऐसा गरीब तबका प्रभावित होगा जो सामाजिक व्यवस्था में गरीबी के सबसे निचले स्तर में, अन्त्योदय में रहता है, वह प्रभावित होगा। इसीलिये मैंने अपना संशोधन का प्रस्ताव रखा है और इसलिये कहता हूं कि इस संशोधन के प्रस्ताव को प्रवर समिति को सौंप दिया जाय जो एक माह में अपना प्रतिवेदन सदन में दे। इसको रखने का एक और कारण है। इसमें जो फ्रेगमेंट ट्रांसफर होता है, खण्ड ट्रांसफर पर रोक नहीं लगायी है और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम में अगर ऐसा कोई खण्ड ट्रांसफर होता है तो म्यूटेशन नहीं होता। इसी से फायदा उठाकर रजिस्ट्रार के दफ्तर में जितनी स्टैम्प ड्यूटी लगाते हैं उसका पांच गुना, दस गुना वसूली की जाती है। अगर इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं होती तो प्रदेश के सारे रजिस्ट्रार के दफ्तरों में जो वसूली की जाती है, उसके लिये कोई व्यवस्था की जाय तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। ट्रांसफर के नाम पर जो वसूली होती है, इसके लिये कोई व्यवस्था की गयी होती तो ठीक होता। इसीलिये मैंने संशोधन रखा है कि इसको एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय, और एक महीने में वह सारी चीजों की छानबीन करके और क्या बढ़ाया जा सकता है, क्या संशोधन किया जा सकता है, उसको सदन के सामने रखे तो ठीक होगा। वह सरकार और विपक्ष के लिये और इस देश के गरीब लोगों के कल्याण के लिये, सबके कल्याण के लिये होगा। इसके साथ ही संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं। धन्यवाद।

श्री भगवन्त प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो बिल आया है, यह आर्थिक न्याय और संविधान में निहित सिद्धांतों के विपरीत है। मंत्री जी ने कहा कि बहुत से लोग नाजायज ट्रांसफर करते हैं, वह रोका जायगा। नाजायज ट्रांसफर रुक नहीं पायेगा, बल्कि इससे बढ़ेगा। फर्क यह होगा कि पैसे वाले लोग नाजायज ट्रान्सफर करायेंगे और गरीब लोग मारे जायेंगे। नाजायज ट्रान्सफर कराने वाले दूसरे लोग होते हैं। आपसे ज्यादा इसे कोई नहीं जानता कि विधायिका का क्या इंटेशन था, की चर्चा कचेहरी में नहीं की जा सकती। सरकार का इरादा पैसा वसूलने का है या व्यवस्था ठीक करने का ? यदि फर्जी ट्रान्सफर पर और बढ़ाया है तो [illegible] ज्यादा बढ़ा दे जिससे सरकार को और ज्यादा फर्जी काम होगा, ज्यादा पैसा आयेगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। वहां पर इसके सारे पहलू देख लिये जायेंगे। आप एक ज्युरिष्ट हैं, सबसे अच्छा तो यह होता कि आप अकेले में बैठकर खुद प्रोविजन को देख लेते, तो आपसे बढ़िया फैसला कोई और न दे पाता।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, निवेदन यह करना था, इसमें लिखा है कि शुल्क के अपवंचन को रोकने के लिये, मान्यवर, इस तरह की चोरी रुकती नहीं है। मैं एक बिन्दु की तरफ आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इस तरह से जहां शुल्क की चोरी जो होती है, कलकत्ता और बम्बई में जाकर कम शुल्क पर उत्तर प्रदेश की सम्पत्ति का विक्रय होता है और क्रय लोग करते हैं। ये जो चालाक लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन इस तरफ आपका ध्यान नहीं गया और ध्यान गया कि किसी इकरार के तहत निम्न वर्ग का आदमी अगर कोई सम्पत्ति किसी भी तरह से प्राप्त करना चाहता है, तो उसको अधिक शुल्क देना पड़ेगा, तो यह विसंगति मौजूद है। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि इसमें कमियां हैं, जिनको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें मान्यवर, कमियां हैं, विसंगतियां हैं और शुल्कों के अपवंचन को रोकने का जो दावा किया है, वह दावा बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है और खोखला है। मान्यवर, न मालूम कितने स्टैम्प की चोरियां होती हैं, बम्बई और

कलकत्ते में उसका क्रय-विक्रय होता है। इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए था। इस तरह से हमारे संशोधन में बढ़ोत्तरी होती, तो इन सारी चीजों को इसमें समाहित करके एक सम्यक् रूप से आप विधेयक लाते तो वह उचित होता। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं और बल दे रहा हूं कि इस पर पुनः विचार कर लें और विचार करने के बाद संगत रूप से एक विधेयक पेश करें।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, जैसा कि मैंने बतलाया, यहां तक जैसा कि तिवारी जी ने कहा, भाई वर्मा जी ने कहा कि जनभावनाओं के प्रतिकूल जो सुझाव बढ़ाये गये हैं, वे सामान्य रूप से बढ़ाये गये हैं। हम इन सब चीजों को छोड़ दें, तब भी बड़ी कठिनाई आर्टिकिल ४८ के संबंध में है। इसमें जो खण्ड जोड़ा गया है, वह पूर्णतया नियमों के विपरीत है। पावर आफ एटार्नी में, इसमें कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है, कहीं पर वर्णन हो, तो अपना संशोधन वापस ले लूंगा। पावर आफ एटार्नी ऐक्ट में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। किसी दूसरे विधेयक में पावर आफ एटार्नी का वर्णन करना कहां तक तार्किक रूप से उपयुक्त होगा? मान्यवर, इसे देख लें। दो नियमों में मान्यवर, विरोधाभास नहीं होना चाहिए। वह भी मान्यवर, सेन्ट्रल ऐक्ट है और यह भी ऐक्ट है, या तो उसमें कहीं संशोधन कर दिया होता, या उसमें कोई रिव्यु का प्राविधान करा दिया होता, तब इस संशोधन को लाते और उसके प्राविधानों के अन्तर्गत इसमें व्यवस्था की गयी होती, तो मैं समझता हूं कि तार्किक दृष्टि से और वैधानिक दृष्टि से उचित होता, न्याय की दृष्टि से उचित होता, परन्तु जो व्यवस्था की गयी है, उसमें कहीं भी पावर आफ एटार्नी ऐक्ट का उल्लेख नहीं है और वह पूर्णतया उसके प्राविधानों के विरुद्ध है। इसे मैं नहीं समझता हूं कि किस तरीके से ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, बहुमत के आधार पर ऐक्ट पास कर लें, परन्तु इसमें आगे विवाद खड़े होंगे। तो यह एक तरह से चालू विधेयक लाया गया है और हो सकता है कि कोई न्यायालय में चला जाये और इसको चुनौती दे दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये।

समय ५ बजकर २० मिनट

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किये और उनसे मान्यवर, मैं लाभान्वित भी हुआ। मान्यवर, लगभग सभी सदस्यों ने किसी न किसी तरह से इस विधेयक का समर्थन ही किया है। पहले रेट ६ रुपये था, लेकिन अब जमीन और मकानों के दाम बहुत बढ़ गये हैं, इसमें तो किसी को कोई आशंका नहीं है। एक बात पावर आफ एटार्नी की कही गयी है। पावर आफ एटार्नी १८८२ का ऐक्ट है। इसमें यह कहां है कि इर्रिकरेबुल एटार्नी नहीं हो सकता है। इसमें तो केवल यह है कि स्टाम्प की दर क्या होगी। इसलिये कहीं पर विरोधाभास नहीं है। अगर ऐसा है कि एटार्नी को खण्डित करना है तो खण्डित करने के लिये स्टाम्प लगाना पड़ेगा और वह बाजारू कीमत के हिसाब से लगाना पड़ेगा। एक बात और कही गयी है, जिससे मैं सहमत हूं कि जो प्रेसीडेन्सी टाउन्स हैं, वहां पर रजिस्ट्री हो जाती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके बारे में शिकायतें हैं, लेकिन उस पर किस प्रकार से नियंत्रण पाया जाये। इस पर हम विचार कर रहे हैं और यथासमय जो निर्णय हो जायेगा, उससे इस माननीय सदन को अवगत कराया जायेगा। एक बात और कही गयी कि जो एग्रीमेंट होता है, आप देखें कि एग्रीमेंट टु सेल पर स्टाम्प क्या है। सेल का एग्रीमेंट कर लिया और मौके पर जाकर पजेशन ले लिया और इसी में स्टाम्प की चोरी होती है। हमारा उद्देश्य आमदनी ही बढ़ाना नहीं है बल्कि कर अपवंचना को रोकना है और जनता को राहत दिलानी है।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या खण्डित करने के समय जो शुल्क लिया जायेगा क्या उसे वापस करने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आज जो स्टेज होगी उस पर स्टैम्प लिया जायेगा और कल जो स्टेज आयेगी उस पर स्टैम्प लिया जायेगा, वापस करने की बात कहां से आती है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय गांधी जी क्या आप इसे वापस ले रहे हैं ?

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, मैं इसे वापस नहीं लेता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक बात रह गयी। यह सेन्ट्रल ऐक्ट है और हमने केन्द्रीय सरकार को लिखा है, इसमें कोई गोपनीय बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९९१ का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९९२ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९९२ पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

खण्ड २ से खण्ड ६ तक, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९९२ भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

१–(१) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९९२ कहा जायगा।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) धारा २ से ५ दिनांक १ नवम्बर, १९९१ को प्रवृत्त हुई समझी जायगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

अधिनियम संख्या २ सन् १८९९ की धारा २ का संशोधन

२–भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा २ में, खण्ड (१६) में उप-खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात–

"(ङ) कोई लिखित जिसके द्वारा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा ३ के खण्ड (ङ) में यथापरिभाषित गौण खनिजों के संबंध में खनन पट्टा स्वीकृत किया जाय,"

धारा १०-क का संशोधन

३–मूल अधिनियम की धारा १०-क में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

"(१) धारा १० में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) यदि, कलेक्टर को यह समाधान हो जाय कि जिले में स्टाम्प की अस्थायी कमी है या अपेक्षित अभिधान के स्टाम्प उपलब्ध नहीं है, तो वह शुल्क का नकद भुगतान करने की अनुज्ञा दे सकेगा और कोषागार के प्रभारी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा कि वह सरकारी कोषागार या उप-कोषागार में शुल्क का भुगतान प्रमाणित करने वाले चालान को पेश करने पर शुल्क की वह रकम जो इस प्रकार नकद संदत्त की गयी है लिखत या लिखतों पर पृष्ठांकित कर दे ;

(ख) जहां राज्य सरकार ऐसा करना समीचीन समझती है, वहां वह किसी जिले में शुल्क का नकद भुगतान करने की अनुज्ञा दे सकती है और किसी अधिकारी को शुल्क का नकद भुगतान प्राप्त करने के लिये और लिखत या लिखतों पर फ्रैकिंग मशीन द्वारा इस प्रकार नकद भुगतान की गयी शुल्क की धनराशि को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करने के लिये प्राधिकृत कर सकती है,"।

धारा ४७-क का संशोधन

४–मूल अधिनियम की धारा ४७-क में,–

(क) उपधारा (१) में, शब्द "हस्तान्तरण, विनिमय, दान, बन्दोबस्त, अभिनिर्णय या न्यास संबंधी किसी विलेख" के स्थान पर शब्द "ऐसे विलेख जिस पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर शुल्क प्रभार्य हो" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (२) में, शब्द "हस्तान्तरण, विनिमय, दान, बन्दोबस्त, अभिनिर्णय या न्यास संबंधी किसी विलेख" के स्थान पर शब्द "किसी ऐसे विलेख जिस पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर शुल्क प्रभार्य हो" रख दिये जायेंगे, और शब्द "हस्तान्तरण, विनिमय, दान, बन्दोबस्त, अभिनिर्णय या न्यास की किसी वस्तु" के स्थान पर शब्द "ऐसे विलेख की विषय वस्तु" रख दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (३) में, शब्द "हस्तान्तरण, विनिमय, दान, बन्दोबस्त, अभिनिर्णय या न्यास" के स्थान पर शब्द "ऐसे विलेख" रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (४) में, शब्द "किसी ऐसे हस्तान्तरण, विनिमय, दान, बन्दोबस्त, अभिनिर्णय या न्यास संबंधी विलेख" के स्थान पर शब्द "किसी ऐसे विलेख जिस पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर शुल्क प्रभार्य हो" रख दिये जायेंगे और शब्द "हस्तान्तरण, विनिमय, दान, बन्दोबस्त, अभिनिर्णय या न्यास की किसी वस्तु" के स्थान पर शब्द "ऐसे विलेख की विषय वस्तु" रख दिये जायेंगे ।

अनुसूची १-बी का संशोधन

५–मूल अधिनियम की अनुसूची १-बी में,–

(क) अनुच्छेद ५ में, खण्ड (सी) में, उचित स्टाम्प शुल्क से संबंधित सतम्भ में, शब्द "छः रुपये" के स्थान पर शब्द "एक सौ रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) अनुच्छेद १५ में, उचित स्टाम्प शुल्क से संबंधित स्तम्भ में, नीचे स्तम्भ–१ में दिये गये शब्दों के स्थान पर स्तम्भ–२ में उनके सामने दिये गये शब्द रखा दिये जायेंगे, अर्थात्–

स्तम्भ–१	स्तम्भ–२
"एक रुपया पचास पैसे"	"दो रुपये"
"तीन रुपये"	"चार रुपये"
"पांच रुपये पचास पैसे"	"छह रुपये "पच्चीस पैसे"
"ग्यारह रुपये"	"बारह रुपये पच्चास पैसे"
"सोलह रुपये पचास पैसे	"अठारह रुपये पचहत्तर पैसे"
"बाईस रुपये"	"पच्चीस रुपये"
"सत्ताईस रुपये पचास पैसे"	"इकतीस रुपये पच्चीस पैसे"

"तैंतीस रुपये"	"सैंतीस रुपये पचास पैसे"
"अड़तीस रुपये पचास पैसे"	"तैंतालीस रुपये पचहत्तर पैसे"
"चवालीस रुपये"	"पचास रुपये"
"उन्चास रुपये पचास पैसे"	"छप्पन रुपये पच्चीस पैसे"
"पचपन रुपये"	"बासठ रुपये पचास पैसे"
"सत्ताइस रुपये पचास पैसे"	"इकतीस रुपये पच्चीस पैसे"

(ग) अनुच्छेद २५ में,–

(एक) खण्ड (क) में, लिखत के वर्णन से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "पांच रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ख) में, उचित स्टाम्प शुल्क से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "पांच रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास रुपये" रख दिये जायेंगे. ;

(घ) अनुच्छेद ३५ में,–

(एक) खण्ड (क) में, उपखण्ड (दो), (तीन), (चार), (पांच), (छः), और (सात) में, उचित स्टाम्प शुल्क से संबंधित स्तम्भ में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात्—

उपखण्ड (दो) में	..	"वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के तीन गुने के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र (सं०२३) पर लगता है।"
उपखण्ड (तीन) में	..	"वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के चार गुने के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र (सं० २३) पर लगता है।"
उपखण्ड (चार) में	..	"वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के पांच गुने के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र (सं० २३) पर लगता है।"
उपखण्ड (पांच) में	..	"वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के छह गुने के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र (सं० २३) पर लगता है।"

उपखण्ड (छः) में	..	"वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के दस गुने के बराबर प्रतिफल वाले हस्तातरण-पत्र (सं० २३) पर लगता है।"
उपखण्ड (सात) में	..	"वही शुल्क जो ऐसे भाटक की, जो पट्टे के प्रथम पचास वर्ष की बाबत दिया जायगा या परिदत्त किया जायगा, पूरी रकम के तीसरे भाग के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र (सं० २३) पर लगता है।"

(दो) स्पष्टीकरण (३) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्–

"(४) कुल धनराशि को, जिस पथकर पट्टे पर उठाया जाय, चाहे एक मुश्त या किश्तों में देय हो, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये प्रीमियम समझा जायगा।"

(ङ)अनुच्छेद ४८ में, खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् –

"(ङङ) जब अटार्नी को स्थावर संपत्ति बेचने का अप्रतिसंहरणीय प्राधिकार दिया जाय ;	उतना ही शुल्क जो ऐसे प्राधिकार की विषय वस्तु सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तान्तरण (संख्या २३) पर हो।"

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४० सन् १९९१

निरसन और अपवाद

६–(१) भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९९१ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्धों के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड २ से खण्ड ६ तक, खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मानयवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९९२ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९९२ पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, १९९२ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, १९९२

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, १९९२ का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, इसमें कोई खास बात नहीं हैं । इसमें जिला रायबरेली में ऊंचाहार थर्मल पावर प्रोजेक्ट नामक उपक्रम को इस राज्य सरकार ने इस केन्द्र सरकार को सौंप दिया, नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि० को सौंप दिया, बेच दिया, घुटने टेक दिये । इससे पूरा माननीय सदन, उत्तर प्रदेश के लोग और हम सभी लोग अपमानित हो रहे हैं । मान्यवर, एक तरफ तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी बराबर अखबारों में बयान देते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के लिये संसाधन जुटाने के लिये बराबर केन्द्र से मांग कर रहे हैं और दोषारोपण करते हैं कि केन्द्र सरकार हमारा हिस्सा तो दे रहा है लेकिन जो मैं मांग रहा हूं उसको पूरा का पूरा नहीं दे रहा है और यह दोषारोपण करके बार-बार अपने कारनामों को छुपाने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ चुपके से हमारे प्रदेश के उस प्रोजेक्ट को जो हमारे जनजीवन के लिये अति आवश्यक था, घुटने टेक कर चुपके से पता नहीं किस करार के तहत केन्द्रीय सरकार के हवाले कर दिया। मान्यवर, केन्द्र सरकार किसी की हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और हमारे प्रदेश की हुकूमत है, यह सरकार हमारे प्रदेश की है अगर यह कहीं घुटने टेकेगी तो हम अपमानित होंगे हमारा पूरा उत्तर प्रदेश अपमानित होगा। इसलिये मैं इस सरकार से निवेदन

करना चाहता हूं कि इस तरीके से यह बराबर चुपके से जिन प्रोजेक्ट को यह चला नहीं सकते, या उनका और भी करार हो, धीरे से घुटने टेकेंगे, चुपके से करार कर लेंगे बिना विश्वास में लिये उत्तर प्रदेश की जनता को और इस माननीय सदन को और इसी तरह से यह अध्यादेशों से काम चलायेंगे। मान्यवर, खुद इन्होंने कहा है, इसमें लिखा है कि चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था इसलिये यह अध्यादेश लाये। मान्यवर, सत्र में क्यों नहीं था ? किसने रोका था आपको ? बहुमत तो कम था नहीं, आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने मंदिर के निर्माण पर भारी बहुमत देकर सत्ता सौंपी थी और आप सत्तासीन होने के बाद यह कहते हैं कि चूंकि विधान मण्डल सत्र में नहीं था, आप सत्र बुलाने से कतराते हैं। जब आप समझ गये कि १४ तारीख को समय की सीमा समाप्त हो रही है तब जाकर १० तारीख को आपने सत्र बुलाया। वरना आपका सत्र चलाने का कोई इरादा ही नहीं है। यह बिल्कुल पूरी तरह से तानाशाही तरीके से पूरे इस शासन प्रशासन को चलाना चाहते हैं और जहां जैसा चाहते हैं, करते हैं।

मान्यवर, अननुमोदन प्रस्ताव पेश करके यह जो शर्मनाक करार है, क्या इस तरह से कोई करार बिना जनता को विश्वास में लिये बिना माननीय सदन को विश्वास में लिये करना उचित है? यह परियोजना राज्य सरकार के हाथ में रहनी चाहिए थी। इसको केन्द्र सरकार के हाथ में देने का मतलब संसाधन आप मांगते नहीं हैं, जितना हिस्सा है केन्द्र सरकार से लेने का जो प्रयत्न है वह भी नहीं करते हैं। यह प्रयत्न सिर्फ दिखावा है और अखबारों तक ही है। मैं निवेदन करता हूं कि इस पर पुनर्विचार करें, इस पर पुनः विधेयक लाया जाय। अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर मैं बल देता हूं।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रविकान्त गर्ग)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, १९९२ विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत करता हूं।

मान्यवर, राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अन्तर्गत फिरोज गांधी ऊंचाहार विद्युत तापीय परियोजना, जो कि पूरी परियोजना ८४० मेगावाट की है, जिसके दो चरण थे। मान्यवर, एक चरण में दो मशीन स्थापित की जानी थी। एक मशीन अगस्त, १९८९ में स्थापित हुई और दूसरी मशीन अप्रैल, १९९० में स्थापित हुई। यह मशीनें अब साइड पर आ गयीं, परन्तु इनको चलाने के लिये जो वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता थी, राज्य सरकार के पास संसाधन न होने के कारण वह वर्किंग कैपिटल निगम को उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। इसकी दूसरी स्टेज जो थी जिसमें भी दो मशीनें प्रत्येक २१० मेगावाट की यानि ४२० मेगावाट की स्थापित होनी थी, उस दूसरे चरण को स्थापित करने के लिये एशियन विकास बैंक द्वारा केवल १६० मिलियन यू० ए० डालर का ऋण स्वीकार किया गया था। मान्यवर, इस स्वीकृत ऋण को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाय तो यह लगभग २०९ करोड़ था। जबकि १९८७ के आंकलन के अनुसार योजना को स्थापित करने के लिये ५१७ करोड़ की आवश्यकता थी। मान्यवर, जब इस धनाभाव के कारण यह चरण स्थापित नहीं किया जा सका तो यह जो लागत ५१७ करोड़ रु० की आंकी गयी थी १९८७ में वह लागत १९९० में लगभग ८२८ करोड़ की हो गयी। जबकि डालर के मूल्य के आधार पर जो ऋण स्वीकृत हुआ वह लगभग ३०० करोड़ रु० होता था। इस प्रकार १९९० में ५४८ करोड़ की आवश्यकता थी इस परियोजना का दूसरा चरण स्थापित करने के लिये।

मान्यवर, ऊंचाहार परियोजना का फर्स्ट फेस विभिन्न कारणों से न चालू हो पाने के कारण और सेकेन्ड फेस के लिये वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए मंत्रिपरिषद् की बैठक ने, दिनांक २८-८-९० की बैठक में, जब मान्यवर, यह सरकार नहीं थी, पूर्व सरकार थी। उसने निर्णय लिया इस इकाई का निजीकरण करने का प्रयास किया और उसी के तहत विभिन्न प्रक्रिया अपनायी गयी। उस प्रक्रिया के अंतर्गत किसी प्रकार का जनहितकारी परिणाम न निकलने के कारण परियोजना के विस्तार हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया कि एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत ५०० करोड़ रुपये का बाजार ऋण बान्ड अथवा किसी वित्तीय संस्था से दिलवाया जाये। पर मान्यवर, भारत सरकार ने उस प्रस्ताव को

भी अस्वीकार कर दिया एक प्रस्ताव और भारत सरकार के सामने रखा गया । एन०टी०पी०सी० के साथ संयुक्त क्षेत्र में उद्योग को चलाने की अनुमति दी जाये ।

यह प्रस्ताव भी भारत सरकार ने अस्वीकार कर दिया और भारत सरकार ने कहा कि एन०टी०पी०सी० स्वयं तो इस लायक हो सकती है कि वह स्वतंत्र रूप में इसे चलाए, परन्तु संयुक्त क्षेत्र में उद्योग को एन०टी०पी०सी० नहीं चलायेगी जिसका परिणाम यह हुआ कि राज्य सरकार ने प्रदेश की बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग को दृष्टिगत रखते हुए संसाधन एवं तकनीकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ऊंचाहार परियोजना को एन०टी०पी०सी० को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया और उसी के तहत यह विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । इस विधेयक के द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि फर्स्ट स्टेज से सर्वाधिक जो विद्युत की उपलब्धता हो सकती थी वह उत्पादन का २८६ मेगावाट विद्युत राज्य को पूरे रूप में मिलेगी । मान्यवर, उसी के तहत दूसरे चरण में जिसके स्थापित होने की संभावना समाप्त होती जा रही थी और इस प्रदेश की उर्जा के स्रोतों में वृद्धि उत्पन्न हो रही थी वह दूसरे चरण में अब एन०टी०पी०सी० को हस्तान्तरित करने के बाद एन०टी०पी०सी०अपनी लागत से अपनी पूंजी लगाकर स्थापित करेगी । तो इस प्रदेश को जो अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होगी उससे कृषि का भी विकास होगा, विद्युत की कमी की समस्या का भी हल हो जायेगा तथा औद्योगिक विकास में भी सहायता मिलेगी । मान्यवर, दूसरी ओर एन० टी० पी० सी० द्वारा जो विद्युत आपूर्ति की जाती है । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् उसके मूल्य के बकाये को भी बढ़ाते जा रहे थे और उस बकाये का भुगतान करने का एन० टी० पी० सी० का दबाव था । यह धमकी दी गयी थी कि हम प्रदेश की विद्युत आपुर्ति को बन्द कर देंगें और उस मूल्य की अदायगी न करने के कारण जो सरचार्ज एन० टी० पी० सी० द्वारा वसूल किया जाता है वह भी बढ़ते जा रहे थे । इन सब बातों को मद्दे नजर रखते हुए उक्त परियोजना को एन० टी० पी० सी० को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया और उसके लिये उसके एवज में ९२५ करोड़ रु० तय किया गया । तो मान्यवर, इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं मान्यवर, ९२५ करोड़ रुपये की जो राशि निर्धारित की गयी, वह राशि हर प्रकार से इसके लिये वांछित राशि हो सकती थी, उससे काफी अधिक राशि है । मान्यवर, परियोजना की जो बुक वैल्यू है, जिसके आधार पर इस प्रकार के हस्तान्तरण होते हैं, वह बुक वैल्यू, बिनाडेपरीशियेशन काटे ६५७ करोड़ २३ लाख की होती है और अगर उसमे से ४७ करोड़ ९२ लाख का डिपरीशियेंशन काटा जाय तो उसकी वैल्यू कुल ६०२ करोड़ ३१ लाख रुपये होती है । इस प्रकार मान्यवर, प्रदेश के सभी हितों को दृष्टिगत रखते हुए, सरकारी कर्मचारी व अधिकारी उस निगम के जो इस परियोजना में काम करते हैं, उन सभी को समायोजित किये जाने का भी प्राविधान इस विधेयक में किया गया है । हर दृष्टि से यह विधेयक इस प्रदेश की जनता के हितों के अनुरूप है, इस प्रदेश की आवश्यकताओं के लिये आवश्यक है । इसीलिये मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक पर विचार किया जाय, इसका अनुमोदन किया जाय ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्याम नारायण तिवारी द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसके पक्ष में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि फिरोज गांधी तापीय विद्युत परियोजना, रायबरेली को एन०टी०पी०सी० को बेचा गया । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एन०टी०पी०सी० वाले हमको बिजली १.३० पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से देंगे, जबकि जो बिजली हम पैदा करते हैं, वह अभी तक ९८ पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से मिलती थी । मान्यवर, जुलाई, १९९१ से नवम्बर, ९१ तक इस तापीय विद्युत परियोजना में ४.६८ करोड़ का लाभ हुआ, इसका मतलब न तो यह बीमारी थी, फिर इसके बेचने का मतलब क्या है । मंत्री जी कहते हैं कि वित्तीय संसाधन नहीं थे । मैं ध्यान में जाना चाहता हूं कि भारत सरकार ने वित्तीय संसाधन सुलभ करने के लिये कई टन सोना गिरवी रखा, लेकिन इनको एन०टी०पी०सी० को बेचने की क्या जरूरत थी, यह जो काम किया गया है, यह अनुचित है । मैं कहना चाहता हूं कि इस परियोजना को इन्हें उत्तर प्रदेश के माध्यम से ही चलाना चाहिये, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं (इस समय ५ बजकर ४४ मिनट पर अधिष्ठाता श्री बसंत लाल गुप्त पीठासीन हुए) कि इस परियोजना को वापस लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को

निगम के माध्यम से चलाना चाहिये, नहीं तो इस तरह एक-एक करके सारे निगमों को गिरवी रखते यह चले जायेंगे और उत्तर प्रदेश बिल्कुल खोखला हो जायेगा। आज इनके फैसले से उत्तर प्रदेश की जनता को ३२ पैसा प्रति यूनिट ज्यादा की दर से बिजली मिलेगी, इसलिये मेरा निवेदन है कि ८४० मेगावाट क्षमता का पावर हाउस जो बेचा गया है, उसको स्थगित कर के उत्तर प्रदेश सरकार इसे वापस ले और इसलिये मैं श्याम नारायण तिवारी के अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मैंने संकल्प के संबंध में और मद संख्या १५ के विरोध में माननीय नेताओं के विचारों को सुना। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हमारे माननीय सदस्य विरोध के लिये विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति हो गई है कि एक बार एक बाप-बेटा घोड़ा खरीदने गये। बाप ने सोचा कि बेटे को बैठा दिया जाय। बेटे ने बाप से कहा कि आप वृद्ध हैं, आप बैठ जाइये। बाप को घोड़े पर बैठा दिया गया। माननीय सदस्य जैसे कुछ लोग उन्हें आगे मिले। वह कहने लगे कि कब्र में पांव लटकाये हुए हैं और घोड़े पर बैठ कर चला जा रहा है और लड़का पैदल चल रहा है। बाप ने लड़के को बैठा दिया और आगे चलकर कुछ लोग और मिल गये और कहने लगे कि लड़का घोड़े पर चढ़ कर जा रहा है और बाप पैदल चल रहा है। लड़का भी घोड़े पर से उतर गया। अब वह घोड़े को खाली कर चल रहे थे. आगे कुछ लोग और मिल गये कहने लगे कि दोनो पैदल चल रहे हैं और घोड़े को खाली ले जा रहे हैं। इस पर दोनों बाप-बेटे घोड़े पर चढ़ गये। इस पर लोग कहने लगे कि दोनों घोड़े पर चढ़े हुए हैं और घोड़े को मारे डाल रहे हैं। इस लिये विरोध करने के लिये ये लोग विरोध करते हैं। इंग्लैंड के राजपथ पर चार घोड़ों वाली गाड़ी को जाना मना था। एक जनाब चार घोड़ों वाली गाड़ी को वहां से ले गये। यह मामला अदालत में गया। जिस माननीय सदस्य ने यह कार्य किया था, उन्होंने कहा कि हुजूर चार घोड़ों वाली गाड़ी की बात कही गई है परन्तु जिस गाड़ी का मामला यहां पर आया है, उसमें तीन घोड़े व एक घोड़ी थी। इसलिये यह ला यहां पर लागू नहीं होता है। यह बच्चा-बच्चा जानता है कि जब हम सत्ता में आये तो उस समय खजाना खाली हमको मिला, लूटा हुआ खजाना हमको मिला। ऐसी स्थिति हो गई थी कि हमारे पास वेतन वितरित करने के लिये पैसा नहीं था। किस तरह से समस्याओं का समाधान करते हुए हमने प्रदेश के हित में जो उचित हमें लगा वह हमने किया परन्तु केन्द्र सरकार ने हमारे साथ किस तरह से असहयोग किया है। हमारा जो पैसा था, वह हमें नहीं दिया जा रहा है। पिछली सरकारों का बोझ जो कर्ज के रूप में था, हमारे आते ही हम से कहा गया कि उसका भुगतान किया जाय। परियोजनाओं का जो पैसा हमको दिया जाना था, तब नहीं दिया गया। प्रदेश के हित में और प्रदेश को स्वावलम्बी बनाने के पक्ष में यह एक बहुत ही प्रगतिमान कदम है, इसलिये सारे माननीय सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसका समर्थन करें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय श्री श्याम नारायण तिवारी जी ने जो यह अननुमोदन का प्रस्ताव रखा है, उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, ऊंचाहार ताप विद्युत गृह एक ऐसा विद्युत गृह था, जो लाभ कमा रहा था और दूसरा यह कि यह विद्युत गृह सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा था। उसे आपने बेच दिया। माननीय श्री शुक्ला जी ने कहा कि हमें खजाना खाली मिला। यदि प्रदेश के ऊपर खरबों रुपया कर्जा हो जाय तो क्या प्रदेश को गिरवी रख देंगे। जो कमियां थी, उनको सुधारने का उपाय करना चाहिए था। ऐसे विद्युत गृह को जो सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन कर रहा था, उसे मिट्टी के भाव बेच दिया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे ऊपर बकाया था। रेलवे विभाग के ऊपर सात सौ करोड़ रुपये विद्युत विभाग का है। अगर उसी को वसूलने का भी प्रयास किया गया होता तो शायद

इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती । लेकिन आपने इसकी परवाह नहीं की । केन्द्र की धमकी में आ गये और ऊर्जा मंत्री जी की धमकी में आ गये ।

(इस समय ५ बजकर ५० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

इनको कहा गया कि इस पर आपको अनुदान नहीं देंगे । इस बात पर इन्होंने उसी जोर से जो प्रदेश का सबसे अच्छा विद्युत गृह था जहां पर सबसे अधिक उत्पादन हो रहा था जो लाभ पर था उसे बेचने का काम किया । कहते हैं इससे हम प्रदेश का विकास करेंगे प्रदेश का विकास तो तब होगा जब बिजली मिलेगी और सस्ती बिजली मिलेगी । अभी तक ९८ पैसे प्रति यूनिट बिजली इसमें बन रही थी लेकिन अब आप कितने में खरीदेंगे । आज आप कह रहे हैं कि इतना कर्जा चुकाना था तो मैं कहना चाहता हूं कि आप एन०टी०पी०सी० से कितने करोड़ रुपये में बिजली खरीद रहे हैं इसका भी उल्लेख आप कर दें । जो विद्युत गृह सबसे अच्छा उत्पादन कर रहा था, जो प्रदेश के हित में था, विकास के हित में था उसको आप अपने पास रखते जिससे प्रदेश का विकास होता लेकिन इस सरकार का विकास से कोई मतलब ही नहीं है । इनका केवल अफवाहें फैलाने से मतलब है । इस संकल्प के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के साथ अन्याय किया गया, जनता के साथ धोखा धड़ी की गयी । इसलिये मैं माननीय श्याम नारायण जी के संकल्प का समर्थन करता हूं ।

श्री श्याम नारायण–

मुझे तो इसमें यही कहना है कि नया ब्राह्मण प्याज से चिढ़ दिखाता है ।

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जिज्ञासा प्रकट की है कि ९८ पैसे प्रति यूनिट इसमें उत्पादन हो रहा था । मान्यवर, यह बात सही है कि ९८ पैसे प्रति यूनिट लागत में बिजली मिल रही थी लेकिन राज्य सरकार की जो पूंजी लगी हुई थी उसका रिटर्न जो सरकार को मिलना चाहिये था, उसके खाते में जो आना चाहिये था वह नहीं आ रहा था उस पूंजी पर ब्याज जो राज्य सरकार को मिलना चाहिये था तथा डेपरीसेशन उसको जोड़ा जाय तो वह लागत १.५७ पैसा प्रति यूनिट आती है । इसलिये मान्यवर, इसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

दूसरी ओर जो विद्युत दर है उसके संबंध में कहा गया तो बताना चाहता हूं कि जो २८६ मेगावाट राज्य सरकार को प्राप्त होगी उसके लिये इस परियोजना में जब सर्वाधिक उत्पादन हो रहा था उसका प्रतिशत निकाल कर २८६ मेगावाट का आंकलन किया गया । दूसरी बात जो बिजली के मूल्य की बात है उसमें एक नियम है मूल्य निर्धारण का एन०टी०पी०सी० से दूसरे प्रदेशों को भी बिजली दी जाती है उसके लिये विद्युत अधिनियम, १९४८ बना हुआ है उसमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से तय किया जायेगा जो एक सामान्य प्रक्रिया है । वह सभी प्रदेशों के लिये लागू होता है उससे उत्तर प्रदेश की उपेक्षा नहीं होगी ।

एक बात मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि वित्तीय स्थिति के संबंध में तो उसमें ६४७ करोड़ रुपये राज्य विद्युत परिषद् पर बकाया था इसके अलावा करीब २४१ करोड़ रुपया सरचार्ज का बकाया था । उस पर निरंतर जो ब्याज की और सरचार्ज की वृद्धि हो रही थी इस हस्तांतरण से समायोजन जो हुआ है उससे भारी लाभ होगा उत्तर प्रदेश को । जनता को अधिक बिजली प्राप्त होगी । प्रदेश के विकास में अधिक विद्युत सहायक होगी, इसलिये इस विधेयक के अनुमोदन पर मैं बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

श्री श्याम नरायण जी क्या आप संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री श्याम नारायण –

जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, १९९२ का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, १९९२ पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–२ से खण्ड–१७ तक, अनुसूची, खण्ड–१, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, १९९२

राष्ट्रीय ऊर्जा विकास के हित में और विस्तार परियोजना से संबंधित कार्यों को प्रारम्भ करने के लिए, जिला रायबरेली स्थित फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर प्रोजेक्ट नामक उपक्रम के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड के अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने की व्यवस्था करने के लिए और उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये–

विधेयक

चूंकि राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन विद्युत् उत्पादन कम्पनी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड ने, फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर प्रोजेक्ट नामक एक उपक्रम, जिसकी विद्युत् उत्पादन की कुल अनुमोदित क्षमता ८४० मेगावाट है, स्थापित किया;

और चूंकि उक्त उपक्रम वित्तीय मजबूरियों के कारण अपनी अधिकतम क्षमता पर लगातार कार्य करने में असमर्थ रहा है जिसके परिणामस्वरूप विद्युत् उत्पादन में हानि हुई है ;

और चूंकि उक्त निगम या राज्य सरकार अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिये आवश्यक अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है ;

और चूंकि विद्युत् उत्पादन जारी रखने और उसमें वृद्धि करने और उक्त उपक्रम को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने के लिये और उसकी विस्तार परियोजना से सम्बन्धित कार्यों को प्रारम्भ करने के लिये उक्त उपक्रम को अर्जित करना और उसे नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड को अन्तरित करना लोकहित में आवश्यक है;

अतएव, अब, भारत गणराज्य के तैतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१–(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, १९९२ कहा जायेगा।

(२) धारा २ से १६ दिनांक १३ फरवरी, १९९२ को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

परिभाषायें

२–इस अधिनियम में,–

(क) "नियत दिनांक" का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से है;

(ख) "परिषद्" का तात्पर्य विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से है;

(ग) "आयुक्त" का तात्पर्य धारा १२ के अधीन नियुक्त आयुक्त से है;

(घ) "कारपोरेशन" का तात्पर्य नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड से है जो कम्पनी अधिनियम, १९५६ के अर्थान्तर्गत एक सरकारी कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है;

(ङ) "निगम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से है जो कम्पनी अधिनियम, १९५६ के अर्थान्तर्गत एक सरकारी कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय लखनऊ में है;

(च) "उपक्रम" का तात्पर्य ऊंचाहार, जिला रायबरेली में, स्थित निगम के फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर प्रोजेक्ट से है;

(छ) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और कम्पनी अधिनियम, १९५६ में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम में उनके लिये दिए गए हैं।

अध्याय–दो
निगम के उपक्रम का अर्जन और अन्तरण

निगम के उपक्रम का राज्य सरकार को अन्तरण और उसमें निहित किया जाना

३–नियत दिनांक को उपक्रम और उपक्रम के संबंध में निगम के अधिकार, हक और हित इस अधिनियम के आधार पर राज्य सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेंगे।

निहित किये जाने का सामान्य प्रभाव

४–(१) उपक्रम के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसमें ऐसी संपत्तियां और परिसंपत्तियां अधिकार, पट्टा, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार और समस्त जंगम और स्थावर, संपत्तियां जिसके अन्तर्गत भूमि, भवन , कार्यालय, गोदाम संयंत्र, मशीन और .उपस्कर, प्रतिष्ठान, यन्त्र, कार्यालय, फर्नीचर, लेखन सामग्री और कार्यालय उपस्कर, वाहन, स्टाफ क्वार्टर, सुख सुविधाओं के साथ कर्मकारों की कालोनियां और उससे संबंधित प्रतिष्ठापन और ऐसी संपत्तियों और परिसंपत्तियों के या उनसे उत्पन्न अन्य अधिकार और हित, जो नियत दिनांक के ठीक पूर्व उपक्रम के संबंध में निगम के स्वामित्व, कब्जा शक्ति और नियन्त्रण में, चाहे, उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर या बाहर हों और उससे संबंधित समस्त लेखा बहियां, रजिस्टर और सभी प्रकार के अन्य दस्तावेज, सम्मिलित हैं, किन्तु उसमें नकद रोकड़, बैंक नकदी, निवेश, बही ऋण बुकडेट (उपक्रम के लिए सामग्री प्राप्त करने के लिए दिये गये अग्रिम की बकाया से भिन्न) या किसी अन्य संविदा से संबंधित या अधिकार, दायित्व और आभार सम्मिलित नहीं है ।

(२) यदि नियत दिनांक को, ऐसी किसी संपत्ति या परिसंपत्तियों के संबंध में जो धारा ३ के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गई है, किसी प्रकार का कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही जो उपक्रम के संबंध में निगम द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या प्रस्तुत की गई हो और जो लम्बित हो, वह उपशमित नहीं होगी, न रोकी जाएगी, न किसी तरह से उपक्रम के अन्तरण या इस अधिनियम में दी गई किसी बात के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, बल्कि वाद अपील या अन्य कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध या जहां उपक्रम धारा ५ के अधीन कारपोरेशन में निहित हो, वहां कारपोरेशन द्वारा या उसके विरुद्ध, चालू रखी जा सकती है, चलाई जा सकती है या प्रवृत्त की जा सकती है ।

उपक्रम का कारपोरेशन में निहित किया जाना

५–धारा ३ के अधीन राज्य सरकार में निहित उपक्रम ऐसे दिनांक को, जैसा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय, कारपोरेशन में निहित होगा और तत्पश्चात कारपोरेशन उपक्रम का स्वामी हो जाएगा:

परन्तु ऐसी कोई अधिसूचना तब तक नहीं की जाएगी जब तक इस प्रयोजन के लिये कारपोरेशन द्वारा पारित संकल्प की संसूचना राज्य सरकार को न दे दी जाय ।

राज्य सरकार या कारपोरेशन पूर्व दायित्वों के लिये दायी नहीं होगा

६–(१) उपधारा (२) में यथा उपबन्धित के सिवाय, नियत दिनांक के पूर्व उपक्रम के संबंध में उपगत निगम का कोई दायित्व और नियत दिनांक के पूर्व उत्पन्न किसी भी मामले, दावा या वाद के संबंध में उस दिनांक के पश्चात् पारित किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी का कोई अधिनिर्णय, डिक्री या आदेश राज्य सरकार या कारपोरेशन के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

(२) निगम का, परामर्श के मद्दे लगभग दो करोड़ रुपये केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के प्रति और उपक्रम के निर्माण के मद्दे लगभग चार करोड़ रुपये पावर

फाइनेन्स कारपोरेशन के प्रति, दायित्व, धारा ३ के अधीन उपक्रम के राज्य सरकार में निहित होने पर राज्य सरकार का, और उसके धारा ५ के अधीन कारपोरेशन में निहित होने, पर कारपोरेशन का दायित्व होगा ;

परन्तु उपर्युक्त मदों में किसी भी दशा में क्रमशः दो करोड़ और चार करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।

अध्याय–तीन

धनराशियों का भुगतान

राज्य सरकार द्वारा धनराशि का भुगतान

७–धारा ३ के अधीन उपक्रम और उपक्रम के संबंध में निगम के अधिकार, हक और हित का राज्य सरकार को अन्तरण और उसमें निहित होने के लिए, राज्य सरकार द्वारा निगम को ऐसी धनराशि दी जाएगी जो अध्याय ''छ'' में विनिर्दिष्ट रीति से अवधारित की जाय।

कारपोरेशन द्वारा धनराशि का भुगतान

८–(१) धारा ५ के अधीन उपक्रम और उपक्रम के संबंध में राज्य सरकार के अधिकार हक और हित का, कारपोरेशन को अन्तरण और उसमें निहित होने के प्रतिफल के लिए, कारपोरेशन द्वारा राज्य सरकार को ऐसी धनराशि का और ऐसी रीति से भुगतान किया जायेगा जैसी अनुसूची में विनिदिष्ट है ।

(२) राज्य सरकार कारपोरेशन में मन्त्रणा करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट धनराशि और भुगतान की रीति में उपर्युक्त परिवर्तन कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने पर अनुसूची तद्नुसार संशोधित समझी जाएगी ।

अध्याय–चार

कब्जे का दिया जाना

व्यक्तियों का उनके कब्जे में परिसंपत्तियों आदि का लेखा-जोखा देने का कर्तव्य

९–(१) ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास नियत दिनांक को उसके कब्जे में या उसके नियंत्रण के अधीन उपक्रम से संबंधित कोई परिसंपत्ति, बही, दस्तावेज या अन्य कागजात हों, जो इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या कारपोरेशन में निहित हो गई हो, उक्त परिसंपत्तियों बहियों, दस्तावेजो और अन्य पत्रादि के लिये यथास्थित, राज्य सरकार या कारपोरेशन के प्रति उत्तरदायी होगा और उन्हें राज्य सरकार या कारपोरेशन को या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जैसा राज्य सरकार या कारपोरेशन इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे परिदत्त कर देगा ।

(२) राज्य सरकार या यथास्थिति, कारपोरेशन, ऐसे उपक्रम का जो इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या कारपोरेशन में निहित हो गया है, कब्जा प्राप्त करने के लिये समस्त आवश्यक कार्यवाही कर सकता है या करा सकता है ।

(३) निगम ऐसी अवधि के भीतर जैसी राज्य सरकार इस निमित्त अनुमति दे, राज्य सरकार को ऐसे उपक्रम की जो धारा ३ के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गई हैं, ऐसी समस्त सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों की जो नियत दिनांक को रही हो,

पूर्ण सूची देगा और इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या कारपोरेशन निगम को समस्त युक्तियुक्त सुविधायें देगा ।

अध्याय–पांच

निगम के कर्मचारियों से सम्बन्धित उपबन्ध

कर्मचारियों का आमेलन

१०–(१) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिनांक के ठीक पूर्व निगम का नियमित कर्मचारी रहा हो,–

(क) नियत दिनांक को और उस दिनांक से उन्हीं निर्बन्धनों और शर्तों पर राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर समझा जायेगा;

(ख) धारा ५ के अधीन उपक्रम के कारपोरेशन में निहित होने पर, ऐसे निहित होने के दिनांक को और उस दिनांक से कारपोरेशन का कर्मचारी हो जायेगा और वह उन्हीं निर्बन्धनों और शर्तों पर, और सेवा-निवृत्ति लाभ और अन्य विषयों के संबंध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ जो ऐसे निहित होने के ठीक पूर्व उस पर प्रयोज्य होते, कारपोरेशन के अधीन पद पर या सेवा में तब तक बना रहेगा जब तक कारपोरेशन के अधीन उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त न कर दिया जाय, या जब तक उसके पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तों में कारपोरेशन द्वारा ऐसा परिवर्तन सम्यक् रूप से न कर दिया जाय जो उसके लिये अलाभकर न हो ।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट व्यक्ति कारपोरेशन में उपक्रम के निहित हो जाने के दिनांक से तीन माह के भीतर कारपोरेशन की सेवा में आमेलित न किए जाने के अपने विकल्प को संसूचित कर सकता है, और ऐसा न करने पर उस समझा जायेगा कि उसने कारपोरेशन की सेवा में आमेलित किये जाने के लिये विकल्प दे दिया है ।

(३) ऐसे कर्मचारी की सेवायें जो आमेलन के विरुद्ध विकल्प देता है, समाप्त हो जायेंगी और वह, ऐसी किसी छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि या उपदान के, जिसका वह हकदार हो, अपने दावे पर प्रतिकूल प्रभाव बिना निर्बन्ध है,–

(क) तीन मास के वेतन, यदि वह स्थाई कर्मचारी था ;

(ख) एक मास के वेतन, यदि वह अस्थाई कर्मचारी था;

के बराबर धनराशि प्रतिकर के रूप में पाने का हकदार होगा ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये, पद "वेतन" के अन्तर्गत महंगाई भत्ता, वैयक्तिक वेतन और विशेष वेतन, यदि कोई हो, भी है ।

(४) ऐसे किसी व्यक्ति को जो राज्य सरकार में उपक्रम के निहित हो जाने के ठीक पूर्व परिषद् से या किसी अन्य संगठन से प्रतिनियुक्ति पर निगम की सेवा में था, ऐसे निहित हो जाने के दिनांक को उन्हीं शर्तों और निर्बन्धनों पर राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर समझा जायेगा जब तक कि उसे उसके मूल संगठन में प्रत्यावर्तित न कर दिया जाए ।

(५) ऐसे किसी व्यक्ति को जो कारपोरेशन में उपक्रम विहित होने के ठीक पूर्व उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार की सेवा में था, ऐसे निहित हो जाने पर उन्हीं निर्बन्धनों और शर्तों पर कारपोरेशन में प्रति नियुक्ति पर समझा जायेगा जब तक कि उसके मूल संगठन प्रत्यावर्तित न कर दिया जायं या कारपोरेशन की सेवा में आमेलित न कर लिया जाय।

(६) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, निगम के किसी कर्मचारी की सेवाओं के कारपोरेशन में अन्तरण हो जाने से वह इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा और किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई दावा ग्रहण नहीं किया जायेगा।

भविष्य निधि और अन्य निधियां

११–जहां निगम ने अपने द्वारा नियोजन व्यक्तियों के लाभ के लिये भविष्य निधि या किसी निधि की स्थापना की है, वहां ऐसे कर्मचारियों, जिनकी सेवायें इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कारपोरेशन को अन्तरित कर दी गई हैं, से संबंधित धनराशि जो नियत दिनांक को ऐसी निधि खाते में थी उपक्रम के कारपोरेशन में निहित होने के दिनांक को कारपोरेशन को अन्तरित हो जायेगी।

अध्याय–छः

राज्य सरकार द्वारा भुगतान का अवधारण

आयुक्त की नियुक्ति

१२–(१) राज्य सरकार द्वारा उपक्रम के अर्जन के लिए निगम को देय धनराशि का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए और उसके संवितरण के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक भुगतान आयुक्त नियुक्त करेगी।

(२) राज्य सरकार ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जिन्हें वह उचित समझे, आयुक्त की सहायता करने के लिए नियुक्त कर सकती है।

धनराशि का अवधारण

१३–(१) आयुक्त जहां तक हो सके, धारा १२ के अधीन अधिसूचना के दिनांक से छः मास के भीतर उपक्रम के अर्जन के लिये, निगम को राज्य सरकार द्वारा देय धनराशि का अवधारण करेगा।

(२) ऐसी धनराशि की अवधारण करने में आयुक्त उपक्रम से संबंधित ऐसी समस्त परिसम्पत्तियों और सम्पत्तियों के, जो धारा ३ के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गई हों, मूल्य पर और ऐसे अन्य विषयों पर जो इस प्रयोजन के लिये सुसंगत हों, विचार करेगा।

(३) इस प्रकार अवधारित धनराशि की सूचना आयुक्त द्वारा राज्य सरकार को दी जाएगी, जिसके पश्चात् राज्य सरकार निगम द्वारा उसको देय धनराशि (निगम की अंशपूंजी में अंशदान के सिवाय), काटने के बाद शेष धनराशि निगम को उपलब्ध करा देगी।

अध्याय–सात

प्रकीर्ण

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

१४–राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे किसी कार्य के लिये जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो, या किये जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

नियम बनाने की शक्ति

१५–राज्य सरकार इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

१६–(१) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इस अधिनियम के सार पर प्रभाव न डाले, और कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायगा ।

(३) उपधारा (१) के अधीन प्रत्येक आदेश, यथा सम्भव शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, १९०४ की धारा २३–क की उपधारा (१) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के संबंध में लागू होते हैं ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४ सन् १९९२ निरसन और अपवाद

१७–(१) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, १९९२ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

अनुसूची

(धारा ६ और देखिये)

(१) धारा ८ में यथा निर्दिष्ट कारपोरेशन द्वारा देय धनराशि नौ सौ पच्चीस करोड़ रूपये होगी ।

(२) ऐसी धनराशि का भुगतान निम्नलिखित रीति से किया जायेगा, अर्थात:–

(क) परामर्श के मुद्दे निगम देयों का चुकता भुगतान करने के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को ।	लगभग अनुमानित करोड़ रुपये में २.००
(ख) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, लिमिटेड को उपक्रम की स्थापना के मुद्दे निगम के देयों का चुकता भुगतान करने के लिये ।	४.००
(ग) विद्युत के विक्रय मुद्दे परिषद् के विरुद्ध कारपोरेशन के बकाया देयों का जो ३० नवम्बर, १९९१ को थे, समायोजन करके ।	६४७.७०
(घ) परिषद् के विरुद्ध १ दिसम्बर, १९९१ से ३१ मार्च, १९९२ तक कारपोरेशन के विद्युत के विक्रय के मुद्दे प्रत्येक संदायों के अतिरिक्त बकाया देयों का समायोजन करके ।	२००.००
(ङ) परिषद् के विरुद्ध अधिभार के मुद्दे जो ३० नवम्बर, १९९१ को लगभग २४१.४३ करोड़ रूपये था, कारपोरेशन के बकाया देयों के प्रति समायोजन द्वारा अनिशेष ।	७१.३०
योग ..	९२५.००

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड-२ से खण्ड-१७ तक, अनुसूची खण्ड-१ प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, १९९२ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, १९९२ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वितीय वर्ष १९९१-९२ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्री अध्यक्ष–

श्री भगवती सिंह विशारद जी खड़े हैं वे आपसे वरिष्ठ हैं इसलिए उनको बोल लेने दें उसके बाद में आप अपनी बात कह लेंगे ।

श्री भगवती सिंह विशारद–

अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने १९९१-९२ के द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है मैं उसके संबंध में मांगों के विस्तार में जाने से पहले वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो मांग प्रस्तुत की हैं इनमें २-३ आपत्तियां प्रमुख हैं । पहली बात यह है कि अनुपूरक बजट में जो मांगे सम्मिलित की जाती हैं उनका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जिस समय मूल बजट तैयार किया गया था उस समय इस सदन को और वित्त मंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आगे क्या परिस्थिति आने वाली है जिसके कारण इन अनुपूरक मांगों को उस मूल बजट में सम्मिलित नहीं किया गया । तात्पर्य यह है कि जो अनफारेसीन काजेज हैं ऐसे अदृश्य कारण जिनकी हम पहले से कल्पना नहीं कर सकते, वह कारण अगर आते हैं तो उन मांगों को अनुपूरक बजट में सम्मिलित करके सदन से उसकी स्वीकृति लेकर सरकार को अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह इसे खर्च कर ले । जो मांगें प्रस्तुत हैं, उनमें तमाम ऐसी मांगें हैं जिनकों यह पिछले बजट में सम्मिलित कर सकते थे ।

* वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

हमने कहां पास किया था ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री भगवती सिंह विशारद–

एक सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट प्रस्तुत कर चुके हैं । इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं । मुख्य बात यह है कि इसमें बहुत सी मांगें आकस्मिकता निधि से पूरी की गई हैं । मैं स॰ पे पहले इस बात पर बल देता हूं कि हमको सबसे पहले एक मानक बनाना पड़ेगा जिसमें यह तय करना पड़ेगा कि किस मद में किस सीमा तक आकस्मिकता निधि से धन का आहरण करें । जहां कहीं भी देखिये आकस्मिकता निधि का दुरुपयोग हो रहा है । इसमें होता क्या है कि जब मांगें आती हैं विभागों से तो वित्त मंत्री उनको स्वीकार करते चले जाते हैं कि आकस्मिकता निधि तो है ही उसे पूरा कर लें फिर आगे चलकर हम सदन में इसको प्रस्तुत करेंगे । इस प्रवृत्ति पर कहीं न कहीं अंकुश लगाना पड़ेगा । इस निधि की स्थापना ही आकस्मिक कार्यों के लिये हुई है । जो मांगें प्रस्तुत की गई हैं, उनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सी जगह हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं । दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि जब आप यह कहते हैं कि खजाना खाली मिला, आप आर्थिक संकट में है । आपका ध्यान इस तरफ भी जाना चाहिये कि जो बजट प्रस्तुत हुआ था उसके कार्यान्वयन में कहीं उस पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हुआ । दुरुपयोग हुआ है तो उसे रोकने के क्या प्रयास किये गये ? मेरा विश्वास है कि वित्त मंत्री जी जब मूल बजट प्रस्तुत करें तो इस पर भी विचार करेंगे ।

मान्यवर, मैंने अनुदान की अनुपूरक मांगों को बड़े ध्यान से देखा। एक जगह तो यह प्रतीत हुआ कि इनकी सरकार के अन्दर जो विभाग हैं वही मांग जब प्रस्तुत करते हैं तब ही वित्त मंत्री जी उनको अनुपूरक मांगों के रूप में सदन में प्रस्तुत करते हैं। बहुत सी ऐसी मांगें हैं जिनकी आवश्यकता है उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के लिये कुछ मांग प्रस्तुत की गयी हैं एक लाख डेढ़ लाख रुपये की। हमारे उन्नाव जनपद के गढ़ाकोला में जहां श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला की मूर्ति स्थापित करने का कार्य ६-७ साल पहले सम्पन्न किया गया था। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान नें जिलाधिकारी से, जो उस समय जिला परिषद् के अध्यक्ष थे उनसे यह अनुरोध किया कि आप इस कार्य को सम्पन्न करा दीजिये। हम आपको इसका भुगतान कर देंगे। ४० हजार रुपये का कार्य जिला परिषद् के अध्यक्ष की अध्यक्षता में इस आशय से कि हिन्दी संस्थान भुगतान करेगा सम्पन्न करा दिया गया। आज ७-८ साल बीत गये हैं, उस पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान से न तो मांग की जा रही है और इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को और उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के निदेशक को पत्र लिखे गये । आज तक इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि आज उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान को इस बात के लिये निर्देशित करें कि यह जो जिला परिषद् के माध्यम से पैसा खर्च हुआ है वह उनको दे दिया जाय। इसी प्रकार आप देखेंगे कि खादी ग्रामोद्योग परिषद् की अनुपूरक मांगें हैं। हम यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग परिषद् में बुनकरों को और जो कुशल कारीगर हैं उनके कार्यों को आगे बढ़ाने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग परिषद् को खादी ग्रामोद्योग कमीशन से भी सहायता मिलती है और आपकी तरफ से भी सहायता मिलती है। अब उन्होंने मांग की है कि प्रसार प्रचार और लघु प्रदर्शनी के लिये धनराशि की मांग की है मैं जानना चाहता हूं कि लघु उद्योग मंत्री और मुख्य मंत्री जी से, जो पैसा व्यय करते हैं उसका कितना रिटर्न सामने आ रहा है, उसका कितना परिणाम हमारे सामने आ रहा है । अगर परिणाम सामने नहीं है तो व्यय करने की कोई बात नहीं है ।

इसी तरह से यह देखें नलकूपों के निर्माण के अन्तर्गत एक नयी योजना माननीय सिंचाई मंत्री की तरफ से आई है अभी वह प्रस्तुत की जा रही है। १५ सौ नलकूप जिला सेक्टर से और एक हजार राज्य सेक्टर से प्रस्तावित किए जा रहे हैं। इसके लिये प्रतीक मांग की है, अच्छा है। मैं एक बात जानना चाहता हूं नलकूपों का निर्माण किया जायगा तो उनके वितरण की क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी क्या यह देखा जायेगा कि जो क्षेत्र सिंचाई के मामले में पिछड़े हैं या जहां नलकूपों की संख्या कम है उसके हिसाब से वितरण होगा या माननीय सिंचाई मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी जिस तरह चाहेंगे उस तरह से वितरण होगा। इसमें मेरी प्रार्थना है कि सदन से इस बात की स्वीकृति जब ले रहे हों वहां इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि इसका वितरण सही ढंग से हो। ,जहां पिछड़े क्षेत्र हैं जहां सिंचाई की कठिनाई होती है वहां के लिये वरीयता दी जायं। मान्यवर, उन्नाव जनपद जो है आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय उन्नाव में मात्र डेढ़ सौ नलकूप हैं उसमें भी पचास-साठ खराब पड़े हैं। इसमें मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके वितरण के संबंध में विचार करें। जहां सिंचाई कम है, जो क्षेत्र पिछड़े हैं वहां पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मान्यवर, इन नलकूपों की मरम्मत के लिए पांच हजार रुपया प्रति नलकूप के हिसाब से शासन की ओर से दिया जाता था उसको बढ़ाकर सात हजार कर दिया है ठीक है, मंहगाई बढ़ी है और दूसरे व्यय के लिए सात हजार कर दिया। जब आप पांच हजार दे रहे थे तब तो पचास प्रतिशत या थोड़े कम बेकार पड़े थे जब आप सात हजार देंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सुधार कम होगा बिगड़ेंगे ज्यादा, तो आप इस तरफ भी ध्यान देने की कृपा करें। जो पैसा, धनराशि विभाग को दी जाए उसका सही-सही उपयोग हो। जो नलकूप बेकार हैं उनको सही कराया जाए ताकि जो पैसा आप दें उसका सदुपयोग हो सके और लाभ मिल सके। मान्यवर, मैं वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्होंने वित्त मंत्री का काम और खजांची का काम बहुत अच्छा किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

कोई काम तो अच्छा किया है।

श्री भगवती सिंह विशारद–

अपने बास को खुश करने को उन्होंने बहुत काम किया है। उन्होंने कोई ऐसी मद नहीं छोड़ी जिसको संभवतः अलीगढ़ में शामिल न किया जा सके। ऐसी सारी मदें हैं जो अलीगढ़ में शामिल की जा रही है। मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा। अलीगढ़ के कतिपय विकास खंडों में प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये १९९१–९२ में ३६ लाख ९० हजार रुपये दिये गये है। इसी तरह से कई मदें हैं जिनका नाम लेने से कोई अर्थ नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी जब योजना आयोग के सामने जाते हैं तो कहते हैं कि कुछ मानक होने चाहिए जिनके आधार पर विकास किया जा सके और उसके आधार पर हमें भारत सरकार सहायता प्रदान करे और हमारी योजना स्वीकार करे। हम इस बात के समर्थक हैं कि वह अपने कार्यकाल में और अपनी सरकार में उसी मानक को समाने रखेंगे। सन् ९१-९२ में ऐसी आवश्यकता क्या पड़ गयी कि अलीगढ़ के कतिपय विकास खण्डों में ३६ लाख रुपया खर्च किया जाय। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवनों के निर्माण हेतु इस समय व्यवस्था क्या है यह मैं बताना चाहता हूं। बेसिक शिक्षा परिषद् इन विद्यालयों को चलाती है जो विद्यालय भवनहीन हैं और जो नये विद्यालय बनते हैं उनके लिये यहां से धनराशि प्रदान की जाती है। जिस-जिस जिले से मांग आती है उसी हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, पाठशालाओं के हिसाब से, बच्चों की संख्या के हिसाब से प्राथमिक

विद्यालय खोले जाते हैं और हर वर्ष कुछ न कुछ पैसा बेसिक शिक्षा परिषद् के पास जाता है। बेसिक शिक्षा परिषद् की एक सलाहकार समिति है जो यह तय करती है कि किस-किस भवन के लिये पैसा दिया जाय। यह पैसा तो अलीगढ़ को भी गया होगा।

मुख्य मंत्री जी या उनके किसी प्रतिनिधि ने आवंटन में हिस्सा लिया होगा, गांधी जी के यहां भी पैसा मिला होगा, या दूसरे जो अलीगढ़ के माननीय सदस्य हैं उनके यहां पैसा मिला होगा। तो फिर यह ३६ लाख रुपये लेने का क्या औचित्य है। क्या इससे विषमता नहीं बढ़ेगी। हमारा और आपका प्रयास होना चाहिए कि अनावश्यक खर्च न किया जाय। अलीगढ़ को २०० हैंड पम्प दिये गये, क्या अलीगढ़ का पानी मर गया था या अलीगढ़ का पानी सूख गया था, क्या कारण था कि यह पैसा वहां दिया गया। सब जगह से इण्डिया मार्क-II हैंड पम्प की मांग है यह पम्प लगाये जायं लेकिन अलीगढ़ में क्या बात हुई कि २०० हैंड पम्प स्वीकार कर दिये गये। अलीगढ़ में हवाई पट्टी का निर्माण शुरू कर दिया गया है उसके विस्तार का काम शुरू कर दिया गया है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। मुख्य मंत्री जी अलीगढ़ जनपद के हैं, अलीगढ़ रोज आने जाने की आवश्यकता पड़ती है, वहां हवाई पट्टी को सुधारना चाहिए उसका विस्तार होना चाहिए लेकिन वित्त मंत्री जी से शिकायत यह है यह सब काम तो किया है लेकिन अलीगढ़ को बदायूं और आगरा की तरह से जवाब नहीं प्रदान किया। मैं चाहता हूं कि वह भी प्रदान कर देते तो सारा मामला ठीक हो जाय।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें, पर्याप्त हो गया है।

श्री भगवती सिंह विशारद--

मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, जरा वित्त मंत्री जी की उदारता देखिये। उन्नाव जनपद में एक बक्सर नाम का ग्राम है।

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, मुझे भी बोलने के लिये समय दे दें।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायं।

श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, उन्नाव जनपद में एक बक्सर ग्राम है। वहां बड़ा पवित्र स्थान है। जिस तरह से मिर्जापुर में विंध्यवासिनी जी का स्थान है उसी प्रकार से बक्सर में चंद्रिका जी का स्थान है। वहां से मांग आती है कि वहां पर पर्यटन की सुविधा बढ़ानी चाहिए। हम सब लोगों ने जिला योजना में प्रस्ताव किया और वित्त मंत्री जी यहां भी स्वीकार कर लिये जिसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन आप देखें कि केवल ५० हजार रुपया स्वीकार किया गया है। उसमें वहां पर हैंड पम्प लगायेंगे, साये का इंतजाम करेंगे, बेंच और कुर्सी डालेंगे। आपने केवल ५० हजार रुपया दिया है। आप खजाना तो लुटवा रहे हैं मोहरें लुटवा रहे हैं और कोयले पर छाप लगा रहे हैं। इस ५० हजार रुपये में वहां बनेगा क्या? इसलिये जो मांगें प्रस्तुत की गयी हैं, उनके संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहना चाहता हूं कि जो दो एक बातें और हैं, मांगें आयेंगी तो उनके संबंध में जरूर बीच में निवेदन करूंगा।

श्री किशोरी श्याम–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे माननीय वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट रखा है, मैं आपके माध्यम से यह बता देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप बतावें नहीं, अनुपूरक अनुदानों के बारे में विचार प्रकट करें।

श्री किशोरी श्याम–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन यह है कि यहां पर जो हमारी सरकार ने अनुपूरक बजट रखा है, यह बहुत अच्छा किया है। इसका समर्थन इसलिये कर रहा हूं कि एक रुपये का गोला कर लिया जाये और उस गोले में चाहे जो मुट्ठी भर कर ले जाय तो हमारी सरकार ने अलग-अलग करके, क्योंकि मैं उस दृश्य को देख रहा हूं पहले सिंचाई विभाग का इन्होंने ढपोरशंखी लोगों ने नाश कर दिया और इसलिये इनके पापों का बोझ हमको उठाना पड़ रहा है। हमारे सिंचाई विभाग ने २८ लाख का काम कर्जा लेकर किया है, उसका देना पड़ेगा। इसी प्रकार से पी० डब्लू० डी० में सारी अव्यवस्था करके रखी है। पैसे का हिसाब-किताब ठीक से नहीं रखा। पैसे का हिसाब रखा होता और उसको खुद दिया होता तो पहला कर्जा हमारे पास नहीं आता। अंधे बनकर देखते रहे। ये रुपये को खींचते रहे और सारी आफत हमारी आ गयी। इसलिये जो अनुपूरक बजट आया है, इसको हमारे वित्त मंत्री जी ने रखा है, इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। कम से कम इसका हिसाब तो आयेगा। पहले का लोन चुकता किया जायगा और आगे की व्यवस्था बनाकर देश और प्रदेश का कुछ विकास होगा। ये अंधे बन कर काम करते रहे और कहते हैं कि क्यों बिजलीघर बेचना पड़ा। इनके पाप का बवेला हमारी जान को रख दिया। हमारी सरकार इस बात पर विचार कर रही है। कहां पैसा देना है, कहां लेना है। मान्यवर, हमारी सरकार का जो बजट है, अनुपूरक, यह बहुत अच्छा बजट है। आपकी लाल बत्ती हो गयी। धन्यवाद।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

[illegible] माननीय सदस्य ने दो शब्दों का प्रयोग किया है। यह बजट पर चर्चा हो रही है। जो अनुपूरक [illegible] मांगें हमारी प्रदेश सरकार ने मांगी हैं, उस पर माननीय सदस्य ने दो शब्द प्रयोग किये हैं। एक तो कहा है कि पाप का बोझ लादा है दूसरे ढपोरशंख शब्द उच्चारित किया है। यह कह सही रहे हैं। ढपोरशंखी बजट को कह रहे हैं। वित्त मंत्री जी द्वारा जो मांगें की गयी हैं उसके द्वारा जो पाप परिलक्षित हो रहा है यह ढपोरशंखी बजट ही है।

(समय ६ बजकर २० मिनट)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह मेरा आपसे निवेदन है कि, क्या ढपोरशंखी शब्द संसदीय है ?

श्री अध्यक्ष–

देख लूंगा। जो असंसदीय होगा, निकलवा दूंगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह जो अनुपूरक बजट दिया गया है, मान्यवर, कोई भी अच्छी सरकार या वित्त मंत्री, वह माना जाता है जो एक बार में अपने संसाधन देखते हुए ऐसी योजनाओं को बनाने का काम करे जो पूरे प्रदेश में काम आयें और जिसके कारण फिर बार-बार अनुपूरक बजट न प्रस्तुत करना पड़े।

मान्यवर, इसमें मैं ६-७ साल से बजट का उल्लेख देख रहा हूं, यह जो अनुपूरक बजट आया है, यह तो सब वर्षों के बाद अपने-आप में एक अलग हट कर दिया। हमेशा अनुपूरक बजट ६ अरब, ७ अरब, ८ अरब का आता था, यह जो अनुपूरक बजट आया है, यह अकेला ३२ अरब का है। पहली जो किश्त आयी है, वह ३ अरब की थी, पूरे प्रदेश का १०० अरब का बजट था और अनुपूरक ३५ अरब का है, तो इससे ज्यादा इस प्रदेश के लिये दुखदायी और क्या हो सकता है कि एक तिहाई से ज्यादा मांग करना पड़ा। मान्यवर, अनुपूरक मांग की क्यों आवश्यकता पड़ती है, अगर सोच-समझ कर बजट प्रस्तुत करें, एक तो मितव्ययता अगर हम नहीं बरतते हैं और फिजूलखर्ची पर लगातार काम करते रहते हैं, एक तो हमारी योजनाएं समय से पूरी नहीं होती हैं और दूसरे फिजूलखर्च के कारण बार-बार मैं समझता हूं कि अनुपूरक बजट लाना पड़ता है।

कहीं-कहीं पर आपने देखा होगा, आपके भी क्षेत्र के बारे में होगा कि ८-८, १०-१० साल पहले जिन योजनाओं की घोषणा की गयी थी और उसकी शुरुआत नहीं हो सकी, महंगाई के कारण चीजों के दाम बढ़ गये, मान्यवर, अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता होती है। अगर किसी योजनान्तर्गत खर्च के लिये आया होता, तो मैं इसका स्वागत करता लेकिन जो पूरा ३२ अरब रु० का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है, इसमें ३ अरब ३८ करोड़ रु० योजना के लिये लिया गया है, इसको देखें, गैरयोजना खर्च से ही इस अनुपूरक के माध्यम से पूरा करने का काम किया है। हमारे माननीय विशारद जी कह रहे थे कि अलीगढ़ के लिये हवाई पट्टी के लिये तो खर्च किया गया है। अलीगढ़ आपको अक्सर जाना पड़ता है, तो हवाई जहाज या हेलीकाप्टर का प्रयोग करते हैं। लेकिन मान्यवर, उसमें कसया के लिये भी खर्च किया जायगा। एक तरफ तो जब हम मांग करते हैं, विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं के लिये पैसे की, उसमें विधायक जोखिम भी उठाता है, तो उसमें हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। दूसरे हवाई पट्टी के विकास के लिये कसया में किस लिये खर्च किया गया है। जैसा कि हमारे मुख्य मंत्री जी पहले कहते थे, हमने भी जिक्र किया कि प्रदेश सभी विधायकों को मिला कर बना है, इसमें सभी विधायकों का महत्व होता है। यह बात हमने बार-बार उठायी थी। हमने जब विधान परिषद् में उठाया था, तो इस पर विशेष उल्लेख किया गया था। माननीय मुख्य मंत्री जी भी ऐसा ही पहले बोलते थे। मान्यवर, मुझे बड़ी खुशी होती, अगर आज उसके अनुसार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को समान अवसर दिये होते लेकिन अकेले और एकाध विधान सभा क्षेत्र पर १ करोड़ ४७ लाख रु० खर्च किया गया, तो इस तरह से सर्वांगीण विकास कर पावेंगे या नहीं। जहां पर भुखमरी है, जहां पर निर्धनता है, सिंचाई के साधन सही नहीं हैं, वहां पर इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

मान्यवर, जब पूर्वांचल विकास निधि के लिये ये कहते हैं और जब ३० करोड़ रु० वहां के लिये तय किया गया था, तो वह दिया जाना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर कहते हैं कि योजना में कटौती कर ली गयी, इसलिये मैं नहीं दे रहा हूं और अकेले एक-एक क्षेत्र में डेढ़-डेढ़ करोड़ रु० खर्च हो रहा है। तो इस तरह से विषमता की स्थिति में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से योजनाओं के प्रशासनिक जो नियंत्रण हैं, यह नियंत्रण बिल्कुल ठीक नहीं है । जिसके कारण खर्च बढता जा रहा है। मान्यवर, मैं प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में कहना चाहता हूं कि फैजाबाद को १२ करोड़ रुपया जवाहर योजना के अन्तर्गत मिलना चाहिए, इसमें प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों की भागीदारी होती है, लेकिन इनकी सरकार अपनी रिपोर्ट नहीं भेज सकी, जिसके कारण फैजाबाद का १२ करोड़ में से ७ करोड़ रुपया लैप्स हो गया। तो मान्यवर, एक ओर तो यह फैजाबाद को राजधानी बनाने की बात करते हैं, उसके विकास की बात करते हैं लेकिन फैजाबाद के विकास कार्य सारे अवरुद्ध कर रखे हैं। वहां पर सी० डी० ओ० पोस्ट नहीं है, इसीलिये रिपोर्ट नहीं जा सकी। मान्यवर, अ[illegible] बजट वहीं कहा जायेगा, जिसमें अनुपूरक के कम हो, लेकिन इसमें एक तिहाई बजट अनुपूरक के [illegible] है, तो इसको कैसे अच्छा कहा जायेगा। इससे प्रदेश का जो खर्च है, वह निश्चित रूप से बढ़ता [illegible]

२ खरब रुपये का खर्च और बढ़ा दिया है । आप प्रशासनिक अनियंत्रण की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप ऐसा प्रयास करें जिससे अनुपूरक बजट न लाना पड़े।

श्री रवीन्द्र प्रताप –

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये हमारी सरकार ने जो अनुपूरक बजट पेश किया है, यह बहुत ही उपयोगी है और इस बात को सभी लोग मानते हैं कि विकास के कार्य ठप पड़े हैं । मान्यवर, बी० जे० पी० की सरकार ने गांव गरीब किसान का नारा दिया है और इसके तहत हम कार्य करना चाहते हैं और इन कामों को करने के लिये दाम की आवश्यकता है और जिसके लिये यह बजट रखना पड़ा है और कई सम्मानित सदस्यों ने कहा है कि पहले ८ करोड़ के करीब अनुपूरक बजट पेश किया गया था, उन्हें पता ही नहीं है कि पिछली सरकारों में काम करने की स्थिति क्या थी । जो बजट सिंचाई विभाग का होता था, बजट को मंत्री अपने और राजनैतिक कार्यों के लिये प्रयोग करते रहे हैं । कोई नलकूप नहीं बने, उनको ठीक होना चाहिए । नहरों की जो गूले हैं, उनकी सफाई होनी चाहिए । जो किसान हैं, उनके खेत तक पानी पहुंचना चाहिये, नहरों की सफाई होनी चाहिए । हम बिजली के लिये लड़ रहे हैं, जो अस्पताल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, उनको आगे बढ़ाना है और इन सब चीजों के लिये धन की आवश्यकता है ।

अगर अस्पताल नहीं होगा, उनमें दवायें नहीं होंगी, तो हमारी जनता को कष्ट पहुंचेगा । यह सारी चीजें तभी ठीक हो सकती हैं, जब हमारे पास पैसा हो । मान्यवर, हवाई पट्टी की बात कही गयी है । कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय स्थल है और जापान, थाईलैंड और मलेशिया की सरकारें भारी मात्रा में पैसा भेज रही हैं वह चाहती हैं कि कसया का विकास हो । वहां पर जो विदेशी आते हैं, अगर कोई साधन नहीं होगा, तो वह कैसे वहां पहुंच पायेंगे । इसलिये हवाई पट्टी का होना बहुत ही आवश्यक है । माननीय गृह मंत्री जी वहीं के रहने वाले हैं और वह इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इन सारे कामों के लिये धन की आवश्यकता होगी । मान्यवर, पिछली सरकार के समय ऐसी स्थिति आ गयी थी कि हैंड पम्पों में कहीं बोल्ट नहीं हैं, वाल वाशर बदलने की स्थिति नहीं थी । खुद हमने काफी हंगामा किया तो देवरिया में ५ लाख रुपये मुश्किल से पहुंचे थे। अब १८-१८, २०-२० साल से ट्यूबवेल ऐसे ही पड़े हुए हैं। टाउन एरिया, नगरपालिका में धन के अभाव में विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। इन तमाम योजनाओं को पूरा करने के लिये धन की आवश्यकता है। मान्यवर, पिछली सरकार में उद्घाटन समारोहों के नाम पर इतना पैसा खर्च किया गया और सारा पैसा बेकार हो गया। हमारे क्षेत्र में मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव गोरयाघाट पुल का शिलान्यास करने गये थे और उस शिलान्यास में ५० हजार रुपया खर्च हो गया और काम कुछ भी नहीं हुआ है। वह जब स्टेडियम में गये तो वहां के स्थानीय विधायक ने मांग की, कि एक लाख रुपया स्टेडियम के निर्माण के लिये दे दें तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि एक लाख रुपया क्या हम दो लाख रुपया देते हैं लेकिन वहां एक पैसा तक नहीं पहुंचा है। वह घोषणायें पहले हो चुकी हैं और इस सरकार की बदनामी करायी जा रही है । वहीं इन सारे अधूरे कामों को पूरा करने के लिये और किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाने के लिये इस अनुदान की आवश्यकता है, मैं अनुपूरक बजट का स्वागत करता हूं।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं सबसे पहले अनुदान मांगों पर चर्चा से पहले व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। अनुपूरक मांगों का यह जो लेखा प्रस्तुत किया है। इसके अन्दर पर्वतीय विकास की मद दिखायी गयी है। मैं असमंजस की स्थिति में हूं, हमें दो-तीन महीने से निरन्तर एक चिट्ठी मिलती है कि इसका नाम बदलकर उत्तरांचल विकास निगम कर दिया गया है (शोर) मान्यवर, एक मिनट सुन लें इसमें हेडिंग पर आ गया पर्वतीय विकास और उसमें जो ब्योरा आया वह उतरांचल के नाम पर, तो समझ में आने वाली बात नहीं है। यह सरकार रोज आदेश करती है नाम बदलने का, लेकिन यह तय नहीं कर पा रही है कि इसका नाम पर्वतीय विकास है या उत्तरांचल विकास है।

मान्यवर, इसी तरह से एक विरोधाभास का उदाहरण सरकार का मैं और बता रहा हूं। एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिये फिर से आदेश जारी हुआ। मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं, सरकारी

विभागों को बाकायदा राइटिंग में कहा कि आज से जो भी सरकारी दस्तावेज हैं उनके अन्दर से हरिजन शब्द को हटा दिया गया है अब जो भी अधिकारी, संस्था या व्यक्ति हरिजन शब्द का प्रयोग करेगा तो हरिजन शब्द दण्डनीय अपराध होगा। इस पुस्तक में लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है उसमें फिर लिखा है हरिजन कल्याण मद, तो मैं मांग करता हूं कि क्या इस पुस्तक को छपाने वाले अधिकारियों के ऊपर हरिजन शब्द प्रयोग करने के लिये कोई मुकदमा चलायेंगे? मान्यवर, इसी प्रदेश सरकार ने एक कैबिनेट डिसीजन के तहत पर्वतीय विकास विभाग का नाम बदलकर उत्तरांचल विकास विभाग किया और अब फिर से उसका नाम पर्वतीय विकास विभाग छपे तो मैं तो कहूंगा कि सदस्यों को गुमराह करने के लिये यह छापा गया है, क्या इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही होगी। इन प्रश्नों को, मैं अपेक्षा करूंगा कि एक स्वस्थ परम्परा के हिसाब से देखें, शासन का जो निर्देश होता है, आदेश होता है उसे कड़ाई से लागू करें, इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जब उत्तर देंगे तो इस पर भी अपना उत्तर दे देंगे। आप आगे अपनी बात कहें केवल दो मिनट में।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, इसमें ५ मिनट तो आपको देना पड़ेगा, आप ५ मिनट दे दें।

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, जो इन्होंने कहा है ''देना पड़ेगा'' यह सदन का अवमान है, इन शब्दों को वापस लें।

श्री अध्यक्ष–

तिल का ताड़ न बनायें, आप बैठें, इन्हें बोलने दें।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, पर्वतीय विकास विभाग द्वारा ३४ करोड़ ७० लाख रुपये की मांगों का लेखा प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर, सबसे पहले तो इसमें सरसरी तौर पर यह किया गया, मान्यवर, आजादी के ४५ सालों के बाद भी हम लोग प्लानिंग सिस्टम को स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाये हैं कि रेगुलर बजट में व्यवस्था करें, बल्कि रेन्डम बेसिस पार कर रहे हैं, जब आवश्यकता हुई राज्य आकस्मिकता निधि से व्यवस्था कर दी। मैं इसकी घोर आलोचना करता हूं।

मान्यवर, ख श्रेणी की अनुपूरक मांगों के लिये राज्य आकस्मिकता निधि से जो व्यवस्था की गयी है, उसकी चर्चा कर रहा हूं। पर्वतीय विकास विभाग ने तकरीबन साढ़े चार करोड़ रु० की अनुपूरक मांगों को ख श्रेणी में रखा है, मैं भी पर्वतीय क्षेत्र से विधायक हूं। बार-बार माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सदन के अन्दर जब चर्चा होती है तो कहते हैं कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना चाहते हैं, उसके लिये विशेष ध्यान रखते हैं। मैं इस बात को बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के मेरे जो दूसरे साथी हैं जो गढ़वाल मण्डल के साथी हैं सत्ता पक्ष में बैठे हैं वह संभवतः चाहते हुए भी नहीं कह पा रहे हैं। साढ़े चार करोड़ की अनुपूरक मांगों में केवल डेढ़ करोड़ रुपये की मांग गढ़वाल मण्डल से संबंधित है जबकि वहां ५ जनपद हैं और तीन करोड़ रु० की अकेले कुमायूं मण्डल के लिये हैं जहां पर तीन जनपद हैं। इस तरह से क्षेत्रीय असंतुलन की बात इस अनुपूरक मांगों में प्रदर्शित की गयी हैं जिस पर मेरी घोर आपत्ति है। इन मांगों की मैं बार-बार निन्दा करता हूं। पर्वतीय क्षेत्र की अनुपूरक मांगों में कई डिग्री कालेज जैसी संस्थाओं की बात कही गयी है।

मान्यवर, जनपद देहरादून का चकराता विधान सभा क्षेत्र पूरे प्रदेश में एक ऐसा क्षेत्र है जहां जिला मुख्यालय से २०० कि०मी० की परिधि में कोई भी डिग्री कालेज नहीं है। अनेक स्थलों पर अनेकों आन्दोलन किये जाने के बावजूद भी, चकराता विधान सभा क्षेत्र में जहां पर डाकपत्थर में महाविद्यालय की मांग कई वर्षों से की जा रही है, उसके संबंध में व्यवस्था इसमें नहीं की गयी है, यह अफसोस की बात है। पशुपालन की बात इसमें कही गयी है। जनपद देहरादून के ऋषिकेश में पिगरी रिसर्च सेन्टर है वहां शेड निर्माण के लिये लगातार कह रहे हैं इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। परन्तु गैर महत्वपूर्ण योजनाओं के लिये धन का प्राविधान इसमें किया गया है। जैसे मैंदानों का समतलीकरण, घेर बाड़ आदि के लिये धन दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप कृपया समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, देहरादून के चकराता जनजाति क्षेत्र में अनेक प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं हैं । इस सरकार ने परीक्षाओं में नकल को संज्ञेय अपराध घोषित करने का अध्यादेश प्रस्तुत किया, वह बहुत सराहनीय कदम था, लेकिन आदर्श की बात कर दें और उसकी नीति न बनायें तो ऐसी बात निन्दनीय है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान–

जनपद देहरादून के ३०६ प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं । पदों के सृजन के संबंध में इसमें कोई वित्तीय मांग नहीं रखी गयी है । इन सब बातों के साथ इन अनुपूरक मांगों का मैं विरोध करता हूं ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, अनुपूरक मांग वह है कुछ खर्चा हो गया बाकी महत्वपूर्ण खर्च होना है । साथी माननीय सदस्यों ने कहा कि जो खर्चा हुआ वह कहां पर हुआ । मान्यवर, मैं पिछली बार इस सम्मानित सदन का सदस्य था । पिछली बार मेरे क्षेत्र के लिये जो ट्यूबवेल स्वीकृत हुए, वे कहां लगे ? २०० हैंड पम्प मेरे क्षेत्र में लगाने की बात पिछली बार हुई, लेकिन उसका क्या हुआ । यह सरकार क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करेगी । पिछली सरकारों के समय जहां पर ज्यादा काम हो गया वहां अब वह नहीं होगा । फिर विपक्ष को लगा कि इस जिले में काम ज्यादा हो रहा है । इसी प्रकार पिछली सरकार ने अपने क्षेत्रों में सड़कें खूब बनायी, इटावा में खूब बनी, उससे पहले अमेठी में खूब बनी, खूब उसका विकास हुआ । तो श्रीमन्, यह जो अनुपूरक बजट है उसको देखने से यह साफ पता चलता है कि उद्योगों पर ४२ करोड़ व्यय हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ, कृषि पर २ अरब रुपया व्यय हो रहा है,गन्ना पर ९ करोड़ रुपया व्यय हो रहा है, चिकित्सा पर १५८ करोड़ रुपया खर्च हो रहा है इसी तरह से जितनी भी मांगें हैं, उस पर खर्च हो रहा है इससे ज्यादा का उपयोग और कहीं नहीं हो सकता । इसलिये मान्यवर, जो अनुपूरक बजट रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह भी इसका समर्थन करें ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, आज इस सदन में प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष १९९१-९२ की द्वितीय अनुपूरक मांगों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है और उस पर हमारे माननीय सदस्यों ने विचार प्रस्तुत किये हैं, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, मैं मात्र यह कहना चाहूंगा कि इस चर्चा में जो प्रदेश की जनता के कल्याण से संबंधित चर्चा है, उसके अस्तित्व का सवाल है और प्रदेश के महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन के अन्दर जब सत्ता पक्ष के लोग पूर्ववर्ती सरकार की तुलना वर्तमान सरकार से करते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है ।

अगर किसी ने गलत काम किया है, तो मैं समझता हूं कि उस कार्य को आप न करो । लेकिन यह सरकार उसकी राह पर चलने का कार्य कर रही है । मान्यवर, इन अनुपूरक मांगों में विशेषकर जो लेखा जोखा सरकार की तरफ से पेश किया गया है, मैं समझता था जिस प्रकार की घोषणा सरकार की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी और उनकी अनुपस्थिति में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने की है कि वह पूरे प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, उसमें कहीं पर भी किसी प्रकार का भेदभाव और असंतुलन की प्रक्रिया नहीं अपनायी जायेगी, मगर मुझे ऐसा लगा कि उनकी नियत भी साफ नहीं है और वह किसी क्षेत्र विशेष में जुड़ी हुई है । मान्यवर, जिस प्रकार से मैंने देखा कि जो शिक्षा की मद में जो रुपया मांगा गया है उसमें जैसा कि अभी पूर्व माननीय सदस्य, श्री मुन्ना चौहान जी ने चकराता का उल्लेख किया है, इलाहाबाद से आप संबंधित है, इलाहाबाद में द्वाबा क्षेत्र है जिसके अन्दर एक भी डिग्री कालेज नहीं है ।

माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, जो यहां पर बैठे नहीं दिखायी दे रहे हैं, जो इलाहाबाद से संबंधित हैं । मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर वह हमारे हिन्दुस्तान के एक पुराने विश्वविद्यालय के अन्दर अध्यापक नियुक्त हैं । मैं कहना चाहता हूं कि अगर उनको इलाहाबाद और शिक्षा के क्षेत्र में रुचि होती तो इलाहाबाद के उस द्वाबा क्षेत्र में वह डिग्री कालेज का प्राविधान करते । मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में भी मांग की गयी और उसके साथ युवा कल्याण खेलकूद विभाग के लिये भी मांग की गयी । मैं कहना चाहूंगा कि आज पूरे प्रदेश में गांव के अन्दर युवक मंगल दल का गठन हुआ है । अगर उन कार्यकर्ताओं का उपयोग करते तो गांव का विकास हो सकता था, उससे कार्य हो सकते थे, अगर बजट में उनके लिये प्राविधान कर देते तो गांवों का और भी विकास हो सकता था ।

मान्यवर, कौशाम्बी, कड़ा एवं पमोसा जैसे धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल हैं । उसके विकास के लिये पूर्ववर्ती सरकारों ने घोषणा की थी लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कौशाम्बी जो प्राचीन बौद्ध स्थल है उसका विकास यह सरकार करे और उसके लिये केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों उसके लिये वित्तीय प्राविधान करें ।

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर विरोध पक्ष के कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप लोग दो-दो मिनट में अपनी बात कह लें ।

* श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, मैं द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों के पक्ष में बोल रहा हूं । मान्यवर, भूकम्प आने के बाद गढ़वाल क्षेत्र में जो नुकसान हुआ, टिहरी जनपद में, उत्तरकाशी में चमोली जनपद में जिस प्रकार क्षति हुयी है, उसकी पूर्ति करना तो संभव नहीं है, लेकिन जो तात्कालिक प्रयास किये जा सकते हैं, उनके लिये धन की अत्यन्त आवश्यकता होगी । मान्यवर, वहां पर जो भी सरकारी कार्यालय थे, उनके भवन थे, जो सरकारी सम्पत्ति थी और जो सार्वजनिक सम्पत्ति थी, वह पूरी तरह से नष्ट हो गयी और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब पूरे गढ़वाल में नये ढंग से सृजन का कार्य शुरू करना होगा, उसके लिये भी धन की आवश्यकता होगी ।

मान्यवर, पिछली सरकारों ने हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है । मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे पेयजल योजना के बारे में हो, चाहे रोजगार के बारे में, चाहे उद्योग धन्धों के बारे में हो, हमारे साथ घोर उपेक्षा की गयी है । मान्यवर, वर्ष १९९०-९१ में हमारे टिहरी जनपद में जिला योजना से शासन के पास जो प्रस्ताव आया था, उसमें ३० जूनियर बेसिक स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव था, लेकिन मात्र ६ स्कूल खोलने की ही स्वीकृति हुयी । इसी प्रकार वर्ष ९१-९२ को लिये ३० जूनियर बेसिक स्कूलों का प्रस्ताव वहां से शासन को भेजा गया, लेकिन उसके बाद भी मात्र १५ विद्यालय खोलने की स्वीकृति हुयी है, यह जो असमानता है, उसको दूर करने के लिये धन की काफी आवश्यकता होगी । हमारी जो मांगे हैं, क्षेत्र की जो समस्यायें हैं, इन समस्याओं को पूरा करने के लिये धन की आवश्यकता है । मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि इसके साथ-साथ पर्वतीय क्षेत्रों में कई वर्षों से वन संरक्षण अधिनियम के कारण कई सड़कें रुकी पड़ी हैं । इन सड़कों का करोड़ों रुपया इस अधिनियम की वजह से रुका हुआ है । मान्यवर, एक सड़क ऐसी है, जिसमें ९० किलोमीटर काम हो गया है, मात्र ८ किलोमीटर काम बाकी है, इसी तरह वन संरक्षण अधिनियम की वजह से हमारे जनपद में पेयजल योजना, सिंचाई योजनायें रुकी पड़ी हुयी हैं, जिनके लिये धन की आवश्यकता होगी । अंत में, मैं द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगो का पुनः समर्थन करता हूं ।

* श्री सुरेश प्रताप गांधी--

मान्यवर, द्वितीय अनुपूरक अनुदानों में तीन तरह की मदें हैं । एक वह मदें हैं, जिनके अन्तर्गत खर्च कर लिया गया, कन्टीन्जेन्सी से लेकर । दूसरी वह मदें हैं, जिनका मूल बजट में प्राविधान था, परन्तु उनमें व्यय को बढ़ाया जाना आवश्यक था और मान्यवर, तीसरी वह मदें हैं, जो नई मांगे हैं, जिनका मूल बजट में प्राविधान नहीं था उनमें नई योजनायें रखी गई हैं । पहली मद तो खर्च हो चुकी है, उस लाइबेल्टि को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है लेकिन जो दो मदें शेष हैं, उनके धन को बड़ी सावधानी से, बड़ी सूझ-बूझ के साथ तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण से हमें खर्च करना पड़ेगा । इस वित्तीय वर्ष में अब कुछ दिन ही शेष रह गये हैं । इतनी अल्पावधि में पैसे को खर्च कैसे किया जायेगा, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं । हमारा जो पिछला मूल बजट था, उसमें जो स्वीकृतियां जानी चाहिये थी, वह नहीं गई । प्रशासनिक स्वीकृतियां तो हो गई किन्तु वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई । अब आप नई स्वीकृतियों को इस सप्लीमेन्टरी में ले रहे हों । अब इनकी स्वीकृतियां कब जारी होंगी और कब तक वह पैसा खर्च होगा ।

मैं अवर अभियन्ताओं की हड़ताल के संबंध में ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं । २७-२८ जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, उन सबके अवर अभियन्ता इस समय हड़ताल पर हैं । ऐसी स्थिति में निर्माण कार्य कैसे होगा और किस तरह से इस धन का व्यय होगा । यह एक चिन्ता का विषय है । माननीय श्री गुप्ता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जी ने जब पिछली बार सप्लीमेन्टरी लिया था तो उस समय यह कहा था कि मार्च में स्वीकृतियां जारी करने की जो परम्परा थी, उसे समाप्त किया जायेगा । जो स्वीकृतियां हैं, वह समय से इस प्रकार जारी की जायेंगी कि प्रत्येक त्रिमास में समानुपातिक रूप से कार्य हो । यह तभी सम्भव है जब प्रारम्भ से ही प्रत्येक त्रैमास के लिये ग्रान्ट रिलीज हो जाय । यदि ऐसा किया गया तो कार्य सही ढंग से हो सकेंगे और उनकी गुणवत्ता भी प्राप्त की जा सकेगी । परन्तु मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस अल्पावधि में इस पैसे को कैसे खर्च कर दिया जायेगा । अगर पी० एल० ए० में धन डाल कर उसे व्यय दिखा दिया जायेगा तो वह एक अच्छी परम्परा नहीं होगी । अक्सर यही होता रहा है कि पी० एल० ए० में पैसा डाल कर उसे परियोजनाओं पर खर्च दिखा दिया जाता है । यदि यही परम्परा आपने भी डाली तो कोई आशातीत सुधार होने वाला नहीं है । माननीय श्री गुप्ता जी एक योग्य, दूरदर्शी व विद्वान वित्त मंत्री है, इसलिये हम अपेक्षा करते हैं कि प्रत्येक त्रैमास में सामानुपातिक रूप से स्वीकृतियां जारी करने की वह व्यवस्था करेंगे । हो सकता है कुछ अपरिहार्य कारण रहे हों, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, वह स्वीकृतियां जारी न कर पाये हों । अब मान्यवर, मूल बजट आने वाला है । मैं समझता हूं कि जो विशेष आवश्यक खर्चे थे, उन्हें इसमें लिया जाना चाहिये था और जिन कार्यों को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, उन्हें इस सप्लीमेन्टरी में लिये जाने से कोई लाभ नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात पूरी आ गई है । कृपा करके आप बैठ जायं । अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं लोक निर्माण विभाग द्वारा जो स्वीकृतियां जारी नहीं की गयी केवल उनको अंकित कर दिया ।

श्री अध्यक्ष–

आप अब स्थान ग्रहण करें आप ४ मिनट से अधिक बोल लिये हैं ।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि ४, ६ लोग मुश्किल से बोलने वाले हैं इसलिये २० मिनट का समय बढ़ा दें जिससे इधर और उधर के सदस्य बोल लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

दो इधर से और दो उधर से बोल लें

श्री श्याद अली–

मान्यवर, जो अनुपूरक बजट यहां पेश किया गया है इसके संबंध में, मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रदेश की जनता के साथ सरासर धोखा है लफ्फाजी है (व्यवधान) वर्तमान सरकार में जो मंत्री हैं वह सब ए० सी० में मस्त हैं चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी हो सब ए० सी० में चलते हैं लेकिन किसान के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। खासकर मैं कहना चाहता हूं कि जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है इसमें मेरे प्रतापगढ़ जिले के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है जब कि पिछले सदन में बताया गया था कि मेरे यहां गौरा विकास खण्ड में जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है बाढ़ से बड़ी तबाही हुई जब कि पूरे प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ था। आप मेरे पड़ोसी जिले के हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। वहां ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण बाढ़ की समस्या पैदा हो गई। माननीय मंत्री जी ने विधायकों की इलाहाबाद में बैठक बुलाई उसमें कहा गया था कि इस समस्या का हल निकाला जायेगा लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई जिसके कारण रबी की फसल चौपट हो गयी और धान की रोपाई भी नहीं हो पायी। इस तरह से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने हमारे यहां के लिये खासकर मेरे क्षेत्र के लिये कोई व्यवस्था नहीं की। यह जो बजट यहां पेश किया गया है इसकी मैं निन्दा करता हूं।

श्री किशन गोपाल

मान्यवर, जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है इसके संबंध में आपने मुझे बोलने का सौभाग्य दिया इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी इस न्यायप्रिय सरकार ने जो अनुदानों की मांगें प्रस्तुत की हैं वह प्रदेश की १४ करोड़ जनता के साथ न्याय किया गया है। मान्यवर, पिछली सरकारों ने जो १४ करोड़ जनता के साथ अन्याय किया था उसकी गाढ़ी कमाई को किस प्रकार बर्बाद किया था उसका उदाहरण देना चाहता हूं पूर्व मुख्य मंत्री जी ने ५० हजार रुपया घोड़ागाड़ी के लिये दे दिया कभी वह घोड़ागाड़ी पर बैठ कर जाते थे तो उसके लिये ५० हजार रुपया नयी गाड़ी खरीदने के लिये दे दिया। प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया बेदर्दी से बहा दिया। हमारे जनपद आगरा में पानी की भीषण समस्या है उसका उन्होंने समाधान नहीं किया मैंने इस समस्या के समाधान के लिये और उस क्षेत्र के विकास के लिये २६ पत्र गिन-गिन कर लिखे जो मेरे पास आज भी मौजूद हैं लेकिन मान्यवर, भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने केवल जनता दल के विधायकों का ही ध्यान रखा किन्तु जनता दल के विधायकों ने ही उनको मझधार में डुबो दिया।

मान्यवर, यह कल्याणकारी सरकार बड़े सराहनीय कार्य कर रही है और सोच समझकर सराहनीय कार्यों पर पैसा खर्च कर रही है। मान्यवर, पुरानी सरकार के गलत कार्यों पर खर्च करने के कारण यह सरकार घाटे में कार्य कर रही है और यदि पुरानी सरकार सराहनीय और अच्छे कार्यों पर पैसा खर्च करती तो यह सरकार घाटे में न काम करती। आज हम जनता के साथ न्याय करना चाहते हैं लेकिन विपक्ष के लोग न्यायपूर्वक और शांतिपूर्वक इस सरकार को काम नहीं करने देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हो गया। अब आप बैठ जायें। (व्यवधान) आप समाप्त करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, विपक्ष के लोग धमकी देते हैं कि हम सरकार को नहीं चलने देंगे और सदन में कार्यवाही नहीं चलने देंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जायं ।

* श्री सुधीर–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अनुपूरक बजट पर बोलने का समय दिया। मान्यवर, इस सरकार ने अपने विशेष व्यक्तियों और विशेषकर अपने मंत्रियों के क्षेत्रों में विकास कार्यों को करने के लिये यह अनुपूरक बजट पेश किया है। मान्यवर, इस सरकार ने राजनैतिक लाभ उठाने के लिये, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये अनुपूरक बजट पेश किया है। मान्यवर, इस सरकार की किसान विरोधी नीतियां हैं। इस सरकार ने अपने विशेष व्यक्तियों और मंत्रियों के क्षेत्रों में जो विकास कार्य करने की कार्यवाही की है जिसके संबंध में हमारे पूर्व वक्ता ने सदन को जानकारी दिया है, उसके संबंध में मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने अपने क्षेत्र अतरौली, अलीगढ़ में महिला चिकित्सालय के लिये १० लाख रुपये और ३०० शैय्याओं वाले संयुक्त चिकित्सालय अलीगढ़ हेतु ६० लाख रुपये दिये हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सारे रोगी आपके क्षेत्र में ही हो गये हैं और प्रदेश के पूर्वांचल जिलों में चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है ? इसी तरह मान्यवर, मैं आपका ध्यान जल समस्या की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने अपने क्षेत्र के लिये ६५ लाख रुपये रखे हैं और वित्त मंत्री जी ने जो कि सीतापुर के हैं वहां के विकास के लिये ४२ लाख रुपये आवंटित किये हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि वाराणसी मण्डल के लिये स्वास्थ्य और पेयजल योजनाओं के लिये एक भी पैसा क्यों नहीं दिया है? इसी तरह गृह राज्य मंत्री ने अपने क्षेत्र में .....

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री सुधीर–

२६४ करोड़ रुपये की योजना अपने क्षेत्र में पूरी करायी है। वाराणसी मण्डल की उपेक्षा की गयी है। वाराणसी मण्डल ही क्या किसी भी जिले में इस तरह से कार्य नहीं किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री सुधीर–

इस तरह से मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुपूरक मांगों का विरोध करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री पूरन प्रकाश–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार ने जो अनुपूरक मांगें रखी हैं। यह आज तक की सरकारों द्वारा इतनी नहीं पेश की गयी हैं। मान्यवर, इस प्रदेश में एक इनका ही जनपद नहीं है और भी कई जनपद हैं। मथुरा जनपद में ५-५, ६-६ किलोमीटर की दूरी से पानी सिर पर भरकर लाना पड़ता है। मैंने कहा कि वहां पर हैण्ड पम्प लगवा दें, नलकूप लगवा दें। सड़कों का हाल भी ऐसा ही है। जरूरत पड़ने पर फर्स्ट एड के लिये आदमी को नहीं ले जाया जा सकता है। अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते। डाक्टर के पास नहीं जा सकते क्योंकि सड़कें जगह-जगह पर टूटी पड़ी हैं, बड़े-बड़े गड्ढे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह जो अनुपूरक मांगें रखी गयी हैं, इस प्रदेश की जनता के प्रति धोखा है। अभी यह कह रहे थे, माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया था कि पिछली सरकार ने ऐसा किया वैसा किया। मान्यवर, क्या जरूरी है कि कोई गलती पिछली सरकार ने की है तो यह भी दोहरावें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि यह अनुपूरक मांगें बिल्कुल भी प्रदेश की जनता के हितों के अनुकूल नहीं है। महोदय, तीन-चार ऐसी मांगें हैं.....

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें। दो मिनट हो गये हैं।

श्री पूरन प्रकाश–

मान्यवर, अभी तो मैंने शुरू किया है। यह सरकार हरिजन विरोधी सरकार है। बैकवर्ड विरोधी तो थी ही। यह सरकार गरीब तबका जो है, उसकी खुले आम विरोधी है। मान्यवर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। हर सरकार ने पिछड़े वर्ग को, गरीबों को, अनुसूचित जाति के लोगों को भी स्थान दिया है परन्तु यह सरकार तो हरिजन विरोधी है। मैं आपके माध्यम से.....

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, बस हो गया।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं अनुपूरक मांगों का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय वित्त मंत्री जी विद्वान हैं। जब वह इधर बैठते थे तो उस समय जब अनुपूरक मांगें आती थीं तो वह स्वयं विरोध करते थे। मान्यवर, यह कुल मिलाकर ३५ अरब रुपये की मांग है। मान्यवर, दो डिग्री कालेज खोले गये। एक अलीगढ़ में और एक सीतापुर में। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में कितने क्षेत्र पिछड़े हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश को आप लें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कितने क्षेत्र ऐसे हैं आबादी की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जहां नहरें ५० फीसदी नहीं चल पा रही हैं। ट्रांसफार्मर की कमी से, विद्युत आपूर्ति की कमी से। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इन सारे भेदभाव को मिटा कर वहां पर पिछड़ेपन को देखते हुए कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करेंगे।

यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल निधि में पैसा इन्होंने दिया, हम लोगों की सूची ले ली। प्लान ले लिया और डिप्लोमा इंजीनियर की हड़ताल हो गयी है तो इस सारे पैसे का उपयोग कैसे होगा। इस पैसे का दुरुपयोग होगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल निधि का जो पैसा है उसको जारी करें। पर्यटन क्षेत्र में देख लें बलिया जिले में लखनेश्वर डीह है तथा गाजीपुर में भितरी है। प्राथमिकता के आधार पर इसको रखा जाना चाहिए था जो पर्यटन के

बारे में रूप-रेखा होनी चाहिए थी वह नहीं है। मैं १९९१-९२ के अनुपूरक अनुदान का विरोध करता हूं । मैं चाहता हूं कि श्री गुप्ता जी जब इधर बैठते थे तो वह विरोध करते थे आज भी वह इसका विरोध करेंगे।

श्री श्याम नारायण–

यह जो किताब है इसमें बड़ी विषमता देखने को मिली। विषमता यह दिखायी दे गयी । हमने सोचा था कि हमारे जनपद में भी आवागमन का साधन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राप्ती नदी से चार मार्ग जुड़ते हैं। बस्ती, सिद्धार्थनगर, महराजगंज और गोरखपुर। वहां जो पीपे का पुल है वह नहीं बना है भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने वहां जाकर उद्घाटन भी कर दिया, यह बार-बार आश्वासन देते हैं। इनको थोड़ा तो रहम करना ही चाहिए यह चार जिलों के विकास का संबंध है आप उस पुल के बारे में सोचें ।

श्री अध्यक्ष–

आप अब समाप्त कर दें।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, आप देखें ग्राम पंचायतों में रिक्त स्थानों के चुनाव के लिये धन का प्राविधान है। बेहतर यह होगा कि आप न्याय पंचायतों के गठन के लिये भी धन का प्राविधान कर देते । मैं इस बात का इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासनिक नियंत्रण ढीले हैं । हमारे यहां महराजगंज जनपद में फरेंदा निर्माण खण्ड है उसमें ए० ई० जो हैं उनकी सतर्कता विभाग से जांच चल रही है उनका पच्चीसों लाख का मकान बना हुआ है । पूर्वांचल निधि का काम नहीं हुआ । खर्चा दिखा दिया गया, उनको निर्माण खण्ड का चार्ज मिला हुआ है यह नहीं होना चाहिए था इससे ज्यादा अनियमितता और क्या हो सकती है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं बहुत-बहुत आभारी हूं उन सब माननीय सदस्यों का चाहे वह इधर के हों और चाहे वह उधर के हों चर्चा में भाग लेकर उन्होंने अपने मूल्यवान सुझाव दिए । इस चर्चा में कई बिल्कुल नये सदस्यों ने भी भाग लिया उनके भाषण को सुनकर इस बात का भी इम्प्रेशन पड़ा कि उन्होंने इन अनुपूरक अनुदानों को ध्यान से पढ़ा है, लेकिन एक चूक हो गई है माननीय विशारद जी से, यह उत्तर प्रदेश की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १९५ को पढ़ लिए होते तो चर्चा और सार्थक होती इसमें अनुपूरक अनुदान के बारे में शीर्षक दिया है ।

इसमें यह परिभाषित किया गया है कि जिन मदों का उल्लेख, जिन विषयों का उल्लेख इस अनुपूरक अनुदान में दिया गया है आलोचना उन्हीं तक सीमित रहेगी । बाकी जो मूल बजट आया है या आने वाला है उस समय विभागीय नीति की हम आलोचना करते हैं और सुझाव भी देते हैं तो इन मदों से भिन्न, अनेक माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये हैं तो जब मूल बजट आपके सामने पेश होगा, उस समय उसके बारे में विचार किया जायगा । माननीय विशारद जी ने कुछ शंकायें व्यक्त की थीं उनका भी संक्षेप में, मैं उत्तर दे दूं । उन्होंने कहा यह जानकारी नहीं मिली कि इन मदों को बजट में क्यों नहीं लिया गया ?

मान्यवर, वह वरिष्ठ सदस्य हैं उनको मालूम है कि मूल बजट तो हमने बनाया नहीं था मूल बजट किसी और ने बनाया था । अब बजट जो हमारे सामने है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि पहला अनुपूरक अनुदान ३१८.४२ करोड़ रुपये का हमने पेश किया । इसमें एक भी मद ऐसी नहीं थी जिसमें हमने खर्च किया हो । वह पैसा पुरानी सरकार के समय में कंटिन्जेंसी से निकाल कर खर्च किया गया था । उसको इस सदन से पारित कराने की हमारी प्रतिबद्धता थी । अब यह अनुपूरक मांगें हम दोबारा लाये हैं जिसके बारे में विचार करना है । मैं श्री विशारद जी की इस बात से सहमत हूं कि अनफोरसीन एक्सपेन्डीचर नहीं होना चाहिये । लेकिन हम मजबूर हैं कुछ हमने नीतियां बनायी हैं इसलिये कुछ नये खर्चे लाना जरूरी था । यहां पर आकस्मिकता निधि के दुरुपयोग और उसमें मितव्ययिता की बात कही गयी । यह सही है कि आकस्मिकता निधि का पैसा अपरिहार्य परिस्थिति में निकालना चाहिये । पहले आकस्मिकता निधि में पैसा कम हुआ करता था लेकिन आज धनराशि ज्यादा हो गई है क्योंकि बजट भी कई गुना हो गया है । मैं विशारद जी की बात से सहमत हूं कि आकस्मिकता निधि से पैसा अपरिहार्य परिस्थितियों में निकालना चाहिए । माननीय गांधी जी ने एक बात कही, शंका प्रकट की, उनके मन में शंका आना स्वाभाविक है । हमने पिछली बार कहा था कि मूल बजट की स्वीकृतियां चली जायेंगी । इसमें अधिकांश पैसा खर्च किया जा चुका है, स्वीकृतियां जाने की आवश्यकता नहीं है फिर भी मैं माननीय गांधी जी को और सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि मार्च के पहले सप्ताह में हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो नये खर्चों की व्यवस्था कर रहे हैं उनकी स्वीकृतियां चली जायं जिससे इसी वितीय वर्ष में उनका खर्च सुनिश्चित कर लिया जाय । माननीय लालजी वर्मा जी ने कहा है, मैं उनसे बड़ा स्नेह करता हूं । पहले वह उस सदन में थे, अब इस सदन में हैं, बड़े अच्छे -अच्छे विषयों को उठाते हैं ।

मैं उनको एक जानकारी देना चाहता हूं । अगर पूरे बजट को देखें तो हमारे संविधान का अनुच्छेद २०५ जो है उसके तहत १९९१-९२ का अनुपूरक बजट लाये हैं। यह हम दूसरा अनुपूरक बजट लाये हैं। इसके पीछे हेतु क्या है। एक तो यह है कि राज्य के विकास के लिये नयी योजनायें हैं, जो मूल बजट में पैसा दिया गया है स्वाभाविक है कि उससे ज्यादा खर्च हो गया उसकी प्रतिपूर्ति करना है। कुछ खर्चे हैं जिनके लिये हमने राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृति मांगी है। एक शंका प्रकट की गयी कि जो मूल बजट था वह १०० अरब रुपये का था। लेकिन शायद यह आंकड़े कुछ गलत हैं कृपया सुधार कर लें। मूल बजट १४३.८५ अरब रुपये का है। इसमें जो बढ़ा हुआ खर्च है वह ३७४७ करोड़ रुपये का है। इसमें आयोजनेत्तर और आयोजनागत दोनों को देखें, कुल मिलाकर खर्च ६६१ करोड़ रुपये का है। बाकी जो खर्च २४५४ करोड़ रुपये का है वह ऐसा है, कभी-कभी हम कह देते हैं खजाना खाली मिला, खाली खजाने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास पैसा आता है, उसको हम खर्च करते हैं, (समय ७ बजकर २० मिनट) कभी-कभी ऐसी स्थिति आती है कि हम घाटे में होते हैं। हमारा खर्च ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक से आहरित करने का अधिकार है। उसकी भी मर्यादा है १२९ करोड़ प्रतिदिन की। जब नयी सरकार आयी थी तो रिजर्व बैंक से ले रखा था, इसलिये हम कहते हैं कि घाटे में थे। कहते हैं कि कभी रुपया लिया, कभी दिया। कुल मिलाकर प्रयास होता है कि ओवर ड्राफ्ट न हो। यह जो २४५४ करोड़ रुपया है इसके हिसाब-किताब को देखें, मैं मदें नहीं बताना चाहता हूं। यह जो रुपया हमने लिया, इसमें कोई खर्च नहीं है यह केवल लिखित का है। केवल एक्सपेंडीचर ६६१ करोड़ का खर्च है। इतना ही खर्च है।

अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अमुपूरक साहित्य में देखा होगा, हमने प्रयास किया है ५ चीजों पर खर्च करने का, जो हमने बहुत आवश्यक समझा। उसकी दो-चार बातों की चर्चा करने की चेष्टा करूंगा। हमने कृषि, सिंचाई और औद्योगिक क्षेत्र को सीधे प्राथमिकता दी ताकि समाज के कमजोर वर्गों

के जीवन स्तर को ऊंचा उठावें और उनके लिये आवश्यक जीवनोपयोगी योजनायें लागू हों। ये प्राथमिकतायें थीं। अब प्राकृतिक आपदाएं सामने आ गयीं। उसमें मूल बजट में ४५ करोड़ का प्राविधान था। यह सही है, मैं उस सरकार को भी दोष नहीं देता, उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि भूकम्प आ जायगा। लेकिन आ गया। तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। इसमें १२३ करोड़ की प्रतिबद्धता है। इसलिये ४२.७० की अन्य की व्यवस्था करके १२८ करोड़ बना। जिस समय भूकम्प आया तो यह सबसे जरूरी खर्च था। इस बात की प्रतिबद्धता प्रकट करनी थी कि उत्तरकाशी हो, टिहरी हो या और कोई जगह, इसमें पूरे प्रदेश के एक-एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मैं आभारी हूं पूरे प्रदेश का कि लोगों ने सहयोग प्रदान किया। इसमें कुछ प्राविधान कम थे, उसमें बचाना चाहते हैं। लेकिन हमने तय किया है, पहले भी श्री विशारद जी रहे हैं, कुम्भ में खर्च होता है। टेम्परेरी पुल-पुलिया बनायी जाती हैं। तो जो अस्थायी नेचर का काम होगा, उसमें गड़बड़ियां होंगी। हमने तय किया है कि पैसा ज्यादा खर्च करेंगे लेकिन परमानेंट नेचर का काम करेंगे और स्थायी परिसम्पत्तियां बनायेंगे तो आगे फिर से नहीं बनाना पड़ेगा। इस तरह से अब तक २८ करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर चुके हैं, जहां पर प्राविधान केवल ५ करोड़ का था। इस तरह से एक आवश्यक खर्च हमारे सामने आया। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की बड़ी भारी समस्या है। बिल्कुल बेरोजगार, अर्द्ध-बेरोजगगार लोग हैं, अनइकानामिक होडिंग्स वाले दो बीघा खेत में पूरा परिवार लगता है। वह कटाई बुआई के समय काम करता है, लेकिन बाकी समय क्या करे। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इसको जानते हैं। हमने तय किया है कि हमारी प्राथमिकता होगी कि ग्रामीण भाइयों के लिये रोजगार सृजित कर सकें। माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के रचियता थे। उनका वाक्य याद आता है कि आज जो कठिनाइयां हैं, दिक्कतें हैं, विषमतायें हैं, उसका सबसे बड़ा कारण गरीबी है। यह गरीबी-अमीरी की खाई है, हमने सदन में भी कहा था कि लाक्षागृह में माता कुन्ती कहती हैं पाण्डवों से कि गरीबी तो हमको बर्दास्त है, लेकिन कौरवों का वैभव हमसे नहीं देखा जाता है। तो माता कुंती के मन में ऐसा विचार आ सकता है, तो हम लोगों की बात क्या है। वर्तमान सरकार ने तय किया, सात योजनायें बनाने के लिये और उसके लिये रुपये की भी प्राविधान किया गया। दूसरे लघु और सीमान्त कृषकों के लिये ३७.१८ करोड़ रु० का प्राविधान किया है। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने गन्ने की आयी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक ग्रामीण जीवन का विकास नहीं होगा, तब तक हमारे देश और प्रदेश का विकास होना सम्भव नहीं है। मैं पिछली बार माननीय मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री जी से मिला था। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि जब तक उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे पिछड़े प्रदेशों के विकास का स्तर ऊंचा नहीं उठेगा, तब तक हिन्दुस्तान के विकास का स्तर ऊंचा नहीं उठेगा। जब तक गांव के विकास का स्तर नहीं ऊंचा उठेगा, तब तक शहर का विकास नहीं ऊंचा उठेगा। गांव की परचेजिंग पावर बढ़े उनके उत्पादन बढ़ें, उनके प्रोड्यूस का सही मूल्य उनको मिले, यह हमारी अर्थ-व्यवस्था की सोच है। गन्ने के मूल्य के पुराने भुगतान के लिये तो १४ करोड़ रु० की तत्काल व्यवस्था की गयी। इस तरह से करोड़ों रुपये हमने जो व्यय किया, जो हमारी सहकारी चीनी मिलें हैं, सहकारी चीनी संघ को ८ करोड़ रु० दिया गया और जो सहकारी चीनी मिले हैं, जो सरकार के नियंत्रण में हैं, राज्य के लघु उद्योगों को भी हमने पैसा दिया। अब यह जो हमारी कताई मिलें हैं, हम चाहते हैं कि कर्मचारियों को काम रहे और किसानों का काम भी होता रहे, सहकारिता आन्दोलन की बृद्धि हो, इसलिये उन मिलों को चलाने के लिये हमने पैसे की व्यवस्था की।

औद्योगिक विकास के लिए भी अनेक काम किये । अब उसके बाद विद्युत दरों का मामला आया । अब माननीय विशारद जी ने एक बात की तारीफ की, मैं उनको बधाई दूंगा । उन्होंने कहा कि बिजली की दर बढ़ गयी, तो नलकूपों के अनुरक्षण का खर्च भी बढ़ गया । मैं तो मा० विशारद जी का आशीर्वाद चाहता हूं, वह बुजुर्ग हैं, लेकिन उनके मुंह से अशुभ बात निकल गयी । कभी-कभी मां लड़के से नाराज हो जाती है, तो कह देती है कि तू मर ही गया होता, तो अच्छा था, लेकिन जब मर जाता है, तो रोती है । अरे आप अशुभ बात न निकालें । आप हमें उत्साहित करें । पेयजल का संकट जो हो गया पूरे प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गयी । हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी, अब हमारे सामने पहले बजट में हमने प्राविधान तो किया था, इसलिये हमने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने तय किया, ग्रामीण-नगरीय पेयजल की व्यवस्था इंडिया मार्क-२ हैण्ड पम्प की व्यवस्था की संख्या बढ़ाई गयी । सबसे बड़ी बात यह है कि कभी-कभी लोग आलोचना हमारी करते हैं कि वहां पर हम बोलते थे, लेकिन कभी-कभी हमारे पास आते हैं कि आपने ७८ में चिट्ठी लिखी थी, ९० में चिठ्ठी लिखी थीं । वह जो इंडिया मार्क-२ हैण्ड पम्पों की व्यवस्था है, इनके मेन्टीनेन्स की कोई व्यवस्था नहीं है । सरकार की प्राथमिक आवश्यकता है कि गांव में जो हैण्ड पम्प लगे हुए हैं १.६५ करोड़ उन हैण्ड पम्पों की व्यवस्था के लिये किया गया है और वह रुपया कहां ले गये, इसमें हम उसकी चर्चा कर समय नष्ट नहीं करना चाहते हैं, ब्लाक को इसका उत्तरदायी बनाया । यह नहीं सुना जायेगा कि कैसे व्यवस्था करें, लेकिन यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गांव का हैण्ड पम्प बिगड़े नहीं । इसी प्रकार से मान्यवर, स्थानीय निकायों का मामला है । हमने अवशेष वेतन दिया । लखनऊ, आगरा आदि बड़े-बड़े नगर हैं, हम आपके सामने फैक्ट्स रखना चाहते हैं ।

मान्यवर, परिवार नियोजन एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है । कभी-कभी उसमें हुए जोर-जुल्म के कारण कलंकित किया जाता है । परिवार नियोजन है, हमारी कोई पापुलेशन पालिसी होनी चाहिये । जो हमारा वार्षिक बजट है, उसके हिसाब से करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपये का खर्च है और यह केन्द्र से हमें मिलता है । वर्ष १९८९-९० में १९ करोड़ रुपये का बकाया है, वर्ष १९९१-९२ में ७८ करोड़ रुपये का बकाया है और हमारे बजट में इस कार्यक्रम के लिये ७७ करोड़ रुपये का प्राविधान है, लेकिन केन्द्र से हमें पैसा मिले या न मिले, हम इस कार्यक्रम को बन्द तो नहीं कर सकते हैं हमने इसके लिये १७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । समाज के कमजोर वर्ग का विकास हो, इसके लिये हमने प्राथमिकता तय कर दी है और छात्रावासों की व्यवस्था की प्राथमिकता दी है, जिससे उनका विकास हो । शिक्षा को रोजगार परक बनाने के लिये हमने योजनायें ली हैं । शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ा जाये । मान्यवर, एक आशंका पैदा की गयी और कहा गया कि घोषणा तो कर दी हरिजन शब्द को निकाल दिया गया है, और पर्वतीय से उत्तरांचल कर दिया गया है, इसके बारे में मैं, बताना चाहता हूं कि पर्वतीय विकास का प्रयोग अनुसूची में किया गया है और हरिजन का भी प्रयोग किया गया है । यह चीज हमारे ध्यान में थी, और जो माननीय सदस्य की चिन्ता है, उसको मैं बताना चाहता हूं कि जो ग्रान्ट जिस नाम से चली आ रही है, उसमें बीच में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, बीच में हेड नहीं बदला जा सकता है, इसलिये वह चूक नहीं है, वह एक कानूनी बंदिश थी । वह बात हमारे मन में है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मैंने यह बात कही थी कि ऐसी अनावंश्यक लोकप्रियता लेने का क्या औचित्य था, उसकी क्या आवश्यकता थी । आप जी० ओ० को वित्तीय वर्ष के साथ लागू करते, तब तो किसी कानून का उल्लंघन न होता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो प्रतिपक्ष है, उसको हम केवल अपोजीशन ही नहीं समझते हैं । हम ऐसा नहीं समझते हैं कि अपोज करने के लिये ही अपोज करेंगे आप हमें कुछ प्रपोज भी करेंगे । इन शब्दों के साथ जो मैंने संक्षेप में, विचार व्यक्त किये हैं, मेरी प्रार्थना है कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि विरोध किया जाये । आप सब लोग मिलकर इसे पारित करें ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

आपने एक हजार नलकूपों का प्राविधान किया है, आप उनको विभिन्न जनपदों में किस प्रकार से वितरित करेंगे । मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री बैठे हैं, वह बता दें ।

सिंचाई न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, सिंचन के संबंध में जो व्यवस्था है ।

श्री श्याम नारायण –

मान्यवर, मैं भी एक बात पूछ लूं, एक साथ ही माननीय मंत्री जी उत्तर दे दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, दीनदयाल सिंचाई योजना हमने घोषित किया है उसमें सिंचन क्षमता संबंधी विषमता को दूर करने का वायदा किया है और हम जानते हैं कि पूरब में ४७-४८ , मध्य में ४५, बुन्देलखण्ड में २०. पश्चिम में ८० और पहाड़ में २० प्रतिशत सिंचाई होती है । यह विषमता है इसको कम करने की दृष्टि से ही वितरण होगा, आप निश्चिंत रहें ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, प्रकार नहीं बताया गया ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें ।

श्री श्याद अली–

मान्यवर, वर्तमान सरकार जो राम, रोटी और इन्साफ के नारे पर जीतकर आई है ।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा शोर करने पर व्यवधान)

अनुदान संख्या १–आबकारी विभाग

आबकारी, परिवहन एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (श्री सत्य प्रकाश विकल)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १–आबकारी विभाग के अन्तर्गत ७१,७०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १–आबकारी विभाग के अन्तर्गत ७१,७०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २—आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास)

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान— संख्या २—आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) के अन्तर्गत ५७,७३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २-आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) के अन्तर्गत ५७,७३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३—आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास)

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या ३—आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) के अन्तर्गत ५३,९७,१७,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३—आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) के अन्तर्गत ५३,९७,१७,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४—उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मयंकर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४—उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत ३३,११,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४—उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत ३३,११,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मयंकर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत ३,३४,४६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत ३,३४,४६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

–अनुदान संख्या ६– उद्योग विभाग (हथकरघा उदयोग)

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मयंकर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत १,२७,५७,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–६ उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत १,२७,५७,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ७–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मयंकर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उदयोग) के अन्तर्गत ३६,१८,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–७ उद्योग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत ३६,१८,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ८–उदयोग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मयंकर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत १२,८९,३६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत १२,८९,३६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ९—उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मयंकर सिंह)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९—उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत ९२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९—उदयोग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत ९२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १०—ऊर्जा विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रविकान्त गर्ग)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०—ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत १,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०—ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत १,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ११—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)

कृषि मंत्री (श्री गंगा भक्त सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत २,०५,८०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत २,०५,८०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १२—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

कृषि मंत्री (श्री गंगा भक्त सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत १६,९४,२८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ।

अनुपूरक विधानसभा

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत १६,९४,२८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १३–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

ग्राम्य विकास, राज्य मंत्री (श्री हरवंश कपूर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत २६,७९,१३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत २६,७९,१३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष ,९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १४–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

पंचायतीराज, राज्य मंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत ३,१४,२२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत ३,१४,२२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १५–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

पशुधन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य, राज्यमंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत ८,७३,८०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत ८,७३,८०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १६–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध शाला विकास)

पशुधन दुग्ध विकास तथा मत्स्य, राज्यमंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत २,४८,२७,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत २,४८,२७,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १७—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत ७७,४४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—१७- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत ७७,४४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री सूरज सिंह शाक्य)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत १,२५,९५,८४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत १,२५,९५,८४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)

पंचायती राज राज्य मंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत १०,५०,९८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत १०,५०,९८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०—कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

सेंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय) के अन्तर्गत ८,७५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय) के अन्तर्गत ८,७५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २२–खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य एवं रसद, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री एजाज रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत ३,१६,२७,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत ३,१६,२७,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २३–खेल विभाग

पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य, युवा कल्याण एवं खेलकूद मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–२३ खेल विभाग के अन्तर्गत ३०,०२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३–खेल विभाग के अन्तर्गत ३०,०२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४–गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

गन्ना विकास मंत्री (श्री हनुमन्त सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत ९,५६,७४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत ९,५६,७४,०००रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

गन्ना विकास मंत्री (श्री हनुमन्त सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत २३,६७,६३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) अन्तर्गत २३,६७,६३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २६–गृह विभाग (कारागार)

कारागार एवं राजनैतिक पेंशन राज्य मंत्री (श्री उमानाथ सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत ५,९४,४३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत ५,९४,४३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २७–गृह विभाग (पुलिस)

गृह, राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत ६३,११,१९,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत ६३,११,१९,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २८–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

गृह, राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन एवं अन्य व्यय) के अन्तर्गत १,१४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन एवं अन्य व्यय) के अन्तर्गत १,१४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २९–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

कारागार एवं राजनैतिक पेंशन राज्य मंत्री (श्री उमानाथ सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अनतर्गत ७,६७,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत ७,६७,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३०–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

गृह, राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत १५,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०–गोपन विभाग (राजसव विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत १५,००,०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३२–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

गृह, राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–३२ चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत ३९,४८,४१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–३२ चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत ३९,४८,४१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३३—चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

गृह, राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३—चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत ४,५२,३१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३—चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत ४,५२,३१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३४—चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

गृह, राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४—चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत ६७,५३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४—चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत ६७,५३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३५—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

गृह, राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत ३,६९,३६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत ३,६९,३६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३६—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

गृह, राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत ८२,४०,३१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत ८२,४०,३१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३७–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

गृह, राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत ८,७३,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत ८,७३,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३८–नागरिक उड्डयन विभाग

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत ९१,०१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत ९१,०१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३९–नियुक्ति विभाग

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९–नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत १,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९–नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत १,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४०—नियोजन विभाग

नियोजन, राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या ४०—नियोजन विभाग के अन्तर्गत २०,२१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०—नियोजन विभाग के अन्तर्गत २०,२१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१—निर्वाचन विभाग

गृह, राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१—निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत ९,२५,०३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१—निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत ९,२५,०३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४२—न्याय विभाग

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२—न्याय विभाग के अन्तर्गत ५,५३,४३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२—न्याय विभाग के अन्तर्गत ५,५३,४३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४३—परिवहन विभाग

आबकारी, परिवहन एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (श्री सत्य प्रकाश विकल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३—परिवहन विभाग के अन्तर्गत ११,०१,७६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३–परिवहन विभाग के अन्तर्गत ११,०१,७६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४४–पर्यटन विभाग

पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य, युवा कल्याण एवं खेलकूद मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत २,०६,१२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत २,०६,१२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४५–प्रशासनिक सुधार विभाग

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत ४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत ४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४६–प्राविधिक शिक्षा विभाग

माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योग मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६–प्राविधिक शिक्षा विभागं के अन्तर्गत २,५९,७४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–४६ प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत २,५९,७४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४७—पर्वतीय विकास विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री पूरन चन्द्र शर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत ३१,७०,९०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत ३१,७०,९०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४८—मुस्लिम वक्फ विभाग

खाद्य एवं रसद तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री एजाज रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८—मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत ७,४१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८—मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत ७,४१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४९—महिला एवं बाल कल्याण विभाग

समाज कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९—महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत ५२,३१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९—महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत ५२,३१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५०—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत ३,०५,८६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत ३,०५,८६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५१–राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत)

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१–राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत) के अन्तर्गत ८२,७०,७०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१–राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत) के अन्तर्गत ८२,७०,७०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५२–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५२–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत १०,३६,२६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत १०,३६,२६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५३–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

आबकारी, परिवहन एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (श्री सत्य प्रकाश विकल)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५३–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत १,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५३–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत १,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५४—वन विभाग

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५४—वन विभाग के अन्तर्गत २,७३,७१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४—वन विभाग के अन्तर्गत २,७३,७१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५७—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या ५७—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत १,५६,७४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५७—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत १,५६,७४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५८—वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या ५८—वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत २,१६,७१,८८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५८—वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत २,१६,७१,८८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५९—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या ५९—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्पबचत आदि) के अन्तर्गत ८१,५५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५९–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्पबचत आदि) के अन्तर्गत ८१,५५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ६०–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या ६०–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत १,७०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६०–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत १,७०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ६१–विधान परिषद् सचिवालय

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या ६१–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत ५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६१–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत ५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ६३–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या ६३–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत ४०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६३–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत ४०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ६४—विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६४—विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत १,२४,९४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६४—विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत १,२४,९४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ६५—शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

बेसिक एवं प्रौढ़ शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६५—शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत ९६,७६,८२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६५—शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत ९६,७६,८२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ?)

अनुदान संख्या ६६—शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योग मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६६—शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत ६१,२५,६०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६६—शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत ६१,२५,६०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ६७—शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

उच्च शिक्षा, श्रम तथा सेवायोजन मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६७—शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत १०,६५,०८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६७–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत १०,६५,०८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ६८–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)

बेसिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६८–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत ८९,८५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६८–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत ८९,८५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ६९–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योग मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हू कि अनुदान संख्या ६९–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत ३,३१,३०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६९–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत ३,३१,३०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ७०–श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

उच्च शिक्षा, श्रम तथा सेवायोजन मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मै आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७०–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत २,८५,७४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७०–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत २,८५,७४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ७१—श्रम विभाग (सेवायोजन)

उच्च शिक्षा, श्रम तथा सेवायोजन मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७१—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत ३,८१,८०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७१—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत ३,८१,८०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ७२—लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

लोक निर्माण मंत्री (डा० सरजीत सिंह डंग)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७२—लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत २७,१५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७२—लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत २७,१५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ७३—लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

लोक निर्माण मंत्री (डा० सरजीत सिंह डंग)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७३—लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत ५,६८,७०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७३—लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत ५,६८,७०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ७४—लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)

लोक निर्माण मंत्री (डा० सरजीत सिंह डंग)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७४—लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत ३,११,२८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७४–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत ३,११,२८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ७५–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

लोक निर्माण मंत्री (डा० सरजीत सिंह डंग)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७५–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत ६,१५,९१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७५–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत ६,१५,९१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ७६–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)

लोक निर्माण मंत्री (डा० सरजीत सिंह डंग)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७६–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत ५,७२,३६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७६–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत ५,७२,३६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ७७–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७७–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत १,७२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७७–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत १,७२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ७९–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७९–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत ३८,३८,७८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७९–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत ३८,३८,७८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ८१—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या ८१—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत १,६६,४८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८१—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत १,६६,४८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ८२—संस्थागत वित्त विभाग (मानोरंजन तथा बाजीकर)

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या ८२—संस्थागत वित्त विभाग (मानोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत २४,२१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८२—संस्थागत वित्त विभाग (मानोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत २४,२१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ८३—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या ८३—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत १,९४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८३—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत १,९४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ८४—सचिवालय प्रशासन विभाग

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८४—सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत ५,१२,०८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८४—सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत ५,१२,०८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ८५—सतर्कता विभाग

गृह राज्य मंत्री—(श्री सूर्य प्रताप शाही)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८५—सतर्कता विभाग के अन्तर्गत ३,०३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८५—सतर्कता विभाग के अन्तर्गत ३,०३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ८६—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हैं कि अनुदान संख्या ८६—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत ७,४२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८६—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत ७,४२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ८७—सांस्कृतिक कार्य विभाग

पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य,युवा कल्याण एवं खेलकूद मंत्री—(श्री केदार सिंह फोनिया)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश हे यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८७—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत १,१३,३१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८७—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत १,१३,३१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ८८—सामान्य प्रशासन विभाग

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री—(श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८८—सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत ६९,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८८—सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत ६९,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संकया ९०—सूचना विभाग

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री–(श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९०–सूचना विभाग के अनतर्गत १,९८,९४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९०–सूचना विभाग के अन्तर्गत १,९८,९४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृति हुआ ।)–

अनुदान संख्या ९१—सैनिक कल्याण विभाग

ग्रह राज्य मंत्री–(श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९१–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत १,११,६७,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९१–सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत १,११,६७,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या ९२—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण)

नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री–(श्री मस्तराम)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९२–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण) के अन्तर्गत १५,५७,२१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९२–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण) के अन्तर्गत १५,५७,२१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ९३—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)

नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री—(श्री मस्तराम)—

मानयवर, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९३—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)के अन्तर्गत ३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९३—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अनतर्गत ३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ९४—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जन जाति कल्याण)

नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री मस्तराम)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९४—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जन जाति कल्याण) के अन्तर्गत १,५०,००० रुपये की अनूपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९४—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जन जाति कल्याण) के अन्तर्गत १,५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९९१-९२ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९९२

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९९१-९२ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९९२ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९९१-९२ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९९२ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रतियां वितरित कर दी जायं।

(प्रतियां वितरित की गयीं।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९९१-९२ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९९२ को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९९१-९२ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९९२ पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९९१-९२ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९९२ पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड-२, खण्ड-३, अनुसूची, खण्ड-१, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९९१-९२ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९९२

३१ मार्च, १९९२ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये–

विधेयक

भारत गणराज्य के तैतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

१–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९९१-९२ का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, १९९२ कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष १९९१-९२ के लिये ३२,४७,६५,०८,००० रुपये का दिया जाना

२–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९९२ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-२ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग ३२,४७,६५,०८,००० रुपये (केवल बत्तीस अरब सैंतालिस करोड़ पैंसठ लाख आठ हजार रुपये) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

३–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९९२ को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची मे दिये हुये हैं ।

अनुसूची

(धारायें २ और ३ देखें)

१	२		३		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपये में)		
अनुदान/ क्रम सं०	सेवायें और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
१	आबकारी विभाग	राजस्व	७१,७०	..	७१,७०
		पूंजी	..	..	..
२	आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास)	राजस्व	१७,७३	१,३१,३५	१,४९,०८
		पूंजी	४०,००	११,९३	५१,९३
३	आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास)	राजस्व	४७,९२,१७	..	४७,९२,१७
		पूंजी	६,०५,००	..	६,०५,००
४	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	३३,११	..	३३,११
		पूंजी	..	..	..
५	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	३,३४,४३	.	३,३४,४३
		पूंजी	..	..	..
६	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	१,१०,१२	..	१,१०,१२
		पूंजी	१७,४५	..	१७,४५
७	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	..	१,४९	१,४९
		पूंजी	३६,१८,००	६२,३८	३६,८०,३८
८	उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	१२,८९,३६	..	१२,८९,३६
		पूंजी	..	..	..
९	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	९२	..	९२
		पूंजी	..	..	..
१०	ऊर्जा विभाग	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	१	..	१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२			३	
११	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	१,४९,८०	८६	१,५०,६६
	(औद्यानिक विकास)	पूंजी	५६,००	..	५६,००
१२	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	७,०६,१५	..	७,०६,१५
	विभाग (कृषि)	पूंजी	९,८८,१३	..	९,८८,१३
१३	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	२६,७४,१३	२,५५	२६,७६,६८
	विभाग (ग्राम्य विकास)	पूंजी	५,००	..	५,००
१४	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	३,१४,२२	६६	३,१४,८८
	विभाग (पंचायती राज)	पूंजी	..	..	..
१५	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	८,६०,८०	९२	८,६१,७२
	विभाग (पशुधन)	पूंजी	१३,००	..	१३,००
१६	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	४४,६०	..	४४,६०
	विभाग (दुग्धशाला विकास)	पूंजी	२,०३,६७	..	२,०३,६७
१७	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	७७.४४	३१	७७,७५
	विभाग (मत्स्य)	पूंजी	..	..	..
१८	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	१,१४,९१,६३	१५,५९	१,१५,०७,२२
	विभाग (सहकारिता)	पूंजी	११,०४,२१	३९,४७	११,४३,६८
१९	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	१०,५०,९८	..	१०,५०,९८
	विभाग (क्षेत्रीय विकास)	पूंजी	..	..	..
२०	कार्मिक विभाग	राजस्व	८,७५	..	८,७५
	(प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	पूंजी	..	..	..
२१	कार्मिक विभाग	राजस्व	..	५१,१०	५१,१०
	(लोक सेवा आयोग)	पूंजी	..	..	..
२२	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	३,१६,२७	६४	३,१६,९१
		पूंजी	..	..	..
२३	खेल विभाग	राजस्व	२४,७७	..	२४,७७
		पूंजी	५,२५	..	५,२५
२४	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	९,५६,७४	१,२९	९,५८,०३
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश संसदीय सचिवालय

१	२			३	
२५	गन्ना विकास विभाग	राजस्व	..	..	..
	(चीनी उद्योग)	पूंजी	२३,६७,६३	..	२३,६७,६३
२६	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	५,९४,४३	..	५,९४,४३
		पूंजी	..	..	..
२७	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	६३,११,१९	२,५४	६३,१३,७३
		पूंजी	..	..	..
२८	गृह विभाग (राजनैतिक	राजस्व	१,१४	..	१,१४
	पेंशन तथा अन्य व्यय)	पूंजी	..	..	..
२९	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	७,६७	..	७,६७
		पूंजी	..	..	..
३०	गोपन विभाग (राजस्व	राजस्व	१५,००	..	१५,००
	विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय	पूंजी	..	..	..
	तथा अन्य व्यय)				
३१	चिकित्सा विभाग	राजस्व	३८,८८,४०	..	३८,८८,४०
	(एलोपैथी चिकित्सा)	पूंजी	६०,०१	..	६०,०१
३२	चिकित्सा विभाग(आयुर्वेदिक	राजस्व	४,५२,३१	..	४,५२,३१
	एवं यूनानी चिकित्सा)	पूंजी	..	..	..
३३	चिकित्सा विभाग	राजस्व	६७,५३	..	६७,५३
	(होम्योपैथी चिकित्सा)	पूंजी	..	..	..
३४	चिकित्सा विभाग	राजस्व	३,६९,३६	४,५५	३,७३,९१
	(चिकिसा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	पूंजी	..	..	..
३५	चिकित्सा विभाग	राजस्व	६५,२६,७३	..	६५,२६,७३
	(परिवार कल्याण)	पूंजी	१७,१३,५८	..	१७,१३,५८
३६	चिकित्सा विभाग	राजस्व	८,७३,००	..	८,७३,००
	(सार्वजनिक स्वास्थ्य)	पूंजी		..	..
३७	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	९१,०१	..	९१,०१
		पूंजी	..	..	..
३८	नियुक्ति विभाग	राजस्व	१	..	१
		पूंजी	..	..	.

विधान सभा उत्तर प्रदेश

१	२			३	
३९	नियोजन विभाग	राजस्व	२०,२१	..	२०,२१
		पूंजी	..	..	..
४०	निर्वाचन विभाग	राजस्व	९,२५,०३		९,२५,०३
		पूंजी	..	..	..
४१	न्याय विभाग	राजस्व	५,४८,६७	१,६४,९२	७,१३,५९
		पूंजी	४,७६	..	४,७६
४२	परिवहन विभाग	राजस्व	७१,७६	..	७१,७६
		पूंजी	१०,३०,००	..	१०,३०,००
४३	पर्यटन विभाग	राजस्व	२८,९९	..	२८,९९
		पूंजी	१,७७,१३	..	१,७७,१३
४४	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	४	..	४
		पूंजी	..	..	..
४५	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	६,९४	..	६,९४
		पूंजी	२,५२,८०	..	२,५२,८०
४६	पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व	२०,४०,५१	..	२०,४०,५१
		पूंजी	११,३०,३९	..	११,३०,३९
४७	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	७,४१	..	७,४१
		पूंजी	..	..	..
४८	महिला एवं बाल	राजस्व	१२,३१	४०	१२,७१
	कल्याण विभाग	पूंजी	४०,००	..	४०,००
४९	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	२,७०,४९	१५	२,७०,६४
		पूंजी	३५,३७	..	३५,३७
५०	राजस्व विभाग (दैवी	राजस्व	८२,७०,७०	..	८२,७०,७०
	विपत्तियों के संबंध में राहत)	पूजी	..	..	..
५१	राजस्व विभाग (राजस्व	राजस्व	१०,३६,२६	२५	१०,३६,५१
	परिषद् तथा अन्य व्यय)	पूंजी	..	..	..
५२	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	१	..	१
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२		३		
५३	वन विभाग	राजस्व	२,७३,७१	१०	२,७३,८१
		पूंजी	..	..	..
५४	वित्त विभाग (ऋण सेवा	राजस्व	..	४,५१,४५	४,५१,४५
	तथा अन्य व्यय)	पूंजी	..	२०,००,००,००	२०,००,००,००
५५	वित्त विभाग (कोषागार	राजस्व	१,५६,७४	..	१,५६,७४
	तथा लेखा प्रशासन)	पूंजी	..	..	..
५६	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	२,१६,७१,८८	..	२,१६,७१,८८
		पूंजी	..	..	..
५७	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा,	राजस्व	८१,५५	..	८१,५५
	अल्प बचत आदि)	पूंजी	..	..	..
५८	वित्त विभाग	राजस्व	१,७०	..	१,७०
	(सामूहिक बीमा)	पूंजी	..	..	..
५९	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	५०	..	५०
		पूंजी	..	..	..
६०	विधायी एवं संसदीय कार्य	राजस्व	..	..	..
	विभाग (विधान मण्डल)	पूंजी	४०,००	..	४०,००
६१	विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग	राजस्व	१,२४,९४	..	१,२४,९४
		पूंजी	..	..	..
६२	शिक्षा विभाग	राजस्व	९६,७६,८२	३६,२७,५४	१,३३,०४,३६
	(प्राथमिक शिक्षा)	पूंजी	..	..	..
६३	शिक्षा विभाग	राजस्व	६१,२५,६०	..	६१,२५,६०
	(माध्यमिक शिक्षा)	पूंजी	..	..	..
६४	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	९,९५,०८	..	९,९५,०८
		पूंजी	७०,००	..	७०,००
६५	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	राजस्व	८९,८५	..	८९,८५
		पूंजी	..	..	..
६६	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक	राजस्व	३,३१,३०	..	३,३१,३०
	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	पूंजी	..	..	..
	परिषद्)				

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२			३	
६७	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	२,७४,०७	..	२,७४,०७
		पूंजी	११,६७	..	११,६७
६८	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	३,३२,२२	..	३,३२,२२
		पूंजी	४९,५८	..	४९,५८
६९	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	२७,१५	..	२७,१५
	(अधिष्ठान)	पूंजी	..	..	..
७०	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	८,६८	..	८,६८
	(अनावासिक भवन)	पूंजी	५,६०,०२	..	५,६०,०२
७१	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	३,९९	१,५८	५,५७
	(आवास भवन)	पूंजी	३,०७,२९	..	३,०७,२९
७२	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	..	..	..
	(कार्यात्मक भवन)	पूंजी	६,१५,९१	..	६,१५,९१
७३	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	५,४०,९९	..	५,४०,९९
	(संचार साधन)	पूंजी	३१,३७	..	३१,३७
७४	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	१,७२	..	१,७२
	(राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	पूंजी	..	..	..
७५	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	३७,३६,८४	..	३७,३६,८४
		पूंजी	१,०१,९४	१९,१२	१,२१,०६
७६	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	१,०५,७३	..	१,०५,७३
	(बिक्री-कर)	पूंजी	६०,७५	..	६०,७५
७७	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	२४,२१	..	२४,२१
	(मनोरंजन तथा बाजीकर)	पूंजी	..	..	..
७८	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	१,९४	..	१,९४
	(स्टाम्प तथा पंजीकरण)	पूंजी	..	..	..
७९	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	५,१२,०८	..	५,१२,०८
		पूंजी	..	..	..
८०	सतर्कता विभाग	राजस्व	३,०३	..	३,०३
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश सभा

१	२			३	
८१	सहायता एवं पुनर्वासन	राजस्व	७,४२	..	७,४२
	विभाग	पूंजी	..	..	..
८२	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	१,१३,३१	..	१,१३,३१
		पूंजी	..	..	..
८३	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	६९	..	६९
		पूंजी	..	..	..
८४	सूचना विभाग	राजस्व	१,९८,९४	..	१,९८,९४
		पूंजी	..	..	..
८५	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	१,११,६६	..	१,११,६६
		पूंजी	१	..	१
८६	हरिजन एवं समाज कल्याण	राजस्व	९,६७,३०	..	९,६७,३०
	विभाग (हरिजन कल्याण)	पूंजी	५,८९,९१	..	५,८९,९१
८७	हरिजन एवं समाज कल्याण	राजस्व	३	..	३
	विभाग (समाज कल्याण)	पूंजी	..	..	..
८८	हरिजन एवं समाज कल्याण	राजस्व	१,५०	..	१,५०
	विभाग (जनजाति कल्याण)	पूंजी	..	..	..
		राजस्व	१०,४२,६६,१०	४४,६०,२४	१०,८७,२६,३४
	योग	..			
		पूंजी	१,५९,०५,८४	२०,०१,३२,९०	२१,६०,३८,७४
	कुल योग	..	१२,०१,७१,९४	२०,४५,९३,१४	३२,४७,६५,०८

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड-२, खण्ड-३, अनुसूची, खण्ड-१ प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९९१-९२ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९९२ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९९१-९२ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९९२ पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नियम–५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम ५१ के अन्तर्गत आज १३ सूचनायें प्राप्त हुई हैं । इनमें पहली श्री हरिवंश सहाय की राजकीय अस्पतालों के मेडिकल लैब केमिस्ट संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा अनिश्चित कालीन हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के विषय में हैं, इस पर मैं शासन से वक्तव्य देने के लिये कह रहा हूं । दूसरी सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित की है, जो जनपद उन्नाव में विकास विभाग के शिथिल और दोष सिद्ध अधिकारियों के कार्यरत रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है । शेष सभी सूचनायें अस्वीकार की गयीं हैं ।

प्रदेश के विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी नाथ यादव द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा राज्य मंत्री का वक्तव्य

ऊर्जा राज्य मंत्री–(श्री रविकान्त गर्ग)–

मान्यवर, राज्य विद्युत परिषद् के कर्मचारियों के एक वर्ग.....

एक सदस्य–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री रविकान्त गर्ग–

[राज्य विद्युत परिषद् के कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा की गई हड़ताल से विद्युत आपूर्ति/व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । किसानों, नलकूपों, उद्योगों सहित सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति पूर्व व्यवस्था के अनुरूप सुचारु रुप से की जा रही है । हड़ताल के कारण गांव अथवा शहर में कोई अंधकार अथवा कोई विशेष व्यवधान नहीं हैं ।

पिछले लगभग दो माह से आयातित विद्युत सम्मिलित करते हुए कुल प्रतिदिन विद्युत उपलब्धता/आपूर्ति लगभग ३४०० से ३६०० मेगावाट (औसतन) रही है । उत्पादन आपूर्ति का यह स्तर वर्तमान में भी चल रहा है और हड़ताल के समय (६ फरवरी से २५ फरवरी ९२ का मध्य) भी औसतन ३५६५ मेगावाट विद्पुत प्रतिदिन की आपूर्ति की गयी है । विद्युत् परिषद् द्वारा राज्य के नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति का विवरण निम्नवत् है :–

१–	ग्रामीण क्षेत्र	...	११-१२ घण्टे
२–	प्रथम श्रेणी नगर	... लगभग	१८ घण्टे
३–	जिला मुख्यालय	... लगभग	२१ घण्टे
४–	विशेष श्रेणी नगर	... लगभग	२२ घण्टे
५–	महानगर	... लगभग	२३ घण्टे
६–	पर्वतीय एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र	... लगभग	२२ घण्टे

यह संभव है कि स्थान विशेष पर स्थानीय विद्युत दोषों के कारण विद्युत आपूर्ति कुछ समय के लिये प्रभावित रही हों । विद्युत परिषद् द्वारा कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के फलस्वरूप उपभोक्ताओं की विद्युत समस्या को निपटाने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और सभी निष्ठावान कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सहयोग से उपभोक्ताओं की विद्युत सम्बन्धी समस्याओं का शीघ्रातिशीघ्र निराकरण करने में विद्युत परिषद् प्रयासरत है ।]

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री स्वामी नाथ यादव उपस्थित नहीं हैं ।

अब हम उठते हैं कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ८ बजकर ३५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
२६ फरवरी, १९९२

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सदस्य पुस्तिका

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं० १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर)

नलकूप खण्ड प्रथम, इलाहाबाद

चायल विधान सभा क्षेत्र (सु० क्षे०) के अन्तर्गत अब तक लगाये गये नलकूपों का विवरण, ब्लाकवार एवं ग्रामवार निम्नवत् है :–

क्र०सं०	कूप सं०	ब्लाक	ग्राम	क्र०स०	कूप सं०	ब्लाक	ग्राम
१	२	३	४	१	२	३	४
१	१ सी	चायल	चायल	३४	९२ सी	,,	कठरा
२	२ सी	,,	भीखमपुर मेड०	३५	९६ सी	,,	रोनहा बजहा
३	३ सी	,,	अकबरपुर	३६	१४१ सी	,,	चकबादशाह II
४	४ सी	,,	मरदानपुर	३७	१४५ सी	,,	दलियानपुर
५	९ सी	,,	बलीपुर टाटा	३८	१६२ सी	,,	कुसवा
६	११ सी	,,	चखा I	३९	१६६ सी	,,	चलौली
७.	१६ सी	,,	चखा II	४०	१६८ सी	,,	फतेशाहपुर
८	२५ सी	,,	घमसेड़ा	४१	१७१ सी	,,	मुहम्मदपुर
९	२६ सी	,,	बलीपुर टाटा II	४२	१७२ सी	,,	चलौली II
१०	२७ सी	,,	चकबादशाहपुर	४३	१७४ सी	,,	निजामपुर पुरैनी
११	२८ सी	,,	नीतीशामा	४४	१७६ सी	,,	सिलना भीटी
१२	३० सी	,,	सिंहपुर	४५	१७७ सी	,,	चिल्ला
१३	३१ सी	,,	पहाड़पुर सुधवर	४६	१८० सी	,,	भरेया
१४	३२ सी	,,	चरईडीह	४७	१८१ सी	,,	फरीदपुर
१५	३३ सी	,,	गिरिया खालसा	४८	१८२ सी	,,	कमालपुर
१६	३६ सी	,,	चायल II	४९	१८४ सी	,,	चौराडीह
१७	३९ सी	,,	पुरे शिव गुलाम	५०	१८६ सी	,,	कोइलहा
१८	४० सी	,,	पहाड़पुर	५१	१८७ सी	,,	चरवा
१९	४२ सी	,,	मोहम्मदपुर	५२	१९० सी	,,	अकबरपुर
२०	४३ सी	,,	हाफिजपुर	५३	६ सी	मूरतगंज	सैता
२१	४८ सी	,,	पिपरी	५४	७ सी	,,	काजू
२२	५१ सी	,,	मादपुर	५५	८ सी	,,	विरौली
२३	५२ सी	,,	जलालपुरसाना	५६	१० सी	,,	पट्टीपरवेजाबाद
२४	५७ सी	,,	बेगमपुर	५७	१२ सी	,,	समसपुर I
२५	५८ सी	,,	मणिमपुर मड़ेवारा	५८	१३ सी	,,	बेरुआ I
२६	६२ सी	,,	रतगहा	५९	१४ सी	,,	बेरुआ II
२७	६३ सी	,,	शेखपुर रसूलपुर	६०	१५ सी	,,	गौहानी
२८	६४ सी	,,	चौराडीह	६१	१७ सी	,,	समसपुर II
२९	६६ सी	,,	रायभानपुर	६२	१८ सी	,,	कसिया
३०	६७ सी	,,	सिंहपुर II	६३	१९ सी	,,	मकदूमपुर
३१	६८ सी	,,	कसेन्दा	६४	२० सी	,,	बुचई
३२	८४ सी	,,	निजामपुर	६५	२३ सी	,,	पन्सौर I
३३	८६ सी	,,	हरिरामपुर	६६	२४ सी	,,	काजू II
				६७	२९ सी	,,	उदायू
				६८	३४ सी	,,	यूसुफपुर

१	२	३	४
६९	३५ सी	मुरतगंज	पन्सौर II
७०	३७ सी	,,	भीटी महगांव
७१	४१ सी	,,	परसरा I
७२	४४ सी	,,	सैयद सरावा I
७३	४५ सी	,,	रसूलपुर बदले
७४	४६ सी	,,	काजू III
७५	४९ सी	,,	परसरा II
७६	५० सी	,,	पलहना
७७	५३ सी	,,	पकसराई
७८	५६ सी	,,	वलिहावा
७९	६० सी	,,	काजीपुर
८०	७० सी	,,	मलाक भारत
८१	७३ सी	,,	रोही
८२	७४ सी	,,	अरई सुमेरपुर
८३	७५ सी	,,	सैयद सरावा
८४	७७ सी	,,	लाकपुर
८५	८० सी	,,	जगदीशपुर
८६	८१ सी	,,	आलम चन्द
८७	८५ सी	,,	असवां I
८८	८७ सी	,,	असवां II
८९	८९ सी	,,	पन्नोई
९०	९३ सी	,,	पाण्डेय मऊ
९१	९४ सी	,,	टीका का पुरा
९२	१००सी	,,	उज्जैनी गोदाम
९३	१४२ सी	,,	मलाल मोइद्दीनपुर
९४	१४३ सी	,,	गारुसपुर
९५	१४४ सी	,,	काजू II
९६	१४७ सी	,,	भाठीनपुर
९७	१४८ सी	,,	पट्टीपखेजाबाद
९८	१५७ सी	,,	भाखनपुर II
९९	२०५ सी	,,	परसरा
१००	५९ सी	,,	बजहा
१०१	९९ सी	,,	आदमपुर
१०२	३८ सी	,,	अमिनी लौकीपुर
१०३	७१ सी	,,	मोहनापुर
१०४	९८ सी	,,	मालाका
१०५	१२२ सी	,,	मौलीखुर्द I
१०६	१२३ सी	,,	मौली खुर्द II
१०७	१२४ सी	,,	चपता
१०८	१२५ सी	,,	सिरिचखा क० 5
१०९	१२६ सी	मुरतगंज	सिरिचखा क० II
११०	१२७ सी	,,	रसूलपुर बदले I
१११	१२८ सी	,,	रसूलपुर बदले II
११२	१२९ सी	,,	रसूलपुर बदले III
११३	१३० सी	,,	असरफपुर
११४	१३१ सी	,,	जलालपुर बोरिया
११५	१३२ सी	,,	जलालपुर ड्डोरिया II
११६	१३३ सी		मूरतगंज दरवेशपुर I
११७	१३४ सी	,,	दरवेशपुर II
११८	२१ सी	,,	नवादा धूरी
११९	२२सी	,,	आइमापुर
१२०	४७ सी	,,	मखऊपुर
१२१	५४ सी	,,	बरियावा
१२२	६५ सी	,,	दरियापुर
१२३	७६ सी	,,	जवई
१२४	८२ सी	,,	खबरा
१२५	८८ सी	,,	रामपुर
१२६	१५२ सी	,,	पन्सौर बटलहा
१२७	१५३ सी	,,	अकबराबादगुहौली
१२८	१५४ सी	,,	पुरखास
१२९	१५५ सी	,,	हरदामऊ
१३०	७९ सी	,,	वसुहार
१३१	१११ सी	,,	कोरिया
१३२	११३ सी	,,	अखवा
१३३	११४ सी	,,	तिलगोड़ी I
१३४	११५ सी	,,	तिलगोड़ी II
१३५	११८ सी	,,	कोटिया का पूरा
१३६	१९२ सी	,,	डहिया
१३७	१२० सी	,,	बून्दा
१३८	१२१ सी	,,	बलेहपुर
१३९	१३५ सी	,,	अहलादपुर
१४०	१३६ सी	,,	वसुहार I
१४१	१३७ सी	,,	वसुहार II
१४२	१९३ सी	,,	खिजिरपुर I
१४३	१९४ सी	,,	खिजिरपुर II
१४४	१९७ सी	,,	भगवान पुर बहुगरा
१४५	१९८ सी	,,	तरना-तरनी
१४६	१९९ सी	,,	मोहीद्दीनपुर
१४७	२०१ सी	,,	बसुहार I
१४८	२०२ सी	,,	बसुहार II
१४९	२०३ सी	,,	बसुहार III
१५०	२०४ सी	,,	इछना

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० १० का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर)

संलग्नक

क्र० सं०	ब्लाक	कुल नलकूपों की संख्या	चलित नलकूपों की संख्या
१	बड़ोखर	५०	४९
२	महुआ	१५	१५
३	नरेनी	१	१
४	तिन्दवारी	१३९	१३५
५	जसपुरा	१०५	८३
६	बबेरू	६१	५२
७	कमासिन	५१	४७
८	विसन्डा	६	६
९	पहाड़ी	१	१
	योग ..	४२९	३८९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची 'ब'

(देखिये अता० प्र० सं० ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५ पर)

मै० ई० सी० सी०/एस० एण्ड टी० को हस्तान्तरित स्टील का विवरण

("ब" ताप विद्युत गृह अनपरा)

फर्म का नाम	स्टील का विवरण	मात्रा मी० टन में	स्टील देने के समय जे० पी० सी० दर	स्टील का मूल्य	बिक्रीकर +४%+ २५ % अधिभार	ढुलाई आदि	वसूल की गयी कुल कीमत	चेक/बैंक ड्राफ्ट सं० एवं तिथि	अन्य विवरण
मै० एल० एण्ड टी० इ० सी० सी०	एम० एस० रेल ५२ किग्रा०	२०.२९४९	९,६६५.००	१,९६,१५०.२०	९,८०७.५१	१८,४३८.२९	२,२४,३९६.००	८९५००८ दिनांक २२-१-९१ रु० १७६९०८ और ८९५५१९ दिनांक ४-२-९१	
तदैव	एम० एस० रेल ९० पौण्ड	५०,०००८	९,६६५.००	४,०३,२५०.००	२४,१६२.५०	४५,४२५.५०	५,५२,८३८.००	रु० ४७,४८८ ८९५६५० दि० ९-२-९१	यह स्टील अनपरा "ब" ताप विद्युत गृह के लिये ही आहरित किया गया था।
—तदैव	आई० एस० एम० ए० ८०×८०×६ मि०मी०	११.००	८,०७०.००	८८,७७०.००	४,४३८.५०	८,३४४.३८	१,०१,५५२.८८	रु० ५५२८३८ रु० ८९६५३० दि० १३-३-९१	
तदैव	टिस्कान बार २० से ४० मि०मि०	१३५.००	८,२६५.००	११,१५,७७५.००	५५,७८८.७५	१०४८८२.८५	१२,७६,४४६.६०	रु०१०१५५२.८ ८९६५३७ दि० १५-३-९१ रु० १२७६४४६.६०	
तदैव	टिस्कान बार १२ मि०मि०	७०.००	८,७९५.००	६,१५,६५०.००	३०,७८२.५०	६१,५६५.००	७,०७,९९७.५०	८९९८१३ दि० १५-५-९१ रु० ७०७९९७.५०	
तदैव	रेल ५२ कि०ग्रा०	११३.००	१०,८१५.००	१२,७६,१७०.००	६३,८०८.५०	१,२७,६१७.००	१७,१६,२४८.५०	बकाये का समायोजन रु० १५३५९०८.३९ चेक सं० १९४९१२ दि० २७-९-९१	
	रेल ९० पौण्ड	१९.००	११,३८०.००	२,१६,२२०.००	१०,८११.००	२१,६२२.००			
			कोष ..	३९,९१,९८५.२०	१,९९,५९९.२६	३८७८९५.०२	४५,७९,४७९.४८		

अनेर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५–४६ पर)

दशम् विधान सभा के प्रथम सत्र १९९१ के दूसरे बुधवार हेतु निर्धारित श्री बसन्त लाल गुप्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–१५४ के उत्तर में संदर्भित श्री नन्द लाल जायसवाल, प्रान्तीय मंत्री, भारतीय मजदूर संघ के पत्र संख्या-५५१/शिविर दिनांक ३-७-१९९० में उठाये गये बिन्दु एवं उनकी बिन्दुवार स्थिति

बिन्दु	स्थिति
१–यह कि डा० (श्रीमती) नलिनी टण्डन को परिषदीय पत्र संख्या–१३४३–जी० ई० दिनांक १२-४-७८ के अनुपालन में दिनांक १५-५-७८ को चिकित्साधिकारी पद पर हरदुआगंज तापीय परियोजना, कासिमपुर में कार्यभार ग्रहण तदर्थ नियुक्ति के रूप में की गई।	१–जी हां।
२–यह कि परिषदीय पत्र सं०–१३५१ जी० ई०–११ दिनांक ३-३-७९ द्वारा डा० (श्रीमती) टण्डन को नियमित रूप से महिला चिकित्सा अधिकारी बना दिया गया तथा परिषदीय पत्र संख्या-८४९-के-३, दिनांक ३०-३-८१ से पद भार ग्रहण की तिथि १५-५-७८ मानी गयी थी।	२–परिषदीय पत्र सं०-१३५१-जी० ई०-२, दिनांक ३-३-७९ द्वारा डा० (श्रीमती) टण्डन की नियमित रूप से महिला चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्ति की गई थी। पत्र संख्या-८४९-के-३ दिनांक ३०-३-८१ द्वारा डा० (श्रीमती) टण्डन को स्नातकोत्तर भत्ता स्वीकृत किया गया था एवं इस आदेश में दर्शाई गई पद भार ग्रहण की तिथि १५-५-७८ डा० टण्डन की परिषद् में पत्र संख्या-१३४३ दिनांक १२-४-७८ के विरुद्ध तदर्थ चिकित्साधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

३–यह कि पत्र संख्या-३३०-के-७, दिनांक १३-२-८४ द्वारा घोषित चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता सूची में डा० टण्डन को तीसरे स्थान पर रखा गया है तथा पत्र संख्या-५७३ दिनांक ३०-३-८४ द्वारा वर्गीकृत तालिका में वरीयता क्रम में तीसरे स्थान पर रखा गया है । परन्तु कार्यभार ग्रहण की तिथि १५-५-७८ के स्थान पर १५-५-७९ दर्शाया गया है, जिस संबंध में अपने पत्र दिनांक १७-२-८४ एवं २७-२-८४ द्वारा वरिष्ठता निर्धारण हेतु अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् को लिखा परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

३–पत्र संख्या-३३० के ०७/राविप दिनांक १३-२-८४ द्वारा घोषित वरिष्ठता सूची में डा० टण्डन को चयन समिति द्वारा निर्धारित उनकी श्रेष्ठता (मेरिट) के आधार पर तीसरे स्थान पर रखा गया है । पत्र संख्या-५७३ दिनांक ३०-३-८४ द्वारा जारी चिकित्साधिकारी की वर्गीकृत तालिका में भी डा० टण्डन का नाम तृतीय स्थान पर है । उनके कार्यभार ग्रहण की तिथि १५-५-७९ त्रुटिवश दर्शाई गई थी तथापि इससे डाक्टर टण्डन की ज्येष्ठता प्रभावित नहीं होती है जिसके लिये वह प्रतिवेदन करती रही हैं ।

३–सही स्थिति यह है कि नियमित चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्ति के परिषदीय आदेश संख्या-१३५१ दिनांक ३-३-७९ के विरुद्ध डा० टण्डन ने दिनांक १२-३-७९ को कार्यभार ग्रहण किया है । डा० टण्डन के प्रतिवेदन दिनांक २७-२-८४ एवं १७-२-८४, कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्राप्त नहीं हुए थे तथापि उनके प्रतिवेदन दिनांक २७-२-८४ की एक प्रतिलिपि उनके पत्र दिनांक ५-५-९० के संलग्नक के रूप में प्राप्त हुई है । अपने प्रतिवेदन दिनांक २७-२-८४ में डा० टण्डन ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने की मांग की थी । इनका अनुरोध स्वीकार करना संभव नहीं है । क्योंकि ज्येष्ठता का निर्धारण कार्यभार ग्रहण की तिथि से नहीं अपितु नियमित चयन की तिथि एवं चयन समिति द्वारा निर्धारित श्रेष्ठता के आधार पर होता है ।

४–यह कि ए० आई० आर० १९८४ एस० सी० १५२७, जी० पी० देवल बनाम मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के निर्णय में व्यवस्था दी है कि अगर किसी व्यक्ति की प्रारम्भिक नियमित नियुक्ति नियमानुसार अपनी सेवा को नियमित किये जाने तक अपने पद पर लगातार बना रहता है तो इस अवधि को उसकी सेवा में माना जायेगा जब कि श्रीमती टण्डन के साथ किसी भी निम्न प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है ।

४–श्री जी० पी० देवल बनाम मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन जो कि ए० आई० आर० १९८४ एससी/८७ में प्रकाशित है, के तथ्य एवं विशिष्टताएं डा० (श्रीमती) टण्डन के मामले के तथ्य एवं विशिष्टताओं से सर्वथा भिन्न हैं । अतः उक्त निर्णय में मान० उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था उनके कारण पर लागू नहीं होती ।

लालजी टण्डन,

ऊर्जा मंत्री ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६–४७ पर)

जनपद गाजीपुर में १-१-८६ से जनवरी, ९२ तक असफल राजकीय नलकूप जो बन्द पड़े हैं, का विवरण

क्रमांक	ब्लाक का नाम	नलकूप संख्या/समूह	ग्राम का नाम
१	२	३	४
१	रेवतीपुर	३ ज० स०	पटकनिया
२	सैदपुर	७५ सै० स०	परीदहा
३	सैदपुर	२०२ सै० स०	मरहमपुर
४	कासिमाबाद	४६ यू० स०	विजवा
५	रेवतीपुर	६ ज० स०	सुहवल
६	जखनिया	१७५ सै० स०	यामूपुर
७	मुहम्दाबाद	५३ यू० स०	परसा प्रथम
८	भंवर कौल	२२७ यु० स०	संग्रामपुर
९	सैदपुर	२४७ सै० स०	वलयचक
१०	तदैव	२४९ सै० स०	खानपुर
११	करण्डा	२१४ गा० स०	मुडवल

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये अता० प्र० सं० ९९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१–६२ पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र १९९२ के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री भगवती प्रसाद शुक्ल द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–९९ का संलग्नक

पत्र का बिन्दु	वर्तमान स्थिति
१–मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि के० डब्ल्यू० एच० मीटर (एम० डी० आई०) को परीक्षण हेतु मद्रास भेजा जा रहा है जिससे परिषद् को और धन अपव्यय कराया जा सके । अधिकारियों की योजना है कि इस प्रकरण को लम्बा खींचा जाये जबकि पुष्टि रीडिंग ट्राइवेक्टर चेक मीटर द्वारा होती है । अतः तत्काल परिषद् को यह आदेश दिया जाये कि के० डब्लू० एच० मीटर को मद्रास न भेजें ।	१–मेसर्स हिण्डालको के फीडर पर लगे [illegible] डब्ल्यू० एच०/एम० डी० आई० मीटरों [illegible] परीक्षण हेतु मद्रास नहीं भेजा जा रहा है । उपभोक्ता के साथ दिनांक २४-२-८८ को सम्पादित अनुबंध के अनुसार उपभोक्ता द्वारा की गयी विद्युत खपत के पावर फैक्टर की गणना हेतु एक ट्राइवेक्टर मीटर लगा हुआ है जो अनुबंध के अनुसार [illegible] मीटर की भांति प्रयोग नहीं किया जा सकता है । दिनांक १८-१२-९० को संयुक्त एम० डी० आई० की रीडिंग की सत्यता की पुष्टि के लिये उक्त ट्राइवेक्टर [illegible] को परीक्षण हेतु सहायक इलेक्ट्रिक इन्स्पेक्टर, गर्वनमेंट इलेक्ट्रिक स्टैन्डर्ड लैब मद्रास को भेजा जा रहा है जिसकी परीक्षण की तिथि १७-३-९२ को निर्धारित है ।
२–संघ के पत्र दिनांक ७-१-९१ के पैरा "५" में दिये गये महत्वपूर्ण बिन्दु पर कार्यवाही करते हुए जिसमें दिनांक १७-१२-९० एवं १८-१२-९० की फीडर लागबुक एवं अवर अभियंता, लागबुक एवं परिषद तथा हिण्डालको द्वारा ली गयी संयुक्त रीडिंग संबंधित रिकार्ड अविलंब सील किया जाये तथा दोषियों को निलंबित करते हुए कठोर कार्यवाही की जाये ।	२–उपरोक्त सभी रिकार्ड सुरक्षित हैं । मामले में अग्रिम कार्यवाही ट्राइवेक्टर मीटर के परीक्षण के उपरान्त ही संभव है ।
३–संयुक्त रीडिंग निर्धारित समय व दिनांक पर (एम० डी० आई०) अब भी नहीं हो रही है । जिसके कारण परिषद् को लाखों रुपये की क्षति उठानी पड़ रही है ।	३–संयुक्त रीडिंग निर्धारित समय पर ली जा रही है ।
४–संघ के पत्र को अधिशासी अभियंता, वि० उ० ख०, पिपरी एवं विद्युत अनुरक्षण एवं प्राचलन खण्ड, पिपरी ने कूड़े के ढेर में फेंक दिया, जिसकी जांच हो ।	४–उपरोक्त पत्र पर कार्यवाही की जा रही है ।
५–दिनांक १८-१२-९० से दिनांक २५-१२-९० तक एम० डी० आई० की रीडिंग तथा मेसर्स हिण्डालकों द्वारा किस दर से और कितना भुगतान किये जाने वाली धनराशि ।	५–दिनांक १८-१२-९० से २५-१२-९० तक एम० डी० आई० की रीडिंग ७० मेगावाट थी । जिसका २३.७५ रुपये प्रति के० वी० ए० प्रति सप्ताह के हिसाब से १५,६३,३४१.२५ रु० होता है, जिसको उपभोक्ता ने जमा कर दिया ।

६–अधिशासी अभियंता (जनरेशन) ने दि० १८-१२-९० को जिस सहायक अभियंता को हिण्डालको की संयुक्त रीडिंग लेने को अधिकृत किया था तथा उसको सील कर दिया गया था। यदि नहीं, तो क्यों ?

६–दिनांक १८-१२-९० को अधिशासी अभियंता (जनरेशन) ने सहायक अभियंता (परिचालन) को रीडिंग लेने के लिये अधिकृत किया था तथा सहायक अभियंता (परिचालन) ने रीडिंग लेने के बाद एम० डी० आई० को रिसेट करके विधिवत सील कर दिया था।

७–ट्राइवेक्टर मीटर की रीडिंग तत्काल ली जाये जो अभी तक वैसे ही है।

७–संबंधित ट्राइवेक्टर मीटर की रीडिंग ले ली गयी है।

८–एग्रीमेन्ट मेसर्स हिण्डालको का (कितने भार) लोड का था तथा एग्रीमेन्ट से अधिक विद्युत लेने पर पेनाल्टी किस दर से कितना की गयी है ?

८–मेसर्स हिण्डालको के साथ हुए अनुबंध दिनांक २४-२-८८ के अनुसार उपभोक्ता का स्वीकृत भार १० मेगावाट मेन एवं ६० मेगावाट एमर्जेन्सी सप्लाई है इस प्रकार कुल ७० मेगावाट होता है। एग्रीमेन्ट से अधिक बिजली लेने पर उपभोक्ता पर रु० २५.०० प्रति के० वी० ए०/सप्ताह के हिसाब से पेनाल्टी लेने का प्राविधान उपरोक्त अनुबंध में है। उपभोक्ता से रुपये ३२,७७,७७५.०० पेनाल्टी वसूल की गयी है।

९–क्या यह सत्य है कि श्री ए० आर० चक्रवर्ती, अधिशासी अभियंता, पिपरी में बीस साल से पड़े हैं ?

९–हां। वर्तमान में श्री ए० आर० चक्रवर्ती, अधिशासी अभियंता (ओ० एण्ड एम०) के पद पर कार्यरत हैं।

१०–इस सम्पूर्ण जांच में संघ के पदाधिकारी श्री देऊ प्रसाद, प्रांतीय मंत्री एवं पाली ३ दिनांक १८–१२–९० समय १४.२२ पेज संख्या-१३७ परिचालन विवरण भरने वाले अधिकारी को रखा जाये।

१०–जांच का कार्य वाणिज्य (रेड यूनिट) के द्वारा कराया जा रहा है। जिसके निर्णय के पश्चात् स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

११–चोरी पकड़ने वाले अधिकरियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाये।

११–जांच का निर्णय अभी प्रतिक्षित है।

सारणी 'ङ'

देखिये अता० प्र० सं० १२७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५–७६ पर

अवर अभियंताओं के पास खोले गये आकस्मिक व्ययमान का विवरण माह ९/९० से ९/९१ तक

अवर अभियंता	९/९०	१०/९०	११/९०	१२/९०	१/९१	२/९१	३/९१	४/९१	५/९१	६/९१	७/९१	८/९१	९/९१
उत्तर खण्ड प्रथम													
श्री आर० एन० चतुर्वेदी	-	-	४९९५.००	२४९६.३०	९९८२.००	-	८९७१४.९०	-	४९९५.००	५०००.००	-	४९९९.००	९९९६.५८
आर के० वाजपेयी	-	-	-	-	-	-	८४५६.५०	-	-	-	-	- -	
													६२७३.०८
					प्रति माह प्रति अवर अभियंता औसत								
द्वितीय उपखण्ड					७०८७.००				७९४८.००				
श्री बी० जी० श्रीवास्तव	४९९९.००	१४८९४.४०	४९८९.८५	१९९८०.७५	३९४२३.००		९९९९.५०		४९९९.००	९९९८.५०		४९९९.१०	
श्री बी० पी० सिंह	९९८३.२०	९२०१.२५	९९९८.००	१९५७१.१५	५९९७३.७०		९९९७.००		५०००.००	४९९९.७०		४९९९.००	
श्री एस० सी० श्रीवास्तव	-	४९१५.००	४९९९.३०	-	-	३४९९९.५०	-		४९९२.००	४९९८.८०		६४९९.००	
श्री गोलू प्रसाद	-	-	-	-	-	-९९९८२.००	-	-	-	-	-	- -	-
तृतीय उपखण्ड													
श्री आर० के० शुक्ला	-	-	४९२५.४५	८९०५.२०	९८७९.००	-	६३३४७.०५	-	९९७५.५०	-	-	४९९५.००	-
श्री एस० पी० सिंह	-	-	४९९५.००	९९९०.८०	९९९७.८०	-	५९८४१.९०	-	४९६७.७५	-	-	४९९८.५०	
श्री के० ए० खान	-	-	२४९८.५०	-	९२६७.८०	-	१९८८७.७०	-	-	-	-	- -	
श्री यू० के० पाण्डेय	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	
श्री राजवीर सिंह	-	-	-	-	-	-	९९९९-५०	-	-	-	-	- -	
					प्रति माह प्रति अवर अभियंता औसत								
चतुर्थ उपखण्ड					८९८२.००							३६६९.००	
श्री डी० सी० श्रीवास्तव	५९७९.००	-	-	९९९८.५०	१८८३९.५०		५९७४६.५०	—	९९९३.००	-५२६०.००		९९८४.००	
श्री नगेन्द्र सिंह	-	-	-	१९९३८.५०	५०००.००	-	१९०९६.००	-	-	-६१८७.००		-	
श्री एस० के० जरोरा	-	-	-	४६०८.००	-	-	२४६४.००	-	-	-	-	- -	
श्री एल० के० द्विवेदी	-	-	-	-	४९९५.००	-	२०१६५.००	-	-	-	-	९९८०.००	-
श्री ए० के० सक्सेना	-	-	-	-	-	-	-	-	२२००.२५	-	-	-	
									प्रति माह प्रति अवर अभियंता औसत			३४३७.००	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अवर अभियंताओं के नाम स्थायी अग्रिम का विवरण माह ९/९० से ९/९१ तक

अवर अभियंता	९/९०	१०/९०	११/९०	१२/९०	१/९१	२/९१	३/९१	४/९१	५/९१	६/९१	७/९१	८/९१	९/९१	
श्री आर० एस० चतुर्वेदी	१०००.००	१९९८.५०	९८१.५०	९९९.३०	१९९९.००	१०००.००	१०००.००	-	१०००.००	२०००.००	९९९.७०	९९९.००	९९९.९०	
श्री आर० के० बाजपेई	४९८.७५	४९९.००	५००.००	१०००.००	९९९.९०	४९८.००	९९९.५०	-	-	-	-	-	-	
						प्रति माह प्रति अवर अभियंता औसत								७६७/
श्री वी० पी० श्रीवास्तव	९९८.५०	१९९८.२५	२९९५.८०	१९९८.५०	१९९९.५०	९९७.००	३०००.००	-	१९९५.००	९९५.००	९९८.००	१९९४.००	१०००.००	
श्री वी० पी० सिंह	-	१९९४.००	-	९९८.००	३९९४.२५	९९५.००	२९९४.००	-	१०००.००	-	-	१०००.००	-	
श्री एस० सी० श्रीवास्तव	-	४७९.६०	-	१५००.००	४९९.८०	-	-	-	१०००.००	-	-	-	-	
श्री मोहलू प्रसाद	-	-	-	-	-	-	५००.००	-	५००.००	-	-	-	४९९.५०	
						प्रति माह प्रति अवर अभियंता औसत								७४८/
श्री आर० के० शुक्ला	१०००.००	-	९९५.७०	-	९९९.००	-	१९९२.००	-	१०००.००	२०००.००	९९८.००	-	-	
श्री एस० पी० सिंह	९९६.००	-	१४९६.००	-	४९९.००	-	१०००.००	-	-	५००.००	-	-	-	
श्री के० ऐ० सचान	९९९.००	-	९९०.००	-	४९०.००	-	४९८.००	-	-	५००.००	-	-	-	
श्री यू० के० पाण्डेय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	५००.००	
श्री राजवीर सिंह	-	-	-	-	-	-	-	-	५००.००	-	-	-	-	
						प्रति माह प्रति अवर अभियंता औसत								२९९/
श्री डी० सी० श्रीवास्तव	१०००.००	-	-	-	-	-	-	-	-	१०००.००	-	-	-	
श्री गजेन्द्र सिंह	५००.००	-	-	२९५८.००	-	-	९९८.००	-	-	५००.००	-	-	-	
श्री एस० के० अरोरा	५००.००	-	-	-	९९६.००	-	४४७५.५०	-	-	-	-	-	-	
श्री एस० के० द्विवेदी	-	५००.००	-	१९९८.००	-	-	२४८६.००	-	-	१०००.००	-	-	-	
श्री ए० के० सक्सेना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१०००.००	-	-	-	
						प्रति माह प्रति अवर अभियंता औसत								३०६/

नत्थी 'ज'

(देखिये अता० प्र० सं० १६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१ पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र १९९२ के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०-१६१ का संलग्नक

श्री शहवेज अहमद, अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय ज्ञाप संख्या-४२६२/ई-२क, दिनांक २५-५-८९ द्वारा किया गया शासनादेश संख्या-४२६५/८९-२३ दिनांक २९-९-८९ के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी-४७७/ई-२क दिनांक २०-१०-८९ द्वारा निरस्त कर दिया गया। दूसरी बार मुख्य अभियन्ता (सरयू), सिंचाई विभाग, फैजाबाद के कार्यालय ज्ञाप दिनांक १३-६-९० द्वारा सरयू नहर खण्ड-७, बहराईच में स्थानान्तरण किया गया। इन आदेशों के अनुपालन में कार्यमुक्त होने के पूर्व शासनादेश संख्या-५७७०/९०-२७-सिं०-७,२६३/८३ दिनांक २९-८-९० में निहित आदेशानुसार श्री शहवेज अहमद को प्रमुख अभियन्ता कार्यालय ज्ञाप संख्या-७८४९/ई-२क दिनांक ४-१-९१ द्वारा अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड-३, पिथौरागढ़ को स्थानान्तरित कर दिया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के निर्णय के दिनांक २५-९-९१ के द्वारा स्थगित कर दिया गया है।

श्री छैल बिहारी तिवारी का प्रथम बार स्थानान्तरण अधीक्षण अभियंता, ड्रेनेज मण्डल, गोण्डा के द्वारा दिनांक १०-८-८९ को सिंचाई खण्ड, गोंडा से सरयू नहर खण्ड-प्रथम, बलरामपुर के लिये किया गया। यह आदेश अधीक्षण अभियंता के द्वारा ही कार्यहित में दिनांक १-६-९० को निरस्त कर दिया गया। दूसरी बार अधीक्षण अभियंता के द्वारा ही दिनांक ३०-७-९१ को उन्हें पुनः सरयू नहर खण्ड-प्रथम, बलरामपुर के लिए स्थानान्तरित किया गया। प्रथम उपखण्ड सिंचाई खण्ड, गोंडा में अवर अभियंताओं की कमी के कारण अधीक्षण अभियंता के द्वारा निर्गत स्थानान्तरण आदेश दिनांक ३०-४-९२ तक स्थगित कर दिये गये हैं।

श्री राजेन्द्र, अवर अभियंता का स्थानान्तरण मुख्य अभियंता (सरयू) द्वारा दिनांक ३०-७-९१ को सिंचाई खण्ड, गोण्डा से सरयू नहर खण्ड-५, बहराइच को किया गया। श्री राजेन्द्र, अवर अभियंता की पत्नी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर मुख्य अभियंता (पूर्वी नहर एवं बाढ़) कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग के द्वारा स्थानान्तरण आदेश दिनांक ३०-४-९२ तक स्थगित करते हुए उन्हें खण्डीय कार्यालय से सम्बन्द्ध कर दिया गया है।

श्री राधेश्याम राय का स्थानान्तरण मुख्य अभियंता, सरयू द्वारा दिनांक १३-६-९० को सिंचाई खण्ड, गोण्डा से सरयू नहर खण्ड-५, बहराइच को किया गया। अधीक्षण अभियंता, ड्रेनेज मण्डल, गोण्डा के अनुरोध पर मुख्य अभियंता (सरयू), सिंचाई विभाग, फैजाबाद द्वारा निर्गत स्थानान्तरण आदेश दिनांक ३०-४-९१ तक स्थगित कर दिया गया। तत्पश्चात् विधान सभा/लोक सभा के मध्यावधि चुनाव के कारण दिनांक २०-६-९१ को कार्यमुक्त करने हेतु अधीक्षण अभियंता को लिखा गया था, परन्तु इन्हें अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है।

श्री बृज कुमार राय, अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण अधीक्षण अभियंता, ड्रेनेज मण्डल, गोण्डा के द्वारा दिनांक १०-८-८९ में सिंचाई खण्ड–गोण्डा से सरयू नहर खण्ड, प्रथम, बलरामपुर किया गया। जो अधीक्षण अभियंता के द्वारा ही कार्यहित में दिनांक १-६-९० को निरस्त कर दिया गया है।

श्री बी० डी० चौधरी, अवर अभियंता का स्थानान्तरण प्रमुख अभियंता के कार्यालय ज्ञाप संख्या-४३९३/ई-२क दिनांक २९-७-९१ द्वारा सिंचाई खण्ड, गोण्डा से भवन निर्माण खण्ड, लखनऊ को किया गया था, तदोपरान्त इन आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या-सी-५१६४/ई-२क दिनांक २३-८-९१ द्वारा उन्हें लखनऊ खण्ड-२, शारदा नहर, लखनऊ के लिये स्थानान्तरित किया गया। पुनः यह आदेश कार्यालय ज्ञाप संख्या-सी-२८१/ई-२क दिनांक २-१२-९१ द्वारा दिनांक ३०-४-९२ तक स्थगित कर दिया गया। इन स्थगन आदेशों को कार्यालय ज्ञाप संख्या-सी-२९६/ई-२क दिनांक ३०-१२-९१ द्वारा निरस्त भी कर दिया गया था। मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ ने अपने निर्णय दिनांक ८-१-९२ में श्री चौधरी, अवर अभियंता को गोण्डा में दिनांक ३०-४-९२ तक बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० १८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९९–१०० पर)

खराब नलकूपों का विवरण

(यांत्रिक दोष से बन्द नलकूपों का विवरण–सप्ताहान्त २६-१२-९१)

क्रमांक	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	नलकूप संख्या एवं समूह	बन्दी का दिनांक	बन्दी का कारण
१	२	३	४	५	६
१	गड़वार	सुल्तानपुर	१३२ वी० जी०	५-१२-९१	पम्प खराब
२	तदैव	कोपवां	११७ वी० जी०	२०-१२-९१	तदैव
३	तदैव	गोविन्दपुर	७६ वी० जी०	२०-१२-९१	मोटर खराब
४	तदैव	रतसड़	२ वी० जी०	२६-१२-९१	तदैव
५	हनुमानगंज	कपूरी नारायनपुर	१२५ वी० जी०	२५-१२-९१	पम्प खराब
६	सोहांव	विशुनपुरा	११ वी० जी०	३०-११-९१	तदैव
७	तदैव	नसीरपुर	२११ वी० जी०	१२-१२-९१	मोटर खराब
८	तदैव	उसरौवी	१३ वी० जी०	१८-१२-९१	पम्प खराब
९	तदैव	पालीगर	२६३ वी० जी०	२०-१२-९१	मोटर खराब
१०	तदैव	सिंगारपुर	६१ वी० वी०	२४-१२-९१	पम्प खराब

(विद्युत दोष से बन्द नलकूपों का विवरण)सप्ताहान्त २६-१२-९१

क्रमांक	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	नलकूप संख्या एवं समूह	बन्दी का दिनांक	बन्दी का कारण
१	२	३	४	५	६
१	सोहांव	बघौना	१६ वी० जी०	२-९-९१	ट्रान्स० खराब
२	तदैव	बनकटा	१० वी० जी०	१६-१२-९१	तदैव
३	गड़वार	कुर्थियां	१०३ वी० जी०	२८-११-९१	तदैव
४	तदैव	बरौती	१६१ वी० जी०	१२-१२-९१	केबिल चोरी
५	तदैव	रतसड़	३ वी० जी०	२२-१२-९१	लाइन खराब

पी० एस० यू० पी०–एल० १४६ विधान सभा–(२३७)–१९९३–५७२ । (डी० टी० पी०)